छठम् माला, खंड 26, अंक 46, शुक्रवार, 27 अप्रैल, 1979/7 वैशाख, 1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी सस्करण

(सातवां सत्र)

Preservation Unit
Parliament Library
On 14-10-92

6th Lok Sabha

(खंड 26 में अंक 41 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक, 46 सोमवार, 27 अप्रैल, 1979/ 7 वैशाख, 1901 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :			
*तारांकित प्रश्न संख्या : 908 से 913 और 915	...		1— 4
प्रश्नों के लिखित उत्तर :			
तारांकित प्रश्न संख्या : 914 और 916 से 927	...	...	25—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8801 से 8832, 8834 से 8875, 8877 से 8882, 8884 से 8917, 8919 से 8972, 8974 से 8996 और 8998 से 9000			33—189
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...		190—191
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति			
कार्यवाही वृतान्त			
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	...	191—230
साउथाल, लन्दन में एशियाई समुदाय के विरुद्ध हिंसक घटनाओं का समाचार			
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	...		192—194
श्री समरेन्द्र कुन्डू	...		194—203
श्री जी० एम० बनातवाला	...		—195
श्री विजय कुमार मल्होत्रा	...		197—199
श्री सौगत राय	...		200—201
श्री पी० राजगोपाल नायडू	...		—203
लोक लेखा समिति	...		203—204
127वां, 142वां और 143वां प्रतिवेदन			
(1) **प्राक्कलन समिति**			—204
33वां और 35वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश और 32वां और 37वां से 40वां प्रतिवेदन			
(2) **अधीनस्थ विधान संबंधी समिति**			204—205
20वां प्रतिवेदन			
(1) **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति**			—205
29वां, 30वां, 34वां, 35वां, 37वां और 38वां प्रतिवेदन			
(2) **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति**	...	...	—205
50वां प्रतिवेदन			
जम्मू और काश्मीर राज्य की हाल की यात्रा के बारे में वक्तव्य	...		206—208
श्री एच० एम० पटेल			
(2) **सभा का कार्य**	...	...	208—209
बहु राज्य सहकारी सोसायटी विधेयक			
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	...	...	210—214
(4) **नियम 377 के अधीन मामले**	...	...	214—217
(एक) जबलपुर डिवीजन में करेली और गदरवाड़ा मंडियों से अन्य स्थानों पर अनाज ले जाने के लिए वैगनों की कमी			
श्री निर्मल चन्द्र जैन	...	...	—214

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय		पृष्ठ
(दो) आसनसोल दुर्गापुर उद्योग क्षेत्र में स्थित लघु उद्योगों को कच्चे माल की कम सप्लाई		
श्री रोबिन सेन	... ...	—215
(तीन) रक्षा सेवाओं के अधिकारियों को वीरता पुरस्कार और पदोन्नति देने की प्रक्रिया		
श्री डी० डी० देसाई	... ...	—215
(चार) राजस्थान में भरतपुर और खैरली मंडियों खाद्य सरसों के तेल के निर्यात के लिये परिवहन सुविधाओं की कमी		
श्री राम किशन	... ...	—216
(पांच) सिधपुर काटन टैक्सटाइल मिल, सिधपुर का प्रबंध ग्रहण करने की आवश्यकता		
श्री अहसान जाफरी	...	—216
(4) वाणिज्य पोत परिवहन (द्वितीय संशोधन) विधेयक	...	**217—221**
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव		
श्री चांद राम	...	217—220
श्री बी० रचैया	...	—218
श्री वयालार रवि०	...	—218
श्रीमती अहिल्यापी० रागनेकर	...	218—219
संशोधनों से सहमत होने का प्रस्ताव		
श्री चांद राम	... ...	220—221
(4) हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक	... ...	**221—225**
विचार करने का प्रस्ताव		
श्री धनिक लाल मंडल		
(1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		—225
32वां प्रतिवेदन		
(3) एक न्यायाधीश की पदोन्नति के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया संबंधी संकल्प		**225— 267**
श्री सी० एम० स्टीफन	... ...	226—267
श्री कंवरलाल गुप्त	... ...	225—258
डा० रामजी सिंह	... ...	243—249
श्री निर्मल चन्द्र जैन	... ...	246—249
श्री सोमनाथ चटर्जी	... ...	249—250
श्री विनोदभाई बी० शेठ	... ...	254—255
श्री शान्ति भूषण	... ...	229—265
(8) आधे घंटे की चर्चा	... ...	**268—283**
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में कथित अनियमितताएं		
डा० रामजी सिंह	....	268—274
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	... ...	274—283
श्री कंवर लाल गुप्त	... ...	274—276
श्री रशीद मसूद	... ...	276—277
प्रो० दिलीप चक्रवर्ती	... ...	277—279
श्री मनोहर लाल	... ...	—277
श्री बृज भूषण तिवारी	... ...	279—281

लोक सभा

शुक्रवार, 27 अप्रैल, 1979/7 वैशाख 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 3 मिनट पर समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राष्ट्रीय सहकारिता आयोग के लिए मांग

*908. श्री सुभाष आहूजा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन कोआपरेटिव कांग्रेस ने मांग की है कि एक राष्ट्रीय सहकारिता आयोग की नियुक्ति की जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) नयी दिल्ली में 9 से 11 मार्च, 1979 को हुई आठवीं भारतीय सहकारी कांग्रेस ने सिफारिश की है कि एक राष्ट्रीय सहकारी आयोग नियुक्त किया जाये, जो सहकारी आंदोलन के संपूर्ण ढांचे का अध्ययन करे और सहकारी समितियों की कार्यात्मक कुशलता में सुधार करने के लिए उपायों का सुझाव दें।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव पहले ही सरकार के विचाराधीनहै।

श्री सुभाष आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय जी से यह जानना चाहूंगा कि जब सरकार के पास राष्ट्रीय आयोग के गठन का विचार चल रहा है और यह प्रस्ताव उसके विचाराधीन है, तो क्या सरकार ने कुछ विशेष मुद्दे आयोग को देने के लिए तय किये हैं जिन पर यह आयोग विचार-विमर्श कर सके और वे मुद्दे कौन से हैं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसा कि उत्तर में कहा है कि यह आयोग बनाने का प्रश्न विचाराधीन है और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि 1979 के अन्दर सहकारी आन्दोलन अपने 75 वर्ष पूरे कर लेगा, इस बीच के समय में इस आन्दोलन का देश के अन्दर काफी प्रसार हुआ है। इसमें काफी पूंजी लगने के साथ ही साथ 8 करोड़ सदस्य इसके बने हैं लेकिन इसके साथ ही साथ कई समस्याएं भी बढ़ी हैं, विशेषकर सारे देश के अन्दर जो सहकारिता का प्रसार हुआ है, विकास हुआ है वह इस प्रकार का असंतुलित विकास हुआ है कि कई राज्य सहकारिता की दृष्टि से काफी विकसित हो गये हैं और कई राज्य सहकारिता की दृष्टि से विकसित नहीं हो पाये। इस के कारणों की खोज करना है कि क्या कारण है कि सरकार के इतने प्रयास करने के बाद भी सहकारिता की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में असंतुलन रहा है। इसके साथ-साथ केन्द्र और राज्यों के सहकारिता की दृष्टि से किस प्रकार के सम्बन्ध होने चाहिएं, इस पर विचार करना। सहकारिता का थ्री टायर या फोर टायर सिस्टम रखा जाए, इस पर विचार करना है। ये जो भिन्न-भिन्न मुद्दे हैं इन मुद्दों पर विचार करने के लिए इस आयोग की स्थापना करने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

श्री सुभाष आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सहकारिता आन्दोलन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक विकसित हो चुका है और इसके करीब आठ करोड़ सदस्य हैं। सहकारिता आन्दोलन हमारे देश में 75 साल से चल रहा है। इसके चलते हुए आज भी हमारे ग्रामीण भाइयों में सहकारिता आन्दोलन के प्रति अविश्वास की भावना पनप रही है। इसका कारण है कि सहकारिता आन्दोलन में राजनीतिज्ञों का अनाधिकार हस्तक्षेप होता है। इन सारी बातों पर विचार करने के लिए आयोग का शीघ्र से शीघ्र गठन कब तक हो सकेगा ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : श्रीमान् जैसा कि मैंने कहा कि सहकारिता के प्रति अविश्वास है लेकिन इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अगर हम समाज के अन्दर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सहकारिता परमावश्यक है। यह अविश्वास क्यों है ? इसके कारणों को दूर करना है। इसी दृष्टि से हम आयोग को स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, यह भी सही है कि इसमें राजनीतिक दृष्टि से हस्तक्षेप है। इस दृष्टि से भी हम इसकी स्थापना पर विचार कर रहे हैं।

श्री भागीरथ भंवर : माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले सालों में सहकारिता आन्दोलन में जो गड़बड़ियां पैदा हुई हैं और सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से—जैसा कि मंत्री जी ने बताया—किसी राज्य को लाभ हुआ और किसी राज्य को नुक्सान हुआ, बहुत से गरीब लोगों को, किसानों को, खासकर के हरिजनों और आदिवासियों को नुक्सान हुआ, तो क्या जब यह आयोग गठित होगा तब जांच के लिए इन मुद्दों को भी उसके सामने रखा जायेगा या कोई और संस्था बनाई जायेगी जिससे कि जो ये गड़बड़ियां पैदा हुई हैं उनको सुधारा जा सके ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा कि सारे प्रश्न सरकार के सामने हैं कि इतने प्रयास करने के बाद भी सहकारिता आन्दोलन जिस गति से बढ़ना चाहिए था जितना विश्वास लोगों में इसके प्रति होना चाहिए था वह क्यों नहीं हो पाया है। इसी दृष्टि से विचार हो रहा है। जहां तक गरीब लोगों के सहकारिता आन्दोलन से नुक्सान का सम्बन्ध है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसका इम्प्लीमेन्टेशन राज्यों से सीधे सम्बन्धित है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सम्पर्क का भी प्रश्न आता है और यह प्रश्न भी आता है कि हम किस प्रकार से इसको गति प्रधान कर सकें।

एक माननीय सदस्य : सहकारिता आंदोलन बदनाम भी बहुत हुआ है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस भावना से सहमत नहीं हूं कि यह बदनाम हुआ है। आज हमारे देश में सहकारिता की दृष्टि से इस प्रकार के प्रोजेक्ट हैं जैसे कि इस्को और आमूल, जो कि न केवल देश के अन्दर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। कहीं कुछ कमजोरियां हैं जिन्हें दूर करना पड़ेगा। इसी दृष्टि से

आयोग की स्थापना पर विचार हो रहा है । कौन-कौन से मंत्रालय और विभाग हैं जिनका सहकारिता से संबंध है, इस सब पर विचार-विमर्श चल रहा है और जैसे ही विचार पूरा हो जाएगा, इस संबंध में कार्यवाही की जाएगी ।

श्री चतुर्भुज : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आंदोलन का एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है । मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि इसके बारे में जो आयोग बैठेगा उसका क्या स्वरूप होगा, क्या कार्य क्षेत्र होगा, और उसका कोई समयबद्ध कार्यक्रम होगा कि कितने समय के अंदर वह अपना काम पूरा कर लेगा ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैंने पहले निवेदन किया है कि सहकारिता का भिन्न-भिन्न मंत्रालयों से संबंध है । रूरल क्रेडिट का सीधा संबंध कृषि मंत्रालय और इंडस्ट्री से है । इन सब पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि कौन-कौन से विभाग या डिपार्टमेंट्स हैं और उनके कौन-कौन से क्षेत्र हैं । वे सब क्षेत्र और रेफरेंस तय किये हैं जिसके कि आधार पर कमीशन की नियुक्ति हो सके । इस बात पर विचार विमर्श हो रहा है, बातचीत हो रही है, पत्र व्यवहार हो रहा है । इस बातचीत के बाद और विचार विमर्श के बाद जब एक रूप या योजना सामने आ जायेगी तब आयोग की स्थापना पर निर्णय लिया जायेगा । लेकिन सिद्धांत रूप से यह तय किया गया है कि आज की स्थिति के अंदर इस प्रकार का आयोग बनाना आवश्यक है ।

सरणीकरण के बाद कच्चे काजू के आयात में कमी

*909. **श्री अहसान जाफरी** : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरणीकरण के बाद कच्चे काजू के आयात में कमी हुई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने स्वदेशी उद्योग के हित में अधिक मात्रा में कच्चे काजू का आयात करने के लिये क्या प्रबंध किये हैं;

(ख) क्या अफ्रीका के उत्पादक देश अन्य देशों को कच्चे काजू सप्लाई कर रहे हैं; यदि हां, तो सप्लाईकर्ताओं द्वारा अपने परम्परागत खरीदार भारत को इसकी सप्लाई न कर इसका निर्यात अन्य देशों को करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कच्चे काजू के सरणीकरण से पूर्व गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रति वर्ष 2 लाख टन कच्चे काजू का आयात किया जा रहा था और सरणीकरण के बाद आज इसका आयात घटकर 57122 टन रह जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इसी स्रोत से आयात करने वाले अन्य देशों की कुल खरीद में भारी वृद्धि हुई है; यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने आयात की मात्रा में वृद्धि करने के लिये उचित कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) प्रोसेसिंग सुविधाओं में वृद्धि होने तथा उन देशों में जो कि हमारे परम्परागत संभरक रहे हैं, कम मात्रा में वसूली होने की वजह से और काजू के प्रोसेसिंग क्षेत्र में नए देशों के प्रवेश की वजह से, भारत में कच्चे काजू के आयात में गिरावट आई। गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिये उठाए गये कदमों में ये शामिल हैं : ऊंची कीमतें देकर भी समग्र निर्यात योग्य अधिशेष की खरीदारी करने के लिये दीर्घावधि वचनबद्धताएं करना तथा सप्लाई के नए स्रोतों से सम्पर्क स्थापित करना।

(ख) अपने निर्यातों के विविधीकरण की नीति के अनुसार कतिपय उत्पादक देशों ने अपने उपलब्ध निर्यात योग्य अर्धशेष का कुछ भाग अन्य देशों को भेज दिया।

(ग) मार्गीकरण करने से पहले वाले वर्ष में आयातित काजू की मात्रा 1.63 लाख मे० टन थी। 1970-71 में आयात 1.69 लाख मे. टन थी और उसके बाद आयात नियमित रूप से बढ़कर 1972-73 में 1.98 लाख मे. टन हो गये। उसके बाद ऊपर भाग (क) के उत्तर में दिये गये कारणों की वजह से आयात में गिरावट शुरू हो गई।

(घ) अन्य आयातक देशों द्वारा हमारे परम्परागत स्रोतों से कच्चे काजू उठाने में वृद्धि हुई। सप्लाइयों में स्थिरता लाने के लिये हमारे परम्परागत सप्लायरों के साथ सरकारी स्तर पर बातचीत की गई।

श्री अहसान जाफरी : पहले भी कई प्रश्न पूछे गए हैं और उनके बने बनाए जवाब दिए गए हैं।

प्रश्न का प्रमुख उद्देश्य यह जानने से है कि कच्चे काजू के आयात के सरणीकरण करने के पश्चात् इसमें कोई कमी आई है या नहीं ? सरकार द्वारा उल्लिखित सरणीकरण नीति का उद्देश्य आयात को नियमित करना और प्रतियोगी कीमतों पर आयात करना है। उत्तर में यह कहा गया है कि हम इसे ऊंची कीमतों पर भी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कच्चे काजू के आयात में कमी आने का एक कारण यह भी है कि उन्होंने अपनी नीति बदल ली है और उन्होंने अपने परिष्करण संयन्त्र लगा लिए हैं और वे अपने उत्पाद का केवल भारत को ही निर्यात नहीं करना चाहते।

सरणीकरण करने से आयात में कमी आई है। पहले 1977 में भारत 50% आयात करता था। 1972 में यह 45% था। ब्राजील, केन्या, और अन्य काजू उत्पादक देशों से 1974 में कुल आयात 43% था। 1977 में यह 21 प्रतिशत हो गया। इसके लिए दिए गए कारठा सन्तोषजनक नहीं है। आयात में निरन्तर कमी आई है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिये।

श्री अहसान जाफरी : इससे पहले कि मैं प्रश्न पूछूं, मैं ब्राजील और चीन की तरफ संकेत करना चाहूंगा वहां वृद्धि 3000 टन से 1 लाख टन हुई है। जब हम ऊंची कीमतों पर खरीदना चाहते हैं तो काजू का आयात प्रतिदिन कम क्यों होता जा रहा है ?

श्री आरिफ बेग : श्रीमन् जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कैनेलाइजेशन से इसका इम्पोर्ट गिरा है, यह बात नहीं है। आप देखेंगे कि इसका कैनेलाइजेशन 1 सितम्बर, 1970 को किया गया। और 1970-71 के आंकड़े बढ़ कर, 1970-71 में जो हमारा इम्पोर्ट था वह 1.69 लाख टन था, वह 1972-73 में बढ़ कर 1.98 लाख टन हो गया। इससे स्पष्ट है कि कैनेलाइजेशन से इम्पोर्ट नहीं गिरा है। बल्कि इसका कारण यह हुआ है कि जिन देशों से हम कैश्यू मंगाते थे वहां पर उसका उत्पादन कम हुआ है, और उन लोगों ने वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट्स तैयार किये हैं। साथ ही साथ उन मार्केट्स के अन्तर्गत जो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है हमारे इम्पोर्ट्स पर इसका प्रभाव पड़ा है।

श्री अहसान जाफरी : यह ठीक नहीं है कि इनका उत्पादन गिर गया है। मैंने कहा है कि ब्राजील और चीन को किए गए निर्यात में 50,000 टन से 1 लाख टन तक वृद्धि हुई है। उनका उत्पादन बढ़ गया है। पहले दिये गए उत्तरों में यह भी बताया गया है कि हम देश में देशी उद्योग लगाने जा रहे हैं और देशी उत्पादन द्वारा हम इस उद्योग को ठीक रखना चाहते हैं और सहायता करना चाहते हैं। चूंकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि हमें काजू का उत्पादन देश में ही करना है और हमें अपने ही बागान लगाने हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस दिशा में हमने क्या कदम उठाए हैं ? एक बागान में 7 वर्ष बाद उत्पादन हो सकता है। आज तक उन्होंने क्या किया है ?

वाणिज्य, नागरिक, पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : काजू उत्पादक देशों ने अपने परिष्करण संयन्त्र लगा लिये हैं और वास्तव में वे किसी देश को और काजू नहीं देना चाहते। दूसरे, मैं सदन की सूचना के लिए यह भी बता सकता हूं कि विदेशों में भी उत्पादन में कमी आई है। तंजानिया में यह 1970-71 में 1,14,000 मीटरी टन से घटकर 70,000 मीटरी टन हो गया है।

मोजाम्बिक में 1970-71 में 1.78 लाख टन के मुकाबले यह घट कर 65,000 टन रह गया है। इसी प्रकार केन्या में 19,400 टन से घट कर 7,000 टन रह गया है। ये परम्परागत देश हैं जहां से हम आयात करते थे।

ब्राजील के सम्बन्ध में परिवहन लागत बहुत अधिक आती है और इन परिस्थितियों में हमें प्रतियोगिता का भी ध्यान रखना पड़ता है। अतः हमारे आयात की मात्रा 1.98 लाख से घट कर केवल 20 या 25 हजार टन रह गई है। अतः अब यही रास्ता है कि हम देश में ही इसका उत्पादन बढ़ाएं और भारतीय काजू निगम ने इस दिशा में पहल की है। हमने राज्यों के न केवल परम्परागत क्षेत्रों से अपितु उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, आसाम को भी

काजू की खेती करने का अनुरोध किया है। हमने योजनाएं तैयार की हैं। हम उनसे विचार-विमर्श कर रहे हैं। कुछ योजनाएं स्वीकृत भी हो चुकी हैं। हम इस समस्या से भलीभांति परिचित हैं और देश में ही अधिक काजू का उत्पादन करने का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी : क्या काजू के बाग लगाने और उसका आयात करने के बारे में नागरिक पूर्ति और कृषि मंत्रालय के बीच कोई तालमेल रखा जाता है ? किसानों को क्या कीमत दी जा रही है और किस मूल्य पर आयात किया जा रहा है ? पीछे किसानों को अच्छी कीमत मिल रही थी। अब उसे लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है। इस उद्देश्य से कि हम कुछ वर्षों बाद काजू का आयात करने की बजाय निर्यात करेंगे। नागरिक पूर्ति और कृषि मंत्रालय के बीच किस प्रकार समन्वय रखा जा रहा है।

श्री मोहन धारिया : इस बारे में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। हम कच्चा काजू आयात करते हैं और काजू गिरी का निर्यात करते हैं। फिर यह बात भी न भूलें कि यदि हम 25 प्रतिशत आयात करते हैं तो आयातक का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह लगभग 75 प्रतिशत अधिक निर्यात करे। इस प्रकार की व्यवस्था है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि हम देश में खपत के लिए काजू का आयात करते हैं।

हम समन्वय की बात भी अच्छी तरह समझते हैं। इस विषय में हमने सभी राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है और हम एक व्यापक योजना तैयार करेंगे। काजू के बाग लगाने का प्रश्न वनरोपण से सम्बन्धित है। इन्हीं आधारों पर हमने राज्य सरकारों से आगे कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। कुछ क्षेत्रों में कुछ कठिनाइयां हैं। वहां भी जहां तक वनरोपण का सम्बन्ध है। राज्य सरकारों ने इसके लिए भूमि आरक्षित रखी हुई है और मैंने उनसे कहा है कि जहां भी सम्भव हो बागान तथा काजू के बाग लगाने के काम को प्राथमिकता दी जाए।

श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी : किसान को कितना मूल्य दिया जा रहा है और आयात मूल्य क्या है ?

श्री मोहन धारिया : मैं इस बात से सहमत हूं कि मूल्य लाभकारी होने चाहिएं और उस हद तक हम इनमें समानता रखने का प्रयास करेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : मैं दोनों मूल्यों में अन्तर जानना चाहता हूं।

श्री मोहन धारिया : मोटे तौर पर मूल्य बराबर हैं, पर किसानों को मिलने वाले मूल्य थोड़े कम हैं।

श्री के० मालन्ना : प्रश्न के दूसरे भाग का साफ-साफ उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न है :

"क्या यह अफ्रीका के उत्पादक देश अन्य देशों को कच्चे काजू सप्लाई कर रहे हैं : यदि हाँ, तो सप्लाई कर्ताओं द्वारा अपने परम्परागत खरीददार भारत को इसकी सप्लाई न कर इसका निर्यात अन्य देशों को करने के क्या कारण हैं ?"

अत: यह बाहर के देशों द्वारा काजू के उत्पादन का प्रश्न नहीं है, अपितु उनके निर्यात को दूसरी तरफ मोड़ने का प्रश्न है। जो उत्तर दिया गया है वह इस प्रकार है :

"अपने निर्यातों के विविधीकरण की नीति के अनुसार कतिपय उत्पादक देशों ने अपने उपलब्ध निर्यात योग्य अधिशेष का कुछ भाग अन्य देशों को भेज दिया।"

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनका निर्यात भारत को छोड़ अन्य देशों को क्यों किया गया ? क्या हम उन्हें लाभप्रद मूल्य नहीं दे रहे हैं ?

श्री मोहन धारिया : कोई भी देश एक ही बाजार पर निर्भर रहना पसन्द नहीं करेगा। वस्तुत: हम भी अपने उत्पादों को विभिन्न बाजारों में बेचने का प्रयास कर रहे हैं। यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। हम उन्हें अच्छे मूल्य देने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु हम विश्व बाजार में गैर-प्रतियोगी नहीं बन सकते।

यह सभा इस बात से अच्छी तरह से अवगत है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काजू की कीमतें बहुत गिर गई हैं। काजू के निर्यात के मामले में भी पिछले वर्ष की तुलना में चालीस प्रतिशत मूल्य कम हो गये हैं।

श्री के० ए० राजन : काजू के सम्बन्ध में उत्तर में जो कुछ कहा गया है वे वास्तविक तथ्य हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं क्योंकि ये निर्यातक देशों में हो रही घटनाओं से सम्बन्धित हैं और उनकी अपनी शोधक फैक्ट्रियों से सम्बन्ध है। इस समस्या का समाधान बड़े पैमाने पर अपने बागान लगा कर ही किया जा सकता है। क्या मन्त्री जी यह बताएंगे कि केरल सरकार ने काजू के बाग लगाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना पेश की है और इसके लिए सहायता मांगी है तथा क्या इस मामले में कोई कदम उठाए गए हैं ?

श्री मोहन धारिया : महोदय, केरल सरकार ने लगभग बारह हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में काजू के बाग लगाने की एक योजना भेजी है किन्तु केरल सरकार के वास्तविक कब्जे में यह भूमि नहीं है और वह केवल लगभग 2500 हैक्टेयर भूमि हासिल कर पाई है। इसी आधार पर उसने अपनी योजना में तबदीली की है। हम इस पर शीघ्रता से कार्यवाही कर रहे हैं, पर साथ ही मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि कुछ राज्य सरकारों की नीतियों के कारण काजू के इस सारे निर्यात व्यापार को बहुत अधिक हानि पहुंची है।

श्री लालजी भाई : मंत्री जी ने बताया कि केरल सरकार ने ऐसी योजना भेजी है, मैं जानना चाहता हूं कि केरल के अलावा और कौन-कौन सी सरकारों ने ऐसी योजना भेजी है और केन्द्रीय सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री आरिफ बेग : जिन राज्य सरकारों ने इस प्रकार की योजना भेजी है, उनमें केरल, कर्नाटक, आन्ध्र और उड़ीसा हैं। उन्होंने जो योजनाएं भेजी हैं, उन पर विचार हो रहा है और

केन्द्रीय सरकार इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि पूरे देश में जहां जहां भी हम काजू की उपज कर सकते हैं, वह करें।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर के समाहर्तों द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र पर जुर्माना किया जाना

*910. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, भुवनेश्वर के समाहर्ता ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के एक एकक, राउरकेला इस्पात संयंत्र पर भिन्न-भिन्न आकारों में कटी इस्पात की उन चादरों की जिन पर शुल्क अदा किया जा चुका था, सप्लाई रक्षा विभाग को करने पर १० लाख रु० का जुर्माना किया;

(ख) क्या उक्त समाहर्ता ने राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा सरकार के उपक्रमों द्वारा परादीप बन्दरगाह से सामान का आयात करने पर भी भारी जुर्माना किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क), (ख) और (ग): सदन-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा गया है।

विवरण

(क) यह सच है कि केंद्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, भुवनेश्वर ने स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के एक कारखाने राऊरकेला स्टील संयंत्र पर, संयंत्र के विशेष प्लेट कारखाने में निर्मित उन गैस से कटीं, मशीन द्वारा बनाई गयीं और अन्यथा तैयार स्टील की विशेष बस्तरबंद प्लेटों की निकासी के संबंध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के नियम 173—थ के अंतर्गत 10 लाख रुपये का दंड लगाया है। समाहर्ता के अनुसार ये प्लेटें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के अंतर्गत वर्गीकरण करने योग्य हैं लेकिन राऊरकेला स्टील संयंत्र ने शुल्क की अदायगी किये बिना और केंद्रीय उत्पादन शुल्क की अन्य औपचारिकताएं पूरी किये बिना इसकी निकासी करके बख्तर-बंद लड़ाकू गाड़ियों के उत्पादन में इस्तेमाल हेतु इन्हें बख्तरबंद गाड़ी कारखाना, अवादी, मद्रास भेज दिया था। समाहर्ता ने 'मशीन द्वारा निर्मित और तैयार' इन प्लेटों को बख्तरबंद गाड़ियों के संघटक पुर्जों के रूप में ठहराया है। इन प्लेटों के बारे में यह बताया गया है कि इनका निर्माण बख्तरबंद गाड़ियों की ड्राइंग और डिजाइन संबंधी विशिष्ट विवरणों के अनुसार किया गया है और इन्हें 128 प्लेटों के सैट में सप्लाई किया गया। समाहर्ता ने यह निर्णय किया कि मूलस्टील प्लेट से अलग एक भिन्न उत्पाद का, जिस पर शुल्क अदा किया गया था निर्माण किया गया था और इस-लिये ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के अंतर्गत शुल्क योग्य है। समाहर्ता ने यह भी निर्णय किया कि राऊरकेला स्टील संयंत्र ने तात्विक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये और केंद्रीय उत्पादन

शुल्क वर्गीकरण सूची में माल के वास्तविक स्वरूप के विषय में सूचना नहीं दी और इस कारण केंद्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के नियम 173 थ का उल्लंघन किया। दिनांक 1-3-1975 से 31-3-77 तक की अवधि के दौरान निकासी की गयी इन प्लेटों का, जिनको समाहर्ता ने बखतरबंद लड़ाकू गाड़ियों के संघटक पुर्जों के रूप में माना, मूल्य 15,16,51,373.45 रु० था और मूल्यानुसार 1 प्रतिशत की दर से 15,16,513.74 रुपये का शुल्क ग्रस्त था।

(ख) समाहर्ता ने परादीप पत्तन के जरिये माल के आयात के लिए राऊरकेला स्टील संयत्र पर अथवा उड़ीसा सरकार के किसी उपक्रम पर कोई दंड नहीं लगाया है।

(ग) केंद्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, भुवनेश्वर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड में अपील की हुई है और अपील की सुनवाई आज कलकत्ता में हो रही है। चूंकि मामले में अपील की गयी है, इसलिए, सरकार समाहर्ता के आदेश के गुण-दोषों के संबंध में कोई राय जाहिर नहीं करना चाहेगी।

श्री मनोरंजन भक्त : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य से यह गंभीर मामला प्रकट होता है कि कई सरकारी उपक्रम उत्पादन शुल्क नियमों का सही तौर पर अनुपालन नहीं कर रहे हैं और चूंकि देश में बड़ी संख्या में सरकारी उपक्रम कार्य कर रहे हैं यह एक गम्भीर मामला है। अतः मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह उत्पादन शुल्क के मामलों में सरकारी उपक्रमों के मामले की जांच करेंगे और वह सारे मामले का अध्ययन करना चाहेंगे या नहीं ?

श्री सतीश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, देश के कानून सरकारी उपक्रमों सहित सभी पर लागू होते हैं। इस विशेष मामले में कलेक्टर ने पता लगाया कि राऊरकेला इस्पात संयंत्र ने 1975-1977 की अवधि के दौरान कतिपय वस्तुओं को बिना किसी रिकार्ड रखे तथा बिना शुल्क दिये बेचा था और यह बेचा गया माल 15 करोड़ रुपये का था जिस पर मद 68 के अधीन 1 प्रतिशत का शुल्क लगाया गया जो 15 लाख रुपये आता है और यही कारण है कि 10 लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया। अतः हम इस क्षेत्र अथवा उस क्षेत्र में चाहे निजी हो या सरकारी, भेद नहीं करते हैं। राऊरकेला इस्पात संयंत्र की अपीलें केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के पास पड़ी हुई हैं और मुझे बताया गया कि उनकी सुनवाई कलकत्ता में हो रही है। अतः इस मामले के गुणदोषों के बारे में अधिक कहना ठीक नहीं होगा।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, बात यह है कि क्या वह इस मामले को ध्यान में रखते हुए जो प्रकाश में आया है, सरकारी उपक्रमों के मामलों में जांच करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरे अनुपूरक प्रश्न पर आइए।

श्री मनोरंजन भक्त : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क के भुवनेश्वर स्थित समाहर्ता कार्यालय के बारे में कई शिकायतों पर विचार करते हुए, और चूंकि मंत्री

महोदय काफी योग्य व्यक्ति हैं, और उन्होंने केंद्रीय उत्पादन शुल्क संबंधी मामलों में काफी सुधार किया है, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि निकट भविष्य में वहां सब ठीक हो जायेगा।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, जहां तक भुवनेश्वर के समाहर्ता कार्यालय का संबंध है मैं स्वयं वहां गया हूं, वहां श्री यांग, कलेक्टर हैं, वह अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं। उनके विरुद्ध कोई निश्चित शिकायतें नहीं हैं और यदि समाहर्ता कार्यालय के कार्य के बारे में कोई शिकायतें होंगी तो मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मैं उन्हें सुनूंगा और यदि आवश्यकता हुई तो स्वयं भी भुवनेश्वर जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 911 श्री पेरियासामी मैं समझता हूं कि हम प्रश्न संख्या 911 और प्रश्न संख्या 915 को ले सकते हैं। डा० कर्णसिंह का प्रश्न—साथ-साथ क्योंकि वे एक जैसे हैं।

हवाई अड्डे पर भीड़-भाड़ सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

*911. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ के बारे में श्री पी. सी. लाल की अध्यक्षता वाली हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ संबंधी समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) समिति का अंतिम प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध हो जाने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) मैं समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशों पर अब तक की गयी कार्यवाही को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं।

(ख) समिति किये जाने वाले विभिन्न उपायों की प्रगति की निगरानी रखेगी। इसलिये यह कार्यान्वयन के संबंध में केवल आवधिक रिपोर्टें ही प्रस्तुत करेंगी।

विवरण

मुख्य सिफारिशें	अब तक की गयी कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3
बम्बई एयरपोर्ट (1) अंतर्राष्ट्रीय यात्रियोंको हैंडल करने के लिए "डोमेस्टिक होल्डिंग एरिया" का प्रयोग ।	समिति ने 17 फरवरी,1979 को उक्त स्थान के अपने दौरे के दौरान राय जाहिर की कि कई संरचनात्मक परिवर्तनों (Structural Altera tions) तथा कन्वेयर बेल्ट पर एक पुल बनाने की आवश्यकता होगी । अत: यह व्यवहार्य नहीं पाया गया कि इस क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को हैंडल करने के लिए प्रयोग किया जाए ।	—
(2) वर्तमान "हैवी कार्गो शेड" में परिवर्तन करके अस्थायी गल्फ टर्मीनल का निर्माण करना ।	कार्गो शेड को एक अस्थायी गल्फ टर्मीनल में परिवर्तित करने का कार्य प्रगति पर है ।	निर्माण-कार्य के अक्तूबर, 1979 तक पूरा हो जाने की आशा है ।
(3) अंतर्राष्ट्रीय टर्मीनल कॉम्प्लेक्स के दूसरे मॉड्यूल का निर्माण ।	प्रस्ताव को जल्दी ही "पब्लिक इनवेस्टमैंट बोर्ड" को प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।	मई, 1979 के अंत तक कोई निर्णय ले लिये जाने की आशा है ।
दिल्ली एयरपोर्ट (1) पुराने कंट्रोल टावर को हटाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आगमन हॉल का विस्तार ।		पुरानी इमारतों को खाली करने के बाद इस निर्माण- कार्य के अक्तूबर, 1979 के दौरान चरणों में आरम्भ कर दिये जाने की आशा है ।
(2) नये अंतर्राष्ट्रीय भवन का निर्माण	प्रस्ताव को जल्दी ही "पब्लिक इनवेस्टमैंट बोर्ड" को प्रस्तुत किया जा रहा है ।	मई, 1979 के अंत तक कोई निर्णय ले लिये जाने की आशा है ।

1	2	3
सामान्य (1) "इम्मिग्रेशन काउंटरों पर पूरे कर्मचारी नियुक्त करना	गृह मंत्रालय से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया जा चुका है।	—
(2) टर्मीनल भवन के बाहर "प्रोटेक्टोरेट ऑफ एमीग्रेंट्स" के अधिकारियों की नियुक्ति में फेरबदल	यह सम्भव नहीं पाया गया। यात्रियों के निर्बाध रूप से आवागमन की व्यवस्था करने के लिये वैकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं।	—
(3) स्वास्थ्य जाँचों को समाप्त करना।	स्वास्थ्य जांचों में होने वाली देरी को कम करने के लिये मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया है।	स्वास्थ्य जांचों को समाप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
(4) एयरलाइनों के परिचालन के लिये "स्लौट-टाइमिंग्स" निर्धारित करना	राष्ट्रीय एयरलाइनों के परिचालनों पर प्रभाव डाले बिना विभिन्न एयरलाइनों द्वारा परिचालन के लिए "स्लॉट टाइमिंग्स" की योजना के विस्तृत ब्यौरे तैयार करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा एक अध्ययन किया रहा है।	—

दिल्ली और बम्बई में नये हवाई अड्डों का निर्माण

*915. डा० कर्ण सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़े हुए विमान परिवहन और पर्यटकों के आगमन के कारण, हमारे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ नियंत्रण से बाहर हो गई है;

(ख) क्या दिल्ली और बम्बई में नये हवाई अड्डों का निर्माण करने सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव कई वर्ष पहले तैयार किये गये थे, परन्तु उन्हें अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि हमारे हवाई अड्डे न केवल वर्तमान जरूरत पूरी करने में समर्थ हों, बल्कि आगामी दस वर्षों के दौरान संभावित बढ़े हुए यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क),(ख) और (ग) : दिल्ली तथा बम्बई विमान क्षेत्रों पर भीड़-भाड़ इस वजह से है कि गल्फ के यातायात के कारण पिछले पांच वर्षों के दौरान यात्री यातायात में काफी वृद्धि हुई है। स्थिति में सुधार करने के लिये, अंतरिम उपाय के रूप में वर्तमान टर्मीनल भवनों का यथासम्भव विस्तार/संपरिवर्तन किया जा रहा है।

सरकार ने यातायात की तात्कालिक मांग की पूर्ति करने के लिए बम्बई विमान क्षेत्र पर 16.79 करोड़ रुपये की संशोधित लागत से नये अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर तथा कार्गो टर्मीनल कॉम्प्लेक्स (चरण I) के निर्माण का अनुमोदन कर दिया है।

दिल्ली विमान क्षेत्र पर 42.01 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक नये अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर तथा कार्गो टर्मीनल कॉम्प्लेक्स (चरण I) और बम्बई विमान क्षेत्र पर 16.04 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अंतर्राष्ट्रीय टर्मीनल कॉम्प्लेक्स (चरण II) के निर्माण की योजनाएं विचाराधीन हैं।

डा० पी० वी० पेरियासामी : मैंने वक्तव्य पढ़ा है। किन्तु समिति ने मद्रास और कलकत्ता बन्दरगाहों पर भीड़-भाड़ के बारे में जांच नहीं की है। क्या इसका यह अर्थ है कि इन हवाई अड्डों को फिर से आधुनिक बनाने की आवश्यकता नहीं है ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्वयं फिर से आधुनिकीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहां तक मद्रास हवाई अड्डे का सम्बन्ध है सरकार के समक्ष अलग से एक देशी-टर्मीनल भवन बनाने का है जिससे देशी टर्मीनल भवन का पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय यातायात द्वारा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और मद्रास में अलग से एक

टर्मिनल भवन निर्माणाधीन है। जहां तक कलकत्ता हवाई अड्डे का सम्बन्ध है, सरकार के सामने एक देशी टर्मिनल भवन बनाने का प्रस्ताव है।

डा० पी० वी० पेरियासामी : मैं कल ही मद्रास से आया हूं। ऐसी खबर है कि दिल्ली हवाई अड्डे का 21वीं शदी की यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसमें इसके लिए कितना निवेश करना चाहती है और यह परियोजना कब शुरू होगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, प्रस्ताव पी० आई० बी० के पास जा रहा है और मैंने पहले ही कहा है कि सरकार मई के अन्त तक इस परियोजना के बारे में निर्णय ले सकेगी। दिल्ली परियोजना की कुल लागत लगभग 41 करोड़ रुपये है और इसके अन्तर्गत लगभग 2,300 यात्रियों की, काम के घंटों में, व्यवस्था की जायेगी।

डा० कर्णसिंह : हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ की जांच करने के लिए समिति की आवश्यकता नहीं है। मुझे भय है कि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे विश्व के सबसे बुरे अड्डों में से हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि मंत्री महोदय कह रहे हैं कि ये नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल इमारतें अभी भी निर्माणाधीन हैं। 1973 में दिल्ली और बम्बई के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए सरकार ने योजनाएं तैयार की थी। छः वर्ष बीत चुके हैं। यातायात मंत्री महोदय के प्रयासों के बावजूद भी बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण यह है कि अधिकाधिक लोग भारत आ रहे हैं, किन्तु उन्होंने अभी इन टर्मिनल भवनों का निर्माण शुरू भी नहीं किया है। 1980-90 के दौरान अपने किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में प्रवेश करना असम्भव हो जायेगा। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि इस मामले में तत्परता बरती जा रही है और क्यों इसे पी० आई० बी० के समक्ष ले जाने में छः वर्ष लगे हैं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : माननीय सदस्य स्वयं सभा को बता सकते हैं कि मार्च 1977 तक क्या हुआ है। मैं जानता हूं जब डा० कर्णसिंह पर्यटन और नागर विमानन मंत्री थे उन्होंने चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए टाश समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने 1969 में अपना प्रतिवेदन दिया था। किन्तु पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान उस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया। मुझे आशा है कि डा० कर्णसिंह स्वयं पर्यटन और नागर विमानन मंत्री की हैसियत से इस मामले को सरकार के पास ले गये होंगे।

डा० कर्णसिंह : मंत्री महोदय, योजना तैयार थी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : इसके बावजूद भी, किन्तु बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन समूह के लिए, जो 1976 में स्वीकृत हो चुका था, जहां तक अन्य परियोजनाओं का सम्बन्ध है, सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। वर्तमान सरकार के आने पर ही न केवल बम्बई टर्मिनल इमारत

समूह के प्रथम और द्वितीय चरणों पर काम आरम्भ किया गया है किन्तु हम बम्बई टर्मिनल भवनों का निर्माण कार्य भी साथ-साथ आरम्भ कर रहे हैं।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा है अगले महीने के अन्त तक सरकार निर्णय ले सकेगी और निर्माण कार्य तुरन्त शुरू हो जायेगा। हम उसके तुरन्त बाद दिल्ली परियोजना के दूसरे चरण को भी आरम्भ करने का विचार कर रहे हैं। मद्रास और कलकत्ता हवाई अड्डों के बारे में मैंने पहले ही कहा है। मुझे आशा है कि छठी पंचवर्षीय योजना में हम बम्बई के पहले, दूसरे और तीसरे चरण को तथा दिल्ली के दूसरे चरण को पूरा कर सकेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है मद्रास और कलकत्ता में अलग से एक देशी टर्मिनल भवन समूह बनाने का प्रस्ताव है।

डा० कर्णसिंह : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि दिल्ली और बम्बई के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के टर्मिनल भवनों की लागत लगभग 60 करोड़ रुपये होगी। एक जम्बो जेट की कीमत भी उतनी है। क्या मत्री महोदय यह समझने की कोशिश करेंगे और सभा को आश्वासन देंगे कि नये वायुयानों को खरीदना जरूरी है ? यदि इन वायुयानों के लिए जमीन पर सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं ता आपकी सेवाएं बदनाम होंगी और भारत की बदनामी होगी। काठमांडू में यात्री-एजेन्ट संघ में, यदि निर्वाचन हो, भारत के हवाई अड्डे विश्व के हवाई अड्डों में सबसे बुरे हैं। मुझे भय है कि मंत्री महोदय जिस प्रकार प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उन्हें इस समस्या की जानकारी है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं इस बात की गम्भीरता को कम नहीं कर रहा हूं। हम इन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को एक अच्छे स्तर पर लाने के लिये सभी प्राथमिकताएं दे रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि 1976 में बम्बई टर्मिनल समूह के प्रथम चरण का प्रस्ताव भेजा गया था तो "ऐरो-ब्रिज" और "एसकेलेटर" आदि उपकरण सप्लाई नहीं किये गये थे। इस पर पुनः विचार करके हमने यहं सभी उपलब्ध करने की व्यवस्था के लिये संशोधित प्राक्कलन तैयार किये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर भीड़ भाड़ की समस्या पर माननीय मन्त्री महोदय ध्यान दे रहे हैं, यह बात अच्छी है। उन्हें पहले की समस्याओं का समाधान करना है, मैं इस बात को समझ सकता हूं किन्तु जहां तक दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ की समस्या है उसका काफी सीमा तक समाधान कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों के सम्बन्ध में थोड़ा उचित रवैया अपना कर किया जा सकता है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : और अहमदाबाद का भी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पहले हमें कम से कम कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों के प्रति ऐसा रवैया अपनाना चाहिये। इसके बाद अहमदाबाद पर विचार किया जाएगा। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय

उड़ानों को कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों का प्रयोग करने से हतोत्साहित किया जाता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कम से कम पूर्वी एशिया की उड़ानों को कलकत्ता हवाई अड्डे के प्रयोग के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। इस सम्बन्ध में बड़ी बड़ी योजनाएं हैं किन्तु उनके लिये धन कहां से आयेगा। क्या मिट्टी के तेल पर अधिक कर लगा कर यह धन इकट्ठा किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार भी आप कितना धन इकट्ठा कर सकते हैं—हमें कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों का सही प्रयोग करना चाहिये।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके अनुरूप ही विचार कर रही है। केवल नागरिक विमानन् महानिदेशक की बात पर ही न जाएं। आप स्वयं भी विचार करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : माननीय सदस्य की जानकारी हेतु मैं यह कहूंगा कि हमारी दिलचस्पी दिल्ली और बम्बई में बढ़ रहे यातायात के लिए केवल व्यवस्था करने में ही नहीं है परन्तु हम अन्तर्राष्ट्रीय यातायात को मद्रास और कलकत्ता हवाई अड्डों पर ले जाने के लिए भी सभी प्रयास कर रहे हैं। जहां तक विमान उतारने की सुविधा का सम्बन्ध है, हम इसकी केवल व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं अपितु सरकार रियायती दर पर विमान उतारने के लिए शुल्क लगाने पर भी विचार कर रही है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि विदेशी विमान कम्पनियों को बम्बई और दिल्ली से अपना कार्य स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर रियायती शुल्क विमान उतारने का शुल्क लगाया जाये। इसकी जांच की जा रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा उनसे निवेदन है कि वह इसे शीघ्र करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : इसके अतिरिक्त हमने निर्णय लिया है कि जहां तक संभव हो बम्बई में कोई और जगह विमान उतारने के लिए न दी जाये।

श्री किशोर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यहां इन्टरनेशनल लाज की बात तो हो गई, मैं यह बताना चाहता हू कि जब भी कोई पैसेन्जर डोमेस्टिक फ्लाइट पर आता है तो बम्बई से दिल्ली पहुंचने के लिए उस को 1 घटा 45 मिनट लगते हैं और उसके बाद जब वह अपना लगेज लेता है, तो उसमें 45 मिनट से डेढ़ घटे तक लग जाते हैं और फिर जब वह शहर में वापस आता है, तो उसमें उसको एक, डेढ़ घंटे लग जाते हैं। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि लगेज लेने में जो यह एक घंटा या डेढ़ घंटा लग जाता है, आज के जमाने में कुछ माडर्नाइजेशन की बात मंत्री जी करेंगे जिससे लगेज लेने में 10,15 या 20 मिनट ही लगें। क्या मंत्री जी इसमें माडर्नाइजेशन की बात और काम के करने के तौर-तरीके को तबदील करने की बात सोच रहे हैं क्योंकि आजकल डोमेस्टिक फ्लाइट्स बहुत पापुलर हो रही हैं और एयरपोर्ट्स पर जाओ, तो सब जगह रेलवे स्टेशन सा ही दिखाई देता है लेकिन पैसेन्जर उस वक्त बहुत इरिटेट होता है जब लगेज लेने में उसको घंटा, डेढ़ घंटा लग जाता है और उसको लगेज जल्दी नहीं मिलता है। गवर्नमेंट इस बारे में क्या सोच रही है और क्या उसकी प्लान्स हैं और कब तक इस टाइम को रिड्यूस करने की संभावना है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : उपाध्यक्ष महोदय, कोशिश तो निरन्तर हमारी यही है कि जो यात्री हैं, उनको किसी तरह की असुविधा न हो। कभी-कभी यह होता है कि दो, तीन जहाज एक साथ आ जाते हैं, जिससे ट्रेफिक ज्यादा बढ़ जाता है और उसके कारण कुछ विलम्ब हो जाता है। मेरे निर्देश देने से पूरी तरह से यह कठिनाई दूर नहीं होगी जब तक कि आम लोगों के साथ-साथ माननीय सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त न हो और उस सहयोग को प्राप्त करने के लिए हमने जो मुख्य एयरपोर्ट्स हैं, उनमें एक एक कमेटी गठित की है और माननीय सदस्य दिल्ली एयरपोर्ट कमेटी जो है, जो सलाहकार समिति है, उसके सदस्य हैं। जो कुछ भी सरकार ने कदम उठाए हैं, उनसे अगर राहत नहीं मिली है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य और सुझाव देंगे कि किस तरह से यह जो कठिनाई है, उसको दूर कर सकते हैं और निश्चित रूप से सरकार इनके सुझावों पर, इनके प्रस्ताव पर विचार करेगी और हम कोशिश करेंगे कि वर्तमान में जो कठिनाइयां हैं, वे दूर हो जाएं।

श्री किशोर लाल : मैं पर्सनल तौर पर बतला रहा हूं। जो एक्सपीरयन्स सलाहकार समिति का है, वह मैं बतला रहा हूं। सलाहकार समिति की जो मीटिंग हुई थी। उसकी बात मैं बतला रहा हूं।....(व्यवधान))...

श्री के० लकप्पा : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार और वर्तमान सरकार के नागरिक विमानन मंत्रियों के बीच किसी झगड़े में मेरी दिलचस्पी नहीं है। माननीय सदस्य डा० कर्णसिंह ने विशेष रूप से यह बताया है कि विमान पत्तनों की दशा सम्बन्धी समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है और प्रतिवेदन के अनुसार पिछली सरकार ने पहले ही कुछ योजनाओं की परिकल्पना कर ली थी। अब हवाई अड्डों की स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि हवाई अड्डों पर लोगों को काफी कठिनाइयां होती हैं। आपको पता है कि कल मद्रास हवाई अड्डे पर क्या हुआ। हवाई अड्डों पर समुचित सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई आधुनिक साधन नहीं जुटाए गए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या श्री पी० सी० लाल की अध्यक्षता में विमानपत्तनों की दशा सम्बन्धी समिति की सिफारिशों और पिछली सरकार द्वारा परिकल्पित योजनाओं पर वर्तमान सरकार ने किसी समय विचार किया है? आपको उन्हें इस भीड़भाड़ से राहत देनी होगी और समूचे देश के बड़े विमानपत्तनों पर टर्मिनल सुविधायें, सुरक्षा स्थान तथा विमान उतारने की सुविधा देनी होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप सभा को यह आश्वासन कब देंगे कि माननीय सदस्यों के सभी सुझावों पर विचार किया जा रहा है और वे इस समिति द्वारा अथवा यदि आवश्यक होगा तो विशेषज्ञ समिति द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप सभा को यह कब तक बतायेंगे कि ये एयरलाइनें तीन या छः महीने या एक साल के भीतर यात्रियों को ये सभी सुविधायें देने जा रही हैं। वहां पर एक स्थान पर ही नहीं अपितु 100 स्थानों पर भीड़भाड़ है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : भीड़भाड़ की तात्कालिक समस्याओं को देखते हुए श्री पी० सी० लाल की अध्यक्षता में एक समिति दिसम्बर, 1978 में तात्कालिक उपाय करने के लिए नियुक्त

की गई थी। कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थिति सुधारने के लिए उपाय किये जा सकते हैं। सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है उसमें बड़ी बड़ी सिफारिशों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। हम माल यातायात तथा यात्री माल यातायात के लिए माल शेड को अस्थायी रूप से बदलने जा रहे हैं। यह कार्य अक्तूबर, 1979 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अलावा बम्बई और दिल्ली के वर्तमान भवनों में कुछ आन्तरिक परिवर्तन किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 372 वर्ग मीटर का अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होगा।

(व्यवधान)

जहां तक सम्भव होगा हम वर्तमान स्थान के भीतर ही अतिरिक्त सुविधायें जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह दिल्ली में हम वर्तमान भवनों में परिवर्तन करके 2633 वर्ग मीटर के अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में 1982-83 तक अन्तर्राष्ट्रीय यात्री कक्ष का पहला चरण पूरा हो जाएगा। हम इसी की आशा करते हैं।

प्राकृतिक रबड़ का निर्यात रोक देने का निर्णय

*912. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्राकृतिक रबड़ का निर्यात रोक देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रबड़ की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : 1977-78 के दौरान रबड़ के उत्पादन में कमी आ जाने के फलस्वरूप, अप्रैल 1978 से आन्तरिक बाजार में रबड़ की कीमतों में असाधारण वृद्धि हुई। घरेलू मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 1978 से कोई निर्यात नहीं किये गये हैं।

यह देखते हुए कि रबड़ उपजकर्ताओं को अपनी उपज पर लाभकारी कीमतें मिलती हैं, रबड़ के निर्यातों को रोकने के निर्णय से रबड़ उपजकर्ताओं की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह बताया है कि 1978 में रबड़ की असाधारण मांग की और इसका कारण रबड़ की कमी थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि कुछ उद्योगपतियों ने रबड़ जमा करने की कोशिश करके इसकी कृत्रिम कमी पैदा की जबकि रबड़ की उपलब्धि की समस्या सही थी। क्या सरकार ने इन बातों का ध्यान रखा

है ? मैं इस संदर्भ में यह भी जानना चाहता हूं कि रबड़ के निर्यात करने या निर्यात न करने के बारे में सरकार ने क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं। क्या आप देश में रबड़ के कुल उत्पादन तथा इसकी कुल औद्योगिक आवश्यकता पर विचार करते हैं। इस मामले में गत तीन वर्षों में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन और इसकी आवश्यकता क्या थी ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो आर्टिफिशियल स्केर्यासिटी के बारे में बात की है, मैं उनकी नालेज के लिये बताना चाहूंगा कि 1972-73 के अन्दर जो नेचुरल रबर का कंजम्पशन देश में था वह 1 लाख 4 हजार 28 टन था, जो 1973-74 में 1 लाख 30 हजार 302 टन हुआ और 1974-75 में 1 लाख 32 हजार 604 टन हुआ। और आज की स्थिति में 1978-79 में जो ऐस्टीमेटेड है कंजम्पशन वह 1 लाख 65 हजार टन है। इस प्रकार देखेंगे कि हर साल प्रोडक्शन के मुकाबले में कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। इसके मुकाबले में जो प्रोडक्शन है नैचरल रबर का 1972-73 में यह 1 लाख 12 हजार 364 टन था, और 1978-79 में केवल 1 लाख 35 हजार टन रह गया है। तो प्रोडक्शन के मुकाबले में कजम्पशन बढ़ा है। बल्कि अनफोरचुनेटली यह साल इस प्रकार का रहा कि ड्राउट के कारण, स्ट्राइक्स के कारण जो रबर ऐस्टीमेटेड था उतना न होकर के उससे भी कम हुआ है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : उन्होंने एक बात का उत्तर नहीं दिया—क्या कुछ उद्योगपतियों ने प्राकृतिक रबड़ जमा करने की कोशिश करके बाजार में वास्तव में इसकी कमी पैदा की। इसका उत्तर नहीं दिया गया। मुझे आशा है कि इसका उत्तर दिया जाएगा।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अब मंत्री ने यह कहा है कि रबड़ के मूल्य के बारे में किसानों को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उचित मूल्य दिए गए हैं। यह सर्वविदित है कि केरल में जहां इसका उत्पादन अधिक होता है, रबड़ उपजकर्ता इसकी मांग कर रहे हैं और केरल सरकार भी उनकी मांग का समर्थन कर रही है। उन्होंने मंत्री महोदय को बार-बार अभ्यावेदन दिये कि सरकार को कम से कम मूल्य 1,000 रुपए निर्धारित करना चाहिए। सरकार ने इससे काफी कम मूल्य निर्धारित किया। इसका मानदण्ड क्या है। उचित मूल्य के बारे में निर्णय लेते समय क्या आप वास्तव में यह समझते हैं कि आप जो मूल्य देते हैं वह उचित है और आप जो पैसा देते हैं क्या उससे रबड़ उपजकर्त्ता खुश हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : रबड़ का समर्थन मूल्य जो 550 रुपए प्रति क्विन्टल था, वह बढ़ाकर 655 रुपए किया गया। 655 रुपए होने पर अभ्यावेदन दिए गए। मुझे सभी लिखित अभ्यावेदन मिले हैं। इसके बाद समर्थन मूल्य द्वारा मांग लगभग 725 रुपए से 750 रुपए की थी। मैं $1\frac{1}{2}$ और 2 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। हमने सभी तरह की लागत वृद्धि पर विचार कर लिया है। जब हमने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला था तब इसका समर्थन मूल्य 550 रुपए था। हमने प्रति क्विन्टल 825 रुपए समर्थन मूल्य दिया है। हम सभी उपजकर्त्ताओं को उचित मूल्य देते हैं। अधिकांश रूप से मुझे यह बताया गया है कि

शायद राजनीतिक कारणों से माननीय सदस्यों को यह बात स्वीकार न हो। परन्तु मुझे बताया गया है कि सरकार ने उचित मूल्य निर्धारित किया है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि यद्यपि निर्धारित किया गया मूल्य समर्थन मूल्य था जो अधिकांश रूप से उचित मूल्य होना चाहिए। यदि यह मूल्य 825 रुपए है तो स्वभावत: मूल्य कुछ अधिक ही होगा और कम नहीं और उस हद तक हम सभी सावधानी बरतेंगे।

दूसरे, माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि जैसा कि मेरे साथी ने बताया है कि 1,30,000 से 1,35,000 मीटरी टन के उत्पादन के मुकाबले प्राकृतिक रबड़ की खपत लगभग 1,65,000 मीटरी टन हो गई है। इस स्थिति में रबड़ का निर्यात करना उचित नहीं है। परन्तु हमने न केवल परंपरागत क्षेत्रों में अपितु त्रिपुरा, आसाम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोआ, जहां यह संभव है, सहित समूचे देश में रबड़ बागान लगाने का बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है और हम चाहते हैं कि ये बागान शुरू हों जिससे यह देश अपनी खपत की मांग पूरी करने और यदि संभव हो तो निर्यात करने के लिए सभी सावधानी बरते।

नई वितरण प्रणाली के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त

*913. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को क्रियान्वयन के लिए भेजे जाने के लिए नई वितरण प्रणाली के मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन-एवं-वितरण योजना के कार्यान्वयन के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करके राज्य सरकारों को भेजे गये हैं।

(ख) राज्य सरकारों से जिन महत्वपूर्ण बातों पर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है वे ये हैं :—

(i) सबसे पहले इस बात की तत्काल समीक्षा की जानी है कि राज्य में पहले से विद्यमान उचित दर दुकानों की वर्तमान संख्या कितनी है और इस योजना में परिकल्पित व्यवस्था के अनुसार कितने अतिरिक्त फुटकर बिक्री केन्द्र खोलने की आवश्यकता होगी। यह समीक्षा करते समय ग्रामीण और शहरी इलाकों और विशेषकर दुर्गम इलाकों, जहां इस समय ऐसी सुविधा उपलब्ध ही नहीं है अथवा पर्याप्त नहीं है, में दुकानों के वितरण और उनकी अवस्थिति का ध्यान रखने की आवश्यकता है।

(ii) यदि कोई उचित दर की दुकानें ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही हों तो ऐसी दुकानों के स्थान पर सहकारी समितियों या अन्य अभिकरणों, जो अनुशासन संहिता के अनुसार कार्य करने के इच्छुक हों, को लाने के लिए कदम उठाये जायें।

(iii) जहां नई उचित दर की दुकानें खोली जानी हैं, वहां राज्य सरकारों को चाहिये कि वे दूसरों के साथ-साथ सहकारी समितियों को विशेषकर ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में बिक्री केन्द्र खोलने के लिए प्रोत्साहित करे।

(iv) वर्तमान सहकारी उचित दर की दुकानों की समीक्षा भी की जाये, ताकि उनके कार्यकरण में सुधार किया जा सके।

(v) इस योजना में, जैसी कि परिकल्पना की गई है, शुरू में गेहूं, चावल, मोटे अनाज, खाद्य तेल, चीनी (इस समय आवश्यक नहीं है), नियंत्रित कपड़ा, मिट्टी का तेल शामिल होंगे। इसमें कृषि उपकरणों, साइकिल के पुर्जों, नमक, चाय, काफी, दियासलाईयां कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, सूत, मसाले आदि जैसी किसानों द्वारा अपेक्षित कुछ अन्य चुनी विनिर्मित वस्तुओं को भी यथा समय शामिल किया जा सकता है।

(vi) राज्य सरकारें उपयुक्त सार्वजनिक अभिकरण नामित करें, जो आवश्यक वस्तुओं की इकट्ठी खरीद करने और स्वीकृत फुटकर बिक्री केन्द्रों के माध्यम से वितरण के लिए उत्तरदायी होंगे। इन अभिकरणों का संभव सीमा तक उपयोग उर्वरकों, बीजों, कीटनाशक दवाओं, सीमेंट आदि जैसे निवेशों की आपूर्ति के लिए भी किया जा सकता है।

(vii) प्रभावी उत्पादन आधार की स्थापना तथा विकास करने पर बल दिया जाना है, जिसके लिये आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वसूली, भंडारण और वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इन पहलुओं पर बल दिया जाना है और राज्य सरकार की वार्षिक योजना में इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होंगी।

(viii) वसूली, भंडारण और वितरण की आयोजना करते समय इस बात के लिए कदम उठाये जायें कि भण्डार उपभोग क्षेत्रों के निकट स्थित हों, ताकि अनावश्यक ढुलाई को रोककर परिवहन लागत को कम से कम किया जा सके।

(ix) इस दृष्टि से कि फुटकर बिक्री केन्द्र कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें, उचित दर की दुकानों के लिए उपभोक्ता सलाहकार समितियां गठित की जायें। इन समितियों में वहां के रहने वाले प्रमुख व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता और कार्डधारी सहित उपभोक्ता, जिनका इन दुकानों में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वार्थ नहीं है, शामिल होंगे।

(x) राज्य स्तर पर खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री के अधीन एक समिति गठित की जाये, जिसमें अन्य संबंधित विभाग और राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं के

प्रतिनिधि हों, जो उत्पादन-एवं-वितरण योजना के कार्यकरण का समन्वय करेगी और समय-समय पर उसकी समीक्षा करेंगी ।

(xi) खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग में एक परिवीक्षण एकक स्थापित किया जाए, जो कार्य क्षेत्र से उचित दर की दुकानों के कार्यकरण और अन्य संबंधित मामलों के बारे में सूचना प्राप्त करेगा और एक उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जाये, जिससे समय-समय पर आने वाली प्रचालन बाध्यताओं के बारे में समय से कार्रवाई की जा सके ।

(xii) जहां तक केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर आधारित आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियत करने का संबंध है, उचित दर की दुकानों के उपभोक्ता मूल्य प्रशासनिक ऊपरी खर्चों, करों और अन्य शुल्कों के भार की यथासंभव सीमा तक कम करके उचित स्तरों पर नियत किये जायें ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अमर राय प्रधान : मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि नई वितरण प्रणाली का स्वरूप अब भी अस्पष्ट है । नई वितरण प्रणाली 1 जुलाई, 1979 से आरम्भ की जानी है । इसके तीन उद्देश्य हैं—आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, उचित वितरण तथा देश भर में कीमतों में समानता लाना । यद्यपि मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन 5 जनवरी, 1979 को हुआ था परन्तु मार्गदर्शी सिद्धान्त इतनी देर से भेजे गए कि कुछ राज्य सरकारें इस प्रणाली के लिए आवश्यक व्यय को अपने बजट में शामिल नहीं कर सकीं । दूसरी तरफ आवश्यक कृषि यन्त्रों की कीमतें, साइकिल, टायर और ट्यूब सहित अन्य कल पुर्जे, नमक, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल, चीनी, साबुन, सूती धागा, तथा दालों आदि की कीमतें गरीब व्यक्तियों की क्रय शक्ति से बाहर होती जा रही हैं ।

इन परिस्थितियों में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि (क) सही-सही तारीख क्या है जब सरकार ने राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे ताकि वे नई वितरण प्रणाली को लागू कर सकें । (ख) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण क्या सरकार खाद्यान्नों, चीनी, दालों, नमक, तेल आदि के थोक व्यापार को तत्काल अपने हाथ में लेगी ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो गाइड लाइन्स स्टेट गवर्नमैंट्स को भेजी हैं, जैसा कि स्टेटमैंट में बताया गया है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 3 फरवरी को ही यह गाइड लाइन्स भेज दी गई थीं । जिस प्रकार का यह डिटेल्ड स्टेटमैंट है, उसमें यह कहना कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिये कोई तैयारी नहीं है, यह ठीक नहीं है । स्टेटमैंट में जो कुछ डिटेल्ड दिया गया है, वह अपने आप में बताता है कि स्टेट गवर्नमैंट और सेंट्रल गवर्नमैंट लैवल पर क्या तैयारियां हो रही हैं । इस कार्य को पूरा करने के लिये नैट वर्क किया जा रहा है कि राज्यों में कितने फेयर प्राइस शाप्स एग्जिस्ट करती हैं, कितनी बढ़ानी हैं, और कितने फेयर प्राइस शाप्स

वायेबल हैं, कितनी स्टोरिंग कैपेसिटी कहां क्रिएट करनी है, अधिक से अधिक स्टोरिंग कैपेसिटी अधिक से अधिक नजदीक बनायें, यह सारे गाइडलाइन्स में दिये गये हैं जिन पर स्टेट गवर्नमैंट्स को-आपरेट कर रही हैं।

इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि सैंट्रल लैवल पर सैक्रेटरीज की एक कमेटी बनी है, मिनिस्ट्रीज की एक कमेटी बनी है जिनके कई डिस्कशन्स हो रहे हैं और वह फाइनल स्टेज पर होने वाले हैं। किन-किन मैन्युफेक्चरिंग आइटम्ज को और हम आइडिएन्टीफाई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देने के लिये उनके भी डिस्कशन्ज चल रहे हैं।

यह ठीक है कि 1 जुलाई से जो प्रोडक्शन कम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यह देश में पूरे जोर-शोर के साथ लागू होगा और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो वैस्टेड इन्टरेस्ट इस पर किसी प्रकार से आंच पहुंचाना चाहते हैं, उसका मुकाबला सब मिलकर करें और इसको सफल बनाने में सहयोग दें।

जहां तक होलसेल ट्रेड के बारे में आपने बातचीत की है, मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता।

श्री अमर राय प्रधान : आवश्यक वस्तुओं का वितरण आम तौर पर लोगों और विशेषरूप से उपभोक्ताओं के सहयोग के बिना सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कितनी राज्य सरकारों ने राज्य स्तर से पंचायत स्तर तक उपभोक्ता समितियों का गठन किया है और संसद सदस्यों पंचायत, सदस्यों और सहकारी समितियों के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार इनमें शामिल किया गया है ताकि वितरण प्रणाली को सफल बनाया जा सके।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : जैसा कि मेरे साथी ने बताया हैं कि हमने इस मामले पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में बारीकी से विचार किया था जिसमें कई नागरिक पूर्ति मंत्री भी उपस्थित थे। उस समय भी हमने उन्हें उन सारे मार्गदर्शी सिद्धान्तों से अवगत करा दिया था जिनके आधार पर मामले को आगे बढ़ाया जा रहा था। मैं मुख्य मंत्रियों से भी इस पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करता आ रहा हूं। इसके साथ-साथ हमने मंत्रालय में एक सैल का भी गठन किया है। मेरे साथी और सचिव देश का दौरा करेंगे और प्रमुख केन्द्रों पर जाएंगे ताकि अधिक से अधिक सूचना दे सकें और राज्य सरकारों को इस योजना के कार्यान्वियन के संबंध में विश्वास में ले सकें। दो दिन पहले ही मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है जिसमें उन मुद्दों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर लोगों को भी इस योजना के कार्यान्वियन में शामिल किया जा सकता है। और मैंने जो यह कहा है कि 'लोगों को भी शामिल किया जा सके' उसका अर्थ यह है कि संसद सदस्यों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी इस सारी प्रक्रिया में शामिल किया जाए। महोदय, मैं जानता हूं यह एक बहुत व्यापक कार्यक्रम है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के लिए कोई नई नहीं है परन्तु हमारा प्रयत्न तो यह है कि आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था के लिए एक स्थायी प्रणाली बनाई जाए। इस प्रकार यह केवल वितरण प्रणाली ही नहीं है परन्तु इसमें उत्पादन, वसूली, भण्डारण परिवहन और वितरण आदि जैसे कई कार्य सम्मिलित हैं और इनके लिए लोगों के सक्रिय सहयोग के बिना योजना को लागू करना संभव नहीं होगा। अतः हम चाहते हैं कि सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल हों इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कई निहित स्वार्थी तत्व इससे बहुत परेशान हो गए हैं। वे यह चाहते हैं कि योजना असफल हो। अतः सदन के नाते हमें देश को यह बताना चाहिए कि यह एक राष्ट्रीय निर्णय है और यह सुनिश्चित करना है कि इसे निहित स्वार्थी तत्वों से दूर रखें कार्यान्वित करें।

श्री अनन्त दवे : मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट के पैराग्राफ बी (ii) में बताया है कि इस बारे में एक कोड आफ डिसिप्लिन बनाया जायेगा और जो कोई फेयर प्राइस शाप उसके मुताबिक अच्छी तरह से काम नहीं करेगी, उसे कैंन्सल कर दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हर एक स्टेट अपना-अपना कोड आफ डिसिप्लिन अलग से बनायेगी, या सैंट्रल गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन्ज इस्यु करेगी, जिनके अनुसार सारे देश में एक ही कोड आफ डिसिप्लिन होगा, ताकि विभिन्न स्टेट्स में अलग-अलग कोड आफ डिसिप्लिन होने के कारण छोटे-छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को परेशानी न हो।

श्री मोहन धारिया : ये सब डीटेल्ज डिसकस करने के लिए मई के तीसरे और चौथे हफ्ते में स्टेट्स के सिविल सप्लाई मिनिस्टर्ज और सेक्रेटरीज की कांफरेंस यहां होगी। उसमें हम ये गाइडलाइन्ज तय करेंगे। हम डायरेक्शन्ज दे सकते हैं, किसी कानसेन्सस पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आखिर इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट लैवल पर ही किया जाना है। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि किसी का हैरासमेंट न हो।

श्री कंवरलाल गुप्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह सारे देश में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की व्यवस्था करेंगे। यह एक बहुत बड़ा काम है, और शायद इससे पहले किसी सरकार ने यह काम करने का प्रयास नहीं किया। इसके लिए सरकार को बफर स्टाक बनाना पड़ेगा और इस बात की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि डिस्ट्रिब्यूशन लाइन ठीक तरह से गांव-गांव तक पहुंचे। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार बफर स्टाक पर कितना पैसा लगायेगी और डिस्ट्रिब्यूशन लाइन आखिर तक बनी रहे, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, और क्या उसने लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है या नहीं।

श्री मोहन धारिया : जैसा कि मैंने बताया है, हमने तो पूरे प्लानिंग कमीशन को इसमें इनवाल्व किया है, और कौन सी एसेंशल कामोडिटीज और एसेंशल आर्टिकल्ज हैं, हम उनका प्राडक्शन कैसे करें, हमने इसका पूरा प्लान बनाया है। उसके बाद प्रोक्युरमेंट और स्टोरेज की स्कीम आती है और वह भी हमने तय की है। हमारे सौभाग्य से आज मुल्क में गेहूं, चावल और दूसरे

अनाज की स्थिति तो बहुत अच्छी है। उसके बारे में तो ऐसा सवाल नहीं आयेगा। फिर भी हम चाहते हैं कि जहां वे पैदा होते हैं, वहीं पर हम ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कर सकें और अच्छी तरह से स्टोरेज करके डिस्ट्रिब्यूशन कर सकें। यह सब काम एक प्लान्ड एफर्ट के अन्तर्गत किया जा रहा है। इसीलिए हमने प्लानिंग कमीशन और स्टेट्स गवर्नमेंट को इसमें इनवाल्व किया है। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाये हैं, उनको ख्याल में रखकर ही काम किया जा रहा है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि हजार घोड़ों को पानी में तो ले जा सकते हैं परन्तु उन्हें पानी पीने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। मंत्री महोदय चाहे कुछ भी करें। माना राज्य इसे कार्यान्वित नहीं करते हैं तो मंत्री महोदय के पास इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अन्य कौन सा विकल्प है ?

श्री मोहन धारिया : इस सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि 5 जनवरी को जब मैंने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था तब सभी मुख्य मंत्रियों ने अपनी सहमति दी थी और उन्होंने योजना के कार्यान्वयन में भाग लेने की सहमति दी थी। मेरे दिमाग में ऐसा कोई सन्देह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एयर इंडिया द्वारा किराये में वृद्धि

***914. प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेनेवा में हाल ही में हुई अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं के किराये बढ़ाये जायें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) उसके अनुसार सरकार एयर इण्डिया में किराये कब तक और कितने बढ़ा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : 28-3-1979 से 3-4-1979 तक जनेवा में हुई 'आई. ए. टी. ए. कम्पोजिट पैसेंजर तथा कार्गो ट्रैफिक कांफ्रेंस" में, यह संकल्प पारित किया गया कि ईंधन के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए, सभी यानी किरायों तथा कार्गो दरों में (कुछेक को छोड़कर) 1-5-1979 से 5% से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी जाए बशर्ते कि संबधित सरकारें उसका अनुमोदन कर दें। यह भी संकल्प किया गया कि यात्री परिवहन के संबंध में यह वृद्धि 1-5-1979 को या उसके बाद आरम्भ होने वाली यात्रा पर लागू होगी और वह भी केवल उन टिकटों पर यात्रा करने पर लागू होगी जो

टिकटें 9-4-1979 को या उसके बाद जारी की गई हों। जहां तक एयर इण्डिया द्वारा परिचालित मार्गों का संबंध है, यह वृद्धि 7 प्रतिशत है।

(ग) तदनुसार सरकार ने एयर इण्डिया द्वारा अपने यात्री किरायों (यू. एस. ए./कनाडा भारत-यू. एस. ए./कनाडा भ्रमण किरायों तथा यू. एस. ए./भारत विशेष इकतरफा किरायों को छोड़कर, जिनके संबंध में वृद्धि पर अभी विचार किया जा रहा है) तथा कार्गो दरों में 1-5-1979 से 7 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव का निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमोदन कर दिया है कि :—

(i) यात्री परिवहन के संबंध में यह वृद्धि 1-5-1979 को उसके बाद आरम्भ होने वाली यात्रा पर लागू होगी और वह भी केवल उन टिकटों पर यात्रा करने पर लागू होगी जो टिकटें 9-4-1979 को या उसके बाद जारी की गयी हैं।

(ii) कार्गो परिवहन के संबंध में यह वृद्धि एयर इंडिया को आई० ए० टी० ए० से इस आशय की सूचना मिल जाने के 15 दिन बाद लागू होगी कि सभी सरकारों का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

हवाई अड्डों पर असन्तोषप्रद व्यवस्था

*916. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन शिकायतों की ओर दिलाया गया है कि हमारे हवाई अड्डों पर व्यवस्था बहुत ही असंतोषप्रद है और इन व्यवस्थाओं के कार्य प्रभारी कर्मचारियों में जन सम्पर्क के सामान्य शिष्टाचारों का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) : सरकार को विमान क्षेत्रों पर कर्मचारियों की व्यवस्था तथा व्यवहार संबंधी त्रुटियों के बारे में शिकायतों की जानकारी है।

विमानक्षेत्रों पर यात्रियों तथा मुलाकातियों की सुविधा के लिये की जाने वाली प्रबंध व्यवस्थाओं का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है तथा उनमें सुधार भी किए जाते हैं, जो आवश्यकता की प्रकृति, विमानक्षेत्रों पर स्थान की तंगी और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। कमियों के बारे में जो भी शिकायतें आती हैं उनकी जांच की जाती है तथा उपचारी उपाय किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों तथा हैदराबाद, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, बंगलौर, गौहाटी और पटना स्थित छः प्रमुख अंतर्देशीय विमानक्षेत्रों पर सुधार करने के लिए विमानक्षेत्र सलाहकार

समितियां स्थापित कर दी गयी हैं। इन समितियों में विमानक्षेत्रों के विभिन्न उपयोगकर्ता तत्वों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

विमानक्षेत्रों पर नियुक्त कर्मचारियों को हिदायतें दी गयी हैं कि वे जनता और विमान यात्रियों के साथ हर प्रकार से शिष्टाचार का व्यवहार करें। विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिनमें कर्मचारियों पर जन सम्पर्क के मामले में उच्च स्तर बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

काण्डला पत्तन तथा काण्डला निःशुल्क व्यापार जोन के संवर्द्धन के लिये समिति की सिफारिश

*917. श्री एफ० पी० गायकवाड़ : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने काण्डला पत्तन तथा काण्डला निर्बाध व्यापार जोन के संवर्द्धन के लिये उपायों की सिफारिश देने हेतु वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (श्री पी० के० कौल) की अध्यक्षता में दो समितियां गठित की हैं;

(ख) क्या उक्त समितियों ने अपने प्रतिवेदन पेश कर दिये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन समितियों ने काण्डला पत्तन तथा काण्डला निर्बाध व्यापार जोन के संवर्द्धन संबंधी समस्याओं पर काबू पाने के उद्देश्य से दूरगामी प्रभाव डालने वाली सिफारिशें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र के और अधिक संवर्द्धन के हित में क्या सरकार ने उक्त समितियों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं तथा उनकी सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम का कार्यकरण

*918. श्री छीतूभाई गामित : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यकरण के बारे में भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा की गई सिफारिशों की मंत्रालय में जांच कर ली गई है और उन पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

पिल्लै समिति की सिफारिशें

*919. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के वेतन तथा अन्य लाभों के मानकीकरण के बारे में पिल्लै समिति की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों और प्रबंधकों में गत दो वर्षों से कोई विवाद चल रहा था;

(ग) यदि हां, तो विवाद क्या था और उसका किस प्रकार निपटारा किया गया है;

(घ) पिल्लै समिति ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं; और

(ङ) उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और लागू की जा रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी हां, मूल रिपोर्ट की जांच करने के लिए बैंकरों के जिस समूह से कहा गया था, उसके द्वारा सुझाये गये संशोधनों सहित कुछ संशोधनों के साथ इन्हें स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) और (ग) : अधिकारियों के महासंघ द्वारा मंहगाई भत्ता फार्मूला, मूल वेतन की सीमा, परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए भत्ते, मकान किराया भत्ता, सेवा निवृत्ति की आयु, आदि जैसे कुछ असहमति के प्रश्न उठाये थे। इस पर चर्चा चल रही है।

(घ) मोटे तौर से पिल्लै समिति की सिफारिशों में, वेतनमानों का संशोधन और उनका मानकीकरण, नौकर-भत्ते जैसे कुछ भत्तों की समाप्ति और बिना किराये के मकान, निःशुल्क सवारी, रियायती ऋणों जैसे कुछ अनुलाभों की समाप्ति आती है।

(ङ) बैंकरों के दल द्वारा यथा संशोधित तथा अधिकारियों के संगठनों के साथ हुई चर्चा के परिणामों के अनुरूप पिल्लै समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना है।

विमान सुरक्षा बोर्ड की स्थापना

*920. डा० विजय मण्डल
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अन्य उत्तर देशों की भांति ही देश में एक विमान सुरक्षा बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : विमान सुरक्षा बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न की एक बार जांच की जा चुकी है और निर्णय लिया जा चुका है कि विमान दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये कोई अलहदा एजेंसी स्थापित न की जाए। तथापि, मामले का सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिये परियोजनायें

*921. श्री के० राममूर्ति : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा के काजू का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्राप्त परियोजनाओं को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) तन्जानिया, केनिया तथा मोजम्बीक से कच्चे काजू के आयात में 80 प्रतिशत से अधिक कमी होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख): काजू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्टों की छानबीन समिति द्वारा संवीक्षा की जा चुकी है जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । उड़ीसा की एक परियोजना तथा आंध्र प्रदेश की एक परियोजना के लिए भारतीय काजू निगम से सहायता देने का कतिपय शर्तों पर वचन दिया गया है ।

(ग) तंजानिया, कीनिया, मोजाम्बीक से कच्चे काजू के आयातों में गिरावट विभिन्न कारणों की वजह से आई यथा, फसल खराब होना, कम मात्रा में वसूली, निर्यातकर्ता देशों में प्रोसेसिंग सुविधाएं स्थापित करना तथा काजू प्रोसेसिंग तथा निर्यात व्यापार में अन्य देशों का प्रवेश।

विदेशों में स्थित भारतीय बैंक

*922. **श्री डी० सी० देसाई :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अप्रैल, 1979 के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित यह समाचार सरकार ने देखा है कि विदेशों में स्थित भारतीय बैंक विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत निधि का अनुपात अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में कम है। हाल के वर्षों में अनुपात में कमी का कारण यह है कि पूंजी में वृद्धि जमाओं में वृद्धि की गति के अनुरूप नहीं हुई है। इस अनुपात को बढ़ाने के लिए कुछ प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले की निरंतर समीक्षा की जाती है।

जनता से ऋण लेने वाली संकटग्रस्त कम्पनियों के बारे में सर्वेक्षण

*923. **श्री सरत कार :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग एककों के अतिरिक्त जनता और बैंकों से ऋण लेने वाली संकटग्रस्त कम्पनियों के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त धनराशि को वसूल करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): (क), (ख) और (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन रुग्ण कम्पनियों के विषय में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, जिन्होंने जनता, बैंकों आदि से ऋण लिया है। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक, एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की कुल ऋण सीमाओं का लाभ उठाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में समय समय पर सूचना एकत्र करता है। जून, 1978 के अंत की स्थिति के अनुसार 325 रुग्ण एककों को 956.08 करोड़ रुपये की ऋण सीमा का लाभ मिल रहा था। रुग्ण होने पर भी जो एकक अर्थक्षम हैं उनके बारे में, सावधिक ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ मिलकर बैंक आवश्यक होने पर उत्पादन और नियोजन के हित में सहायता का कार्यक्रम आरम्भ करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में भुगतान का नया कार्यक्रम बनाना, ब्याज आदि की बकाया राशि

का निधिकरण आदि शामिल हैं। अन्य मामलों में, बैंक अपनी बकाया राशि वसूल करने के लिए कानूनी उपायों सहित उचित उपाय करते हैं।

फाइव स्टार होटलों के बारे में नीति

*924. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फाइव स्टार होटलों के बारे में मंत्रालय की नीति क्या है;

(ख) क्या ऐसे होटलों की स्थापना से जनहित की पूर्ति होती है और यदि हां, तो कैसे; और

(ग) क्या हाल में नये होटलों को अनुमति देते समय सरकार ने अपनी होटल नीति को ध्यान में नहीं रखा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क), ख और (ग): होटलों के लिए निर्धारित उपलब्ध संसाधनों के मुख्य हिस्से का उपयोग अभी तक 4 तथा 5-स्टार लग्जरी होटल स्थापित करने में किया गया है। ये होटल मुख्य रूप में समृद्ध विदेशी पर्यटकों की आवश्यकता पूरी करते हैं। इस प्रकार के होटलों के निर्माण में बहुत अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम-स्वरूप स्वदेशी और बजट को ध्यान में रखने वाले विदेशी पर्यटकों द्वारा अपेक्षित मध्यम तथा निम्न दर के आवास की बहुत कमी है। इस असंतुलन को ठीक करने की दृष्टि से और मिले-जुले होटल आवास की उचित मात्रा में व्यवस्था करने के लिए लग्जरी होटलों के निर्माण संबंधी नीति की पुनरीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित दो 5-स्टार होटलों, एक जुहू, बम्बई में और दूसरा श्रीनगर में, के निर्माण कार्य संबंधी होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया (एयर इण्डिया का सहायक प्रतिष्ठान) की पुरानी स्कीमों को छोड़कर, सरकारी सैक्टर में चालू योजना अवधि (1978-83) के दौरान किसी भी हालत में 4 तथा 5 स्टार होटलों का निर्माण नहीं किया जायेगा बल्कि 3-स्टार श्रेणी तक के होटलों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा। इस नीति से यू. एन. आई. डी. ओ. सम्मेलन के संबंध में दिल्ली में अशोक तथा अकबर होटलों के विस्तार के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पहले ही प्रारम्भ की गई स्कीमों पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जबकि प्राइवेट सैक्टर में 4 तथा 5-स्टार होटलों के निर्माण की अनुमति दी जायेगी, सरकार द्वारा इस प्रकार के उद्यमों को ऋण संस्थाओं से ऋणों पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी। इसका अर्थ यह है कि जहां नीति के रूप में सरकार 4 तथा 5-स्टार होटलों के निर्माण को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती, वहां सरकार अपनी इच्छा से इस प्रकार के होटलों का निर्माण करने में प्राइवेट सैक्टर के रास्ते में नहीं आयेगी।

देवघर में शिवगंगा के जल को साफ किया जाना

*925. **श्री डा० रामजी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर भारत में देवघर एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है और "श्रावण" के महीने में 30 लाख यात्री इस स्थल की यात्रा करते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सब यात्रियों को शिवगंगा में नहाना पड़ता है जहां पानी बहुत गंदा है; और

(ग) क्या सरकार ने वहां पानी साफ करने के बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) श्रावण के माह के दौरान मुख्यत: पूर्वी भारत से एक बड़ी संख्या में तीर्थयात्री तीर्थयात्रा के लिए देवघर की यात्रा करते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) यह मामला राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार से यह मालूम हुआ है कि शिवगंगा के नवीकरण और सुधार के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिए विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

विभिन्न पत्तन गोदामों पर सड़ रहा ताड़ तेल

*926. **श्री एस०आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न गोदामों पर 30 करोड़ रुपये के मूल्य का 50,000 टन तेल गत तीन महीनों से सड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसके निपटान के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल):(क) से (ग) : बन्दरगाह के गोदामों में कोई भी ताड़ का तेल सड़ नहीं रहा है। तथापि, मद्रास में केवल 719 मीटरी टन की कुल मात्रा की 8 खेपें बन्दरगाह में छुड़ाने के लिये पड़ी हुई हैं। इनमें से, पाँच मामलों में आयतकों द्वारा लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा आयात नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई

है। दो मामलों में परीक्षण परिणामों की प्रतीक्षा है। इन खेपों पर भी न्यायालयों में याचिकायें दाखिल हैं। आठवीं खेप वास्तव में बंबई के लिये थी परन्तु यह मद्रास में उतार दी गई है और इसका फिर से बंबई के लिये लदान किया जाना है।

कर्नाटक राज्य की खाद्य तेलों की आवश्यकता

*927. श्री के० एस० वीरभद्रप्पा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य की खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तु के बारे में आवश्यकता कितनी है और 1978 में वास्तव में कितना आबंटन किया गया;

(ख) इस संबंध में राज्य की पूरी आवश्यकता को पूरा न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि इस वस्तु की कीमत राज्य में बढ़ रही है; और

(घ) सरकार ने कीमत को कम करने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) व (ख) : केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार रेपसीड तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए आबंटित करती है। वर्ष 1978 के प्रारम्भ में, कर्नाटक राज्य सरकार ने रेपसीड तेल की 10 मीटरी टन की मामूली सी मात्रा की मांग की थी, जिसे भी बाद में उन्होंने वापिस ले लिया था। कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1978 के दौरान इस तेल की कोई आवश्यकता सूचित नहीं की थी और न ही इसने इनके आबंटन के लिए ही कहा था।

(ग) व (घ) : सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल में कर्नाटक में कुछ खाद्य तेलों के मूल्य बढ़े हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि ऐसे उपचारी उपाय किए जा सकें जो आवश्यक और सम्भाव्य समझे जाएं।

खाद्य तेलों के व्यापार करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

8801. श्री अमरसिंह वी० राठवा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तेलों का व्यापार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम क्या हैं, और

(ख) क्या सरकार उनको राष्ट्रीयकृत करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मैसर्ज हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई बहुराष्ट्रीय सम्बन्ध रखने वाली कम्पनी है, जो खाद्य तेल तैयार करने और बेचने का काम करती है।

(ख) जी नहीं।

चीनी के निर्यात में कमी

8802. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या तीन वर्षों में चीनी के निर्यात में कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की आय कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में कितनी राशि की वास्तविक हानि हुई; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत भारत को 1978 के दौरान चीनी का निर्यात करने के लिये 6.5 लाख मे. टन का कोटा दिया गया था। भारत से उस वर्ष के दौरान चीनी का कुल निर्यात 6.42 लाख मे० टन किया गया जिसका मूल्य 114 करोड़ रुपये के लगभग था।

(ख) तथा (ग) : विदेशी बाजार में चीनी के मूल्यों में गिरावट आ जाने के कारण 1978-79 के दौरान 23.25 करोड़ रुपये की वास्तविक हानि हुई।

गुजरात से सीरे के निर्यात की समय सीमा का बढ़ाया जाना

8803. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें गुजरात खांडसारी मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन, उपलेटा (गुजरात) से 30,000 टन सीरे के निर्यात की समय सीमा को 31 मार्च, 1979 से बढ़ाकर 30 दिसम्बर, 1979 तक करने के बारे में 26 फरवरी, 1979 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समय सीमा को इस बीच बढ़ाया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो अनुमति कब दी गई थी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गुजरात में खांडसारी कारखानों को ओ. जी. एल.-3 के माध्यम से सीरे के निर्यात के लिये स्थायी आधार पर अनुमति देने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं और ओ. जी. एल.-3 के माध्यम से एक वर्ष के लिये सीरे के निर्यात की अनुमति कब तक दे दी जायेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : श्री सी. बी. पटेल, अध्यक्ष, गुजरात खांडसारी मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन, उपलेटा (गुजरात) से फरवरी 1979 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें सलाह दी गई है कि गुजरात सरकार द्वारा एसोसिएशन को 30,000 मे० टन सीरा निर्यात करने की अनुमति दी गई, जिसमें से 16,000 मे० टन मात्रा की संविदा की जा चुकी है। एसोसिएशन ने सीरे की 14000 मे० टन की बकाया मात्रा का पोत लदान पूरा करने के लिये 30 सितम्बर 1979 तक समय सीमा बढ़ाने के लिये अनुरोध किया है।

(ग) तथा (घ) : आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा 9 मार्च, 1979 को सार्वजनिक सूचना सं. 26-ई. टी. सी. (पी. एन.) 179 जारी की गई जिसमें 9 मार्च, 1979 तक की गई संविदाओं के आधार पर सीरे के पोत लदान पूरे करने के लिये 30-4-1979 तक समय सीमा बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

(ङ) निम्नोक्त कारणों की वजह से 1 अप्रैल 1979 से सीरे का निर्यात राज्य व्यापार निगम के जरिए मार्गीकृत किया गया था :

(1) राज्य व्यापार निगम पहले से ही इस बाजार में था और उसके पास निर्यातों को संचालित करने के लिये सभी तरह का अनुभव और विशेषता थी।

(2) अगर गैर-सरकारी निर्यातकों को निर्यात करने की अनुमति दी जाती तो राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राप्त की जा रही ऊंची कीमतें, गैर सरकारी व्यापारियों के बीच प्रतियोगिता के फलस्वरूप गिर जाती।

(3) निर्यातों को संचालित करने में सबसे प्रमुख कठिनाई अपेक्षित परिवहन, भंडारण तथा जहाजरानी सम्बन्धी सुविधाओं को सुनिश्चित करना था। यह देखा गया कि अगर जनता के लिये सीरे का व्यापार खोल दिया गया तो सीमित परिवहन तथा भंडारण सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये होड़ छिड़ जाएगी। अतः यह महसूस किया गया कि राज्य व्यापार निगम एकमात्र मार्गीकरण अभिकरण के रूप में देश से होने वाले निर्यातों के बेहतर हित में उपलब्ध तरीकों का उपयोग कर सकता है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान कीमत प्राप्ति के आधार पर गैर सरकारी निर्यातक निर्यातों में अत्यधिक लाभ कमाएंगे।

विश्व बैंक सहायता का उपयोग करने से पहले की शर्तें

8804. **चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक की सहायता का उपयोग करने से पहले कोई शर्त होती है क्योंकि परियोजना राशि पहले खर्च करनी होती है और बाद में उसकी प्रतिपूर्ति की मांग की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अधिकांश राज्य सरकारें परियोजनाओं का वित्त पोषण करने में कठिनाई का अनुभव करती हैं और कार्य पूरा होने में विलम्ब होने तथा उनके बजट में कम प्रावधान होने के कारण चालू परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के करारनामे में यह व्यवस्था है कि बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ यह सुनिश्चित करने का प्रबन्ध करेंगे कि रकमें केवल परियोजनाओं के खर्च को, जब वह वास्तव में हो चुका हो, पूरा करने के लिए ही निकाली जाएं।

(ख) और (ग) : राज्य सरकारें आयोजना में अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विश्व बैंक समूह से वित्तीय सहायता लेने के लिए परियोजनाओं को प्रस्तुत करती हैं और अपने आप इस बात की तसल्ली कर लेने के बाद कि वे अपनी आयोजनाओं में उनके लिए पूरी व्यवस्था करने में समर्थ होंगी, परियोजना के मूल्यांकन बातचीत के दौरान खर्च करने पर सहमत हो जाती हैं। राज्य सरकारें प्राय: अपने बजटों में समुचित व्यवस्था करती हैं यद्यपि कुछ ऐसे मामले भी ध्यान में आए हैं जहां ऐसा नहीं किया गया। यद्यपि समुचित बजट व्यवस्था न होने का परियोजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिससे लागत में वृद्धि हो सकती है, परन्तु अक्सर कुछ अन्य कारणों से भी देर हो जाती है जैसे संगठनात्मक त्रुटियां, अपर्याप्त विस्तृत आयोजन, कार्यान्वयन और नियन्त्रण, भूमि अधिग्रहण और सामान की प्राप्ति में कठिनाइयां, संस्थाओं के बीच अकुशल तालमेल आदि।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये दोष प्रमाणित व्यक्ति

8805. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये कितने व्यक्तियों के विरुद्ध दोष प्रमाणित हुआ; और

(ख) अनाजों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुयें कितनी-कितनी मात्रा में बरामद हुई ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने के लिए वर्ष 1978 में 1,068 व्यक्तियों के विरुद्ध दोष सिद्ध किये गये। इसके अतिरिक्त, खाद्य पदार्थों, खाद्य तिलहनों, खाद्य तेलों, औषधियों, वस्त्रों आदि से संबंधित नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण में 828 मामलों में दोष सिद्ध किये गये।

(ख) वर्ष 1978 के दौरान 2,37,019 क्विंटल खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुए बरामद की गयीं।

दिल्ली से भुवनेश्वर के लिये बोइंग सेवा और इसको बढ़ाया जाना

8806. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली से भुवनेश्वर के लिये बोइंग सेवा की भारी मांग के बारे में पता है; यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार सेवा को दिल्ली-भुवनेश्वर-पोर्ट ब्लेअर तथा वापसी सेवा के रूप में इसे पोर्ट ब्लैयर तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे हमारे सुन्दर द्वीपों के लिये पर्यटकों की भारी संख्या को सुविधा प्राप्त हो सके; और

(ग) क्या सरकार की अंडमान में पर्यटन विकास के लिये कोई व्यापक योजना है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) जैसे ही धावन-पथ का निर्माण-कार्य पूरा हो जायेगा तथा पिछले दिसम्बर में हैदराबाद में नष्ट हुए विमान के बदले में दूसरा विमान उपलब्ध हो जायेगा इण्डियन एयरलाइन्स एक ऐसी सेवा परिचालित करने पर विचार करेगी।

(ख) भुवनेश्वर तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच विमान सेवा की व्यवस्था करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों में यात्री यातायात के बढ़ते हुए प्रवाह को दृष्टि में रखते हुए, द्वीप समूह में होटल आवास में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। द्वीपसमूह के प्रशासन द्वारा बनाया गया एक 32 शय्याओं वाला टूरिस्ट होम और 12 शय्याओं वाला मेगा-

पॉड्स नेस्ट है और कॉरबिन्स कोव बीच में निजी क्षेत्र का 32 शय्याओं वाला एक होटल है। पोर्ट ब्लेयर में 108 कमरों वाला एक होटल बनाने का एक प्राइवेट पार्टी का प्रस्ताव भी है तथा द्वीप-समूह के प्रशासन का भी टूरिस्ट होम में 25 शय्याओं की वृद्धि करके उसका विस्तार करने का प्रस्ताव है। इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा पोर्ट ब्लेयर में एक युवा होस्टल का निर्माण किया जा रहा है।

पी० एल-480 के अंतर्गत राशि

8807. **श्री के० प्रधानी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में भारत सरकार के पास पी. एल.-480 रुपया कोष की कुल राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह धन कैसे और किस प्रकार की परियोजनाओं के लिये उपयोग में लाया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) भारत सरकार के पास पी. एल. 480 की कोई रकम उपलब्ध नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के पास पी. एल. 480 की जो रकम थी वह उसने फरवरी, 1974 में भारत सरकार को अनुदान के रूप में दे दी थी और इस प्रकार वह रकम अपने आप खत्म हो गई है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

चिरापूंजी में पर्यटन सुविधाएं

8808. **श्री पी० ए० संगमा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिरापूंजी को खूबसूरत बनाने और वहां पर्यटन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): आर्थिक संसाधनों पर प्रतिबंध और सापेक्ष प्राथमिकताओं की वजह से एक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो जाने के कारण यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रारम्भ में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत शिलांग, मेघालय में पर्यटक सुविधाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।

भारत तथा इंडोनेशिया के बीच तकनीकी सहायता करार

8809. **श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय बैंक विदेशी सहयोग के बारे में भारत तथा इण्डोनेशिया के बीच लगभग

चार मास पूर्व तकनीकी सहायता का कोई करार हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : जी, हां। हाल ही में तकनीकी/प्रबंधकीय तथा परामर्शी सहायता प्रदान करने के लिए इंडियन बक ने जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक में से एक बैंक है, पी. टी. बैंक, रामायन इण्डोनेशिया के साथ समझौता किया है।

वित्तीय संस्थानों द्वारा कागज उद्योगों को दिये गये ऋण

8810. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई. एफ. सी. आई., आई. सी. आई., सी. आई., जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा देश में लगाये जा रहे विभिन्न कागज उद्योगों को गत तीन वर्षों के दौरान कितने ऋण दिये गये हैं;

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किये हैं कि उक्त कारखाने ऋण राशि का उचित उपयोग करे तथा संस्थानों द्वारा दिया गया वित्त सुरक्षित रहे; और

(ग) इनमें से कौन से कारखाने ऋणों को लौटाने में असमर्थ हैं और कौन से उद्योग उनको लौटाने में विभिन्न आधार लेकर विलम्ब कर रहे हैं और ऐसे दोषी कागज कारखानों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): (क),(ख) और (ग) : यथा उपलब्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

शासन पर फिजूल खर्ची कम करने के बारे में राज्य सरकारों को अनुदेश

8811. श्री एस० एस० लाल : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन पर होने वाली फिजूल खर्ची कम करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश/आदेश दिए गए हैं ताकि संसाधनों को विकास कार्यों पर लगाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) 20 मार्च, 1979 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भेजे गए पत्र में कर्मचारियों की वृद्धि और अभिकरणों के विस्तार तथा सरकारी व्यय की बढ़ती हुई मात्रा पर चिंता व्यक्त की गई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे

उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए व्यापक समीक्षा करें, जिनमें प्रगति को प्रभावित किए बिना अथवा कार्य-कुशलता को नुक्सान पहुंचाए बिना किफायत की जा सके।

(ख) इस पत्र के उत्तर में अधिकांश राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

यूरोपीय देशों में काफी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना

8812. **श्रीमती मोहसिना किदवई :** वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काफी को लोकप्रिय बनाने के लिये यूरोपीय देशों में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यालयों के किन स्थानों पर स्थापित किये जाने की सम्भावना है और वे कब स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) क्या कुछ कार्यालय विदेशों में पहले से ही काम कर रहे हैं और उनका कार्यकरण कैसा है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

बैंक दवा योजना के अधीन बम्बई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों पर खर्च की गई राशि

8813. **श्री अन्ना साहिब टी० गोट खिण्डे :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री 1 दिसम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1902 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक में गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों की वर्ष-वार संख्या कितनी थी;

(ख) इस अवधि में इस योजना का वर्ष-वार कितने कर्मचारियों ने लाभ उठाया; और

(ग) लाभ उठाने वाले प्रति कर्मचारी पर उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी राशि खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) 30 जून की स्थिति के अनुसार

(क)	1976	1977	1978
	9288	9738	9652
(ख)	1975-76	1976-77	1977-78
	2,57,713	2,57,292	2,66,504

(क्योंकि रिकार्ड रखा जाता है, इसलिये इन आंकड़ों में, विशेष वर्ष के दौरान कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के अस्पताल में भर्ती होने के मामलों को छोड़कर, बार-बार इलाज के मामले (रिपीट केसेज) शामिल हैं।)

(ग)	1975-76	1976-77	1977-78
	163/-रु०	170/-रु०	169/-रु०

त्रिपुरा में "नीर महल" का रखरखाव

8814. श्री किरित विक्रम देव वर्मन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के भूतपूर्व महाराजा द्वारा पर्यटन आकर्षण के रूप में विकास और रख-रखाव के लिए त्रिपुरा सरकार को अन्तरित किये गये "नीर महल" और अन्य भवनों के अपर्याप्त रखरखाव किये जाने अथवा न किये जाने के बारे में सरकार को पुष्टि करने वाली कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन पर्यटन आकर्षणों के हिस्से उचित रखरखाव न होने से टूट कर गिर रहे हैं; और

(ग) वर्तमान मूल्य स्तर के अनुसार इन भवनों की कुल अनुमानित लागत कितनी है और सरकार द्वारा उन्हें अपने नियन्त्रण में लेने के बाद उन पर कितना वार्षिक व्यय हुआ है और पर्यटन आकर्षण के रूप में इन भवनों के उचित रखरखाव के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) : राज्य सरकार द्वारा नीर महल और उज्जयंत पैलेस को कुछ वर्ष पहले अपने अधिकार में ले लिया गया था। उज्जयंत पैलेस में अब राज्य विधान सभा स्थित है। उचित रख-रखाव की कमी के कारण नीर महल जीर्णावस्था में है। प्लिन्थ को झील के पानी द्वारा क्षय से बचाने की लागत का अनुमान 15 लाख रुपए है। नीर महल की मरम्मत करने के लिए राज्य सरकार ने 1978-79 के दौरान 1.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की है। राज्य सरकार ने नीर महल के नवीकरण

तथा रख-रखाव के लिए पंचवर्षीय योजना 1978-83 के दौरान 5.00 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

नवम्बर, 1978 में नई दिल्ली में हुए पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से ऐसे दो केन्द्रों/स्कीमों का संकेत करने का अनुरोध किया गया जिन पर केन्द्रीय सैक्टर में विकास करने पर विचार किया जा सके। त्रिपुरा की राज्य सरकार ने निम्न-लिखित केन्द्रों/स्कीमों की सिफारिश की है :—

1. डम्बुर झील
2. जम्पोई पहाड़ी
3. अगरतला में जनता होटल

इस प्रकार सिफारिश किए गए केन्द्रों का विकास पंचवर्षीय योजना 1978-83 के दौरान राज्य सरकार से परामर्श करके शुरू किया जायेगा, बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो और पारस्परिक प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाए। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सैक्टर में शुरू की जाने वाली पर्यटन स्कीमों में नीर महल के विकास को शामिल नहीं किया गया है।

भारत में अपनी गतिविधियां बढ़ाने की अनुमति के लिए विदेशी बैंकों द्वारा आवेदन पत्र

8815. श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी बैंकों के विस्तार के बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान निपटाये गये ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) विदेशी बैंकों की भारत में कारोबार करने अथवा भारत में और शाखायें खोलने विषयक आवेदन पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। इस प्रकार के मामलों पर निर्णय करने में, दोनों देशों के बीच व्यापार में सहायता देने में भारत में विदेशी बैंकों और विदेशों में भारतीय बैंकों की कार्यरत शाखाओं की पर्याप्तता या अपर्याप्तता, देश को मिलने वाले लाभों, भेजी गयी राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव, पारस्परिकता की आवश्यकता आदि जैसे कारणों को दृष्टिगत रखा जाता है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान केवल बैंक आफ अमरीका को नई दिल्ली स्थित अपने प्रति-निधि कार्यालय को शाखा में बदलने की अनुमति दी गयी है।

राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में डकैतियाँ, धोखाधड़ी और अनियमिततायें

8816. श्री वसन्त साठे : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक में मार्च, 1979 में समाप्त हुए गत दो वर्षों के दौरान बताये गये मानक वर्गीकरण द्वारा डकैतियां, धोखाधड़ी और गम्भीर अनियमितताओं के अन्य कितने मामले हुए और बैंकों को इस कारण कितनी हानि हुई और यह हानि पिछले दो वर्षों की इसी अवधि में हुई हानि की तुलना में कितनी न्यूनाधिक है;

(ख) वाणिज्यिक बैंकों को होने वाली ऐसी हानि की रोकथाम के लिए की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने मामलों में जांच पूरी कर ली गयी है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) : यथा उपलब्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारी द्वारा खर्च की गई टैक्सी किराए की राशि पर 50 रु० की सीमा

8817. श्री राजे विश्वेश्वर राव : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रति मास टक्सी किराये पर खर्च की जाने वाली राशि पर 50 रु० की सीमा है;

(ख) यदि हां, तो यह सीमा कब निर्धारित की गई थी; और

(ग) क्या पैट्रोल की ऊंची कीमतों के कारण टैक्सी किरायों में वृद्धि होने के कारण इस सीमा को बढ़ाकर 100 रुपये करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) यह सीमा 1 जुलाई, 1976 से निश्चित की गई है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रबड़ का उत्पादन और निर्यात

8818. श्री सुरेन्द्र भा सुमन : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में वर्षवार और राज्यवार रबड़ का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इसी अवधि में रबड़ का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और कितनी मात्रा का देश में उपयोग किया गया; और

(ग) देश में उचित मूल्य पर रबड़ सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का राज्यवार उत्पादन निम्नोक्त प्रकार है :—

मात्रा मे० टन में

राज्य	1976-77	1977-78	1978-79 (अनन्तिम)
केरल	139,349	135,907	123,900
तमिलनाडु	8,535	9,015	9,000
कर्नाटक	1,667	1,959	1,950
अंडमान तथा निकोबार द्वीप तथा अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	81	106	120
योग	149,632	146,987	134,970

(ख) उसी अवधि के दौरान निर्यात की गई और देश में प्रयोग की गई रबड़ की मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :

मात्रा मे० टन में

वर्ष	निर्यात	उपयोग (उपभोग)
1976-77	12,290	137,623
1977-78	11,078	144,967
1978-79	कुछ नहीं	165,000 (अनन्तिम)

(ग) उद्योग को पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये, देश में रबड़ उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से रबड़ बोर्ड अनेक विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

रबड़ की मांग, पूर्ति और कीमत रुख पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। जब घरेलू उपलब्धता मांग को पूरा करने में अपर्याप्त पाई जाती है, तब मूल्य को विनियमित करने और सप्लाई स्थिति को सुधारने के तरीके के रूप में रबड़ के आयात की अनुमति दी जाती है।

सिंघानियां औद्योगिक गृह के सदस्यों के विरुद्ध कर अपवंचन और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन के उल्लंघन के कथित आरोप

8819. श्री के० लकप्पा
श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंघानिया औद्योगिक गृह के कुछ सदस्यों के विरुद्ध कर अपवंचन और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के कोई आरोप हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख), (ग) और (घ) : इस समूह के निम्नलिखित निर्धारितियों के विरुद्ध कर अपवंचन की शिकायतें हैं;

(i) कमला टाउन ट्रस्ट, कानपुर ।

(ii) सर पदमपत सिंघानिया, कैलाशपत सिंघानिया और लक्ष्मीपत सिंघानिया के तीन परिवार ।

मैसर्स कमला टाउन ट्रस्ट, कानपुर के विरुद्ध की गई शिकायतों में, यह आरोप लगाया गया है कि न्यास की परिसम्पत्तियों का उपयोग सिंघानिया परिवार के सदस्य और उनके कर्मचारी कर रहे हैं, इसलिए इस न्यास का प्रयोजन धर्मार्थ नहीं है और यह कि इस न्यास की आय और धन पर छूट नहीं दी जानी चाहिए बल्कि इन पर कर लगाया जाना चाहिए ।

सर पदमपत सिंघानिया, कैलाशपत सिंघानिया और लक्ष्मीपत सिंघानिया के परिवारों के विरुद्ध की गई शिकायतों में, यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिहार के पूर्णिया जिले में जमींदारी सम्पत्ति अर्जित की है और इन परिसम्पत्तियों में कृषि तथा कृषि-भिन्न परिसम्पत्तियां सम्मिलित हैं और यह कि जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद निर्धारितियों ने अन्तरिम तथा अन्तिम मुआवजे के रूप में कोई 14,15,215/- रुपये की रकम प्राप्त की और यह कि उन्होंने कृषि-भिन्न परिसम्पत्तियां बेच दी हैं। आरोप यह है कि कृषि-भिन्न परिसम्पत्तियों की बिक्री पर पूंजीगत अभिलाभों पर कर-निर्धारण नहीं हुआ है और कर-निर्धारितियों ने अपने मामलों में मुआवजे की रकम भी ठीक प्रकार से नहीं दिखाई है ।

आयकर अधिकारी ने कमला टाउन ट्रस्ट के मामले में तफसील से जांच की है । वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये सम्पत्तियां धर्मार्थ प्रयोजनों से नहीं रखी गयी हैं, इसलिए न्यास की आय पर कर से छूट नहीं है । उसने 1973-74 से 1976-77 तक के कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में आय कर निर्धारण पूरा कर लिया है कर-निर्धारिती ने अपीलीय सहायक आयुक्त के सामने

दायर की गयी अपील में इस निष्कर्ष को चुनौती दी है । अपीलीय सहायक आयुक्त के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। आयकर अधिकारी ने कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 और इससे आगे के कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में भी कर निर्धारण कार्यवाही पुनः आरंभ की है। इसी प्रकार आयकर अधिकारी ने 1973-74 से 1975-76 तक के कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में धन कर अधिनियम की धारा 17 के अधीन कार्यवाही की है। उसने सम्पत्तियों के मूल्यांकन का मामला भी मूल्यांकन कक्ष को भेज दिया है ।

सर पदमपत सिंघानिया, कैलाशपत सिंघानिया और लक्ष्मीपत सिंघानिया के तीनों परिवारों से सम्बन्धित शिकायतों की अभी जांच की जा रही है ।

2. मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत उद्योग लिमिटेड, और मेसर्स गेंजिज मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और उनके निदेशकों के 7, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता स्थित परिसरों तथा निर्यात प्रबंधक, श्री रामेश्वर अग्रवाल के 12, बीडन स्ट्रीट कलकत्ता स्थित परिसरों की 26 और 27 जून 1973 को तलाशियां ली गयी थी जिनमें दस्तावेज पकड़े गए थे । श्री रामेश्वर अग्रवाल के कार्यालय और रिहायशी मकान से 101 अमरीकी डालर और 19 पौंड की विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई और पकड़ी गई । पकड़े गए दस्तावेजों से पता चलता है कि श्री रामेश्वर अग्रवाल का फस्टं नेशनल सिटी बैंक, न्यूयार्क में विदेशी मुद्रा का खाता था तथा इर्विंग ट्रस्ट कम्पनी, न्यूयार्क में एक तिजोरी किराए पर ली हुई थी । इस बात का भी पता चला है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी अन्य प्रयोजन से दी गई विदेशी मुद्रा में से कुछ वस्तुओं की खरीद करके विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग किया था । इस मामले का न्याय निर्णय किए जाने के परिणामतः, मेसर्स जुग्गी लाल कमलापत उद्योग पर 8.25 लाख रुपये और श्री रामेश्वर अग्रवाल पर 88,850 रुपये का कुल अर्थदण्ड लगाया गया । इस मामले की न्याय निर्णय कार्यवाही से सम्बद्ध सभी पार्टियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड के समक्ष अपील दायर की हैं । ये अपीलें विचाराधीन है ।

बैंक आफ इंडिया के जूनियर कर्मचारियों की पदोन्नति

8820. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ इण्डिया के अनेक जूनियर कर्मचारियों को अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत कर दिया गया था और उनको दिल्ली तथा नई दिल्ली में नियुक्त कर दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इन अधिकारियों को इतने लम्बे समय तक दिल्ली और नई दिल्ली में रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बैंक में भ्रष्टाचार रोकने के लिये बैंक आफ इंडिया की मायापुरी शाखा के अधिकारियों सहित ऐसे सभी अधिकारियों का स्थानान्तरण करने का है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : 1 नवम्बर, 978/15 दिसम्बर, 1978 से अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किये गये 51 लिपिकों में से केवल ार अधिकारी ही दिल्ली में रखे गये थे । इन अधिकारियों को लंबे समय तक दिल्ली में रखे जाने ा प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : स्थानान्तरण और नियुक्तियां बैंक के आंतरिक प्रशासनिक मामले हैं । रकार सामान्यतः इनमें हस्तक्षेप नहीं करती ।

सामान्य बीमा निगम के अधिकारियों को तदर्थ राहत

8821. डा० बलदेव प्रकाश : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री सामान्य बीमा निगम में आपात काल के पीड़ित व्यक्तियों के बारे में 9 मार्च 1979, के अतारांकित प्रश्न संख्या 2734 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियों के केवल अधिकारियों को ही तदर्थ राहत देने के लिए सामान्य बीमा निगम अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा परिपत्र संख्या एस० ई०/10 और एस० ई०/13 जारी किये गये थे ऐसे परिपत्रों की प्रति सभा पटल पर रखी जाय; और

(ख) क्या ऐसी तदर्थ वित्तीय राहत केवल अधिकारियों को ही दी गयी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): (क) और (ख): चूंकि अतारांकित प्रश्न संख्या 2734, जिसका उत्तर 9 मार्च, 1979 को दिया गया था, आपात काल के पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में था, इसलिए उसके भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर केवल आपातकाल की अवधि तक सीमित थे । परिपत्र संख्या एस० ई०/10 और एस० ई०/13 भारत सरकार द्वारा साधारण बीमा कम्पनियों के अभिरक्षकों (कस्टोडियनों) के नाम क्रमशः 22 जून, 1972 और 14 जुलाई, 1972 को अर्थात् साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियां बनाए जाने से पहले जारी किए गए थे । उक्त परिपत्र उन साधारण बीमा कंपनियों के कनिष्ठ अधिकारियों को अन्तरिम सहायता मंजूर किए जाने के संबंध में थे जिनका प्रबंध भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था । चूंकि ये परिपत्र गोपनीय किस्म के हैं, इसलिए इनकी प्रतियां सभा पटल पर रखना लोक हित में नहीं होगा ।

निजाम के खजाने के अधिग्रहण और और संरक्षण के बारे में ज्ञापन

8822. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवाब नादिर अली मिर्जा ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें निजाम के विशाल खजाने के अधिग्रहण और संरक्षण तथा पुराने महलों को संग्रहालयों में परिवर्तित करके उनका संरक्षण करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) क्या निजाम के खजाने और उनकी सम्पत्ति के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है, उसकी सूची क्या है, उनका कितना मूल्य आंका गया है और नवाब नादिर अली मिर्जा के उक्त अनुरोध पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) निजाम हैदराबाद ने अपने प्रमुख आभूषणों की व्यवस्था करने के लिए 20-3-1951 को निजाम आभूषण न्यास की स्थापना की थी। इन आभूषणों का अधिग्रहण करने और इन्हें संग्रहालय में सुरक्षित रखने के संबंध में कुछ समय पूर्व भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पर विचार किया था। सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद यह निश्चय किया गया कि इन आभूषणों का अधिग्रहण करने के लिए सरकारी धन काम में न लाया जाए। निजाम के महलों और उनकी अन्य सम्पत्ति का अधिग्रहण करने के सुझाव के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। अभी यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि इस प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण कहां तक वांछनीय होगा।

चिरी हुई टीक वुड पर प्रतिबन्ध

8823. श्री जी० भुवारहन : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चिरी हुई टीक वुड, टिम्बर का विदेशों को निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) इस प्रतिबन्ध के कारण हमारे देश में कितने एल० सी० ओपन मामले प्रभावित हुए हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) चिरी हुई टीक वुड के निर्यात पर 5 जून, 1978 से रोक लगा दी गई है।

(ख) चिरी हुई टीक वुड के सम्बन्ध में उन निर्यातकों की पक्की वचनबद्धताओं को पूरा करने की अनुमति दी गई थी जिन्होंने 19-5-1978 से पहले अपने आवेदनपत्र दे दिये थे और संविदा करने के साथ साथ रद्द न किया जा सकने वाला साख-पत्र खोल दिया गया था और जिसे इण्डियन बैंक ने 23-5-1978 को या उससे पहले स्वीकार कर लिया था।

अनुसंधान परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता

8824. श्री चित्त बसु : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कई अनुसंधान परियोजनाओं के मामले में भारत की सहायता की है;

(ख) यदि हां तो उन सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस सहायता की शर्तें क्या हैं; और

(ग) उन परियोजनाओं की क्या उपलब्धि है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में प्रावधान

8825. श्री के० ए० राजन : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधान को समाप्त कराने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : सरकार ने जुलाई, 1968 में बम्बई के उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ तथा अन्य (1965 की अपील 19) में की गई टिप्पणी के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को यह सलाह दी थी कि यदि केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम-5, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों द्वारा राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेना निषिद्ध है, के समान वे अपने आचरण नियमों के अन्तर्गत कोई प्रावधान रखते हों, तो उसे समाप्त कर दिया जाए । इस विषय में सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा और कोई अनुदेश जारी नहीं किये गए हैं ।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

लोक वितरण प्रणाली की क्रियान्विति की नीति में संशोधन

8826. श्री एस० आर० रेड्डी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक वितरण प्रणाली की क्रियान्विति की नीति में हाल में कुछ संशोधन किये गये हैं; और

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें इस योजना को समाज के कमजोर वर्गों तक सीमित रखने का अनुरोध किया गया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) उत्पादन-एवं-वितरण योजना, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने और उसे मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है, हाल में सरकार द्वारा अनुमोदित और राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत की गई है ।

(ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ द्वारा जनवरी 1979 के अन्त में आयोजित सेमिनार में इसके अध्यक्ष ने सुझाव दिया था कि यह योजना चयनात्मक होनी चाहिये, जिसके अन्तर्गत केवल समाज के कमजोर वर्गों को ही लाया जाना चाहिये, परन्तु यह सुझाव व्यावहारिक नहीं पाया गया था ।

पचिश्म बंगाल के चाय बागानों में जनजाति के लोग

8827. श्री पीयूष तिरकी : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में जनजाति के लोगों की प्रतिशतता क्या है;

(ख) चाय बागानों में अधीनस्थ स्टाफ में जनजाति के लोगों की प्रतिशतता क्या है और लिपिकीय तथा मेडिकल स्टाफ में जनजाति के लोगों की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या सरकार का लिपिकीय तथा मेडिकल स्टाफ तथा प्रबन्धकीय स्टाफ में जनजाति के लोगों के लिये आरक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) लिपिकीय, मेडिकल तथा प्रबन्धीय स्टाफ के लिये जनजाति के कितने लोगों को अब तक प्रशिक्षत किया गया है और इसकी क्या प्रतिशतता है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) (क) से (घ) : चाय बोर्ड चाय बागानों के श्रमिकों/कर्मचारियों के बारे में, जिनमें प्रबन्धकीय कर्मचारी भी शामिल हैं, इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखता कि उनमें कौन किस नृजाति का है, इस लिये पूछी गई विभिन्न जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी, कानपुर में आरक्षण सम्बन्धी नियम

8828. श्री आर० एल० कुरील : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 8/1/69/एस्टेब्लिशमेंट (एस. सी. टी.) दिनांक 28 जनवरी, 1979 और कार्यालय ज्ञापन सं० 27/25/78/एस्टेब्लिशमेंट (एस. सी. टी.)

दिनांक 25 मार्च, 1970 में दिए गए अनुदेश का, जिसे सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सम्बन्धी पुस्तिका-चतुर्थ संस्करण, 1975 के पृष्ठ सं० 179 पर उद्धृत किया गया है, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कलक्टर कानपुर के द्वारा पालन नहीं किया गया है, जिसने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 6 रिक्त स्थान के लिए 3 अगस्त, 1978 को सामान्य उम्मीदवारों को चार नियुक्ति पत्र जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो यह कैसे किया गया जबकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का पैनल पहले ही अधिकारियों के पास था; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) और (ख) : संभवतः माननीय सदस्य का संकेत कानपुर समाहर्तालय में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षकों की नियुक्तियों की ओर है। इस मामले में की गई जांच से पता चला है कि उस समाहर्तालय में, अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक के ग्रेड में 31 दिसम्बर, 1977 तक उपलब्ध सभी रिक्त स्थानों को समाहर्ता द्वारा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की नियुक्तियों से ही भरा गया था। परन्तु, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सात रिक्त स्थान, इस वर्ग के उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने की वजह से नहीं भरे जा सके। ये रिक्तियां न तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भरी जा सकीं और न ही अनुसूचित जाति के उमीदवारों से, क्योंकि इन रिक्तियों में वर्ष 1977 के दौरान, जो कि इन रिक्तियों को आगे ले जाए जाने का केवल दूसरा वर्ष था, परस्पर, अदला-बदली नहीं की जा सकती थी क्योंकि इस विषय से संबन्धित अनुदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किसी पद को, उसे आगे ले जाने के तीसरे वर्ष में ही, किसी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद को किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरा जा सकता है। इसलिए इन रिक्तियों के बारे में कर्मचारी चयन आयोग को सूचना भेज दी गई थी क्योंकि 1-1-1978 को अथवा उसके बाद होने वाली केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक पदों की रिक्तियों पर भर्ती का कार्य, उक्त आयोग द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है।

वर्ष 1976 की आरक्षित रिक्तयों के प्रति सामान्य वर्ग के चार उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी, ये रिक्तियां, उन वर्गों के उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने की वजह से, संगत समय पर नहीं भरी जा सकी थीं और इन रिक्तियों को कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग की सहमति से आरक्षण-युक्त करवा लिया गया था। यह उल्लेखनीय है कि किसी वर्ष विशेष के दौरान आरक्षित रिक्ति को आरक्षण मुक्त करवाने का अर्थ यह नहीं है कि वह रिक्ति आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए हमेशा के लिए खत्म हो गई, बल्कि उसे परवर्ती तीन वर्षों तक आगे ले जाया जाना होता है।

उपर्युक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि प्रश्न में उल्लिखित गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापनों में निहित किसी अनुदेश/आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में जो कुछ बताया गया है उसे देखते हुए इस मामले में कोई कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

डाक तार विभाग और रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को बोनस दिया जाना

8829. श्री के० गोपाल : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार विभाग तथा रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को बोनस देने की मांग पर विचार किया जाएगा; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख): सरकार ने, मजदूरी, आय और कीमतों विषयक अध्ययन दल की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक दल को नियुक्त किया है जिसमें उप-प्रधान मंत्री (वित्त), गृहमंत्री, श्रम मंत्री, उद्योग मंत्री और पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री शामिल हैं। इस रिपोर्ट में नए क्षेत्रों में बोनस को लागू करने सम्बन्धी सिफारिश निहित है, देखिए इस रिपोर्ट का पैरा 8.15 और 8.16 जो नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं :—

8.15 तर्क संगत रूप में, लाभ से सम्बन्ध बोनस जो अब तक लंबे अरसे से, भारत में प्रचलित रहा है, केवल उन उद्योगों के लिए उपयुक्त है जो उपयुक्त प्रतियोगी परिस्थितियों में बाजार के लिए उत्पादन करने हैं। ऐसे संगठित क्रिया-कलापों के मामले में चाहे वे औद्योगिक हों अथवा अन्य, जहां लाभ का प्रयोजन बिल्कुल नहीं होता अथवा जहां लाभ सार्वजनिक नीति द्वारा प्रेरित, प्रभावित अथवा अन्यथा प्रभावित होते हैं और जिसका उपयोग अधिकांशत: समाज के कल्याण के लिए होता है, यह उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार यह सरकारी सेवाओं और ऐसे ही कार्यकलापों के लिए अनुपयुक्त है, जिनमें रेलवे, डाक व तार और सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं, वित्तीय और अन्य संस्थाएं भी शामिल हैं।

8.16 इस तर्क के आधार पर, लाभ से संबद्ध बोनस की पद्धति को नए क्षेत्रों में लागू करना वांछनीय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जहां कि अनुपयुक्त क्षेत्रों में बोनस की पद्धति चालू है इसे अवस्थाओं में समाप्त किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसे कार्य-निष्पादन के अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त उपायों से संबद्ध अन्य अदायगियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए।

2. भूतलिंगम अध्ययन दल की उपरोक्त सिफारिशों पर मंत्रियों के दल द्वारा विचार किया जा रहा है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रिपोर्ट में नीति के कुछ आधारभूत

मामले उठाए गए हैं और इस स्तर पर यह कहना कठिन है कि मंत्रियों के दल के लिए अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देना कब तक संभव होगा।

मसूलीपत्तनम में तूफान की चेतावनी देने वाला राडार

8830. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मसूलीपत्तनम में तूफान की चेतावनी देने वाले राडार की स्थापना की गई थी; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) : जी, अभी नहीं। मसूलीपत्तनम में चक्रवात चेतावनी रेडार (Cyclone Warning Radar) स्थापित करने के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण करने में कुछ विलम्ब हुआ है। अब भूमि ले ली गई है भवनों के लिए योजनाएं तथा प्राक्कलन तैयार कर लिए गए हैं तथा उनकी जांच की जा रही है।

सामान्य अधिनियम पद्धति (जी० एस० पी०) लागू किया जाना

8831. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य अधिमान पद्धति (जी. एस. पी.) लागू करते समय सभी विकासत एवं विकासशील देशों द्वारा यह विश्वास किया गया था कि भारत इस पद्धति का सबसे अधिक लाभ उठा सकेगा परन्तु इस सम्बन्ध में इसका पांचवां स्थान रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में यह पाया गया है कि हालांकि भारत से किन्हीं वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है परन्तु बाजार में इसका अंश कम हुआ है जब कि अन्य विकासशील देशों के बाजार अंश में वृद्धि हुई; और

(घ) सरकार द्वारा अन्य विकासशील देशों से प्रतियोगिता का सामना करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) यह सच है कि 1971 में जब विकसित देशों ने अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली (जी. एस. पी.) के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वन आरम्भ किया था, उस समय यह विश्वास किया गया था कि भारत टैरिफ रियायतों का लाभ उठा सकेगा और विकसित देशों को अपने निर्यातों में वृद्धि कर सकेगा। जी. एस. पी. लाभों का उपयोग करने के सम्बन्ध में लाभ प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों

की सूची में भारत की स्थिति विभिन्न वर्षों व विभिन्न बाजारों में भिन्न रही है। जिन नवीनतम वर्षों के लिये अंकटाड के सचिवालय की मार्फत दाता देशों से आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार जी. एस. पी. का उपयोग करने में भारत की स्थिति निम्नलिखित विवरण में दिखाई गई है :

क्रमांक	देश	वर्ष	भारत का स्थान
1.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय	1975	तीसरा
2.	हंगरी	1975	दूसरा
3.	सोवियत संघ	1975	पहला
4.	सं० रा० अमरीका	1976	ग्यारहवां
5.	नार्वे	1976	पांचवां
6.	स्वीडन	1976	छठा
7.	फिनलैंड	1976	ग्यारहवां
8.	स्विटजरलैंड	1976	पांचवां
9.	आस्ट्रिया	1976	आठवां

(ख) जिन मुख्य कारणों से भारतीय निर्यातक अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली का अधिक पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाये हैं, वे इस प्रकार हैं :

(1) अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली की विभिन्न योजनाओं के प्रतिबन्धात्मक उपबन्ध जैसे कोटे, अधिकतम सीमाएं, अलग-अलग देशों की राशियां, अपर्याप्त टैरिफ कटौती और उत्पादों को शामिल न किया जाना।

(2) विकासशील देशों के बीच कड़ी प्रतियोगिता, जो सभी अधिमानों की सामान्यीकृत योजनाओं का लाभ उठाते हैं।

(ग) हाल के वर्षों में विश्व निर्यातों में भारत का भाग सामान्य रूप में एक जैसा रहा है, किसी वर्ष कुछ उतार-चढ़ाव हुए हैं, जबकि मुख्यत: विकासशील देशों के बीच तेल उत्पादक देशों के भाग में वृद्धि होने के कारण वर्ष 1972 से लेकर 1977 के दौरान उनके भाग में वृद्धि हुई है, जैसा कि सं० रा० संघ के बुलैटिन पर आधारित निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है।

वर्ष	विकासशील बाजार अर्थ व्यवस्थाओं का भाग (प्रतिशत)	भारत का भाग (प्रतिशत)	ओपेक देशों का भाग (प्रतिशत)
1972	19.86	0.64	7.30
1973	21.32	0.56	8.09
1974	29.35	0.51	16.25
1975	26.55	0.56	14.33
1976	28.34	0.62	15.28
1977	27.94	0.61	उपलब्ध नहीं

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार जो प्रयास करती है उनमें अन्य विकासशील देशों से प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास शामिल हैं। सरकार की निर्यात संवर्धन नीतियों के महत्वपूर्ण तत्व हैं, एम. टी. सी., एम. एम. टी. सी., एच. एच. ई. सी., ई. सी. जी. सी., टी. डी. ए., तथा टी. एफ. ए. आई., निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों के जरिए संस्थागत प्रयास करना, उचित कीमतों पर आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों को उपलब्ध कर के निर्यात उत्पादन आधार मजबूत बनाना, आयात नीति को उदार बनाना, मुआवजा सहायता, निर्यात शुल्क की समाप्ति, प्रभावी क्वालिटी नियन्त्रण की व्यवस्था करना, परिवहन अवस्थापना मजबूत बनाना आदि। निर्यात संवर्धन उपायों के बारे में एक विस्तृत विवरण लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर में 23-2-79 को सभा पटल पर रखा गया था।

विदेशी तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विकास

8832. **श्री सी० आर० माहता :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में विदेशी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विकास को रोकने में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : देश के औद्योगिक विकास में विदेशी निवेश और विदेशी कंपनियों के सहयोग के संबंध में नीति 23 दिसम्बर, 1977 में संसद में प्रस्तुत औद्योगिक नीति विषयक विवरण के पैरा 23 से 26 में बताई गई है। जहां तक वर्तमान विदेशी कंपनियों का संबंध है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। जहां तक नए विदेशी निवेश का संबंध है इसकी अनुमति केवल आधुनिकतम प्रौद्योगिकी अथवा निर्यात-प्रधान क्षेत्रों में उन शर्तों पर दी जाती है जो सरकार द्वारा देश हित में निर्धारित की गई हैं।

उद्देश्य, जिनके लिए सरकारी उपक्रम स्थापित किये गये हैं

8834. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु**
श्री के० लकप्पा
श्री सौगत राय } : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरकारी प्रतिष्ठानों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के एक मुख्य निष्कर्ष की ओर दिलाया गया है कि "देश के सरकारी उपक्रमों को अभी तक यह मालूम नहीं है कि उन्हें लाभ कमाना है या घाटा उठाना है क्योंकि उन्हें अभी तक सरकार से स्पष्ट निदेश-सामाजिक अथवा वाणिज्यिक नहीं मिले हैं जिनके लिए वे स्थापित किये गये हैं";

(ख) क्या यह सच है (जैसा कि समाचार-पत्रों में आया है) कि सम्मेलन में इस बात पर सहमति नहीं हो सकी कि सरकारी उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उनके पदों से उस समय हटा दिया जाना चाहिए जब वे उद्देश्य प्राप्त न कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) मार्च, 1979 में, सरकारी उद्यमों के, नई दिल्ली में हुए दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया था कि इस समय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए विभिन्न कसौटियां प्रयुक्त की जाती हैं। सम्मेलन के दौरान यह समझते हुए कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन की मूल्यांकन संबंधी कसौटी के बारे में जनता तथा सरकारी उद्यमों में काफी भ्रांति है, सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि सरकारी उद्यमों में से प्रत्येक अथवा उद्यम समूहों में निहित उद्देश्यों की यथासंभव सुनिश्चित रूप से व्याख्या की जानी चाहिए, ताकि प्रत्येक उपक्रम जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जा सके। सरकार को इसकी जानकारी है।

(ख) जी नहीं। प्रधान मंत्री महोदय ने अपने उद्घाटन भाषण में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का फ्रांस के एक उदाहरण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताया कि वहां सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के मुख्य अधिकारी को उपक्रम के संचालन की पूर्ण स्वायत्तता इस शर्त पर दी जाती है कि यदि वह लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहा तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया कि यह पद्धति भारत में भी अपनाई जानी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाए, बशर्ते कि वे संसद के प्रति उत्तरदायी हों। सम्मेलन में यह पूर्णत: स्वीकार किया गया कि स्वायत्तता का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है तथा वे संसद के प्रति पूर्णत: उत्तरदायी होने चाहिए, परन्तु यह महसूस किया गया कि उत्तरदायित्व का क्षेत्र शासन के उद्देश्यों के रूप में सुस्पष्ट होना चाहिए तथा सरकारी उद्यम जिन अभिकरणों के प्रति उत्तरादायी हैं, वे जहां तक संभव हो, एकीकृत होने चाहिएं।

(ग) सरकार, सरकारी उद्यमों का कार्यचालन सुधारने के लिए उत्सुक है, ताकि वे राष्ट्रीय आर्थिक विकास में अधिकतम योगदान कर सकें। जिन उद्देश्यों के लिए सरकारी उद्यमों की स्थापना की गई है वे सरकार द्वारा दिसम्बर, 1977 में जारी किए गए औद्योगिक नीति संबंधी विवरण पत्र में स्पष्ट किए गए हैं। प्रत्येक सरकारी उद्यम की जिन उद्देश्यों के लिए स्थापना की गई है, उनके अनुसार वार्षिक योजनाएं भी तैयार की जाती हैं। इन वार्षिक योजनाओं के आधार पर हर साल उद्यमों के वार्षिक कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। किन्तु, यदि इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए उद्देश्यों की पुनर्परिभाषा करने की आवश्यकता पड़ी तो सरकार सभी सुसंगत बातों का ध्यान में रखकर इस प्रश्न पर अवश्य विचार करेगी।

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश, रोजगार क्षमता तथा लाभ

8835. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक जनवरी, 1979 के दिन केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अलावा कुल कितने सरकारी उपक्रम कार्यरत थे और उनमें प्रत्येक में कितनी पूंजी लगी थी, प्रत्येक की रोजगार क्षमता क्या है और प्रत्येक को कितना लाभ होता है, और

(ख) एक जनवरी, 1979 के दिन गैर सरकारी क्षेत्र के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं।

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखे वित्तीय वर्ष के अनुसार तैयार किये जाते हैं और इसीलिए 1-1-79 की सूचना उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों की फरवरी, 1979 में संसद में सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा पेश की गई वार्षिक रिपोर्ट में उद्यमों की संख्या, उनमें लगी कुल पूंजी, उनके कर्मचारियों की कुल संख्या तथा 1977-78 वर्ष में अर्जित लाभ के बारे में भी सूचना दी गई है।

31-12-78 को गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में यथा उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

(गैर-सरकारी कम्पनियां)

गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां	कम्पनियों की संख्या	चुकता पूंजी (करोड़ रुपयों में)
पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां	8001	2209·3
प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां	42652	732.2

आयात लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्रों का अस्वीकार किया जाना

8836. श्री आर० के० महालगी : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा आयातकर्ता के आयात लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदनपत्र को अस्वीकार किए जाने के निर्णय के कारण एस० एस० फुजी हरुमुरु जहाज जो लगभग 2000 टन खाद्य ताड़ तेल लाया था—तेल उतारे बिना ही कांडला पतन से चला गया;

(ख) आवेदनपत्र को इतनी देरी से अस्वीकार करने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें आयात लाइसेंस के आवेदनपत्रों को या तो माल के

भारतीय पत्तनों पर पहुंचने के बाद या कम से कम भारत आने वाले जहाजों पर माल लादे जाने के बाद अस्वीकार किया गया है;

(घ) क्या कार्यवाही करने में ऐसे विलम्ब के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय तथा अन्य हानियों का सरकार को पता है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को किस प्रकार टालने का सरकार का विचार है।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : निर्दिष्ट खेप बिना किसी साख पत्र के अथवा भारतीय पक्षकार द्वारा भुगतान प्रबन्ध किये बिना भेजी गई थी। उसने 2-12-78 से पहले खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत ऐसे तेल के आयात के सम्बन्ध में दी गई शर्तों का पालन नहीं किया था। (उस दिन की सार्वजनिक सूचना के अनुसार प्रस्तुत किये गये उनके आवेदन को निपटाने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था)। इन परिस्थितियों में स्टीमर एजेंट ने अपने विदेशी मालिकों से प्राप्त अनुदेशों के अन्तर्गत कार्य करते हुए लदे हुए माल के सम्बन्ध में सुपुर्दगी आदेश नहीं दिये।

(ग) 2-12-1978 की सार्वजनिक सूचना में बताई गई सरकारी नीति के अनुसार जिन व्यक्तियों ने खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत तेलों और तिलहनों के आयात के सम्बन्ध में पहले निर्धारित की गई शर्तों के अनुसरण में ऐसे तेलों तथा तिलहनों की खरीद के लिये संविदाएं की थीं उन्हें लाइसेंसों के लिये आवेदन करना था और ऐसे लाइसेंसों की मंजूरी के आधार पर ही यह माल आयात किया जा सकता था। अतः ऐसी आशा थी कि वे विदेशी संभरकों को सूचित करेंगे कि कानून के अनुसार जब तक लाइसेंस नहीं दे दिया जाता या अस्वीकृत नहीं कर दिया जाता—तब तक वे खेपों को रोके रखें। लेकिन कुल 637 आवेदनपत्रों में से 58 मामलों में पार्टियों ने ऐसा नहीं किया और विदेशी पार्टियों द्वारा खेपें भेज दी गई यद्यपि भारतीय खरीदार आयात लाइसेंस पाने के योग्य नहीं पाया गया। तथापि, इन सभी मामलों में, सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने बांड पर अथवा संगत क्रियाविधि के अनुसार जुर्माना देने पर यह माल कलीयर कर दिया है।

(घ) आवेदनपत्रों को निपटाने में कोई विलम्ब नहीं हुआ और जैसा कि ऊपर बताया गया है, जब तक भारतीय आवेदनकर्ता को लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक विदेशों से खेपें भेजने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। सरकार को सम्बन्धित पार्टियों को हुए किसी वित्तीय अथवा अन्य घाटे की जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बाढ़—अग्रिम राशि दिया जाना

8837. श्री अहमद हुसैन : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक केन्द्रीय सरकार के विभागवार श्रेणी-II,III तथा IV के कितने कितने कर्मचारियों को बाढ़ अग्रिम राशि दी गई;

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षत्र के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में से श्रेणी III और श्रेणी IV के कितने कितने कर्मचारियों ने उक्त अवधि में यह अग्रिम राशि ली है;

(ग) क्या सरकार का विचार 5 प्रमुख बाढ़ ग्रस्त राज्यों अर्थात आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रेणी III और IV के कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली माफ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो किस तारीख से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : सूचना उपलब्ध नहीं है और दूरवर्ती इलाकों में स्थित विभिन्न कार्यालयों से इसे एकत्रित करने में काफी समय और श्रम लगेगा। तथापि, पूछी गई अवधि के दौरान काफी संख्या में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बाढ़-अग्रिम मंजूर किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जिन सरकारी कर्मचारियों को चल या अचल संपत्ति किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण अधिकांश रूप से क्षतिग्रस्त या प्रभावित हुई हो, उन कर्मचारियों को पुनर्वास के लिए तत्काल राहत के उपाय के रूप में, प्राय: 500 रुपये या 3 मास का वेतन, इनमें जो भी कम हो, अग्रिम के रूप में मंजूर किया जाता है। चूंकि यह अग्रिम ब्याज मुक्त है और 24 बराबर-बराबर की मासिक किस्तों में इसकी वसूली की जाती है, इसलिए इसकी वसूली से किसी को अनुचित रूप से परेशानी नहीं होनी चाहिए।

किराया खरीद के अन्तर्गत मशीनरी की स्वीकृत मदें

8838. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराया-खरीद के अन्तर्गत मशीनरी की कौन सी स्वीकृत मदें आती हैं; और

(ख) क्या इसके अन्तर्गत बुलडोजर आता था और इसे केवल 17 जनवरी, 1979 को इस सूची में शामिल किया गया था; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) चाय बोर्ड की 'किराया खरीद योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत मदें हैं। विभिन्न प्राइम मूवर, शुष्क बनाने, सुखाने, रोलिंग, सी टी सी, ग्रेडिंग तथा धूल हटाने की मशीनें, धूल निष्कर्षण संयंत्र, सिंचाई उपस्कर, हरी पत्ती फटकने वाली मशीनें, धुलाई पम्प, तेल (ईंधन) उपस्कर, चाय पैक करने की मशीनें, नमीकरण संयंत्र, लेथ-सह-मिलर मशीनें, छिड़काव करने के उपस्कर, किण्वन थ्रूज, चेन ग्रेट स्टाकर तथा कोल क्रशर, जीप, ट्रेक्टर, ट्रेलर्स तथा बुलडोजर्स जैसे वाहन।

(ख) बुलडोजर की स्वीकृत मद के रूप में इस सूची में तब जोड़ा गया था जब चाय बोर्ड

ने 16/17 जनवरी, 1979 को हुई अपनी बैठक में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृत किया था। इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया क्योंकि बुलडोजर अछूते क्षेत्रों को साफ करने के लिये अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी और कम समय खर्च करने वाला है। सूची में शामिल नई मदें उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार बोर्ड द्वारा समय समय पर स्वीकत की जाती हैं। भारत में सभी चाय बागान, यदि वे अन्यथा पात्र हों, 'किराया-खरीद योजना' के अनुसार स्वीकृत मदों की सप्लाई के हकदार हैं।

मध्य प्रदेश को खाद्य तेलों की सप्लाई

8839. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तु को कितनी मात्रा की आवश्यकता है और वर्ष 1978 को पहली दो तिमाहियों में, वास्तव में, कितनी मात्रा में सप्लाई किया गया;

(ख) उनकी पूरी आवश्यकता को पूरा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि उस राज्य में इसके मूल्य में वृद्धि हो गई है और यदि हां, तो वहां पर मूल्य कम करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णकुमार गोयल): (क) व (ख) : वर्ष, 1978 की पहली तिमाही में राज्य सरकार ने 500 मीटरी टन कच्चा रेपसीड तेल देने का अनुरोध किया और यह मात्रा उन्हें आवंटित कर दी गयी। वर्ष 1978 की दूसरी तिमाही में राज्य सरकार ने 1500 मीटरी टन कच्चे रेपसीड तेल के लिए अनुरोध किया और यह मात्रा भी उन्हें आवंटित कर दी गई।

(ग) जी हां। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुये है, ताकि जो उपचारी उपाय आवश्यक हों वे किये जा सकें।

दिल्ली में जीवन बीमा निगम के स्वामित्व वाला भवन

8840. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जीवन बीमा निगम के स्वामित्व वाले भवन कुल कितने हैं;

(ख) जीवन बीमा निगम ने पिछले दस वर्षों में कितने भवनों की मरम्मत या जीर्णोधार के लिए कुछ भी खर्च नहीं किया ;

(ग) दिल्ली में गत दो वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों को भवन, मकान या कार्यालय आवंटित किए गए उनके नाम और पते क्या हैं ;

(घ) आवंटन का आधार क्या है ;

(ङ) क्या यह सच है कि भवन अधिकारियों की मर्जी से आवंटित किए जाते हैं और मनमाने ढंग से किराया वसूल किया जाता है ; और

(च) यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) 52

(ख) 4

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें जीवन बीमा निगम द्वारा दिल्ली में पहली अप्रैल 1977 से किराए पर दिए गए स्थानों का ब्यौरा दिया गया है ।

(घ) और (ङ) : स्थान निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किराए पर दिए जाते हैं और सरकारी विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से भिन्न पार्टियों के अनुरोधों पर विचार करते समय उनकी वित्तीय सक्षमता एवं सामान्य साख को ध्यान में रखा जाता है । स्थान का किराया, आवंटन के समय उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार पर किराए को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है ।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ;

विवरण

क्रम सं०	किराएदार का नाम	किराए पर दिए जाने वाले स्थान की इमारत
1.	डाक तार विभाग, भारत सरकार	भारत बिल्डिंग, 10 दरिया गंज
2.	पंजाब एंड सिन्ध बैंक लिमिटेड	लक्ष्मी बिल्डिंग, कनाट सर्कस
3.	मैसर्स पैरिको	जीवन दीप, संसद मार्ग
4.	मैसर्स इंटरनैशनल बिल्डिंग एंड फर्निशिंग कं० (प्रा०) लिमिटेड	जीवन दीप, संसद मार्ग
5.	श्री मोहन एच० निछानी	लक्ष्मी बिल्डिंग, कनाट सर्कस
6.	मैसर्स विजय गुप्ता एंड डी० के० गुप्ता चार्टर्ड एकाउन्टेंट	जीवन विहार, संसद मार्ग
7.	श्री जे० सी० बत्रा, एडवोकेट	जीवन विहार, संसद मार्ग
8.	मैसर्स कुलवीर चंढोक एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	बाम्बे लाइफ बिल्डिंग, कनाट सर्कस
9.	कम्प्यूटर मेन्टेनेंस कारपोरेशन	जीवन दीप, संसद मार्ग
10.	—तदैव—	जीवन विहार, संसद मार्ग
11.	मैसर्स मेहता ब्रदर्स	बाम्बे लाइफ बिल्डिंग, कनाट सर्कस
12.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	जीवन विहार, संसद मार्ग
13.	मैसर्स गोदरेज सोप्स लिमिटेड	लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड

14.	मैसर्स वेद टेलर्स	कलकत्ता इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड
15.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीवन विकास, आसफ अली रोड

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अधीन कंपनियों द्वारा विदेशी शेयर पूँजी का कम किया जाना

8841. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री विदेशी मुद्रा विनियम के अधिनियम के अधीन कम्पनियों द्वारा विदेशी शेयर पूंजी कम करने के बारे में 6 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3571 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः कम्पनियों ने बोनस शेयर जारी करके तथा संसाधनों को पूंजी में बदल कर, पूंजी ढांचे के विस्तार के आधार पर अपनी विदेशी शेयर पूंजी कम कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्तमान पूंजी ढांचे के आधार पर अपनी शेयर पूंजी कम करने के लिए इन कम्पनियों से न कहे जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : उल्लिखित छ : कम्पनियों में से कोलगेट पालमोलिव (इण्डिया) लिमिटेड और कैडबरी इण्डिया लिमिटेड को उन की विदेशी शेयरधारिता में कमी करने की योजना के एक अंग के रूप में उन्हें अपनी प्रारक्षित निधि पूंजी में बदलने की अनुमति दी थी। अन्य चार कम्पनियों के मामले में प्रारक्षित निधियों को पूंजी में बदलने और बोनस शेयर जारी करने की क्रिया एक साथ नहीं की गई। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रारक्षित निधियों की पूंजी में बदलने का कार्य वस्तुतः एक लेखागत लेनदेन होता है जो नाममात्र की (नौमीनल) चुकता पूंजी को व्यापार में लगी शेयरधारियों की निधियों के अधिक अनुरूप बनाने के लिए किया जाता है। प्रारक्षित निधियों को पूंजी में बदले बिना कम्पनी के लिए उचित पूंजी आधार स्थापित करना तथा उचित कीमत पर जनता को काफी संख्या में शेयरों की पेशकश करना सम्भव न होता। सूचीबद्ध मार्गनिर्देशों में यह अपेक्षा भी की गई है कि किसी कंपनी को शेयर बाजार की सूची में शामिल करने से पहले जनता को न्यूनतम शेयरों की पेशकश की जाए। प्रारक्षित निधियों को पूंजी में बदलने से जनता को काफी कम कीमत पर अधिक संख्या में शेयर देना सम्भव हो गया है।

विवरण

1.	कोलगेट पामोलिव (इ) लि०	चूंकि इस कम्पनी की चुकता सामान्य (इक्विटी) पूंजी 1.50 लाख रुपए है इस लिए इसे अपनी सामान्य प्रारक्षित निधियों को पूंजी में बदल कर वर्तमान शेयरधारियों को

195 लाख रुपये के मूल्य के बोनस शेयर जारी करने की अनुमति दी गई है।

2. कैडबरी इण्डिया लिमिटेड — चूंकि इस कम्पनी की चुकता सामान्य (इक्विटी) पूंजी 12.96 लाख रुपए है इसलिए इसे अपनी सामान्य प्रारक्षित निधियों में से 136.09 लाख रुपए की राशि पूंजी के रूप में बदलने और इसके वर्तमान शेयरधारियों को बोनस शेयर जारी करने की अनुमति दी गई है।

शाक-सब्जियों के निर्यात से प्रतिबन्ध हटाया जाना

8842. श्री एस० आर० दामाणी
श्री बालासाहिब विखे पाटिल : **क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों ने केन्द्र से शाक-सब्जियों के निर्यात से प्रतिबन्ध हटाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनके अनुरोध पर केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र, गुजरात तथा पंजाब।

(ग) निर्यात उद्देश्यों के लिए सब्जियों का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिये, राज्य सरकारों से विस्तृत परियोजनाएं भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। यह निश्चय किया गया है कि सब्जिग्रों के अतिरिक्त उत्पादन के 50 प्रतिशत का निर्यात करने की अनुमति दी जाए।

छोटी तथा बड़ी सहकारी समितियों को अत्यावश्यक वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिये प्रक्रिया और शर्तें

8843. श्री के० एस० वीरभद्रप्पा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटी तथा बड़ी सहकारी समितियों को अत्यावश्यक वस्तुओं तथा सामान्य खपत की उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों का विवरण क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० बड़ी तथा छोटी विपणन तथा उप-

भोक्ता सहकारी समितियों को अपने द्वारा बेची जाने वाली कुछेक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है और यह आपूर्ति बाजार में चल रहे भावों से थोड़े से कम भावों पर एक मुश्त खरीद के आधार पर करता है। जहां भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ लि० द्वारा सहकारी समितियों के निश्चित मांग-पत्रों पर एजेन्सी आधार पर खरीद की जाती है, वहां सहकारी संस्थाओं से केवल सेवा प्रभार ही लिया जाता है।

आयकर विभाग में हैड क्लर्कों को स्थायी करना और निरीक्षकों के रूप में उनकी पदोन्नति

8844. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग में वर्ष 1974 में भर्ती किये गये स्टेनोग्राफर स्थायी कर दिये गये हैं जबकि वर्ष 1971 के हैडक्लर्कों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संयुक्त वरिष्ठता सूची से किसी पद पर पदोन्नति के बारे में कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया गया है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि गत वर्ष आयकर विभाग में निरीक्षक ग्रेड में पदोन्नति के लिये पैनल तैयार करते समय कुछ स्टेनोग्राफरों द्वारा जो हैड-क्लर्कों से सेवा में बहुत कनिष्ठ थे हैडक्लर्कों का अधिक्रमण किया गया है; और

(ड़) क्या इस मामले में कार्मिक विभाग से भी परामर्श किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

सर्पों का निर्यात

8845. पी० सी० के० जाफर शरीफ : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिया** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से विदेशों को सर्पों का निर्यात होता है और यदि हां, तो किन देशों को; और

(ख) इससे गत तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा कमायी गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं। पिछले दो वर्षों से भारत से सांपों के निर्यात रोक दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते में वृद्धि करना

8846. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण की ऊँची लागत तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिये जाने वाले ऊँचे किरायों को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराये भत्ते को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय मकान किराये भत्ते की दरों में ऊर्ध्वमुखी संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) के कर्मचारी पक्ष द्वारा रखी गई मांग इस समय इस विषय पर विचार करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय परिषद् की समिति के विचाराधीन है ।

आयकर विभाग में विभिन्न संवर्गों के कार्यकारी व्यक्तियों की संख्या तथा स्वीकृत संख्या

8847. श्री एम० अरुणाचलम : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1975, 1 अप्रैल 1976, 1 अप्रैल 1977 तथा 1 अप्रैल 1978 को आयकर विभाग में प्रत्येक संवर्ग के कार्यकारी व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी और स्वीकृत संख्या कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सावधि जमा के लिए सीमा

8848. श्री के० मालन्ना : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सावधि जमा पर कोई रोक अथवा उसकी सीमा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सावधि/की न्यूनतम तथा अधिकतम/जमा सीमा के विषय में बैंकों को कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं । सरकार द्वारा इस संबंध में कोई हिदायतें जारी करने का विचार भी नहीं है ।

1978 के दौरान आयात किए गए फटे-पुराने कपड़ों की मात्रा

8849. श्री राजशेखर कोलूर : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फटे-पुराने कपड़ों के आयात की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योगों को सीधे आयात करने की अनुमति है या उन्हें राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात करने की अनुमति है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां है, तो 1978 के दौरान फटे-पुराने कपड़े कितनी मात्रा में आयात किये गये और किन-किन देशों से आयात किये गये; और

(घ) क्या उक्त कपड़ों को, उनके दुरुपयोग रोकने की दृष्टि से, काटने के लिये कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : आयात नीति, 1978-79 के अन्तर्गत ऊनी चीथड़ों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है। सीधे आयात की अनुमति नहीं है चाहे वह वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा हो अथवा आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस धारकों द्वारा।

(ग) 1978-79 के दौरान चीथड़ों की 12397 मे० टन की कुल मात्रा का आयात किया गया और जिन देशों से जितना-जितना आयात किया गया उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

देश	मात्रा	मूल्य
जापान	1042	
सं० रा० अमरीका	51	
आस्ट्रेलिया	3190	
हालैंड	2925	
न्यूजीलैंड	13	
ब्रिटेन	676	
फ्रांस	1472	
कनाडा	1286	
बेल्जियम	1742	
	12397	421 लाख रु०

(घ) जी हां। काटने-फाड़ने सम्बन्धी समिति, जिसने सीमा शुल्क, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात तथा वस्त्र आयुक्त के प्रतिनिधि शामिल हैं, बिना कटी-फटी दशा में आयातित सभी खेपों के काटने-फाड़ने के काम की देख-रेख करती है।

दिल्ली/आगरा से ओरछा होकर खजुराहो तक भारत पर्यटन विकास निगम की परिवहन सेवा

8850. श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार दिल्ली अथवा आगरा से ओरछा होकर खजुराहो तक परिवहन सेवा चालू करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : जी, नहीं। तथापि, खजुराहो में भारत पर्यटन विकास निगम का एक परिवहन यूनिट 1 मई, 1979 से चालू हो जाएगा।

जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों को मंजूर किए गए ऋण

8851. श्री के० टी० कोसलराम : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मकान बनाने और बाढ़ों और समुद्री तूफानों के कारण नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हुए मकानों की मरम्मत और निर्माण करने के लिए ऋण के रूप में राज्यों के लिए क्रियान्वित की जा रही वित्तीय सहायता की विशेष योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्य के लिए, विशेषकर देश के समुद्री-तूफान तथा बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए, अब तक मंजूर किए गए ऐसे ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : भारतीय जीवन बीमा निगम की पूंजी के निवेश के स्वरूप में अन्य कार्यों के साथ-साथ राज्य सरकारों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की परिकल्पना की गई है ताकि वे अपनी सामाजिक आवस योजनाओं का वित्तपोषण कर सकें। राज्यों को इस प्रयोजन के लिए धन का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में बजट के संबंध में लगाये जाने वाले अनुमान के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निगम दैवी विपत्ति के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हुए। मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकारों को विशेष ऋण भी मंजूर करता है जो साधनों की उपलब्धता और विपत्ति के स्वरूप पर निर्भर करता है। एक विवरण सलंग्न है जिसमें जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों को इन परिस्थितियों में दिए गए विशेष ऋणों का विवरण दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	विपत्ति का स्वरूप	ऋण की राशि (करोड़ रुपए)	ऋण मंजूर किए जाने का वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	समुद्री तूफान	2.00	1977-78
2.	असम	बाढ़	1.50	1974-75

(जारी.....)

3.	बिहार	बाढ़	2.00	1973-74
		बाढ़	1.50	1974-75
		बाढ़	1.50	1975-76
			5.00	
4.	गुजरात	भूकम्प	1.00	1970-71
		बाढ़	0.50	1970-71
		बाढ़	1.50	1970-71
		बाढ़	1.50	1973-74
		बाढ़	0.75	1975-76
		समुद्री तूफान	0.25	1975-73
			5.50	
5.	कर्नाटक	बाढ़	1.50	1974-75
6.	मध्य प्रदेश	बाढ़	1.00	1973-74
7.	महाराष्ट्र	भूकम्प	1.00	1967-68
8.	उड़ीसा	समुद्री तूफान	2.00	1972-73
		बाढ़	0.50	1975-76
			2.50	
9.	राजस्थान	बाढ़	0.25	1975-76
10.	तमिलनाडु	समुद्री तूफान	1.00	1977-78
11.	उत्तर प्रदेश	बाढ़	2.00	1971-72
		बाढ़	1.50	1974-75
		बाढ़	0.75	1975-76
			4.25	

(जारी.....)

12.	पश्चिम बंगाल	बाढ़ और आग	1.00	1971-72
		बाढ़	3.00	1978-79
			4.00	
		कुल जोड़	29.50	

यूनियन कारबाइड द्वारा लाभांश का प्रत्यावर्तन

8852. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुराष्ट्रीय कम्पनी तथा, यूनियन कारबाइड में कितने प्रतिशत विदेशी शेयर हैं;

(ख) विदेशी शेयरहोल्डरों ने गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में लाभ की कितनी-कितनी राशि अपने-अपने देशों को भेजी तथा यह राशि किन-किन देशों को भेजी गई; और

(ग) अपने उत्पादों के आयात और अथवा निर्यात पर यदि कोई सरकारी राज-सहायता की राशि अर्जित की गई तो कितनी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) 25 दिसम्बर, 1978 को अनिवासी शेयरधारिता 51·22 प्रतिशत थी जिसमें से 50.90 प्रतिशत शेयर यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। शेष 0.32 प्रतिशत अनिवासी शेयर नेपाल में एक कंपनी तथा भारतीय मूल के कुछ अनिवासियों के हाथों में हैं जिन्होंने इस शर्त पर शेयर रखे हुए हैं कि वे पूंजी और लाभांश की रकमें अपने देश में वापस नहीं लौटाएंगे।

(ख) पिछले पांच वर्षों में मेसर्स यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन अमेरिका को लाभांश की रकमें भेजने की जो अनुमति दी गई है, वह इस प्रकार है—

वर्ष	रकम
1973-74	1,20,32,676
1974-75	56,13,801
1975-76	96,67,167
1976-77	90,33,437
1977-78	1,32,67,800

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली हवाई अड्डे पर इण्टरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया में असिस्टेंट ग्रेड-I से कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

8853. श्री रामचरण : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली हवाई अड्डे पर इण्टरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया में असिस्टेंट ग्रेड-I में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिये क्या प्रतिशतता रखी जाती है और इस बारे में भविष्य के लिये क्या नीति है ;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को देय पदोन्नतियां अब तक क्यों नहीं दी गयी हैं ; और

(घ) प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित कोटा भरने के लिये क्या प्रयास किये जाते हैं और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की सीमा

8854. श्री एस० एस० सोमानी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रियायती ब्याज दरों पर दिये जाने वाले ऋणों की सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋण देने के लिए निर्धारित न्यूनतम दर को पिछले वर्ष के अंत तक दिये गये कुल ऋणों के $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बढ़ाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है । संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति विवरण में दी गई है ।

विवरण

1. **कार्यक्षेत्र और व्याप्ति ।**

1.1 यह योजना सारे देश में लागू होगी ।

1.2 **लक्ष्य :** बैंकों को चाहिए कि पिछले वर्ष के अंत के कुल ऋणों को कम से कम 1 प्रतिशत इस

योजना के अंतर्गत दें ।

1.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को प्राप्त हो और अधिकांश अग्रिम शहरी/महानगरी क्षेत्रों में ही न दे दिये जाएं, इस योजना को चलाने वाले बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना के अंतर्गत उनके अग्रिमों का कम से कम 2/3 भाग उनकी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के माध्यम से दिये जायें । तदनुरूप इस योजना के अंतर्गत उनके अग्रिमों का 1/3 से अधिक भाग उनकी शहरी और महानगरीय शाखाओं से नहीं दिया जाना चाहिये ।

1·4 यह सुनिश्चित करने के लिये कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभों का उचित हिस्सा पायें, इस योजना के अंतर्गत बैंक अग्रिमों का कम से कम 2/5 (40 प्रतिशत) भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र ऋण-कर्त्ताओं को दिया जाना चाहिये ।

2. **परिचालन अभिकरण**

2·1 सहकारी क्षेत्र के बैंक : विभेदी ब्याज दर योजना का संचालन सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक करेंगे ।

2·2 **गैर राष्ट्रीयकृत बैंक :** जिन गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास लीड-जिम्मेदारी है वे कम से कम अपने लीड जिलों में यह योजना चलाएंगे । अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक भी स्वेच्छा के आधार पर इस योजना का कार्यान्वयन कर सकते हैं ।

2·3 **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना के अंतर्गत, ऋणकर्त्ताओं को ऋण उसी दर पर उपलब्ध कराया जायगा जिस पर सहकारी समितियों से दिया जाता है । इसलिए ब्याज की रियायती दरों पर ऋण देने की इन बैंकों को अनुमति नहीं होती । यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन बैंकों का लाभ पाने वाले व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पा सकें, प्रायोजक बैंक, अभिकरण एजेंसी के आधार पर इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मार्फत उधार दे सकते हैं । इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यक्षेत्रों के पात्र ऋणकर्त्ता वार्षिक 4 प्रतिशत की दर से ऋण प्राप्त कर सकेंगे ।

2·4 **पात्रता का मापदण्ड :** पैराग्राफ 4 में दिये गये वर्गों वाले व्यक्ति के पास यदि कोई ठोस जमानत देने के लिए नहीं है अथवा वह किसी सम्पन्न व्यक्ति की जमानत/गारण्टी प्रस्तुत नहीं कर सकता तो भी वह इस योजना का लाभ पाने का पात्र होगा, बशर्ते वह निम्नलिखित मापदण्ड पूरा करता हो :—

3·1 सभी साधनों से ऋणकर्त्ता के परिवार की आय शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में वार्षिक 3000/- रुपये और ग्राणीण क्षेत्रों में वार्षिक 2000/- रुपये से अधिक न हो ।

3·2 उसके पास कोई भूमि न हो अथवा उसकी भूमि की जोत सिंचित होने पर एक एकड़ से अधिक और असिंचित होने पर 2·5 एकड़ से अधिक न हो ।

3·3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पास भूमि की जोत कितनी भी होने पर वे ऋण के पात्र होंगे बशर्ते कि वह अन्य मापदण्ड पूरे करते हों।

3·4 वह बैंकों की सहायता से ऐसे उत्पादक प्रयासों द्वारा अपने वर्तमान आर्थिक स्तर से ऊपर उठने में मदद पा सकता है जो लगभग 3 वर्ष की अवधि में अर्थक्षम हो सकेंगे।

3·5 वह एक साथ दो वित्तीय स्रोतों के प्रति देनदारी नहीं स्वीकार करता।

3·6 अधिकांशतः वह स्वयं और अपने परिवार के अन्य सदस्यों अथवा अपने कुछ संयुक्त साझीदारों की सहायता से काम करता है और नियमित रूप से वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त नहीं करता।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

यहां यह आशय नहीं है कि इस योजना के अंतर्गत अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए ऋणकर्त्ता से लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय। यह आशा की जाती है कि शाखा स्तर के बैंक अधिकारी ऋणकर्त्ता की आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियों से परिचित होंगे। वे प्रत्येक मामलों में ऋण मंजूर करने से पहिले इस पैराग्राफ में दी गयी शर्तों को ध्यान में रखकर यथावश्यक स्थानीय पूछताछ कर सकते हैं।

4 **पात्र व्यक्तियों के वर्ग :** जो व्यक्ति आय और भूमि की जोत के मापदण्ड पूरे करते हों और मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में आते हों वे इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे (सूची केवल उदाहरण के रूप में है और वह व्यापक नहीं है।)

4·1 कृषि और/अथवा कृषि संबंधी कार्यकलापों में लगी अनुसूचित जन जातियां, अनुसूचित जातियां और अन्य व्यक्ति।

4·2 वन उत्पादों को स्वयं इकट्ठा करने अथवा उनका आरम्भिक विधायन करने वाले व्यक्ति और दुर्गम क्षेत्रों में स्वयं चारा इकट्ठा करके किसानों और व्यापारियों को बेचने वाले व्यक्ति।

4·3 कुटीर और ग्रामीण उद्योगों और व्यवसायों में सीमित पैमाने पर स्वयं काम करने वाले व्यक्ति/उदाहरणस्वरूप ये काम : कपड़ा काटना और वस्त्रों की सिलाई, काफी सस्ते खाद्य पदार्थ बनाना, वस्तुओं और नित्य उपयोग की वस्तुओं को घर-घर पहुंचाने की सेवा, सड़क के किनारे चाय की दुकान करना, स्वयं अपना हाथ-ठेला और साइकल रिक्शा चलाना, जूते/चप्पल की मुख्यतः हाथ से मरम्मत करना, हाथ से टोकरी बनाना आदि।

4·4 उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक होनहार निर्धन विद्यार्थी जिन्हें सरकार से अथवा शिक्षा अधिकारियों से वजीफा/निर्वाह अनुदान नहीं मिलता।

4·5 लाभप्रद व्यवसाय करने वाले विकलांग व्यक्ति।

5. **ऋण के निबंधन और शर्तें :** इस योजना के अधीन ऋण की शर्तें और निबंधन निम्नलिखित होंगे :

5·1 ऋण की मात्रा उस योजना विशेष पर निर्भर होगी जिसमें धन लगाया जाय और वह इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि ऋणकर्त्ता अन्य स्रोत से धन लिए बिना अपनी वित्तीय आवश्यकता पूरी कर सके। आशा है कि सामान्य रूप से इस योजना के अंतर्गत कार्य चालन पूंजी ऋण के लिए 1,500 रुपये और सावधिक ऋण के लिए 5,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी। असाधारण मामलों में, विशेष रूप से संस्थाओं के मामले में और होनहार निर्धन विद्यार्थियों के मामले में अधिक रकम पर विचार किया जा सकता है।

5·2 कार्यचालन पूंजी और सावधिक ऋण दोनों ऋणकर्त्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार देय होंगे।

5·3 मार्जिन धन की अपेक्षा पर जोर नहीं दिया जायगा क्योंकि ऋण कर्त्ताओं का यह वर्ग समाज के सबसे कमजोर स्तर का है और मार्जिन धन सदैव प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हो सकता।

5·4 ब्याज की दर एक समान वार्षिक 4 प्रतिशत नियत की जायगी।

5·5 स्थिर परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए सावधिक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें मूलधन की अदायगी पर 2 वर्ष से अनधिक छूट की अवधि शामिल होगी। ऋणकर्त्ता के कार्यकलाप के प्रकार और योजना की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर प्रत्येक मामले में अदायगी का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। ब्याज और मूलधन की अदायगी के लिए अधिशेष राशि का निर्धारण करने में स्वयं ऋणकर्त्ता को निर्वाह आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त छूट दी जायगी।

5·6 ऋण से खरीदी गयी सम्पत्ति को बैंक के पास बंधक रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक प्रकार के ऋणकर्त्ताओं के समूह को ऋण के उचित मामलों में सामूहिक गारण्टी स्वीकार की जा सकती है।

5·7 प्रत्येक ऋण को ऋण गारण्टी योजना के अंतर्गत कवर किया जायगा। गारण्टी ऋणकर्त्ता से नहीं ली जायगी बल्कि बैंकों द्वारा वहन की जायगी।

5·8 यदि बैंकों को प्रभारित की गयी सम्पत्ति का बीमा आवश्यक समझा जाय तो उसका व्यय बैंक द्वारा वहन किया जायगा।

5·9 यदि आवश्यक हुआ तो बैंक अदायगी के लिए आरम्भ में कुछ उचित स्थगन पर विचार कर सकता है।

6. **संस्थाएं** : निम्नलिखित संस्थाएं इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र होंगी :—

6·1 अनाथालय और महिला आश्रम जहां बिक्री के लिए सामान बनाया जाता है। और विश्वसनीय वित्तीय साधन अर्थात् धर्मार्थ निधि अथवा नियमित दान की व्यवस्था नहीं है।

6·2 विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाएं जहां लाभप्रद व्यवसाय चलाया जाता है और टिकाऊ उपकरण और/अथवा कच्चे माल की लगातार सप्लाई उपयोगी है।

1. टिप्पणी : विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं, अनाथालयों और महिला आश्रमों को आय के मापदण्ड से छूट दी जायगी। फिर भी, यह सुनिश्चित करना होगा कि ये संस्थाएं धन का उपयोग केवल उत्पादक प्रयोजनों के लिए करें, न कि उससे अपना सामान्य प्रशासनिक और संगठन का खर्च पूरा करें। इन संस्थाओं की वास्तविकता के बारे में भी स्वतंत्र स्रोत के माध्यम से जांच करना आवश्यक है।

टिप्पणी 2 : "विकलांग व्यक्तियों" में "मानसिक रूप से मंद व्यक्ति" भी शामिल हैं।

7. **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य निगम** : बैंक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने राज्य निगमों के माध्यम से ऋण दे सकते हैं बशर्ते कि निगम से लाभ पाने वाले पैरा 3 में दिये गये पात्रता के मापदण्ड और इस योजना में दी गयी शर्तें और निबंधन पूरे करते हों।

7·1 स्वयं निगमों को आय के मापदण्ड से छूट होगी।

7·2 निगमों द्वारा बनाई गयी केवल विशिष्ट और वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम योजनाओं के लिए उन्हें धन उपलब्ध कराया जायगा। निगम द्वारा आगे कोई सेवा प्रभार (सर्विस चार्जेज) नहीं लिए जायेंगे और लाभ पाने वालों को वार्षिक 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जायेगा।

7·3 लाभ पाने वालों से वसूली की स्थिति कुछ भी क्यों न हो, निगम, ऋण की वापसी निर्धारित तारीख को करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

7·4 यह सुनिश्चित करने की निगमों की जिम्मेदारी होगी कि जिन उत्पादक प्रयोजनों के लिए धन मंजूर किया गया है केवल उन्हीं के लिए उसका उपयोग किया जाय न कि अपना सामान्य संचालन व्यय पूरा करने के लिए उसका उपयोग हो। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए किये गये प्रशासनिक और अन्य व्यय की लागत निगमों/राज्य सरकारों द्वारा वहन की जायगी।

7·5 क्योंकि राज्य निगमों को दिये गये अग्रिम भारतीय ऋण गारण्टी निगम लिमिटेड की गारण्टी के लिए पात्र नहीं होंगे इसलिए राज्य सरकारों को, उधार देने वाले बैंकों की गारण्टी देने की व्यवस्था करनी होगी।

7·6 यदि निगम ऋण की किस्त अदा नहीं कर पाता अथवा इस योजना में दी गयी किसी शर्त और निबंधन का उल्लंघन करता है तो उसे और वित्त पाने का अपना अधिकार खोना पड़ सकता है।

8. **जनजातियों के लिए गठित सहकारी समितियां तथा बृहदाकार बहु प्रयोजनीय समितियां (एल० ए० एम० पी० एस०)** : बैंक, इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में जनजाति के लोगों के लाभ के लिए विशेष रूप से गठित सहकारी समितियों/बृहदाकार बहु-प्रयोजनीय समितियों के माध्यम से उन शर्तों तथा निबंधनों पर ऋण दे सकते हैं जो कि उपर्युक्त पैरा 7 में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ राज्यों के स्वामित्व के निगमों पर लागू होते हैं।

मैसर्स श्रीराम रेयन्स, कोटा (राजस्थान)

8855. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री श्रीराम रेयन्स, कोटा, राजस्थान द्वारा आयात लाइसेंस का दुरुपयोग करने के बारे में 15 दिसम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3616 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स श्रीराम रेयन्स, कोटा, राजस्थान के विरुद्ध अभी भी जांच चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इस फर्म के विरुद्ध कोई की गई है और क्या इस मामले से सम्बन्धित सभी कागजात सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जांच पड़ताल पूरी हो गई है।

(ख) मामले का विस्तृत ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

इस फर्म को 58·70 लाख रुपये के सी० आई० एफ० मूल्य के कच्चे माल संघटक के आयात के लिए 27-5-67 को एक आयात लाइसेंस जारी किया गया था। इस लाइसेंस के अंतर्गत आयातित मदों में से एकक "इथोमीन सी-25" के 530 किग्रा का, जिसमें 439 किग्रा कम प्राप्त होने की रिपोर्ट (लगभग कुल मूल्य 8820 रु०) शामिल है तथा मोनोमेथीलेमाइन तथा ट्रीमेथी-लेमाइन (कुल मूल्य 3603 रु०) प्रत्येक की 91 किग्रा का हिसाब नहीं दे सका।

यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत जारी किए गए कारण दिखाओ नोटिस के उत्तर में फर्म ने सफाई दी है कि इन मदों को (इथोमीन सी-25 की 439 किग्रा को छोड़ कर जो कम प्राप्त हुई बतायी गई है) प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिए मे० हिको प्रोडक्ट्स, बम्बई को सौंप दी गयी थी और बाद में इसे 4,362 रु० के प्रतिफल के रूप में अपशिष्ट उत्पाद रखने की अनुमति दे दी गई थी। आयातित विभिन्न मदों की कुल मात्रा की तुलना में प्रयोग के लिए दी गई सामग्री की थोड़ी मात्रा को ध्यान में रखते हुए पार्टी को लाइसेंस की शर्तों का अतिक्रमण करने के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। सांविधिक प्राधिकरण ने भी "इथोमीन सी-25" की 439 किग्रा तक कम सुपुर्दगी से संबंधित दलील को स्वीकार किया। तथापि पार्टी को प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिए आयातित सामग्री का एक भाग देने के बारे में लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचना न देने के लिए चेतावनी दे दी गई है।

इस मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों को सभा पटल पर रखना संभव नहीं है।

दिल्ली-चण्डीगढ़ कुल्लू विमान किराये के लिए राजसहायता का दिया जाना

8856. श्री गंगा सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स का विचार 15 अप्रैल, 1979 से आगे की अवधि के लिए

दिल्ली-चण्डीगढ़-कुल्लू विमान सेवा को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने के लिए विमान किराये के लिए राजसहायता देने का भी सरकार का विचार है;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : जैसे ही कुल्लू का विमान क्षेत्र परिचालनों के लिए तैयार हो जाएगा, इण्डियन एयरलाइन्स वहां के लिए एक सेवा का परिचालन आरम्भ कर देगी। इस प्रकार परिचालित की जाने वाली सेवा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सूडान को अर्थोडोक्स तथा सी० टी० चाय का निर्यात

8857. श्री दुर्गा चन्द : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने सूडान का 2 करोड़ पौंड मूल्य की आर्थोडोक्स तथा सी० टी० चाय की खरीद का विश्वव्यापी टेंडर प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरी मात्रा का कहां तक निर्यात कर दिया जायेगा;

(घ) किन-किन राज्यों से कितनी-कितनी मात्रा निर्यात करने का विचार है; और

(ङ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ङ) : ऐसा समझा जाता है कि सूडान ने भारत से अपनी आवश्यकतानुसार चाय खरीदने का निश्चय किया है। निर्यातकों ने अभी तक चाय बोर्ड के साथ अपनी संविदाएं रजिस्टर नहीं करायीं हैं। इसलिए, और ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

जीवन बीमा निगम का विदेशी व्यापार

8858. श्री कुमारी अनन्तन : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुदूर पूर्व के देशों में जीवन बीमा निगम द्वारा अपना कार्य बन्द करने के और सिंगापुर के व्यापार को "ऐशिया लाइफ" को और क्वालालाम्पुर के व्यापार को "यू० ओ० ए० सेन्ट्रियान बरहाड" को अन्तरित करने के क्या कारण हैं;

(ख) जीवन बीमा निगम के विदेशी व्यापार में विरोधाभास होने और उनकी "मनी बैंक" पालिसियों में शब्दाडम्बर के क्या कारण हैं; और

(ग) जीवन बीमा निगम की वर्गीकृत पूंजी निवेश आय का ब्यौरा क्या है और विभिन्न योजनाओं में पालिसीधारियों को भिन्न-भिन्न लाभ का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) : भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक कंपनियां मलयेशिया में क्रमश: जीवन बीमे और साधारण बीमे का कारबार कर रही थीं कि 1976 में मलयेशिया सरकार ने नया बीमा कानून बना दिया। इस कानून को तथा मलयेशिया में जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की सहायता कंपनियों के कार्यक्षेत्र को और उस देश में कारबार की भावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया कि कारबार की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर मलेशिया में एक नई स्थानीय व्यवस्था बनाई जाए जिसमें जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियों तथा स्थानीय हितों की साझेदारी हो। यह भी फैसला किया गया कि मलयेशिया में जीवन बीमा निगम के वर्तमान कारबार को भी यूनाइटेड ओरिएंटल सैंडिरियन बेरहाड नामक कंपनी को, जो 1977 से काम कर रही है, अन्तरित कर दिया जाए।

सिंगापुर में जीवन बीमा निगम का कारबार वहां स्थित एक शाखा द्वारा किया जा रहा था जिसके काम की देखभाल क्वालालम्पुर स्थित जीवन बीमा निगम का डिवीजनल कार्यालय करता था। मलयेशिया में कारबार के पुनर्गठन और सिंगापुर में जीवन बीमा निगम के सीमित कारबार को देखते हुए यह निर्णय किया गया कि इसे स्थानीय कंपनी को अन्तरित कर दिया जाए। तदनुसार एशिया लाइफ एश्योरेंस सोसायटी, लिमिटेड, सिंगापुर के साथ आवश्यक प्रबंध कर लिए गए।

(ख) जबकि जीवन बीमा निगम के विदेशी कारबार में कोई विरोधाभास नहीं है, अलग अलग देशों में कारबार की मात्रा और वृद्धि, और बातों के साथ-साथ, स्थानीय कानूनों एवं परिस्थितियों, वहां की जनसंख्या में भारतीय मूल के लोगों की संख्या और अन्य बीमा कंपनियों के साथ प्रतियोगिता पर निर्भर करती है।

"मनी बैंक" पालिसियों में निर्धारित तारीखों को बीमाधारी के जीवित रहने पर, पालिसी के चालू रहने की सूरत में, बीमाकृत राशि के समय-समय पर भुगतान की व्यवस्था होती है, लेकिन साथ ही पालिसी की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने की सूरत में बीमाकृत मूल राशि की जोखिम का बराबर व्यवस्था रहती है। प्रीमियमों की राशि पालिसी के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को हिसाब में लेने के बाद बीमांकिक आधार पर आंकी जाती है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें जीवन बीमा निगम के वर्गीकृत पूंजी निवेशों से होने वाली आय दिखाई गई है। जहां तक पालिसीधारियों की विभिन्न आमदनियों का संबंध है किसी प्रतिभूति अथवा पूंजीनिवेश की आय का हिसाब तभी लगाया जा सकता है जब भुगतानों की तारीखें पहले ही निर्धारित हों। बीमा पालिसियों के अन्तर्गत बचत के अलावा जोखिम को पूरा करने की भी व्यवस्था होती है। कुछ पालिसीधारियों के मामले में बीमे की पूरी राशि अदा की जाती है जबकि उन्होंने प्रीमियम की केवल एक वार्षिक किस्त अदा की होती है। इसके अलावा, बोनस की राशि भी पूर्वनिर्धारित नहीं होती बल्कि उसकी घोषणा अन्तरमूल्यांकन अवधि के दौरान

निकलने वाले अधिशेष के आधार पर की जाती है। इस बात को देखते हुए पूंजी निवेश से होने वाली आमदनी के अर्थ वाली धारणा यहां संगत नहीं बैठती और इसलिए पालिसीधारियों को होने वाली आय के संबंध में कोई सूचना देना संभव नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	पूंजी निवेश वर्ग	31 मार्च, 1978 को समाप्त वर्ष की आय
1	2	3
	भारत में	प्रतिशत
1.	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	5.952
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (जिसमें जमींदारी बाण्ड शामिल नहीं हैं)	5.883
3.	जमींदारी बाण्ड	8.521
4.	नगरपालिकाओं की तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (कंपनियों को दिए गए ऋणों को छोड़कर)	6.191
5.	**निम्न लिखत को ऋण/या सरकार द्वारा गारंटी शुदा ऋण**	
	(क) नगरपालिकाओं, जिला परिषदों को ऋण	7.525
	(ख) आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को ऋण (अनुसूचित जाति जनजाति सहित)	6.711
	(ग) शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्तीय समितियों तथा आवास बोर्डों को ऋण	7.498
	(घ) औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण	7.548
	(ङ) सरकारी चीनी कारखानों को ऋण	7.104
	(च) जलपूर्ति योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को ऋण	7.037
	(छ) उस राज्य सरकार से प्राप्त रकम जिसका नियंत्रण कारबार अपने हाथ में ले लिया गया है (प्रोनोट)	4.000
	(ज) सुधार न्यासों को ऋण	7.000
	(झ) बिजली बोर्डों को ऋण	7.000
6.	बिजली बोर्डों को बंधक ऋण	9.252
7.	**अन्य प्राधिकरणों को बंधक ऋण**	
	(क) आवास और नगर विकास निगम, गुजरात और तमिलनाडु आवास बोर्डों के बंधक ऋण	9.553
	(ख) गुजरात औद्योगिक विकास निगम को ऋण	11.507
	(ग) औद्योगिक क्षेत्रों (फाला उद्योग भण्डार) को ऋण	7.199

(जारी.....)

1	2	3
	(घ) सहकारी कताई मिल को ऋण	10.350
	1 से 7 का जोड़	6.796
8.	कंपनियों के ऋण पत्र	7.977
9.	कंपनियों और सहकारी समितियों को प्रत्याभूत ऋण (सरकार द्वारा गारंटीशुदा ऋणों सहित)	7.412
	8 और 9 का जोड़	7.661
	1 से 9 का जोड़	6.843
10.	सांविधिक निगमों के शेयर	4.697
11.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	5.780
	जोड़ 10 और 11	4.837
12.	तरजीही शेयर	6.253
13.	सामान्य शेयर	8.715
	जोड़ 10 से 13	8.101
	जोड़ 1 से 13	6.916
14.	वित्तीय संस्थाओं और अन्य प्राधिकरणों के पास मियादी जमा	9.997
15.	भारत में बैंकों में तिमाही जमा काल जमा और नोटिस जमा	10.463
16.	भागीदारी प्रमाणपत्र	11.964
	जोड़ 14 से 16	11.000
	कुल जोड़	7.104
	विदेशी पूंजी निवेश	8.019
	मध्यमान जीवन बीमा निधि पर प्राप्त ब्याज की दर	7.049

वनस्पति घी के थोक मूल्यों में वृद्धि

8859. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1979 से 31 मार्च, 1979 के दौरान दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता,

पटना तथा लखनऊ के बाजारों में वनस्पति के बारे में मूल्य क्या रहे, और उक्त अवधि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ख) वनस्पति घी के मूल्य में वृद्धि के लिये क्या बातें उत्तरदायी हैं और क्या सरकार ने मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये कोई उपाय किये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) : उद्योग के साथ की गई अनौपचारिक मूल्य व्यवस्था के अन्तर्गत 16.5 किलोग्राम वनस्पति के टिन का कारखाना मूल्य (जिसमें उत्पादन शुल्क तो शामिल है, लेकिन स्थानीय कर शामिल नहीं है) 1-11-1977 से 140/- रुपये निर्धारित किया गया था। इस आधार कीमत से सह-संबंधित वनस्पति घी के थोक भाव कुल मिलाकर पहली जनवरी, 1979 से 14 मार्च, 1979 की अवधि के दौरान एक समान रहे। तेलों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में भारी वृद्धि होने तथा हाल के बजट में खाद्य तेलों पर लगाये गये आयात शुल्क के कारण राज्य व्यापार निगम को 14-3-1979 से वनस्पति विनिमार्ताओं के लिये आयातित तेलों का निर्गम मूल्य बढ़ाना पड़ा। इसके बाद बाजार में वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि हुई। 1-.-1979 और 31 मार्च, 1979 को वनस्पति के थोक मूल्य इस प्रकार बताये गये हैं :—

	16.5 किलोग्राम प्रति टिन का थोक मूल्य रुपयों में		प्रतिशत वृद्धि
	1-1-1979	31-3-1979	
दिल्ली	146.50—148.50	164.75 — 169.00	12.5—13.8
बंबई	149.66—151.80	166.72—177.48	11.4—16.9
मद्रास	153.76	176.52	14.8
कलकत्ता	154.83	176.61	14.0
पटना	148—154	166—170	9·4—12.2
लखनऊ	148—150	166.25—170.50	12.3-13.6

वनस्पति के मूल्य में संशोधन करने के बारे में उद्योग से सुझाव प्राप्त हुये हैं। इस बात के लिए आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं कि वनस्पति का मूल्य उचित स्तर पर बना रहे।

सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण

8860. श्री राम विलास पासवान : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारिताओं के द्वारा गत पाँच वर्षों के दौरान कुल कितने व्यक्तियों को ऋण दिये गये और कुल कितने के औसतन कितनी राशि के ऋण दिये गये; और

(ख) 40 रु० से 100 रु० प्रतिमास की आय वाले कितने व्यक्तियों को ऋण दिये गये और ऋण की राशि का औसत क्या है; और

(ग) क्या सरकार यह समझती है कि ऋण देने की यह पद्धति सरकार को नीति एवं उद्देश्यों को प्रकट करती है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) आधार स्तर के सहकारी ऋण ढांचे में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और प्राथमिक कृष्येत्तर ऋण समितियां आती हैं। प्राथमिक कृष्येत्तर ऋण समितियों में अधिकतर सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संगठनों आदि के कर्मचारियों के बीच गठित ऋण समितियां हैं। एक विवरण विवरण-I पर दिया गया है, जिसमें वर्ष 1976-77 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और प्राथमिक कृष्येत्तर ऋण समितियों, दोनों के बारे में उधारी सदस्यों की संख्या, इन सदस्यों को दिये गये ऋणों की कुल राशि और प्रति उधारी सदस्य औसत राशि (उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों पर आधारित) दी गई है।

(ख) सदस्यों के आय वर्गीकरण के आधार पर उधारी सदस्यों तथा दिये गये ऋण की कुल राशि संबंधी सूचना न तो भारतीय रिजर्व बैंक और न ही केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा एकत्र व संकलित की जाती है। तथापि, वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा छोटे किसानों को दिये गये कुल ऋणों के बारे में सूचना उपलब्ध है, जो विवरण-II पर दी गयी है।

(ग) सरकार ने कृष्येत्तर ऋण समितियों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के बारे में को नीति अथवा उद्देश्य निर्धारित नहीं किये हैं। जहां तक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का संबंध है, उनके द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋणों की राशि तथा प्रति उधारी औसत ऋण राशि दोनों में उत्तरोत्तर रूप में वृद्धि हो रही है। सहकारी संस्थाओं का प्रमुख बल इस बात पर है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दिये जाने वाले अल्प तथा मध्यकालीन ऋणों में कमजोर वर्गों के भाग में उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि की जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है और वर्ष 1976-77 तक कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों में सहकारी समितियों का भाग बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है। उम्मीद है कि छठी योजना-अवधि के अन्त तक अनुसूचित जन-जातियों सहित कमजोर वर्गों का भाग बढ़कर 50 प्रतिशत तक हो जायेगा।

विवरण।

वर्ष 1972-73 से 1976-77 तक उधार लेने वालों की संख्या और दिये गये ऋणों की राशि दर्शाने वाला विवरण

समितियां	1972-73			1973-74			1974-75		
	उधार लेने वालों की संख्या (हजारों में)	दिये गये ऋणों की राशि (हजारों रुपये में)	प्रति उधारी औसत (रुपये)	उधार लेने वालों की संख्या (हजारों में)	दिये गये ऋणों की राशि (हजार रु० में)	प्रति उधारी औसत (रुपये)	उधार लेने वालों की संख्या (हजार में)	दिये गये ऋणों की राशि (हजार रु० में)	प्रति उधारी औसत (रुपये)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
प्राथमिक कृषि समितियां	13047	7721710	592	13038	7579073	581	13447	8991380	669
प्राथमिक कृष्येत्तर समितियां	5617	4966287	884	2069	5831165	2818	5002	6128849	1225

1975-76			1976-77		
उधार लेने वालों की संख्या (हजारों में)	दिये गये ऋणों की राशि (हजार रुपये में)	प्रति उधारी औसत (रुपये)	उधार लेने वालों की संख्या (हजारों में)	दिये गये ऋणों की राशि (हजार रुपये में)	प्रति उधारी औसत (रुपये)
11.	12.	13.	14.	15.	16.
15126	10234463	677	17190	12105432	704
5185	7000074	1350	6201	7357251	1186

स्रोत :—भारत में सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित सांख्यिकीय भाग-1 भारतीय रिजर्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन।

विवरण-II

1974-75, 1975-76 और 1976-77 के तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा छोटे किसानों को दिये गये ऋणों का विवरण ।

(करोड़ रु० में)

वर्ष	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सहकारी अल्प/मध्यावधि ऋण		सहकारी दीर्घावधि ऋण	
	दिये गये कुल ऋण	छोटे किसानों को दिये गये ऋण	दिये गये कुल ऋण	छोटे किसानों को दिये गये ऋण
1974-75	900.8	285.1	182.7	32.262.2
1975-76	1046.6	343.8	215.3	78.1
1976-77	1208.0	458.0	279.0	अप्राप्य

सम्पत्तियों के अर्जन के लिये आयकर विभाग द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस

8861. श्री राघव जी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 और 1978-79 के दौरान आयकर विभाग ने विवरणियों में सम्पत्तियों का कम विक्रय मूल्य दिखाने के आधार सम्पत्तियों के अर्जन के लिये कितने मामलों में कारण बताओ नोटिस दिये;

(ख) कितने मामलों में सम्पत्ति का अर्जन करने का निर्णय किया गया है, उनमें से कितने मामलों में आयकर विभाग ने वास्तव में सम्पत्ति का अर्जन कर लिया है और कितने मामले अभी भी विचाराधीन हैं; और

(ग) अब तक राज्यवार, कितने मूल्य की सम्पत्ति का अर्जन किया जा चुका है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) :

(क)	1977-78	1978-79 (फरवरी, 1979 तक)
	1995	3681

(1979 के मार्च के महीने की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है किन्तु यदि मांगी गई तो पेश की जा सकती है)

(ख) जिन मामलों के सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही/औपचारिकता शेष नहीं है और जो इस प्रकार आयकर अधिनियम की धारा 269-1 (4) के अधीन अभिग्रहण के लिये उपयुक्त हैं उनकी संख्या 28-2-1979 की स्थिति के अनुसार 14 है। जिन मामलों में सम्पत्तियों का वास्तव में अभिग्रहण कर लिया गया है उनकी संख्या 6 है तथा जिन मामलों में सम्पत्तियों का अभिग्रहण अभी किया जाना है उनकी संख्या 8 है।

(ग) अब तक अभिगृहीत सम्पत्तियों के राज्य-वार मूल्य नीचे दिये अनुसार है—

राज्य	सम्पत्तियों की संख्या	उचित बाजार मूल्य
		(रु०)
1. पंजाब	2	1,20,683
2. संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	1	72,000
3. पश्चिम बंगाल	1	7,18,000
4. दिल्ली	1	2,28,400
5. गुजरात	1	46,500
	6	

इनैमल उत्पादों पर कर

8862. प्रो० समर गुह : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनैमल उत्पादों का उपयोग हमारी जनता के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम वर्ग द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या इनैमल उत्पादों पर करों में वृद्धि के कारण इनकी कीमत बढ़ गई है;

(ग) क्या बढ़े हुए करों के भार के कारण पश्चिम बंगाल में इनैमल वस्तुओं का उत्पादन करने वाले तीन एककों को अपने अस्तित्व के लिये गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या इन तीन एककों द्वारा जन-साधारण के उपयोग के लिए इनैमल वस्तुओं का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है;

(ङ) क्या कराधान के अतिरिक्त भार को सहन करने में असमर्थ होने के कारण इन इनैमल फैक्टरियों के बन्द हो जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार करों को कम करने का है जिससे कि पश्चिम बंगाल के ये तीन इनैमल एकक अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) इनैमल उत्पादों का इस्तेमाल सामान्यत: समाज के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों द्वारा किया जाता है।

(ख) वर्ष 1979 के बजट के अंग के रूप में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत आने वाले माल पर शुल्क की दर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 8 प्रतिशत की गई है। परिणामत:, इनैमल के सामान के ऐसे निर्माणिकर्ता एककों ने, जो मद 68 के अधीन उपलब्ध किसी छूट के हकदार नहीं हैं, अपने माल की कीमतें बढ़ा दी होंगी।

(ग) सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) पश्चिम बंगाल में इनैमल के सामान का निर्माण करने वाले चार कारखाने हैं और ऐसा बताया गया है कि वे इनैमल के सामान का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं।

(ङ) सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता है।

खुर्दरे हीरे पर आयात शुल्क

8863. **श्री दौलतराम सारण :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुर्दरे हीरे पर से आयात शुल्क कब हटाया गया, इसका उस समय कितना आयात हुआ तथा आयात शुल्क के रूप में कितनी आय हुई;

(ख) आयात शुल्क हटाने से पहले तथा बाद में परिष्कृत हीरे का कितना निर्यात किया गया; और

(ग) हीरा उद्योग को क्या सुविधाएं तथा रियायतें दी गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) तारीख 25 मार्च, 1963 की अधिसूचना संख्या 95-सी० शु० के अन्तर्गत बिना पालिश किए हीरों को सीमा शुल्क से उतने भाग से छूट दी गई थी जो मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से अधिक हो। दिनांक 6 जून, 1966 की संशोधनकारी अधिसूचना संख्या 103-सी. शु. द्वारा इस शुल्क को कम करके शून्य कर दिया गया। लेकिन 7 जनवरी 1978 तक मूल्यानुसार 5 प्रतिशत उपसंगी शुल्क लगाया जाता रहा और तब बिना पालिश किए हीरों को, उसी तारीख की अधिसूचना संख्या 10-सी. शु. द्वारा, प्रतिसंतुलकारी शुल्क की अदायगी से भी छूट दे दी गई। उस समय कुल, लगभग 300 करोड़ रुपये के बिना पालिश किए हीरों का आयात किया गया था और आयात शुल्क के रूप में अर्जित आय लगभग 15 करोड़ रुपये थी।

(ख) जनवरी-दिसम्बर, 1977 के दौरान कोई 380 करोड़ रुपये के तथा जनवरी-दिसम्बर, 1978 के दौरान लगभग 650 करोड़ रुपये के पालिश किए हीरों का निर्यात किया गया था।

(ग) तराशे और पालिश किए हीरों के निर्यातकर्ताओं को, इन हीरों के निर्यात सम्बर्धन हेतु कतिपय प्रोत्साहन दिए गए हैं और आयात सम्पूर्ति की दर, और संपूर्ति के रूप में जिन मदों

की अनुमति दी गई है, उनके बारे में ब्यौरा, समय-समय पर यथा संशोधित अप्रैल 1978—मार्च, 1979 की आयात नीति के परिशिष्ट 17 में निहित निर्यात उत्पाद ग्रुप पी—रत्न और जवाहिरात के अन्तर्गत दिया गया है। इन निर्यातकर्ताओं को, उक्त पुस्तक के परिशिष्ट 10 के अनुसार निबंधन सामान्य लाइसेंस के अधीन मशीनों, उपस्करों परीक्षण उपकरणों/औजारों और साजसामानों का आयात करने की अनुमति भी दी गई है।

हीरों को तराशनें और पालिश करने के उन्नत तरीकों और तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए सूरत में (रत्न और जवाहिरात निर्यात संवर्धन परिषद के तत्वाधाधन में) भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना की गई है।

रत्नों/उपरत्नों और हीरों पर प्रक्रिया करने की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर में रत्न शिल्प प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई है।

सहकारिता आन्दोलन के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं/संगठनों को वित्तीय सहायता

8864. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहकारिता आन्दोलन के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं/संगठनों को वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के राज्य-वार तथा कार्यक्रम-वार नाम क्या हैं; और

(ग) इस क्षेत्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेज करने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक, पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) जी हां।

(ख) केन्द्र सरकार राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्, जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली का एक खण्ड है, को सहकारी आंदोलन के लिए वरिष्ठ तथा माध्यमिक कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान चलाने के लिए सहायता दे रही है। राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में कनिष्ठ स्तर के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए कनिष्ठ प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता देती है। एक विवरण संलग्न है, जिसमें इन संस्थानों की सूची दी गई है। (अनुबंध)

(ग) योजना (1978-83) का मुख्य लक्ष्य (1) राष्ट्रीय संस्थान के संकाय को मजबूत करना; और (2) सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों की भौतिक सुविधाओं में सुधार करना है।

विवरण

(क) भारत सरकार द्वारा जिन सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता दी जाती है, उनकी सूची :

(1) राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे ।

(2) राष्ट्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, बंगलौर (कर्नाटक)

(3) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा)

(4) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, चंडीगढ़—यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और दिल्ली की आवश्यकताओं को पूरा करता है ।

(5) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, देहरादून (उत्तरप्रदेश)

(6) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोहाटी—यह असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आदि की जरूरतों को पूरा करता है ।

(7) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, हैदराबाद (आंध्रप्रदेश)

(8) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्दौर (मध्यप्रदेश)

(9) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

(10) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कल्याणी (पश्चिम बंगाल)

(11) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

(12) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, मद्रास (तमिलनाडु)

(13) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, नागपुर (महाराष्ट्र)

(14) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पटना (बिहार)

(15) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणें (महाराष्ट्र)

(16) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम (केरल)

(17) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय गांधीनगर (गुजरात)

(ख) राज्य सरकारों द्वारा जिन कनिष्ठ प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता दी जाती है उनके राज्यवार वितरण की सूची :

राज्य का नाम	केन्द्रों की संख्या
आंध्रप्रदेश	6
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	1
बिहार	3
गुजरात	
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू तथा काश्मीर	2
कर्नाटक	6
केरल	3
मध्यप्रदेश	4
उड़ीसा	4

महाराष्ट्र	13
पंजाब	1
राजस्थान	4
तमिलनाडु	8
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिम बंगाल	4
मेघालय	1
नागालैंड	1
गोवा	1
मणिपुर	1

जालान कम्पनी समूह पर आयकर तथा उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

8865. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंबई के जालान कंपनी समूह पर आयकर उत्पादन शुल्क तथा सेंट्रल बैंक द्वारा दिए गए ऋणों की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध न्यायालयों में विचाराधीन पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये मामले कब से विचाराधीन पड़े हैं; और

(घ) कितने मामलों में अब तक कार्यवाही की जा चुकी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत निम्नलिखित नौ कंपनियों को सूरजमल नागरमल समूह की कंपनियों को सूरहिस्सा माना जाता है। सूरजमल नागरमल समूह का कभी-कभी बिजोरिया-जालान समूह के रूप में भी उल्लेख किया जाता है।

1. एशियाटिक आक्सीजन लिमिटेड।
2. बंबई गैस कंपनी लिमिटेड।
3. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड।
4. ब्रुश बेवेयर लिमिटेड।
5. कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड।
6. कानपुर टैक्सटाइल्स लिमिटेड।
7. चंपारन शुगर कं० लिमिटेड।
8. एल्गिन मिल्स कं० लिमिटेड।
9. सारन इंजीनियरिंग कं० लिमिटेड।

उपर्युक्त समूह की तीन कंपनियों के बारे में सरकार के पास फिलहाल उपलब्ध सूचना के आधार पर 31-3-78 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया की सकल मांग 10 लाख रु० से अधिक है। ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :—

(लाख रु० में)

क्रम सं०	कर निर्धारिती का नाम	31-3-78 की स्थिति के अनुसार मांग कर के बकाया की रकम	मांग, जो वसूली के लिए देय नहीं बनी	1-4-78 से 31-12-78 तक जारी की गई मांग	वसूली/ घटौती	31—12-78 की स्थिति के अनुसार मांग की बकाया कर के बकाया की रकम	मांग जो वसूली के लिए देय नहीं बनी	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मैसर्स एशियाटिक आक्सीजन लि०	23.29	—	52.41	28.02	47.68	—	कुछ मांगों की जांच की जानी है अथवा अपील के निष्कर्षों को अभी लागू किया जाना है। कुछ मांगों के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की गई है। मांग का आस्थगित अंश अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष पेश की गई अपील में विचाराधीन है? निर्धा-
2.	मैसर्स बी० आई० सी० लिमिटेड	—	62.72	15.44	0.59	34.36	43.21	(जारी·····)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								रितों को कुछ मांगें किश्तों में अदा करने की अनुमति दी गई थी।
3.	एलिगन मिल्स लिमिटेड	—	30.84	0.14	6.88	—	24.10	कर निर्धारिती अनुसूल्य किश्तों के अनुसार करों की अदायागी करता रहा है। बकाया की कुछ करक रकमों की वसूली अपीलोंपर निर्णय हो जाने तक आस्थगित की हुई है।

उपर्युक्त समूह का हिस्सा मानी जाने वाली नौ कंपनियों की ओर उत्पादन शुल्क की बकाया रकम, यदि कोई है, और सेन्ट्रल बैंक द्वारा उन्हें यदि कोई ऋण दिया गया है, उसके संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

दार्जिलिंग चाय बागान का पुन: लगाया जाना

8866. **श्री बागुन सम्बरुई** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दार्जिलिंग चाय बागान पुन: लगाने के लिए एक योजना तैयार करने का है;

(ख) क्या उक्त कार्य के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगने का भी विचार है ; और

(ग) दार्जिलिंग चाय बागान पुन: लगाने के लिए कौन-कौन सी दीर्घ अवधि की तथा अल्प अवधि की योजनाएं हाथ में ली जा रही हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) तथा (ख) : चाय बोर्ड एक परामर्शदाता द्वारा दार्जिलिंग स्थित चाय उद्योग का गहराई से अध्ययन करवा रहा है। वित्त व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

(ग) दार्जिलिंग स्थित चाय बागानों की सहायता के लिए निम्नलिखित योजनाएं उपलब्ध हैं :—

(1) रोपण विस्तार, पौध बदलने व पुनर्रोपण के लिए बागान वित्त योजना। अनुमेय ऋण की राशि हाल ही में बढ़ाकर 25,000 रु० प्रति हेक्टर कर दी गई है।

(2) पुराने तथा अलाभकारी चाय क्षेत्रों के पौधे उखाड़ने व पुनर्रोपण के लिए पुनर्रोपण उपदान योजना। इस योजना के अन्तर्गत उपदान की अनुमेय राशि 5,000 रु० प्रति हेक्टार है।

(3) चाय क्षेत्र का कायाकल्प तथा चकबंदी उपदान योजना। इस योजना के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के चाय बागानों को बिना अंत:रोपण के 3,000 रु० प्रति हेक्टार तथा अंत:रोपण सहित 4,000 रु० प्रति हेक्टार की दर से उपदान देय है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर में नई शाखाएं खोला जाना

8867. **श्री राजाराम शंकरराव माने** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में जिला कोल्हापुर के पश्चिमी जोन के आन्तरिक भागों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या चांदगुयेड तालुक में हेरे और अडकूर, बावड़ा तालुक में वैभववाडी

और उमबारडे, सुरहुवाड़ी तालुक में भेड़स गांव और अम्बा पन्हालत में बाजूंर ओगवसांगली में बैशाली स्थानों पर इन शाखाओं के खोलने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो ये शाखाएं कब तक खोली जाएंगी; और

(ख) क्या गडरियों, कोलियों तथा निर्धन भूमिहीन मजदूरों को छोटे परम्परागत व्यापार प्रारम्भ करने के लिए ऋण दिए जाएंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) : 1979-1981 की अपनी शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक, इस समय राज्य सरकारों और सम्बद्ध लीड बैंकों के परामर्श से, उन जिलों के लिए शाखा विस्तार योजनाएं बनाने में लगा हुआ है जिनकी प्रति ग्रामीण/अर्धशहरी शाखा जनसंख्या 20,000 से अधिक है। कोल्हापुर जिला, जिसकी जनसंख्या प्रति ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखा 10,000 है, कमी वाला जिला नहीं है और इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा इस जिले में और शाखा विस्तार पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) बैंकों से कहा गया है कि वे चारवाहों, भूमिहीन मजदूरों आदि सहित समाज के कमजोर वर्गों को उनके उत्पादक प्रयासों के लिए ऋण प्रदान करें तथा इनमें से पात्र व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान किया जाता है।

लघु और सीमान्त किसानों को ऋण

8868. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु और सीमान्त किसानों को शीघ्रता से ऋण दिए जाने के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) गत दो वर्षों में समस्त देश में लघु और सीमान्त किसानों को ऋण सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है; ओर

(ग) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस बारे में क्या भूमिका अदा की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): (क), (ख) और (ग) : सरकार की नीति समाज के कमजोर वर्गों को ऋणों की गति में वृद्धि करने की है।

भारतीय रिजर्व बैंक सरकार द्वारा छोटे और सीमांतिक किसानों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की मात्रा में वृद्धि करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे चालू-योजना अवधि के अन्त तक छोटे और सीमान्तिक किसानों को दिए जाने वाले ऋणों का भाग बढ़ाकर अपने कुल कृषि ऋणों के 50 प्रतिशत तक कर दें।

(2) अधिकतम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जा रहे हैं।

(3) बैंकों से कहा गया है कि वे विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अपने कुल ऋणों का कम से कम 1 प्रतिशत, 4 प्रतिशत की ब्याज दर से उधार दें और यह सुनिश्चित करें कि इस योजना के अन्तर्गत उनके ऋणों का कम से कम 2/3 भाग उनकी ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के माध्यम से दिया जाए।

(4) बैंकों से कहा गया है कि वे उन इलाकों पर अपना ध्यान केन्द्रित करें जहां इस समय बैंकिंग सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

(5) बैंकों से कहा गया है कि वे सरलीकृत आवेदन पत्रों और ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया अपनायें और विशेष रूप से छोटे तथा सीमांतिक किसानों के मामले में ऋण की जमानत, मार्जिन मनी आदि पर जोर न दें।

फिल्टर सिगरेटों पर उत्पादन शुल्क में राहत

8869. श्री पी० पार्थासारथी : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का विचार है कि फिल्टर सिगरेट स्वास्थ्य के लिये कम हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बड़ी संख्या में सिगरेट पीने वाले लोगों के लिए निम्न मूल्य श्रेणियों में इन फिल्टर सिगरेटों के उत्पादन को बढ़ावा देने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फिल्टर सिगरेट के मूल्य नीचे लाने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार उत्पादन शुल्क में कोई राहत देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राहत देने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने बताया है कि फिल्टर सिगरेट, स्वास्थ्य के लिए गैर-फिल्टर सिगरेट के मुकाबले बहुत कम हानिकारक हैं। परिषद् ने यह भी बताया है कि विकसित देशों में फिल्टर और गैर-फिल्टर दोनों ही सिगरेटों का धूम्रपान कम करने की प्रवृत्ति है।

(ख) फिल्टर सिगरेटों के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है किसी फिल्टर टिप्ड सिगरेटों के उत्पादन के सम्बन्ध में नीति के अनुसार ही प्रत्येक संभव सहायता दी जा रही है।

(ग), (घ) और (ङ): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

लघु उद्योग क्षेत्र को छूट दिया जाना

8870. श्री विनोद भाई बी० शेट : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले बजट में 69 लघु उद्योगों को दी गई छूट का बड़े गृहों ने अपने बड़ी फर्मों

को छोटी-छोटी फर्मों में विभक्त कर के उत्पादन शुल्क बचाकर दुरुपयोग किया था;

(ख) सरकारी राजस्व को जो 29 करोड़ का घाटा आंका गया था उसमें वास्तव में कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या इस मामले में वित्त मंत्री को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस बारे में निरन्तर निगरानी रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या बड़े उद्योगों को छोटे-छोटे उद्योगों में विभक्त करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए तथा वास्तविक लघु उद्योगों को छूट देने के प्रश्न पर सरकार पुनः विचार करना चाहती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) छूट प्रदायी योजना के कार्य-चालन के संबन्ध में जो कतिपय अध्ययन किए गए हैं, उनसे बड़े गृहों की ऐसी किसी उल्लेखनीय प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है कि वे छोटे एककों को अधिसूचना सं० 21/78-के० उ० शु० के अंतर्गत दी गई छूट का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ विभक्तिकरण का सहारा ले लेते हैं।

(ख) छूट-प्रदायी योजना लागू करने के पश्चात् एकत्र की गई सूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 1978-79 के दौरान राजस्व की हानि, 28 करोड़ रुपये से अधिक होने की सम्भावना नहीं है।

(ग) इस मामले में सरकार को कुछ दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं। छूट प्राप्त एककों पर सतर्कता बनाए रखने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। एक ऐसी कार्यविधि लागू की गई है जिसके द्वारा छूट प्राप्त एककों की गतिविधियों से संबंधित सूचना एकत्र की जा सकती है। प्रत्येक केंद्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय में निवारक शाखा द्वारा एक 'केन्द्रीय रजिस्ट्री' बनाई गई है। जहां छूट प्राप्त एककों के संबंध में ब्यौरे होते हैं। रजिस्टर में की गई प्रविष्टि के आधार पर, प्रत्येक निर्माता के लिए एक-एक सूचक कार्ड रखा जाता है। जिसमें नाम, पता निर्मित जिन्स और पिछले वर्षों की निकासियों के मूल्य जैसे कुछ ब्यौरे दिए होते हैं। इन सूचक कार्डों में, छूट प्राप्त एककों की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई जाँच के सम्बन्ध में समुचित टिप्पणी दर्ज की जाती है।

(घ) लघु एककों को छूट देने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने से संबन्धित कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया है, अब तक किए गए अध्ययनों से बड़े गृहों की ऐसी किसी उल्लेखनीय प्रवृत्ति का संकेत नहीं मिलता कि वे लघु एककों को दी गई छूट का लाभ उठाने के निमित्त अपने को विभक्त कर लेते हैं।

राज्य व्यापार निगम के लिए भवन समूह का निर्माण

8871. श्री अमृत नाहटा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंकि कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के लिए दिल्ली में भवन समूह बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या एक सरकारी उपक्रम, एन. बी. सी. सी. ने भी इस ठेके पर निर्माण के लिए टेंडर दिया था; और

(ग) क्या यह टेंडर, यद्यपि सबसे कम मूल्य के लिए था, स्वीकार नहीं किया गया और किसी गैर-सरकारी ठेकेदार को ठेका देने के लिए बातचीत की गई ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है।

त्रिपुरा में बैंकों की शाखायें खोलना

8872. श्री सचीन्द्रलाल सिंघा : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में सत्रह बैंक शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, वो जिन स्थानों पर शाखायें खोली जाएंगी उनके नाम तथा जिन बैंकों की शाखायें खोली जाएंगी उनके नामों सहित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में शाखा खोलने के पंजाब नेशनल बैंक के प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तत्संबंधी कारणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): (क) तथा (ख) : 1979-81 तक के तीन वर्षों के लिए, वाणिज्यिक बैंकों की शाखा विस्तार योजनाएं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित राज्य सरकारों तथा बैंकों से परामर्श करके तैयार की जा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा के ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के 23 केन्द्रों की एक सूची भेजी है जहां पर कि अगले तीन वर्षों की अवधि के दौरान वे बैंक कार्यालय खोलना चाहते हैं। इन 23 केन्द्रों की वर्तमान स्थिति विवरण में दी गई है।

(ग), (घ) तथा (ङ) : मई, 1977 में पंजाब नेशनल बैंक ने, पश्चिम त्रिपुरा जिले के कमानचाऊडमणी, सेंट्रल रोड, अगरतला में अपना कार्यालय खोलने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन भेजा था। चूंकि अगरतला केन्द्र में, जहां कि जनसंख्या 59,682 हैं, पहले से ही 13 बैंक कार्यालय कार्यरत हैं तथा बैंकों के पास अभी दो लाइसेंस और पड़े हैं, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक के इस प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर नहीं किया गया।

विवरण

त्रिपुरा सरकार द्वारा 1979-81 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान बैंक शाखाएं खोलने के लिए सुझाए गए 23 केन्द्रों की सूची।

जिले का नाम	केन्द्र का नाम	टिप्पणी
दक्षिण त्रिपुरा	1. तुलामुरा (तेलाईमुरा)	भारतीय स्टेट बैंक के पास यह लाइसेंस है।
	2. मनुबाजार	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के पास लाइसेंस है।
	3. सिलाचारी	तदैव
	4. किल्ला	तदैव
	5. टायड़	तदैव
	6. हृष्यामुख	शाखा खोलने का प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।
	7. बांकुल	तदैव
	8. बाग्मा	तदैव
	9. कारबुक	तदैव
	10. मुहुरीपुर	तदैव
पश्चिम त्रिपुरा	11. नलचर	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के पास लाइसेंस है।
	12. छेबरी	तदैव
	13. जोगेन्द्र नगर	तदैव
	14. वोक्सा नगर	तदैव
	15. चरिलम	शाखा खोलने का प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।
	16. चम्पाहोर	तदैव
उत्तरी	17. चमानु	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के पास लाइसेंस है।
	18. माचमारा	तदैव
	19. हलहाली	यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा पहले ही शाखा खोल दी गई है।
	20. उथाकली	शाखा खोलने के लिए आगंटन भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।
	21. दमनछेरा	तदैव
	22. वंगमुन	तदैव
	23. गंगानगर	तदैव

सुपर बाजार, नई दिल्ली में हानि

8873. **श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सुपर बाजार घाटे पर चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सुपर बाजार, नई दिल्ली में 1974-75 से 1978-79 तक वर्षवार कितनी हानि अथवा लाभ हुआ ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) सुपर बाजार वर्ष 1973-74 से सीमान्त शुद्ध लाभ कमा रहा है ।

(ख) सुपर बाजार के 1974-75 तक के लेखाओं की लेखा-परीक्षा की जा चुकी है और बाद के वर्षों की लेखा-परीक्षा की जा रही है। वर्ष 1974-75 में इसने 2,03,806/- रुपये का शुद्ध लाभ कमाया । अनन्तिम लेखाओं क अनुसार बाद के वर्षों के शुद्ध लाभों का अनुमान 1975-76 के लिए 2,13 000/- रुपये, 1976-77 के लिए 5,00 000/- रुपये और 1977-78 के लिए 3,00,000/- रुपये है । वर्ष 1978-79 की स्थिति का पता सहकारी वर्ष की समाप्ति अर्थात 30 जून, 1979 के बाद लगेगा ।

धनबाद में ठेकेदारों की ओर बकाया केन्द्रीय कर

8874. **श्री ए० के० राय :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद (बिहार) में बी० सी० सी० एल० की कोयला खानों में काम करते समय ऐसे ठेकेदारों के कितने ट्रक, डम्पर और वाहन फरवरी-मार्च, 1979 में जब्त किये गये जिन्होंने कर अदा नहीं किये और जिनके पास कानूनी पत्र नहीं थे ;

(ख) क्या उन पर केन्द्रीय कर की भारी राशि बकाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) तथा (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सऊदी अरेबिया से आयात अथवा उसको निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम

8875. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सऊदी अरेबिया के साथ हुए व्यापार-करार के अधीन आदेश के साथ किन-किन वस्तुओं का आयात अथवा निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये कमीशन एजेन्ट के रूप में कुछ व्यक्तियों अथवा कम्पनियों की नियुक्ति की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सऊदी अरब से जिन प्रमुख मदों का आयात किया जाता है वे हैं : कच्चा तेल, कार्बनिक रसायन व उर्वरक। भारत से सऊदी अरब को जिन प्रमुख मदों का निर्यात किया जाता है वे हैं : चाय, मसाले, लोहा तथा इस्पात, गैर-विद्युत मशीनरी, चावल, धातु से बनी वस्तुएं, आभूषण, खनिज से बनी वस्तुएँ, बुने हुए टैक्सटाइल फैब्रिक्स, कच्चे खनिज, तम्बाकू तथा पीतल के कलात्मक बर्तन।

(ख) सरकार विदेशों के साथ व्यापार के प्रयोजन के लिए कमीशन एजेन्ट नियुक्त नहीं करती है। कुछ मामलों में अलग-अलग संगठनों ने एजेन्ट नियुक्त किये होंगे। ऐसे एजेन्टों के नाम उपलब्ध नहीं हैं।

मैसर्स गेनन डन्करले एण्ड कंपनी लिमिटेड, बम्बई को आयात लाइसेंस जारी किया जाना

8877. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स गेनन डन्करले एण्ड कम्पनी लिमिटड, बम्बई ने नवम्बर 1975 से दिसम्बर 1977 के बीच अपने व्यापार से गैर सम्बन्धित मदों के लिये 30 लाख रुपये मूल्य के आयात लाइसेंस प्राप्त किये थे;

(ख) यदि हां, तो इस कंम्पनी द्वारा अब तक आयात की गई मदों के नाम, मात्रा आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि आयात की गई इन मदों को काले बाजार में बेचा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार उक्त लाइसेंस को रद्द करेगी तथा इस मामले में जांच करायेगी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) विगत में भारत में आयातित ब्रिटेन के उपस्करों के रख-रखाव के लिए भारत सरकार को ब्रिटेन सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न ऋणों के अन्तर्गत ब्रिटेन से अनुमेय फालतू पुर्जों के आयात के लिए नवम्बर, 1975 से दिसम्बर, 1977 की अवधि के दौरान इस फर्म को 38.35 लाख रु० मूल्य के लाइसेंस मंजूर किए गए थे। नीति के अनुसार लाइसेंस ब्रिटिश मशीनरी विनिर्माताओं के एक मात्र एजेंटों को मंजूर किए गए थे और उनको भी मंजूर किए गए थे जो प्रतिष्ठित आयातक हैं। इस फर्म ने जरूरतों को पूरा कर दिया और यह ज्ञात नहीं है कि ये मदें उनके व्यापार क्षेत्र में आती हैं अथवा नहीं।

(ख) पार्टीवार आयात के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) ऐसे लाइसेंसों पर आयातित फालतू पुर्जों की बिक्री के संबंध में उक्त ब्रिटिश ऋण योजना के अन्तर्गत कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि उपरोक्त (क) में बताए गए लाइसेंसों के संबन्ध में एक रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है और जांच पड़ताल की जा रही है।

(घ) लाइसेंसों की वैधता अवधि समाप्त हो गई है।

भारतीय चाय का दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक प्रचार

8878. श्री के० बी० चेतरी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चाय दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत कम प्रचलित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन देशों में भारतीय चाय का व्यापक प्रचार करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) किन-किन देशों में चाय केन्द्र खोले गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं। दक्षिण पूर्व एशिया के देश भारत से हर वर्ष औसतन 781 हजार किग्रा० चाय का आयात करते हैं।

(ख) बोर्ड नियमित रूप से जापान में संवर्धनात्मक कार्यक्रम चलाता है जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में भारतीय चाय का आयात करता है। फरवरी 1979 में एक चार सदस्यीय अध्ययन दल जापान, हांगकांग तथा सिंगापुर गया ताकि इन देशों को चाय के निर्यात के लिए बाजारों का अध्ययन किया जा सके। इस दल की सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) बोर्ड ब्रिटेन (लन्दन), आस्ट्रेलिया (सिडनी) व मिस्र के अरब गणराज्य (काहिरा) में चाय केन्द्र चला रहा है।

तुरन्त चाय (इनस्टेंट टी) के उत्पादन के लिए पेटेंट

8879. श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ-साथ चाय बोर्ड के पास तुरन्त चाय के उत्पादन के लिए पेटेण्ट का अधिकार है; और

(ख) यदि हां, तो पेटेण्ट को लोकप्रिय बनाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति की गयी है और असम, पश्चिम बंगाल तथा नीलगिरि स्थित चाय उत्पादक केन्द्रों में अनुसन्धान प्रयोगशालायें स्थापित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) पेटेन्ट विधि के बड़े पैमाने पर परीक्षण के लिए टोकलाई प्रयोगात्मक स्टेशन असम में एक प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना की गई है। प्रायोगिक संयंत्र के अध्ययन के एक बार सफलता-पूर्वक पूरे हो जाने पर इसको लोकप्रिय बनाने तथा वाणिज्यिक रूप से उपयोग में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। अन्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं में ऐसे प्रायोगिक संयंत्र लगाने का विचार नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण प्राधिकरण योजना का उल्लंघन किया जाना

8880. श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर गारंटीशुदा बोण्डों के लिए धनराशि देकर बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण प्राधिकरण योजना का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैंकों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या इन अंशदानों को प्रत्येक बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है अथवा उनकी पुष्टि कर दी गयी है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नाम निर्देशित निदेशकों ने उस बोर्ड को, जिसमें वे कार्यरत थे, इन लेन देनों की अनियमितता के बारे में बताया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : हालांकि अप्रतिभूत बांडों में अंशदान से, जो कि बैंकों के निवेश कार्यों में शामिल हैं, ऋण प्राधिकरण योजना का प्रत्यक्षतः उल्लंघन नहीं होता है, फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक सुचे ऋण नियंत्रण की भावना को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार के बांडों में बैंकों के अंशदान के पक्ष में नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने बैंकों से यही कह दिया है।

(ग) और (घ) : सामान्यतः निदेशक मण्डलप्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय, लाभांश-बांडों आदि में अंशदान के बारे में बैंकों के निर्णयों को अनुमोदित/संशोधित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक के निदेशक मण्डलों में नामित सदस्य, जरूरत पड़ने पर, भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों से निदेशक मण्डल को सूचित भी करता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस का जारी किया जाना

8881. श्री रामलाल राही : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें प्रति वर्ष देश में "सी" श्रेणी के वाणिज्यिक

लाइसेंस जारी किये जाते हैं और क्या वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को भी जारी किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन लाइसेंसों का जारी किया जाना आरक्षण की वर्तमान प्रणाली के अनुसार है और यदि नहीं तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : देश में नागर विमानन विभाग द्वारा वायुयान नियमों के अतर्गत सी श्रेणी के कोई वाणिज्यिक लाइसेंस जारी नहीं किये जाते। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित सभी उन उम्मीदवारों को, जो उड़ान सम्बन्धी निर्धारित टैस्टों को पास कर लेते हैं, बिना किसी भेदभाव के वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस जारी किये जाते हैं। चूंकि लाइसेंस उम्मीदवारों के तकनीकी तथा उड़ान सम्बन्धी निर्धारित टैस्टों को पास कर लेने के आधार पर जारी किये जाते हैं अत: कोई आरक्षण नहीं किये जा सकते क्योंकि विमान सुरक्षा के हित में उड़ान संबन्धी योग्यता के मानकों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती।

जम्मू तथा कश्मीर सरकार की ऋण संबंधी देनदारी कम किया जाना और उसके लिए सहायता अनुदान में वृद्धि किया जाना

8882. श्रीमती पार्वती देवी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर सरकार के समक्ष आ रही वित्तीय कठिनाइयों को और राज्य की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ऋण संबंधी देनदारी कम करने और उसको सहायता अंशदान में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : सातवें वित्त आयोग ने 1979-84 की अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को केन्द्रीय सरकार से कुल 199.56 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान की अदायगी की सिफारिश की है, जबकि 1974-79 की अवधि के लिए छठे वित्त आयोग ने 173.49 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी। सातवें वित्त आयोग ने प्रशासन के प्रतिमानों को ऊंचा करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को 18.28 करोड़ रुपए की राशि के अनुदानों की भी सिफारिश की है। सातवें वित्त आयोग की उपरोक्त सिफारिशों को भारत सरकार ने मान लिया है।

जहां तक राज्यों की ऋण संबंधी देनदारी का संबंध है, आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जो कि संघ सरकार ने मान ली है, जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार को 1979-84 के दौरान अल्प बचत संबंधी ऋणों के संबंध में कोई वापसी अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। 1978-79 के अन्त की स्थिति के अनुसार ऋण देनदारी की शेष राशि में से 40 प्रतिशत राशि को बट्टे खाते में डाल

दिया जाएगा और बकाया 60 प्रतिशत राशि को 30 वर्षों की अवधि में वसूल किया जाएगा। इसके परिणाम-स्वरूप राज्य को राहत मिल जाएगी, जो अनुमानत: 133.79 करोड़ रुपए की होगी। जो 1979-84 की अवधि के दौरान केन्द्र को ऋण की वापसी अदायगियों के रूप में होगी।

बैंकिंग प्रणाली का पुनर्विलोकन

8884. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बैंकिंग प्रणाली का पुनर्विलोकन करने का आग्रह किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : बैंकों के काम के विभिन्न पहलुओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। श्री आर० जी० सरैया की अध्यक्षता में बैंकिंग आयोग ने देश में वाणिज्यिक बैंकों के काम की व्यापक रूप में जांच की थी और उसने अपनी रिपोर्ट 1972 में प्रस्तुत की थी। उसके बाद सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के कार्य के भिन्न-भिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए विभिन्न समितियों, कार्यकारी दलों और अध्ययन दलों की नियुक्ति की गयी है। सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

1. सरकार द्वारा किये गये अध्ययन
   (1) बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार।
   (2) कृषि और तत्संबन्धी कार्यकलापों के लिए किये जाने वाले ऋणों के वास्ते बैंकों में आवेदन पत्रों और ऋण देने की प्रक्रिया का सरलीकरण।
   (3) विभेदी ब्याज दर योजना।
2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया अध्ययन।
   (1) आवासन योजनाओं के लिए बैंक ऋण।
   (2) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का काम (बैंकिंग)।
   (3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के काम की समीक्षा।
   (4) बैंकों की कृषि ऋण योजनाएं।
   (5) कृषि वित्त में बहु अभिकरण पद्धति के अपनाये जाने से उत्पन्न समस्याएं।

आर० बी० डी० ताड़ तेल के आयात पर रोक

8885. श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर. बी. डी. ताड़ तेल के आयात पर अक्तूबर, 1977 में सरकार ने रोक लगा दी थी और इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या सितम्बर, 1978 में सरकार ने आर. बी. डी. ताड़ तेल के आयात के लिए पुन: मंजूरी दे दी थी और 2 दिसम्बर, 1978 को उसके आयात पर फिर रोक लगा दी थी;

(ग) सितम्बर, 1978 से 2 दिसम्बर, 1978 तक तीन महीने की अवधि के लिए आर. बी. डी. ताड़ तेल के आयात को मंजूरी देने के क्या कारण थे;

(घ) तीन महीने की उक्त अवधि के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या 2 दिसम्बर, 1978 के बाद भी कोई लाइसेंस जारी किए गए थे और ऐसे लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) : 20 सितम्बर 1977 को यह घोषणा की गई थी कि सीधे मानवीय उपभोग के लिए शुद्ध ताड़ तेल के आयात के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। बाद में 13-1-78 से इसका आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया। 2 सितम्बर 1978 को सभी व्यक्तियों द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत इसके आयात की अनुमति दे दी गई। 2 दिसम्बर 1978 को इसका आयात पुन: राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया। उपभोक्ताओं तथा घरेलू उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आयात नीति में ये परिवर्तन संगत आर्थिक बातों को ध्यान में रखते हुए किए गए थे।

(घ) 2-9-78 से 2-12-88 तक तीन महीने की अवधि के लिए कोई आयात लाइसेन्स जारी नहीं किया गया क्योंकि खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत आयात की अनुमति दे दी गई थी।

(ङ) वे संगत सार्वजनिक सूचना सं० 91'78 दिनाँक 2-12-1978 के अनुसार जारी किए गए थे जिनसे आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किए गए आयात लाइसेन्सों के आधार पर केवल पहले की गई संविदाओं के आधार पर आयात किये जा सकते हैं। आयात लाइसेन्सों के ब्यौरे आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किए जाने वाले वीकली बुलेटिन्स आफ इन्डस्ट्रियल लाइसेन्सेज, इम्पोर्ट लाइसेन्सेज तथा एक्सपोर्ट लाइसेन्सेज में प्रकाशित किए जाते हैं तथा इसकी प्रतियां संसद लाइब्रेरी को सप्लाई की जाती हैं।

नियतकालिक ऋणदाता संस्थाओं के लिए सुविधा देने की योजना का क्रियान्वयन

8886. श्री टी० ए० पाई० : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 के बजट में किए गए प्रस्ताव के अनुसार पूंजीगत सामान का आयात करने की दृष्टि से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए रुपये में वित्त की व्यवस्था करने के लिए

नियतकालिक ऋणदाता वित्तीय संस्थानों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सुविधा देने की योजना को सरकार ने क्रियान्वित किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया और कितनी धनराशि के ऋण दिए गए ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): (क) जी, हाँ। सरकार पूंजीगत सामान के आयात को कवर करने के लिए रुपया-वित्त योजना बना चुकी है ताकि रुपया वित्त की अनुलब्धता के कारण ऐसी उपयोगी योजनाओं का कार्यान्वयन रुक न सके, जिनके लिए सरकार विदेशी मुद्रा देने की इच्छुक है। इस योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे, सरकार द्वारा लाइसेंस दिए जाने पर, पूंजीगत सामान का आयात करने के लिए ब्याज की 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों की अवधि के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों को रुपयों में सावधिक ऋण मंजूर कर सकें।

(ख) अब तक इस योजना के अन्तर्गत 25 परियोजनाओं के लिए 856.24 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई है।

स्टर्लिंग चाय कम्पनियाँ

8887. श्री श्रीकृष्ण सिंह : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी और कौन-कौन सी स्टर्लिंग चाय कंपनियों को 15 जुलाई, 1977 से 31 जनवरी, 1979 की अवधि के दौरान 'नान-रेजिडेंट' हितों सहित भारतीय कंपनियों में बदल दिया गया है;

(ख) इनमें से कितनी कंपनियाँ एकाधिकार तथा बड़े व्यावसायिक गृहों की हैं और इन सौदों में स्टर्लिंग कंपनियों को कितनी राशि प्राप्त हुई और उसका, कंपनीवार, ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसी कौन-कौन सी स्टर्लिंग कंपनियां हैं जिनके चाय बागानों के निपटान के लिए आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्रेताओं के नाम क्या हैं और उनका ब्यौरा क्या है ? और

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) :(क) से (घ) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरणों में दी गई हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 4375/79]

जापान को भारत की ओर से निर्यात

8888. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान द्वारा चीन के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किए जाने के

विचार के कारण भारत की ओर से जापान को किए जाने वाले निर्यात में हानि होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक, पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) तथा (ख) : यह सच है कि जापान उन देशों की सूची में, जो अधिमानों की जापानी सामान्यीकृत प्रणाली के लिए पात्र हैं, चीन को शामिल करने पर विचार कर रहा है । भारत तथा अन्य विकासशील देश पहले ही अधिमानों की जापानी सामान्यीकृत प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं तथापि, जापान के विश्वव्यापी आयातों की तुलना में अधिमानों की जापानी सामान्यीकृत प्रणाली का क्षेत्र खास महत्वपूर्ण नहीं है । फिलहाल, ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि चीन को अधिमानी व्यवहार देने से जापान को होने वाले भारत के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । तथापि, इस विषय पर निगरानी रखी जा रही है ।

दिल्ली स्थित मुख्यालय वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

8889. श्री लक्ष्मनलाल कपूर : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं यद्यपि उनका कार्यक्षेत्र दिल्ली से बहुत दूर है; और

(ख) क्या इन सरकारी उपक्रमों के मुख्यालय उनके कार्यक्षेत्र वाले स्थानों पर स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) यदि माननीय सदस्य का आशय सरकारी क्षेत्र के उन विनिर्माणकारी/व्यापारिक उद्यमों से है जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं, तो ऐसे प्रमुख उद्यमों के बारे में सूचना इस प्रकार है :

1. भारत हैवी इलेट्रिकल्स लि.
2. भारत एल्यूमीनियम कंपनी लि.
3. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि.
4. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.
5. भारतीय उर्वरक निगम लि.
6. भारतीय तेल निगम लि.
7. राज्य व्यापार निगम लि.
8. भारतीय धातु एवं खनिज व्यापार निगम

9. नेशनल फर्टिलाइजर्स

10. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन

(ख) सरकार ने दिल्ली सहित सभी महानगरों में सरकारी उद्यमों के मुख्यालय स्थित रहने की आवश्यकता की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त की है। यह समिति इन सभी सुसंगत कारणों को ध्यान में रखकर जांच करेगी जैसे महानगरों में रिहायशी मकानों की कमी के बारे में राहत देना कार्यस्थलों के आस-पास छोटे-छोटे शहरों का विकास करना, जहां उद्यमों को ले जाया जा सकता है, तथा उद्यमों को वहां ले जाने में विशेष रूप से निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रधान रोकड़ियों के पद के लिए पदोन्नति हेतु परीक्षा लिया जाना

8890. श्री महीलाल : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली सर्किल ने फरवरी, 1979 के तीसरे सप्ताह में प्रधान रोकड़ियों के पद पर पदोन्नति के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की थी और क्या पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया था;

(ख) क्या परीक्षा से एक माह पूर्व किसी संसद सदस्य ने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों द्वारा अप्रभावी आरक्षण नीति क्रियान्वित करके अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनाए जाने के बारे में लिखा था;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आरक्षण नीति में उपयुक्त संशोधन करके आरक्षण की पिछली बकाया निपटाने के विचार से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए एक पृथक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख), (ग) और (घ) : भारतीय स्टेट बैंक ने सरकार को सूचित किया है कि इसके नई दिल्ली स्थित परिमंडल (सर्किल) ने प्रधान कैसियर (अधिकारी ग्रेड II) में पदोन्नति के लिए 28-1-79 को एक लिखित परीक्षा ली थी। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों में ही पात्रता शर्तें और योग्यता-स्तरों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिये कम कर दिया गया था। इसके बावजूद, इन वर्गों का केवल एक ही उम्मीदवार रियायती मापदण्डों के अधीन परीक्षा देने का पात्र था, और उसे 2 अप्रैल, 1979 को पदोन्नत कर दिया गया है।

माननीय सदस्य ने 19-1-79 को केन्द्रीय वित्त मंत्री को इस विषय में स्वयं भी एक पत्र लिखा था। भारतीय स्टेट बैंक ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पात्रता मानदण्डों में निम्नलिखित रियायतें दी हैं :—

1. निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि में एक दो वर्षों की रियायत दी जाती है जो इस बात पर निर्भर होती है कि आम उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 8 वर्ष से कम/8 वर्ष और इससे अधिक निर्धारित की गई है।

2. योग्यता स्तर में लिखित परीक्षा में 5 प्रतिशत और साक्षात्कार में 10 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

सरकार को आशा है कि जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या भावी वर्षों में पदोन्नति परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र हो जायेंगी तो इन रियायतों से इन समुदायों का प्रतिनिधित्व सुधरेगा।

बैंक नोट प्रेस, देवास के अधिकारियों को पुरस्कार

8891. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन योग्य तथा कुशल अधिकारियों को कोई पुरस्कार अथवा पारितोषिक दिए हैं जिन्होंने देवास नोट प्रेस में एक नई स्याही खोज की तथा उसे बनाया यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है तथा पुरस्कृत अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या प्रेस के प्रबन्धक तथा मुख्य रसायनज्ञ ने इस उल्लेखनीय खोज तथा निर्माण के श्रेय के लिए अपने नाम भी जोड़ दिए हैं; यदि हां, तो क्या इस विशिष्ट क्षेत्र में उन्हें कोई क्षमता तथा अर्हतायें प्राप्त हैं, और यदि हां, तो ऐसी स्याही की खोज में उन्होंने अब तक किस प्रकार का कार्य किया है;

(ग) जुलाई, 1977 से जुलाई, 1978 तक स्याही के कारखाने में कितनी स्याही बनाई गई इसमें से कितनी स्याही प्रयोगशाला द्वारा अनुमोदित की गई और कितनी अस्वीकृत की गई तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्याही विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, उनकी अर्हताएं तथा स्याही बनाने में अनुभव क्या हैं और उन्होंने उक्त अनुभव कब तथा कहां से प्राप्त किया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी नहीं। किसी एवार्ड या पुरस्कार दिए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि 'क्विक सेट" नाम की नई स्याही का वाणिज्यिक आधार पर निर्माण की प्रक्रिया को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) महाप्रबन्धक से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार, इस स्याही के निर्माण में केवल तीन अधिकारियों का हाथ रहा है, जिनके नाम हैं, डा० पी० सी० चटर्जी, मुख्य रसायनज्ञ, श्री यू. आर.

किनी, डिप्टी-वर्क्स मैनेजर, तथा श्री जी. आर. ठाकुर, जूनियर सुपरवाइजर। डा. चटर्जी तथा श्री ठाकुर के पास स्याहियों का निर्माण करने तथा इस क्षेत्र में अनुसन्धान करने की आवश्यक योग्यता एवं अनुभव मौजूद है और श्री किनी को मुद्रण कार्य का आवश्यक अनुभव प्राप्त है अर्थात् वे मुद्रण के लिए आवश्यक विशिष्ट बातों की विस्तृत जानकारी रखते हैं तथा 'फीड बैक' सूचना दे सकते हैं।

(ग) जून 1977 से जुलाई, 1978 की अवधि के बीच 215.23 मेट्रिक टन समस्त प्रकार की तैयार स्याहियों का (जिसमें 6.919 मेट्रिक टन "क्विट सेट" स्याही भी शामिल है) उत्पादन हुआ। नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा कोई स्याही रद्द नहीं की जाती; प्रयोगशाला, स्याही को डिब्बों में बंद किए जाने से पहले, उसमें यदि कोई सुधार करने आवश्यक हों तो उन्हें, करने के लिए सुझाव ही देती है।

(घ) स्याही विभाग, अर्थात् स्याही कारखाने के उत्पादन प्रभाग के मंजूरशुदा कर्मचारियों की संख्या 42 है। प्रथम श्रेणी का एक रसायनज्ञ इस प्रशाखा का अध्यक्ष है जो कि रसायन में एम. एस. सी. है, और जिसका चुनाव प्रत्यक्ष भरती प्रणाली के आधार पर, संघ लोक सेवा आयोग की मारफत हुआ है; पहले वह कोट्स आफ इण्डिया लिमिटेड में काम करता था। उनके काम में सहायता द्वितीय श्रेणी का एक रसायनज्ञ करता है, जो कि पी० एच० डी० है और जिसे प्रत्यक्ष भरती प्रणाली के आधार पर इस पद पर कार्य करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की मारफत चुना गया है।

अमृतसर तथा अन्य प्रमुख शहरों के बीच विमान सेवाएं

8892. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर में उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए अमृतसर को देश के अन्य प्रमुख शहरों के साथ विमान सेवा से जोड़ने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी कार्यवाही की गई है और यह कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाएं बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास स्थित चार मुख्य "बेस" स्टेशनों से रवाना होती है। ये प्रमुख स्टेशन "ट्रांसफर प्वार्यंट्स" का काम करते हैं जहां से अंतः क्षेत्रीय सेवाओं के लिए संयोजी सेवाओं की व्यवस्था रहती है। अमृतसर पहले से ही दिल्ली के साथ विमान सेवा से जुड़ा हुआ है जहां से देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए संयोजी विमान सेवाएं उपलब्ध हैं।

बिक्री-कर अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति

8893. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से बिक्री कर अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वेतनमानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय उन अनेक बिक्री कर अधिकारियों से है, जिन्हें सरकारी उद्यमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्ण-कालिक निदेशकों जैसे शीर्ष पदों पर नियुक्त किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई बिक्री कर अधिकारी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में शीर्ष पद पर नियुक्त नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

जर्मन-लोकतांत्रिक गणतन्त्र, फ्रांस तथा सोवियत संघ के साथ व्यापार समझौते

8893. **श्री पी० एम० सईद**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण } : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष में जर्मन लोकतांत्रिक गणतंत्र, फ्रांस तथा सोवियत संघ के साथ व्यापार दुगना हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इन देशों के साथ कोई समझौते किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इन समझौतों से भारत को कुल कितना लाभ होगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : तथापि, नई दिल्ली में दिसम्बर 1978 में हुई आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत फ्रांस समिति की बैठक में दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए कि अगले चार वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा दुगनी हो जाएगी।

इसी प्रकार, भारत तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के बीच जनवरी 1979 में हस्ताक्षरित आर्थिक सहयोग सम्बन्धी दीर्घावधि करार में इस पर सहमति हुई कि 1978 के स्तर की तुलना में 1985 तक व्यापार को दुगना करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे।

भारत तथा सोवियत संघ के बीच मार्च 1979 में हस्ताक्षरित आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के दीर्घावधि कार्यक्रम में दोनों पक्षों ने यह नोट किया है कि 1976-1980 के दौरान भारत तथा सोवियत संघ के बीच व्यापार की मात्रा 29 नवम्बर 1973 के भारत-सोवियत संयुक्त घोषणा के अनुसार 1.5 से 2 गुना तक बढ़ जाएगी। वे अपने कार्य की पूर्ति के रूप में 1981-85 में उस दर से व्यापार वृद्धि करने का वचन देते हैं जो कि 1976 80 में निर्धारित दर से कम नहीं होगी। वे 1980 तक की अवधि के लिए भी व्यापार विकास की प्राप्त दरों को बनाए रखने तथा उन्हें बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

(घ) यदि व्यापार में इन निर्धारित दरों से वृद्धि हो जाएगी, तो इन देशों के साथ भारत का समग्र व्यापार काफी बढ़ जाएगा।

आयकर की बकाया राशि

8895. श्री पी० के० कोडियन : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में आयकर की बकाया राशि वसूल करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1978 को कुल कितना आयकर बकाया था;

(ग) इन राशियों में से ऐसी फर्मों या व्यक्तियों की ओर यह राशि कितनी है जिनसे 1 करोड़ रुपये या अधिक की राशि वसूल की जाती है;

(घ) 1 करोड़ रुपये या अधिक की करों की बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जाते हैं, और

(ङ) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा पिछले एक वर्ष में दोषी व्यक्तियों से वसूल की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) 31 मार्च 1978 की स्थिति के अनुसार, आयकर की बकाया रकमों में से 1 अप्रैल 1978 से 31 दिसम्बर 1978 तक 250.90 करोड़ रुपये की रकम की वसूली/समायोजन/घटौती की गई थी।

(ख) 31 दिसम्बर 1978 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया रकमें निम्न प्रकार से थीं :

कर की बकाया दरें	=	730.06 करोड़ रुपये
मांगें जो जारी	=	291.14 करोड़ रुपये
की गई परन्तु वसूली के लिए देय नहीं बनीं।		

(ग) कर की पूर्वोक्त बकाया में ऐसे 22 व्यक्तियों से मिलने वाले 71.41 करोड़ रुपये भी सम्मिलित हैं जो या तो फर्म हैं या व्यष्टि है और जो 31-12-78 को 1 करोड़ रुपये अथवा इससे

ऊपर के देनदार हैं। इसके अतिरिक्त, उनमें से दो की तरफ बकाया कर की 2.61 करोड़ रुपये तक की कर की मांगें जारी की गईं जो वसूली योग्य नहीं हुई थीं।

(घ) और (ङ): कर बकाया में कमी लाने के लिए हाल ही में किए गए उपायों में से कुछ उपाय, लोक सभा में 16 मार्च 1979 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3465 के उत्तर में संलग्न विवरण में बताए गए थे। ऊपर भाग (ग) में उल्लिखित अलग-अलग चूकर्ताओं से 31-3-79 की स्थिति के अनुसार वसूली/घटौती से सम्बन्धित पूरी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। 31-12-78 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, निम्नलिखित चार मामलों के सम्बन्ध में बकाया की वसूलियों/घटौतियां 1-4-78 और 31-12-78 के बीच हुई हैं :—

(i) मेसर्स ननमल चम्पालाल शाह	=	4 लाख रुपये
(ii) श्री आर. सी. जाल की वसीयत के प्रबन्धक सी. बी. जे. सेठ और जी. बी. जे. सेठ	=	3 लाख रुपये
(iii) श्री आर. डालमिया	=	16 लाख रुपये
(iv) श्री बी. एन. भट्टाचार्जी	=	4 लाख रुपये

फिलहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार, पूर्वोक्त बकाया की रकम में से 1-4-78 से 31-3-79 तक की अवधि के दौरान लगभग 32 करोड़ रुपये की वसूलियां/घटौतियां हुई हैं। कर की बकाया रकम के सम्बन्ध में जिन मामलों में बकाया लगभग 12 करोड़ रुपये तक की बैठती थी, उन चूकर्ताओं की सभी ज्ञात परिसम्पत्तियां अभिगृहीत कर ली गई हैं। शेष लगभग 10 करोड़ रुपये की बकाया की रकमें ऐसे कर-निर्धारितियों की ओर बकाया हैं, जो दिवालिया घोषित किए गए हैं और जिनके मामलों से सम्बन्धित दावे सरकारी प्रतिनिधियों के समक्ष पेश किए गए हैं; और लगभग 5 करोड़ रुपये की बकाया की रकमें ऐसे व्यक्तियों की ओर बकाया हैं जिनके खिलाफ तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की गई है।

इन सभी मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जाती हैं और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर समय-समय पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

कोचीन हवाई अड्डे पर धावन पथ (रन-वे) का निर्माण

8896. श्री वयालार रवि : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन हवाई अड्डे पर धावनपथ (रनवे) के निर्माण में कोई विलम्ब है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माण कार्य को तेजी से कराने के लिये क्या कदम उठाये गये।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) : निर्माण-कार्य संतोषप्रद ढंग से चल रहा है और इसके अप्रैल, 1979 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

अब यह भी आवश्यक समझा गया है कि टैक्सी ट्रैक तथा एप्रन का भी विस्तार किया जाय और उसे अधिक मजबूत किया जाए। इस निर्माण-कार्य को, जिस पर 39.22 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है, अब मंजूरी दे दी गयी है और इसे शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा।

बोइंग 737 विमान की जांच करने के लिये भारतीय विमान चालक संघ द्वारा कहा जाना

8897. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स के कार्यकरण की पूरी जांच कराने की मांग की गई है;

(ख) क्या कोई ऐसा सुझाव दिया गया है कि विमान दुर्घटनाओं की जांच करने का कार्य सदैव ऐसी एजेन्सियों को दिया जाना चाहिये जो इण्डियन एयरलाइन्स तथा नागर विमानन विभाग से स्वतंत्र हों; और

(ग) क्या दिसम्बर, 1978 में हैदराबाद में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरे बोइंग 737 विमान की जांच करने के लिये भारतीय विमानचालक संघ ने अधिकारियों को एक पत्र लिखा था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। इण्डियन एयरलाइंस के एफ-27 विमान वी. टी.—डी. एम. ई. तथा बोइंग 737 विमान वी. टी.—ई. ए. एम. की क्रमश: 11 अगस्त, 1972 तथा 31 मई, 1973 को हुई दुर्घटनाओं की जांच करने वाली जांच अदालतों तथा नागर विमानन पुनरीक्षण समिति (टाटा कमेटी) ने सुझाव दिया था कि प्रमुख दुर्घटनाओं की जांच पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधीनवर्ती एक स्वतंत्र संस्था द्वारा की जानी चाहिये।

(ग) इण्डियन कामर्शियल पायलट्स एसोसियेशन ने अपने 19 नवम्बर, 1978 के पत्र में 15 नवम्बर, 1978 को जब बोइंग-737 विमान वी. टी.—ई. ए. एल. रांची से कलकत्ता की उड़ान पर था, तो उस समय उसमें देखी गयी कुछ खराबियों की सूचना दी थी। छानबीन करने पर पता चला कि पायलटों ने रिपोर्ट दी थी कि "फ्लाइट कंट्रोल्स" पर कुछ मामूली से सुधार (Slight trim) की जरूरत थी। विमान का कलकत्ता एयरपोर्ट पर निरीक्षण किया गया तथा दिल्ली पहुंचने पर उसकी बारीकी से दुबारा जांच की गई। विमान का 27 नवम्बर, 1978 को भी गहराई से निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के बाद न तो कोई विशेष खराबी देखने में आई और न उसकी रिपोर्ट ही की गयी। इससे पहले एक सीनियर पायलट ने भी 20 सितम्बर, 1978 को मौखिक रूप से इण्डियन एयरलाइन्स का ध्यान एक ऐसी खराबी की ओर दिलाया था जो लगभग वैसी ही थी जिसकी ओर कि इण्डिया कॉमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने ध्यान आकृष्ट किया था, परन्तु जांच पड़ताल के बाद विमान का कार्यचालन संतोषजनक पाया गया था।

आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ के सदस्यों द्वारा विरोध सप्ताह का आयोजन

8898. **श्री युवराज :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ के सदस्यों ने 15 दिसम्बर, से 21 दिसम्बर 1978 तक विरोध सप्ताह का आयोजन किया था;

(ख) क्या उपर्युक्त संघ ने प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा श्रेणी-दो के अधिकारियों के बारे में अपनाई गई पदोन्नति विरोधी नीति पर रोष प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त असमानता कब तक दूर हो जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां। आयकर राजपत्रित सेवा संघों के अखिल-भारतीय महासंघ और श्रेणी-II के आयकर अधिकारियों और श्रेणी-II से पदोन्नत श्रेणी-I के अधिकारियों के कुछ संघों ने अपने सदस्यों से 15 दिसम्बर 1978 से 21 दिसम्बर 1978 तक एक 'विरोध-सप्ताह' मनाने का आह्वान किया था।

(ख) और (ग) : श्रेणी-II के अधिकारियों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा कोई पदोन्नति विरोधी नीति नहीं अपनाई गई है। सीधे भर्ती किए गए आयकर अधिकारी (श्रेणी-I) और आयकर अधिकारी (श्रेणी-I) के ग्रेड में पदोन्नति प्राप्त आयकर अधिकारी (श्रेणी-II) को 1 : 1 के क्रम में एक समान वरिष्ठता-सूची में रखा गया है। उक्त अधिकारी अपने वरिष्ठता-क्रम में आयकर अधिकारी (श्रेणी-I) के ग्रेड में उच्चतर पदोन्नतियों प्राप्त करने के एक समान रूप से हकदार हैं।

बम्बई में सोने की नीलामी बन्द किया जाना

8899. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई में सोने की नीलामी बन्द कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो सभी नीलामियों में जिन पार्टियों को सोना बेचा गया उन सभी के नाम और पते क्या हैं और सोना किस मूल्य पर बेचा गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हाँ। सोने की नीलामियाँ 26-10-1978 से स्थगित कर दी गई थीं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक नीलामी के बाद, ऐसी सूचियाँ प्रकाशित की थी, जिनमें सफल बोली लगाने वालों के नाम तथा पते, बेचे गये सोने की मात्रा और कीमत आदि दी गयी हैं। उन सूचियों की प्रतियाँ, माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

अनेक वस्तुओं पर शुल्क की दरों में परिवर्तन के बारे में गजट अधिसूचना

8900. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक वस्तुओं पर शुल्क की दरों में परिवर्तन के बारे में दिनांक 16-3-79 की गजट अधिसूचना 26-3-79 को सभा-पटल पर रखी गई थीं;

(ख) क्या प्रोविजनल कलेक्शन आफ टैक्सेज एक्ट, 1931 की धारा 15 के उपबन्ध के अनुसरण में, उपभोक्ता को उसके द्वारा लोक सभा में वित्त विधेयक पुरःस्थापित किये जाने के दिन से लेकर जब शुल्क पुनरीक्षित किये गये उस दिन तक की अवधि के दौरान अदा किये अधिक मूल्य की राशि वापस लेने का हक है; और

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ता किस प्रक्रिया के अनुसार ऐसी राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हाँ। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी दिनांक 16 मार्च 1979 की अधिसूचना संख्या 114/79 से 126/79, जो दिनांक 16 मार्च, 1979 को लोक सभा में की गई घोषणाओं के अनुसरण में जारी की गई थीं, दिनांक 26 मार्च 1979 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थीं।

(ख) और (ग) : अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम की धारा 5 के अधीन शुल्क की वापस अदायगियां केवल वहीं की जानी होती हैं, जहाँ वित्त विधेयक का कोई उपबंध जैसा कि लोक सभा में पेश किया गया हो, और जिसके सम्बन्ध में पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत घोषणा की गई हो, संशोधित रूप में एक अधिनियम के तौर पर लागू हुआ हो। दिनांक 16 मार्च, 1979 को घोषित किये परिवर्तन छूट प्रदायी अधिसूचना जारी करके अमल में लाए गए थे, इस मामले में अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं।

राजभाषा से सम्बद्ध कार्य को करना

8901. श्री मोहन लाल पिपिल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त अधिकतर भारतीय डाक सेवा, रेलवे तथा अन्य सेवाओं के अधिकारी काम करते हैं;

(ख) क्या निचले स्तरों पर भी उक्त विभाग में कामकाज केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 'डेस्क' अधिकारियों के माध्यम से होता है;

(ग) यदि हां तो उनके मंत्रालय के कितने विभागों में राजभाषा से सम्बद्ध कार्य केन्द्रीय

सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा किया जाता है और कितने विभागों में कार्य 'डेस्क' अधिकारियों द्वारा किया जाता है;

(घ) क्या किसी विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के किन्हीं पदों को हिन्दी अधिकारियों के पदों में बदला गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या ऐसी रियायतें देने से पूर्व सेवा नियन्त्रित करने वाले अधिकारियों के साथ परामर्श किया गया था;

(च) क्या वित्त मंत्रालय में किसी राजभाषा कार्यान्वयन सेल के लिये कार्य की डेस्क अधिकारी प्रणाली का प्रस्ताव किया गया था; और

(छ) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और यदि नहीं, तो प्रस्ताव को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : राजभाषा विभाग में अधिकारियों की वर्तमान संख्या नीचे दी गयी है :—

1. सचिव	श्री कृपा नारायण, भारतीय प्रशासन सेवा ।
2. संयुक्त सचिव	श्री मुनीश गुप्त, भारतीय प्रशासन सेवा ।
3. उप सचिव	(i) श्री हरिबाबू कंसल, केन्द्रीय सचिवालय सेवा ।
	(ii) श्री वी० एस० सक्सेना, भारतीय डाक सेवा ।
	(iii) रिक्त (इस पद पर इससे पूर्व श्री गोपाल चतुर्वेदी नियुक्त थे जो भारतीय रेल लेखा सेवा के थे) ।
4. अवर सचिव	(i) श्री पी० एस० निगम, केन्द्रीय सचिवालय सेवा ।
	(ii) श्री एच० एल० सपरा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा ।

राजभाषा विभाग में 4 डेस्क अधिकारी और 2 अनुभाग अधिकारी हैं जो सभी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के हैं । इसके अतिरिक्त, विभाग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, उप-निदेशक, अनुसंधान अधिकारी आदि के कुछ ऐसे संवर्गबाह्य पद हैं, जिन पर प्रति नियुक्ति पर उन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है कि जो किसी संगठित सेवा के नहीं हैं ।

(ग) विभागवार सूचना नीचे दी गयी है :—

(i) **आर्थिक कार्य** : राजभाषा से सम्बन्धित कार्य कुछ मामलों में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के प्रति नियुक्ति आधार पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता है और बाकी के मामलों में गैर-केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों द्वारा किया जाता है । किसी भी मामले में यह कार्य डेस्क अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है ।

(ii) **व्यय** : यह कार्य केन्द्रीय सचिवालय सेवा और गैर-केन्द्रीय सचिवालय सेवा कर्मचारियों, जैसे कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों/वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों द्वारा किया जाता है । इस प्रकार का कोई भी काम डेस्क अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है ।

(iii) **बैंकिंग प्रभाग** : हिन्दी कक्ष, जिसमें वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक और अवर श्रेणी लिपिक है उप निदेशक (हिन्दी) के अधीन हैं, जिसमें कोई भी अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा का नहीं है। यह कक्ष समग्र रूप से संयुक्त सचिव की देखरेख में काम करता है।

(iv) **लोक उद्यम ब्यूरो** : राजभाषा से संबंधित कार्य केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है। इस कार्य के लिये कोई डेस्क अधिकारी नहीं हैं। यह कार्य एक हिन्दी अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(v) **वित्त रक्षा** : इस विभाग में केवल दो पद हैं (एक हिन्दी अधिकारी और एक कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक)। हिन्दी अधिकारी के पद पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी तदर्थ आधार पर नियुक्त हैं। कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर केन्द्रीय सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के एक अवर श्रेणी लिपिक प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं।

(vi) **राजस्व विभाग** : यह कार्य एक कनिष्ठ हिन्दी अधिकारी और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक सहायक द्वारा किया जाता है। इस कार्य के लिए अवर सचिव एवं संपादक का अलग से एक पद मंजूर किया गया है, परन्तु यह अभी तक भरा नहीं गया है। यह कक्ष समग्र रूप से निदेशक (प्रशा०)/अपर सचिव की देख-रेख में काम करता है जो भारतीय डाक सेवा/भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) के हैं।

(घ) (i) आर्थिक कार्य — नहीं

(ii) व्यय — नहीं

(iii) बैंकिंग प्रभाग — नहीं

(iv) लोक उद्यम ब्यूरो — नहीं

(v) वित्त रक्षा — नहीं

(vi) राजस्व : अनुभाग अधिकारी (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) का एक पद कनिष्ठ हिन्दी अधिकारी के एक पद में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ङ) हिन्दी कार्यान्वयन कक्ष के लिए एक उपयुक्त अनुभाग अधिकारी के मिलने में सामने आने वाली कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए, राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी का पद कनिष्ठ हिन्दी अधिकारी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। पद के परिवर्तन के प्रस्ताव का आंतरिक वित्त सलाहकार द्वारा अनुमोदन किया गया था। क्योंकि दोनों पदों का वेतनमान एक सा है अत: इसमें कोई वित्तीय प्रभाव अन्तर्ग्रस्त नहीं था। इस मामले में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से विचार-विमर्श नहीं किया गया था। परन्तु, यह उल्लेखनीय है कि अक्तूबर, 1978 में राजभाषा विभाग ने स्पष्ट किया था कि अनुवाद और राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित सभी

पदों को उस सामान्य संवर्ग में, शामिल किया जाना है, जो उक्त विभाग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सभी हिन्दी पदों के सम्बन्ध में गठित किया जाना है।

(च) (i) आर्थिक कार्य : नहीं
(ii) व्यय नहीं
(iii) बैंकिंग प्रभाग नहीं
(iv) लोक उद्यम ब्यूरो नहीं
(v) वित्त रक्षा नहीं
(vi) राजस्व हां।

(छ) कुछ कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए और राजभाषा विभाग से प्राप्त स्पष्टीकरण को भी देखते हुए, जिसका उल्लेख प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर में किया गया है, डेस्क अधिकारी पद्धति लागू करने के प्रस्ताव को छोड़ दिया गया था।

निर्यातों में मिलों में बने कपड़े, हथकरघा कपड़े और विद्युत चालित करघों के कपड़े का अंश

8902. श्री आर० कोलनयाईबेलू : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में निर्यात हुए कपड़े में से मिल के बने कपड़े हथकरघा के बने कपड़े और विद्युतचालित करघों के बने कपड़े का हिस्सा क्या रहा; और

(ख) रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और रुई उत्पादकों को आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से हथकरघा और विद्युतचालित करघों के बने कपड़ों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या ठोस प्रयास किये गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान मिल निर्मित, शक्ति चालित करघा तथा हथकरघा सूती वस्त्रों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे (1978-79 के सम्बन्ध में ब्यौरे वार आंकड़े नवम्बर 1978 तक के उपलब्ध हैं) :

(मूल्य करोड़ रु० में)

	1976-77	1977-78	1978-79 (अप्रैल-नवम्बर, 78)
मिल निर्मित वस्त्र	182.00	139.08	75.25
शक्ति चालित करघा वस्त्र	19.18	15.09	12.28
हथकरघा वस्त्र	53.17	81.59	42.93
योग	254.35	235.76	130.46

(ख) हथकरघा तथा शक्ति चालित कपड़े के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नोक्त हैं :—

(1) समुचित दरों पर निर्यातों के लिए नकद मुआवजा सहायता तथा प्रतिपूरक आयातों की व्यवस्था की गई है। वस्त्रों के सम्बन्ध में नकद मुआवजा योजना के लिए सरकार का अंशदान 1-1-1979 से निर्यातों के एफ. ओ. वी. मूल्य के 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

(2) विभिन्न महत्वपूर्ण बाजारों के लिए समय-समय पर बिक्री सह अध्ययन दल प्रायोजित किए जा रहे हैं।

(3) विदेशी बाजारों में महत्वपूर्ण वस्त्र तथा कपड़ा मेलों में भाग लेने को सुनिश्चित किया जा रहा है।

हथकरघा वस्त्र के सम्बन्ध में, उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, निर्यात क्वालिटी के हथकरघा उत्पादों को तैयार करने के लिए, जिनकी विदेशों में मांग है, विभिन्न राज्यों में कई निर्यात उत्पादन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। हथकरघा बुनकरों को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधन उपलब्ध कराये जाते हैं और ऐसे उत्पादों का विपणन भी उनके द्वारा किया जाता है।

विद्युतचालित अनधिकृत करघों को नियमित किया जाना

8903. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घोषणा की थी कि 7 अगस्त, 1978 से पहले किए गए विद्युतचालित अनधिकृत करघों को 31 दिसम्बर, 1978 तक नियमित किया जायेगा;

(ख) गुजरात में कितने विद्युतचालित अनधिकृत करघों को उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा इसके अनुसार एल-4 लाइसेन्स दिये गये थे;

(ग) क्या यह निर्णय किया गया था उन विद्युत चालित करघों जो जिन्हें 31 मार्च, 1979 तक एल-4 लाइसेन्स दिये जा चुके थे, कपड़ा आयुक्त द्वारा परमिट दिये जाएंगे; और

(घ) ऐसे एल-4 लाइसेन्सधारियों की संख्या कितनी है जिनको 31 मार्च, 1979 तक परमिट दिए गए हैं और कपड़ा आयुक्त द्वारा परमिट देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) : सरकार ने, 7-8-1978 से पूर्व के सभी अनधिकृत शक्ति चालित-करघों को 31 दिसम्बर, 1978 तक नियमित करने के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की थी। परन्तु, उद्योग मंत्री द्वारा 7 अगस्त, 1978 को संसद में घोषित टेक्सटाइल नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी परिकल्पना की गई है

कि वर्तमान अनधिकृत शक्ति-चालित करघों को पंजीकृत किया जाएगा और निवारक अर्थदण्ड अदा किए जाने पर उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। पूर्वोक्त नीति को अमल में जाने का प्रश्न अभी उद्योग मन्त्रालय के विचाराधीन है। इस नीति को अमल में लाये जाने तक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने, 7-8-1978 से पूर्व विद्यमान अनधिकृत शक्ति चालित करघों को लाइसेन्स देने का निर्णय किया था बशर्ते ऐसे लाइसेन्स के लिए 31-12-1978 को अथवा उससे पूर्व आवेदन-पत्र दे दिया गया हो। इसके अलावा, लाइसेन्स देने के लिए ये शर्तें भी रखी गई थी कि करघों की स्थापना और उनके कार्यचालन के सम्बन्ध में टेक्सटाइल आयुक्त की लिखित अनुमति 31-3-1979 तक पेश कर दी जाए (अब इस तारीख को बढ़ाकर 30-9-79 कर दिया गया है), और यह कि लाइसेन्स-धारी, मौजूदा लागू दर पर निश्चित शुल्क अदा करने का वचन दे। इसके परिणामतः, गुजरात में 4477 अनधिकृत शक्तिचालित करघों को एल-4 लाइसेन्स दिए गए।

(घ) जिन अनधिकृत शक्ति चालित करघों को एल-4 लाइसेन्स दिए गए थे, उनके सम्बन्ध में 31-3-79 तक कोई टेक्सटाईल परमिट जारी नहीं किये गये थे, क्योंकि उस समय उद्योग मंत्रालय द्वारा, नियमित करने संबंधी कार्यविधि को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

गोआ द्वारा जापान के साथ निर्यात सौदा

8904. श्री डी. डी. देसाई : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के लौह अयस्क निर्यातकों के अच्छी किस्म के लौह अयस्क के निर्यात के बारे में जापान के साथ एक प्रतिकूल सौदा किया है;

(ख) क्या हानि इस कारण से बढ़ जाती है कि जापानी खरीदारों द्वारा भुगतान अमरीकी डालर में किया जाता है जिसके मूल्य में दिसम्बर, 1972 तथा जुलाई, 1978 के बीच 36.3 प्रतिशत कमी हुई; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे प्रतिकूल सौदे न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

हिमाचल प्रदेश में परिवहन के लिये राज सहायता

8905. श्री दुर्गाचन्द : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में निर्यात प्रयोजनों के लिये परिवहन हेतु प्रत्येक मद के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि की राज सहायता दी गई;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्यात की मदों के संबन्ध में इस राज सहायता में वृद्धि के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) : हिमाचल प्रदेश राज्य में उत्पादित/विनिर्मित निर्यात उत्पादों के परिवहन के लिए वाणिज्य विभाग ने कोई विशेष उपदान मंजूर नहीं किया है। तथापि, 5 जनवरी, 1979 को नई दिल्ली में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य मंत्री की ओर से यह कहा गया था कि परिवहन उपदान की आवश्यकता होगी क्योंकि पहाड़ी स्थानों से प्रमुख पत्तनों तक के परिवहन प्रभार काफी अधिक होंगे। राज्य सरकार से ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय पटसन वस्तुओं के विदेशी क्रेता

8906. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन वस्तुओं के लगभग सभी प्रमुख विदेशी क्रेताओं ने नोटिस दिया है कि भारतीय उद्योगों द्वारा समय पर माल की डिलीवरी में लगातार असफलता के गंभीर परिणाम निकलेंगे;

(ख) डिलीवरी समय तालिका के अनुसार न चल पाने और कीमतों के बारे में स्थिर न रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कच्चे पटसन के व्यापारियों और उत्पादकों पर इसका अधिक कुप्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) पटसन माल के प्रमुख आयातक देशों में कुछ खरीदारों व आयातकों ने संविदागत माल समय पर सुपुर्द करने में असफल रहने पर भारतीय निर्यातकों के बारे में चिंता व्यक्त की है।

(ख) पटसन उद्योग से संबंधित विभिन्न कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण 15 नवम्बर, 1978 से काफी लंबी अवधि तक कलकत्ता पत्तन से विदेशी बाजारों को पटसन माल का कोई निर्यात नहीं किया जा सका। तथापि, हाल ही में कीमतों के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ग) सरकार कच्चे पटसन की सप्लाई व कीमतों के बारे में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखती है और जब कभी आवश्यक होता है, उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में कच्चे पटसन बाजार को सहायता देने की दृष्टि से भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद भी शामिल है। सरकार ने उपजकर्ताओं को सहायता देने के लिए हाल ही कुछ निर्यात करने की भी अनुमति दी है।

कृषि विकास के लिए विश्व बैंक ऋण

8907. श्री सुखेन्द्र सिंह
श्री बागुन सुम्बरूई } : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अगले पांच वर्षों के दौरान कृषि विकास के लिए भारत को 8000 करोड़ रुपए का ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) विश्व बैंक ने भारत को कृषि विकास तथा अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण एवं सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी है; और

(ग) ऋण की कितने प्रतिशत राशि को कृषि विकास तथा सिंचाई पर व्यय किया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं। विश्व बैंक समूह द्वारा दी जाने वाली सहायता की राशि का संकेत हर साल पैरिस में होने वाली भारत सहायता संघ की बैठक में दे दिया जाता है। विश्व बैंक समूह का ऋण देने का कार्यक्रम उनके साधनों की समय-समय पर होने वाली पुन:पूर्ति पर निर्भर करता है। आजकल विश्व बैंक की पूंजी दुगुनी करने के बारे में सदस्य देशों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। इसी प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-VI के लिए धन की पुन:पूर्ति के संबंध में भी, बातचीत चल रही है। इससे पहली जुलाई, 1980 से ऋण मिलना शुरू हो जाएगा। विश्व बैंक समूह से उपलब्ध होने वाली वित्तीय सहायता की राशि इन विचार-विमर्शों के परिणाम पर निर्भर करेगी।

(ख) विश्व बैंक और उदार शर्तों पर ऋण देने वाली इससे सम्बद्ध संस्था यानी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ भारत को कई वर्षों से सहायता देते आ रहे हैं और 31 मार्च, 1979 तक कुल 9.006 अरब अमेरिकी डालर की सहायता के वचन दिए गए हैं। इस सहायता में से कृषि विकास के लिए, जिसमें सिंचाई और उर्वरक शामिल हैं, दिए गए वचनों की राशि 3.017 अरब डालर बैठती है और बिजली, जलपूर्ति, दूरसंचार, रेलवे, औद्योगिक आयात शहरी विकास आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए 5.989 अरब डालर।

(ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए विश्व बैंक समूह की सहायता में से कृषि विकास और सिंचाई पर किए गए खर्च का प्रतिशत निर्धारित करना संभव नहीं है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि कार्यक्रम में इन क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

प्राविडेंस पेपर मिल्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा भुगतान की गई उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की राशि और उस पर आयकर की बकाया राशि

8908. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राविडेंस पेपर मिल्स लिमिटेड, न्यू स्टैण्डर्ड इंजीनियरिंग कंपाउन्ड, पोरबन्दर

रोड, सान्ताक्रुज बम्बई ने गत तीन वर्षों में पृथक्-पृथक् उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया है और उनके विरुद्ध आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इन फर्मों में अब तक कितनी-कितनी राशि का पूंजीनिवेश किया गया है और उनके भागीदार कितने हैं और अन्य किन उद्योगों और व्यापारों में वे भागीदार हैं और उनमें उनका कितना-कितना पूंजीनिवेश है और उन पर गत तीन वर्षों की आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) मेसर्स प्राविडेन्स पेपर मिल्स लिमिटेड बंबई, बहुत पहले 6 सितम्बर, 1969 को विघटित हो गई थी। इसलिए फर्म द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किसी प्रकार के उत्पादन शुल्क/सीमा शुल्क दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उपर्युक्त फर्म की ओर आयकर की बकाया रकम वर्ष 1961-62 के लिए 972 रु० तथा 1966-67 के लिए 1733 रु० थी।

(ख) फर्म के विघटन के समय इसके निम्नलिखित भागीदार थे :—

(1) श्री जीवनदास वी. सम्पत

(2) श्री जयन्तीलाल एम. दानी

(3) श्री साईंदास बसीन

(4) श्री रामदास भोलानाथ

प्रश्न के भाग (ख) में पूछी गई और कोई सूचना सरकार के पास इस समय उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्र करने में जो बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा वह उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

प्रीमियर पेपर मिल्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क का भुगतान और उसकी ओर आयकर की बकाया राशि

8909. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रीमियर पेपर मिल्स लिमिटेड, वास्वान भवन, 120, दिनशा वाचा रोड, बंबई ने उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क का अलग-अलग कितना भुगतान किया और उसके ऊपर आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस फर्म में इसके आरम्भ होने के बाद से अब तक वर्षवार कितनी पूंजी लगी है,

और इसके भागीदारों की संख्या कितनी है और वे किन अन्य उद्योगों और व्यवसायों में भागीदार हैं और उनमें कितनी पूंजी लगी है तथा गत तीन वर्षों से उन पर आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) प्रीमियर पेपर मिल्स लिमिटेड, बंबई द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किए गए उत्पादन शुल्क की रकम का विवरण निम्नलिखित है :—

1975-76	3,00,155 रु०
1976-77	7,93,951 रु०
1977-78	7,21,326 रु०

आयात कर्त्ताओं/निर्यात कर्त्ताओं से वसूल किए गए सीमा शुल्क का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है । अत: उक्त कंपनी द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किए गए सीमा शुल्क की रकम से संबंधित जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । उक्त कंपनी की ओर आयकर की बकाया रकम, यदि कोई है, तो उसके संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) मेसर्स प्रीमियर पेपर मिल्स लिमिटेड महाराष्ट्र राज्य में एक पंजीकृत कंपनी है और इसके पंजीकरण की तारीख 13-10-1960 है । महाराष्ट्र के कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा चुकता पूंजी की रकम के बारे में दिया गया ब्योरा नीचे दिया गया है :—

निम्नलिखित तारीख की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	चुकता पूंजी
31-12-1961	12,50,000 रु०
31-12-1962	18,75,000 रु०
31-12-1963 और 31-12-1964	24,96,250 रु०
31-12-1965 और 31-12-1966	29,42,000 रु०

31-3-1968 से 31-3-1977 तक की समाप्त अवधि के तुलन-पत्र के अनुसार कंपनी की चुकता पूंजी की रकम 29,42,000 रु० है ।

बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली द्वारा उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क की अदायगी और उनकी तरफ आयकर की बकाया राशि

8910. श्री हुकुम चन्द कछवाय : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बल्लारपुर, इण्डस्ट्रीज बल्लारपुर डिविजन थापर हाऊस, 123 जनपथ, नई दिल्ली ने

गत तीन वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के रूप में कितनी राशि अदा की और उन पर आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस फर्म में आरम्भ से अब तक वर्षवार कितनी पूंजी का निवेश हुआ है इसके भागीदारों की संख्या कितनी है, और वे अन्य किन-किन उद्योगों तथा व्यापारों में भागीदार हैं और गत तीन वर्षों के समय का उन पर कितना आयकर बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) उल्लिखित कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	अदा की गई उत्पादन-शुल्क की रकम
1975-76	3,61,04,087
1976-77	5,26,76,891
1977-78	5,94,63,200

आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं से वसूल किए गए सीमा शुल्क का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अत: कंपनी द्वारा गत तीन वर्षों में अदा की गई सीमा शुल्क की रकम से संबंधित जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

कंपनी की ओर आयकर की बकाया रकम यदि कोई है, तो उसके संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (जो पहले बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स लिमिटेड के रूप में ज्ञात थी) एक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में रजिस्टर्ड है और इसके रजिस्ट्रेशन की तारीख 26 अप्रैल, 1945 है। कंपनी कार्य विभाग में उपलब्ध तुलन-पत्रों के अनुसार कंपनी की चुकता पूंजी के बारे में सूचना निम्नानुसार है :—

निम्नलिखित अवधि के दौरान समाप्त होने वाले तुलन-पत्र के अनुसार	चुकता पूंजी (लाख रुपयों में)
30-6-1950	58.70
30-6-1951	58.74
30-6-1952	64.51
30-6-1953	72.43
30-6-1954	72.76
30-6-1956	75.18
30-6-1957	75.18
30-6-1958	75.19
30-6-1959	75.30

[जारी.....]

30-6-1960	75.30
30-6-1961	159.63
30-6-1962	160.96
30-6-1963	161.10
30-6-1964	161.10
30-6-1965	161.10
30-6-1966	172.99
30-6-1967	180.00
30-6-1968	231.84
30-6-1969	231.84
30-6-1970	557.37
30-6-197	557.37
30-6-1972	762.30
30-6-1973	792.30
30-6-1974	762.30
30-6-1975	762.30
30-6-1976	1377.12
30-6-1977	1377.12

(यह उल्लेखनीय है कि कंपनी का तुलन-पत्र समस्त कंपनी के लिए तैयार किया गया है, न कि ऐकक-वार आधार पर।)

स्पेशलटी पेपर मिल्स लि० मौराय, जिला बलसार के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क की अदायगी और उनकी ओर बकाया आयकर

8911. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "स्पेशलटी पेपर मिल्स लि० मौराय, वियावापी जिला बलसार" द्वारा गत तीन वर्षों में उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क का अलग-अलग कितना भुगतान किया गया है तथा उन पर आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस फर्म के निर्माण से अब तक अलग-अलग वर्षों में कितनी पूंजी लगी हुई है, इसके कितने भागीदार हैं तथा वे अन्य किन-किन उद्योगों तथा व्यापार में भागीदार हैं और उनमें उनकी कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है और उन पर पिछले तीन वर्षों में कितना आयकर बाकी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) स्पेशलटी पेपर मिल्स, लि०, मौराय, बलसार द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किये गए उत्पादन-शुल्क की रकम से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :—

1976-77	1977-78	1978-79
6,61,617 रु०	6,09,059 रु०	6,99,549 रु०

आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं से वसूल किए गए सीमा-शुल्क का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। इसलिये, उपर्युक्त एकक द्वारा अदा किये गये सीमा शुल्क की रकम से संबंधित जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

स्पेशलटी पेपर मिल्स लि०, मौराय की ओर आयकर की बकाया रकम यदि कोई है, उसके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

ईस्ट एण्ड पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कलकत्ता द्वारा उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की अदायगी और उनकी ओर आयकर की बकाया राशि

8912. श्री दयाराम शाक्य : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांस बेडिया 1, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता स्थित ईस्ट एण्ड पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गत तीन वर्षों में उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क का अलग-अलग कितना भुगतान किया और उस पर आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस फर्म में इसके आरम्भ होने के बाद से अब तक वर्षवार कितनी पूंजी लगी है, और इसके भागीदारों की संख्या कितनी है और वे किन-किन उद्योगों और व्यवसायों में भागीदार हैं और उनमें कितनी पूंजी लगी है गत तीन वर्षों से उन पर आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं से वसूल किए गए सीमा शुल्क का वर्ष-वार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। अत: ईस्ट एण्ड पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अदा किए गए सीमा शुल्क की रकम से सम्बन्धित जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

ईस्ट एण्ड पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता की ओर उत्पादन शुल्क तथा आयकर की बकाया रकम यदि कोई है तो उसके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स जी० टी० इंडस्ट्रीज बम्बई के मामले में उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क की अदायगी और उनकी ओर आयकर की बकाया राशि

8913. श्री दयाराम शाक्य : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी. टी. इंडस्ट्रीज; 33 ऐ न्यू मेरिन लाइन्स उचानी, बम्बई द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितने उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क का अलग-अलग, भुगतान किया गया है तथा उस पर आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस फर्म के निर्माण से अब तक इसमें वर्षवार, कितनी पूंजी लगाई गई है तथा इसके कितने भागीदार हैं और वे अन्य किन-किन उद्योगों तथा व्यापार में भागीदार हैं और इनमें उनकी कितनी पूंजी लगी है और उन पर आथकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं से वसूल किए गए सीमा शुल्क का वर्ष-वार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है । इसलिए उल्लिखित फर्म द्वारा गत 3 वर्षों में अदा किए गए सीमा शुल्क की रकम से सम्बन्धित जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

फर्म द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किए गए उत्पादन शुल्क की रकम तथा फर्म की ओर आयकर की बकाया रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

यू० पी० स्ट्रॉ एण्ड एग्रो प्राडक्टस लिमिटेड द्वारा उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क की अदायगी और उनकी ओर आयकर की बकाया राशि

8914. श्री दयाराम शाक्य : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) यू. पी. स्ट्रां एण्ड एग्रो प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, अधवानपुर, जिला मुरादाबाद पिन संख्या 81, मुरादाबाद ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क की (पृथक्-पृथक्) कितनी राशि अदा की और आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस फर्म में आरम्भ से अब तक वर्षवार कितना निवेश हुआ है, इसके भागीदार कितने हैं, वे अन्य किन-किन उद्योगों तथा व्यापारों में भागीदार हैं, प्रत्येक ने उनमें कितना-कितना निवेश कर रखा है और उन पर आयकर की कितनी-कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं से वसूल किये गये सीमा-शुल्क का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है । इसलिये, यू. पी. स्ट्रॉ एंड एग्रो प्राडक्ट्स लि. द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किए गए सीमा-शुल्क की रकम से सम्बन्धित जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

यू. पी. स्ट्रॉ एंड एग्रो प्राडक्ट्स लि० द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अदा किए गए उत्पादन-शुल्क तथा उसकी ओर आयकर की, बकाया रकम यदि कोई है, के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

स्वतंत्र भारत पेपर मिल्स, नई दिल्ली के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क की अदायगी और उनकी ओर आयकर की बकाया राशि

8915. श्री दयाराम शाक्य : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्र भारत पेपर मिल्न, 5/7, देशबन्धु गुप्ता रोड, नई दिल्ली द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क की कितनी राशि का अलग-अलग भुगतान किया गया और आयकर, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क की कितनी बकाया राशि उनके नाम हैं: और

(ख) इस फर्म में इसके निर्यात से अब तक वर्षवार, कितनी पूंजी लगाई गई और उसमें कितने भागीदार हैं तथा उन अन्य उद्योगों और व्यवसायों के नाम क्या हैं; जिनमें वे भागीदार हैं; और उनमें कितनी राशि लगी है तथा उनके नाम आयकर की बकाया राशि कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं से वसूल किए गए सीमा-शुल्क का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। इसलिये, स्वतन्त्र भारत पेपर मिल्स, नई दिल्ली द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किये गये सीमा-शुल्क की रकम से संबंधित जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

स्वतन्त्र भारत पेपर मिल्स, नई दिल्ली द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अदा किए गए उत्पादन-शुल्क तथा उसकी ओर आयकर की बकाया रकम, यदि कोई है, के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्य तेलों का आयात

8916. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक किस्म के कितने

मूल्य के कितने टन खाद्य तेलों का आयात किया गया;

(ख) क्या वर्ष 1979-80 में भी खाद्य तेलों का आयात किया जायेगा और यदि हां, तो किस-किस किस्म के कितने टन और कितने मूल्य के तेल का आयात किया जायेगा;

(ग) खाद्य तेलों का आयात कब तक किया जायेगा;

(घ) वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान खाद्य तेलों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई और वर्ष 1979-80 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जायेगी; और

(ङ) देश खाद्य तेलों में कब तक और किस प्रकार से आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा और क्या इस बारे में कोई योजना तैयार की गई है अथवा की जानी है और यदि हां, तो यह कब तैयार की जाएगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां । वर्ष 1979-80 के दौरान आयात किये जाने वाले खाद्य तेलों की किस्म की मात्रा का निर्धारण समय-समय पर विभिन्न संगत बातों, जिनमें तेलों की मांग तथा देश में उनकी उपलब्ध मात्रा और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में चल रहे मूल्य भी शामिल हैं, के संदर्भ में किया जायेगा ।

(ग) देश में खाद्य तेलों की मांग व पूर्ति का वर्तमान अंतर आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है । यद्यपि सरकार इन तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये विभिन्न प्रयत्न कर रही है, फिर भी इसमें समय लगेगा और जिसके दौरान इनका आयात करना जारी रह सकता है ।

(घ) यह संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ङ) देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से सरकार द्वारा देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये किए गए महत्वपूर्ण उपाय संक्षेप में नीचे दिये गये हैं :—

(1) सुधरी टैक्नालोजी का तेजी से प्रसार करके सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना;

(2) सिंचित फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना, जिसके लिये नई सिंचाई परियोजनाओं के कमांड के अंतर्गत की सम्भाव्यताओं का उपयोग करना;

(3) अल्पावधि किस्मों के अंतर्गत अन्तरवर्ती तथा मिश्रित फसलें उगाकर क्षेत्र बढ़ाना;

(4) प्रमाणित बीजों की सप्लाई बढ़ाकर बीज उत्पादन कार्यक्रम को मजबूत करना;

(5) पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना, जिसमें एक दूसरे से सटे क्षेत्रों में बोये तिलहनों पर जहां-कहीं सम्भव हो, हवाई जहाज से छिड़काव करना;

(6) समर्थन मूल्य निर्धारित करना और खरीद कार्य करना;

(7) प्रमाणीकृत बीजों की लागत और पौध संरक्षण उपायों के लिए आर्थिक सहायता देना;

(8) अनुसन्धान कार्यों में तेजी लाना;

(9) सूर्यमुखी और सोयाबीन जैसे अपरम्परागत तिलहनों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना;

ऊपर दिये गये उपायों को अपनाने के परिणामस्वरूप प्रमुख तिलहनों का उत्पादन 1976-77 के 7834.2 हजार मीटरी टन से बढ़कर 1977-78 में 8932.6 हजार मीटरी टन हो गया। वर्ष 1978-79 के दौरान तिलहनों का वास्तविक उत्पादन 1977-78 से भी अधिक होने की आशा है।

विवरण

मूल्य—करोड़ रु० में

मात्रा—मीटरी टनों में

क्र० सं०	खाद्य तेलों की किस्म	1976-77		1977-78		1978-79 (जनवरी 1979 तक)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	सोयाबीन का तेल	87,959	51.16	3,45,795	196.60	4,41,463	238.18
2.	सूरजमुखी का तेल	—	—	28,597	17.99	—	—
3.	रेपसीड तेल (विभिन्न किस्मों का)	22,294	11.09	3,86,135	228.04	1,41,815	90.08
4.	ताड़ का तेल	59,971	17.45	4,60,075	217.50	1,26,209	65.32
5.	अन्य तेल	18,457	20.21	63,963	49.57	1,34,075	79.01

टिप्पणी :—वर्ष 1978-79 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

डीजल आयल इंजन के फालतू पुर्जों पर उत्पादन शुल्क

8917. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में राजकोट इंजीनियरिंग एसोसियेशन, राजकोट ने बजट में 10 अश्व-शक्ति वाले डीजल आयल-इंजन के फालतू पुर्जों पर लगाये गये

उत्पादन शुल्क को वापिस लेने के लिये 5 मार्च, 1979 को उनको एक तार और एक अभ्यावेदन भी भेजा था;

(ख) यदि हां तो तार का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या मांगें की गई हैं;

(ग) 10 अश्व-शक्ति वाले डीजल आयल इंजन के फालतू पुर्जों पर उत्पादन शुल्क लगाने के क्या कारण हैं जबकि 10 अश्व-शक्ति वाले डीजल आयल इंजन पर ऐसा कोई शुल्क नहीं है; और

(घ) 10 अश्व-शक्ति वाले डीजल आयल इंजन के फालतू पुर्जों पर लगाये गये उत्पादन शुल्क को कब तक वापिस ले लिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) तार का पूरा मजयून नीचे उद्धृत है :—

"टैरिफ मद 68 के डीजल इंजिन के पुर्जों के 15 लाख रुपये मात्र की बजाय 30 लाख रुपये तक के पण्यावर्त पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट प्रदान करें।"

(ग) और (घ) : वर्ष 1979 के बजट प्रस्तावों के अंग के रूप में, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के अंतर्गत आने वाले डीजल इंजिनों के पुर्जों पर उपलब्ध केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट की समीक्षा की गयी थी और वह 1-3-1979 से वापिस ले ली गयी। यह कार्यवाही इस छूट के प्रधान निर्माता-हिताधिकारियों को तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद सं० 68 के सम्बन्ध में प्रस्तावित अन्य परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए की गयी थी। परिणामतः, ऐसे पुर्जों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न छूटों के अधीन रहते हुए मूल्यानुसार 8 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा। इन छूटों में, अन्य बातों के साथ-साथ, लघु एककों द्वारा जिनकी, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की मद 68 के अन्तर्गत आने वाले माल की घरेलू उपभोग के लिये वर्ष 1978-79 में निकासियां 30 लाख रुपये से अधिक नहीं थीं। निर्मित डीजल इंजिन के पुर्जों के लिये एक वित्त वर्ष में 15 लाख रुपये तक की निकासी की सीमा तक मूल्य आधारित पूरी छूट शामिल है; ऐसे एककों की 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये के बीच की निकासी के लिए मूल्यानुसार 4 प्रतिशत की दर से रियायती शुल्क लगता है। इसलिए, डीजल इंजिन के पुर्जों पर शुल्क की पूरी दर केवल उन निर्माताओं द्वारा देय होगी, जिनकी एक वित्त वर्ष में निकासियां 30 लाख रुपये से अधिक की हो। इसके अतिरिक्त, इस मद के अंतर्गत अदा किये गये शुल्क का समायोजन उस स्थिति में उपलब्ध है जब इस मद के अंतर्गत आने वाले माल का इस्तेमाल उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल के उत्पादन में किया जाता है। 10 अश्व-शक्ति से कम के डीजल इंजिनों के संबंध में उन पर पूरी छूट है क्योंकि इन इंजिनों का इस्तेमाल आमतौर पर कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया राशि

8919. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) पांच वर्ष से अधिक समय से कुल कितनी राशि बकाया है और इसे वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में कुल कितने मुकदमें लम्बित हैं और सरकार का शीघ्रता से कैसे कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उपभोग में आने योग्य रबड़ के पेड़

8920. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस मामले की पूरी जांच करने का है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में उपभोग में आने योग्य रबड़ के पेड़ों के समूचे क्षेत्र का लाभ क्यों नहीं उठाया गया तथा इस संबंध में शीघ्र ही उचित कार्यवाही करेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) : इस समय कोई जांच करने की प्रस्थापना नहीं है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तैयार रबड़ के वृक्ष रबड़ गवेषणा सह-विकास स्टेशन अंडमान तथा कटचल रबड़ बागान परियोजना, निकोबार के अन्तर्गत हैं। रबड़ गवेषणा-सह-विकास स्टेशन अंडमान में 162 हेक्टार की कुल सीमा में रबड़ के वृक्ष चुआने योग्य हो गए हैं जिनमें से लगभग 80 हेक्टार में वृक्षों को अब चुआने के अन्तर्गत लाया गया है। शेष वृक्ष उत्तरोत्तर चुआने के अन्तर्गत लाए जा रहे हैं। ऐसी प्रस्थापना है कि अगले एक वर्ष के भीतर चुआने के अन्तर्गत सभी चुआने योग्य वृक्षों को लाया जाय। कटचल रबड़ बागान परियोजना निकोबार में चुआने योग्य क्षेत्र की सीमा 358 हेक्टार है और इसमें से 230 हेक्टार अब चुआने के अन्तर्गत हैं। ऐसी प्रस्थापना है कि अगले एक वर्ष के भीतर शेष क्षेत्रों को चुआने के अन्तर्गत लाया जाए।

मुद्रा-परिचालन में वृद्धि

8921. श्री के० प्रधानी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में मुद्रा-परिचालन में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके लेन देन की गति (विलोरी) की तुलना में परिचालित मुद्रा की वर्तमान मात्रा कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : जी, हां। वर्ष 1977-78 में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (अन्तिम शुक्रवार पर आधारित) में 2772 करोड़ रुपए की अथवा 17.8 प्रतिशत और वर्ष 1978-79 में 3329 करोड़ रुपए की अथवा 18.1 प्रतिशत (अनन्तिम) वृद्धि हुई। 30 मार्च, 1979 को, जनता के पास 10194 करोड़ रुपए (अनन्तिम) की करेंसी थी। वर्ष 1977-78 में मुद्रा की आय संबंधी औसत गति की दर 4.88 बैठती है।

गुजरात सरकार को पर्यटन विकास के लिये गत तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता

892 . श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार को राज्य में पर्यटन विकास के लिये गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी राशि की सहायता दी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि का उपयोग किया गया और जिस परियोजना पर उक्त धन का खर्च किया गया उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : पर्यटन के विकास का कार्य या तो केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत किया जाता है या राज्य सैक्टर के अन्तर्गत अतएव किसी भी राज्य को कोई सहायता नहीं दी जाती। गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत गुजरात में निम्नलिखित पर्यटन स्कीमें प्रारम्भ की गयी थीं :—

स्कीम	व्यय (लाख रुपयों में)	रिमार्कस
1976-77		
1. ससनगीर में वन गृह— फर्निशिंग और साज-सज्जा	1.93	
2. पोरबन्दर म पर्यटक बंगला	0.40	10.93 लाख रुपए की लागत पर स्कीम पूरी की गयी।
3. राज्य सरकार को सहायता अनुदान	0.12	गांधीनगर में केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित युवा होस्टल के वार्डन और सहायक वार्डन के वेतनों हेतु।
1977-78		
1. ससनगीर में वन गृह (फर्निशिंग और साज-सज्जा)	6.59	13.11 लाख रुपए(सिविल निर्माण) और फर्निशिंग और साज-सज्जा के लिए 8.52 लाख रुपए की लागत पर स्कीम पूरी हो गई।

(जारी.....)

2. सहायता अनुदान	0.12	गांधीनगर में केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित युवा होस्टल के वार्डन और सहायक वार्डन के वेतनों हेतु।
1978-79		
1. ससनगीर क्रीड़ा स्थल के लिए 2 मिनी बसें	2.20	राज्य सरकार को 2 मिनी बसें शरणस्थल पर उपलब्ध करने हेतु राज्य सरकार को प्रदान की गई ताकि यात्री वन्य जीवन का अवलोकन कर सकें।
2. सहायता अनुदान	0.12	गांधीनगर में निर्मित युवा होस्टल के वार्डन और सहायक वार्डन के वेतनों हेतु।

अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये ईंधन के कोटे में कटौती

8923. श्री सुरेन्द्र विक्रम
श्री राम सागर } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये ईंधन के कोटे में कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों पर क्या प्रभाव पड़ा है और क्या इससे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंची है; और

(ग) उस प्रक्रिया द्वारा प्रतिमास कितने लिटर पेट्रोल की बचत होगी और सरकार को ईंधन में कटौती के कारण कितने राजस्व की हानि होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में उत्पादित स्वदेशी रबड़ और आयातित रबड़ के मूल्यों में अन्तर

8924. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ों के संबंध में भारत में उत्पादित स्वदेशी रबड़ और आयातित रबड़ के मूल्यों में कितना अन्तर है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल)

प्राकृतिक रबड़

आंकड़े रु०/मे० टन में

ग्रेड	मार्च 1979 में कोट्टायम बाजार में स्वदेशी रबड़ की कीमत
आर. एम. ए. 1	10287.50
आर. एम. ए. 2	10200.00
आर. एम. ए. 3	10000.00
आर. एम. ए. 4	9844.00
आर. एम. ए. 5	9712.50
ग्रेड	**फरवरी/मार्च 1979 के दौरान आयात किये गये रबड़ की बिक्री कीमत**
आर. एस. एस. 1/जी. टी. आर.	10800.00
आर. एस. एस. 3/एस. एम. आर-10	10600.00
आर. एस. एस. 4/एस. एम. आर-20	10400 00
लेटेक्स 60 प्रतिशत अपकेन्द्रक	8000.00

संश्लिष्ट रबड़

ग्रेड	आंकड़े रु०/कि. ग्राम में बरेली से चलते समय स्वदेशी संश्लिष्ट रबड़ की वर्तमान कीमत जिसमें उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है।
एस. 1502	9.30
एस. 1712	8.80
एस. 1958 (बी)	14.50
एस. 1958 (जी)	15.00
बेमाप्रीन (नइट्राइल रबड़)	19.70—21.70
मैसर्स पैट्रोकैमीकल्स निगम लि० बड़ौदा द्वारा विनिर्मित पी. बी. आर.।	8.55 (बड़ौदा से चलते समय)

जिस विशिष्ट कीमत पर आयातित संश्लिष्ट रबड़ बेचा जाता है वह उपलब्ध नहीं है। अप्रैल-जुलाई 1978 के दौरान आयातित रबड़ की लागत बीमा भाड़ा कीमत 11.05 रु० प्रति किग्रा थी।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में दोष दूर करना

8925. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन एयरलाइन्स में (एक) उड़ान भरते हुये एक एयरबस

में कुछ कलपुर्जे दिल्ली के निकट नष्ट हो गये और इससे पहले कि विमान किसी प्रकार उतारा जा सके यात्रियों का दम घुटने लगा था (दो) दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान ऐसे धावन पथ पर उतरता है जहां घास के ढेर जमा थे (तीन) इण्डियन एयरलाइन्स की अधिकांश उड़ान विलम्ब से होती है; (चार) जबकि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानचालकों की कमी है बहुत से वाणिज्यिक विमान चालक बेरोजगार हैं जैसी, गम्भीर बातों की ओर गया है जो चिन्ता का विषय है;

(ख) इनका ब्यौरा क्या है तथा उनके पीछे कारण क्या है; और

(ग) इन दोषों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) सरकार को (1) तथा (2) में दी गयी घटनाओं की तथा (3) में निर्दिष्ट इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में देरी की भी जानकारी है। जहां तक (4) का संबंध है, इण्डियन एयरलाइन्स में विमानचालकों की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

(i) 23 मार्च, 1979 को उड़ान आई. सी.-401 का परिचालन करने वाले एयरबस विमान मे एक 'एक्सेस पेनल" की गलत फिटिंग की वजह से "प्रेशराइजेशन" के काम करना बंद कर देने के कारण दिल्ली में एहतियाती अवतरण किया। विमान में मोहैया की गयी स्वत: आक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था ने संतोषप्रद ढंग से कार्य किया जिससे यात्रियों को असुविधा से बचाया जा सका। इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए आवश्यक कार्य-वाही की जा रही है।

(2) इण्डियन एयरलाइन्स की 17 मार्च, 1979 की उड़ान संख्या आई. सी.-406 ने पालम के धावन-पथ 28 पर अवतरण किया तथा उसे बे नं० 10 में पार्क करने से पूर्व धावन-पथ-09 के साथ-साथ टर्मीनल तक टैक्सी करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा क्लीयर कर दिया गया था। धावन-पथ 09 के साथ साथ जाते समय उड़ान के कमांडर ने धावन-पथ 09 को सूखे घास से ढका पाया तथा उसे विमान को रोकना पड़ा। उसके पास विमान को इधर उधर घुमाने के लिए स्थान नहीं था और न ही प्रज्वलनशील घास के इंजन में घुसने के खतरे को दृष्टि में रखते हुए वह उसे आगे ही ले जा सका। कुछ देर बाद, यात्रियों को धावन-पथ पर ही उतारना संभव हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। परिचालन विभागों के कार्यचालन में बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(3) जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1979 के महीनों के दौरान कुल मिला कर समय पर की गयी उड़ानों का प्रतिशत क्रमश: 34.14%, 43.01%, और 59.02% था। देरियां खराब मौसम इत्यादि विभिन्न कारणों से हुई। नियंत्रण करने योग्य सभी देरियों की उपचारी कार्यवाही करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कारपोरेशन का यह सतत प्रयत्न रहता है

कि उड़ान सुरक्षा के उच्चतम स्तरों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ देरियों को भी न्यूनतम किया जाए।

बजट पेश होने के पहले तथा बाद में थोक विक्रेताओं तथा परचून विक्रेताओं को मूल्यों में वृद्धि करने में रोकने की व्यवस्था

8926. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वार्षिक बजट पेश किए जाने से पहले तथा बाद में थोक तथा परचून विक्रेताओं को मनमाने ढंग से मूल्य बढ़ाने अथवा माल को छिपाने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यवस्था के कार्यकरण संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं; तो इस संबंध में आम जनता के हितों को ध्यान में न रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) तथा (ग) : जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी को रोकने तथा उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए सरकार के पास सांविधिक शक्तियां हैं। अत: अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत, मूल्यों में अनुचित वृद्धि की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक शक्तियां सौंप दी गई हैं। नाप तोल (डिब्बा बन्द वस्तुएं। मानकीकरण नियमावली, 1977 के अन्तर्गत भी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है। जिसके अंतर्गत, डिब्बाबन्द वस्तुओं के संबंध में, डिब्बों पर, डिब्बा बन्द वस्तुओं का खुदरा मूल्य तथा उसके निर्माण का महीना तथा वर्ष लिखा जाना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग को अनेक अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति तथा कीमतों पर नियंत्रण रखने का काम सौंपा गया है। वह विभाग, राज्य सरकारों तथा उत्पादकों के सहयोग से स्थानीय कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है ताकि मूल्यों में अनुचित वृद्धि न हो।

केरल राज्य में मालाबार क्षेत्र के लिये विमान सेवा

8927. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि यदि केरल के क्षेत्रों का विकास किया जाय तथा उनसे लाभ उठाया जाय तो वहां पर्यटकों को आकर्षित करने की बड़ी क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है अथवा केरल सरकार ने तत्संबंधी कोई योजना पेश की है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि कालीकट में हवाई अड्डे का निर्माण न किये जाने के कारण केरल का मालाबार क्षेत्र विमान सेवा से वंचित रहा है जिसके फलस्वरूप केरल के उत्तरी अर्द्धभाग में पर्यटन विकास के कार्य में बाधा पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति पर काबू पाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ङ) क्या सरकार केरल के जिला मुख्यालयों को परस्पर विमान सेवा से जोड़ने के लिये एक नई एयरवेज स्थापित करने के केरल सरकार के प्रस्ताव से सहमत है जिसके फलस्वरूप पर्यटन के संवर्धन में सहायता मिलने के साथ-साथ इस क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था को भी सहायता मिलेगी; और

(च) यदि नहीं, तो प्रस्तावित नई एयरलाइन्स स्थापित हो जाने के बाद क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों को विमान सेवा से जोड़ने का है; और यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के कब क्रियान्वित होने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : पर्यटन के विकास हेतु केरल में विशाल संभाव्यताओं के बारे में सरकार को जानकारी है। यद्यपि केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा केरल में पर्यटन के विकास से संबंधित कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है और न ही ऐसा अध्ययन केरल सरकार से प्राप्त हुआ है, तथापि केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में कोवलम के अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तट विहार स्थल के रूप में विकास का कार्य प्रारम्भ किया। विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इस स्कीम पर अब तक किया गया पूंजीगत व्यय 263.14 लाख रुपए है।

त्रिवेंद्रम, कोचीन, थेकेडी, कन्या कुमारी और चेरूथुरुथी में मौजूदा सुविधाओं के सुधार और विस्तार, त्रिवेन्द्रम में युवा होस्टल के निर्माण और पेरियार वन्य जीव शरण-स्थल में वन्य जीवन अवलोकन के लिए मोटर लांचों की व्यवस्था तथा कोचीन में बैक-वाटर्स में नौका-विहार (क्रूजिंग) के लिए पूर्ववर्ती योजनाओं में केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 15.43 लाख रुपए खर्च किए।

केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत विकास हेतु लिए जाने के लिए दो केन्द्रों/स्कीमों का सुझाव देने के लिए, नवम्बर, 1978 में हुए पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में, केरल के पर्यटन मन्त्री ने केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत प्रारम्भ किए जाने हेतु निम्नलिखित स्कीमों का सुझाव दिया था :—

(i) नौका विहार (क्रूजिंग) के लिए केरल में बैक-वाटर्स का विकास

(ii) त्रिवेन्द्रम में एक होटल का निर्माण (3-स्टार श्रेणी)

(iii) त्रिवेन्द्रम के पास नेय्यार बांध के आस पास वन क्षेत्र में सफारी पार्क।

संसाधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए उपरोक्त स्कीमों पर कार्यान्वयन हेतु विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) : कालीकट के पास करीपुर में हवाईपट्टी के निर्माण के लिए नागर विमानन विभाग द्वारा 11 लाख रुपए की कुल लागत पर एक स्थल का अधिग्रहण किया गया है, और

उस पर फैंस लगाया गया है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित स्थल के लिए 15 लाख रुपए की लागत पर पहुंच-मार्गों का निर्माण किया है। नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा "एस. टी. ओ. एल. आपरेशन्स" के लिए 58.39 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक हवाई अड्डे के निर्माण हेतु योजनाएं और अनुमान वित्तीय स्वीकृति हेतु सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए गए हैं।

(ङ) और (च) : जिला मुख्यालयों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

फिल्म प्रोसेसिंग प्रयोगशालाओं के लिये पूंजीगत माल, उपकरण और कच्चे माल का आयात

8928. श्री वसन्त कुमार पण्डित : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूंजीगत माल, उपकरण, फालतू कलपुर्जों और कच्चा माल तथा रासायनिक पदार्थों के लिये आवेदन पत्रों पर सिफारिश करने का अधिकार केवल फिल्म डिवीजन को है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1978 तक फिल्म डिवीजन की मंजूरी के लिये फिल्म प्रोसेसिंग प्रयोगशालाओं के कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं;

(ग) कितने आवेदन पत्र 6 महीनों से अधिक की अवधि से अनिर्णीत पड़े हैं तथा उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक को इन लाइसेंसों की स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) कोल्ड नेगेटिवों को परिष्कृत करने के लिये अपेक्षित सी० डी० 111 नामक रसायन की भारी कमी को, जिसके कारण एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग को आयात नीति, 1978-79 में सिनेमाटोग्रौफिक। स्टूडियो उपस्कर के आयात के लिए प्रायोजित प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में 27 नवम्बर, 1978 को नीति में संशोधन करके इस कार्य को उद्योग के राज्य निदेशकों को सौंप दिया गया, उसी दिन से उद्योग के राज्य निदेशकों को भी फिल्म प्रोसेसिंग प्रयोगशालाओं के मामले में विशिष्ट रूप से प्रायोजित प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया।

(ख) दो।

(ग) लाइसेंसिंग कार्यालयों में छः महीने से ऊपर की केवल सात अर्जियां लम्बित हैं, जिनमें से एक सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की सिफारिशें न मिलने के कारण तथा अन्य तीन अर्जियां उद्योगों के राज्य निदेशक और। अथवा तकनीकी विकास महानिदेशालय की सिफारिशें न मिलने

के कारण लम्बित हैं। शेष तीन अर्जियों पर कार्यवाही पूरी कर ली गई है तथा शीघ्र ही इन पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

(घ) प्रायोजित प्राधिकारियों के माध्यम से लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को प्राप्त अर्जियां निर्धारित नीति के अनुसार निपटाई जाती हैं।

(ङ) वास्तविक प्रयोक्ताओं को इस माल के आयात तथा वितरण के लिए कुल 2 लाख रु० मूल्य के आयात लाइसेंस जारी किए गए हैं।

इंडोनेशिया में जकार्ता में भारतीय इंजीनियरी के सामानों की प्रदर्शनी

8929. डा० वसन्त कुमार पंडित
श्री पवित्र मोहन प्रधान : **क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने जकार्ता में "इंडी 79" अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो कितने उद्योगों ने भाग लिया और उस प्रदर्शनी में उद्योग विभाग का कार्यक्रम क्या रहा; और

(ग) कितने रुपये के निर्यात आर्डर बुक किये गये और इसमें से कितना "नया" निर्यात कारोबार था ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) एसियन देशों से 17 भारतीय संयुक्त उद्यमों सहित 234 भागीदारों ने प्रदर्शनी में भाग लिया। स्टाल की व्यवस्था निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार की गई थी :

(क) पूंजीगत उपस्कर

(ख) परामर्शी सेवाएं

(ग) इलैक्ट्रानिकी

(घ) हल्की इन्जीनियरी

(ङ) वस्त्र मशीनरी

(च) परिवहन उपस्कर, आटोमोबाइल तथा अनुबंगी सामान।

(छ) निर्यात सदन

(ज) अन्य उद्योग तथा निर्यात सेवाएं।

(ग) 150 लाख अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात क्रयादेश उन विषयों पर बुक किये गये जो बिल्कुल नये थे।

मन्दी ग्रस्त हीरा उद्योग

8930. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री निहार लास्कर } : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मन्दी ग्रस्त हीरा उद्योग का पुनरीक्षण करने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस उद्योग के स्टाक में अब भी 200 करोड़ रुपयों के मूल्य के तराशे हुये हीरे बिना बिके पड़े हैं;

(घ) क्या दिसम्बर, 1978 से हीरों के निर्यात में लगातार कमी होती जा रही है तथा बिना तराशे हुये हीरों का उत्पादन लगातार हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इससे उद्योग को गम्भीर वित्तीय समस्या उत्पन्न हो रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ङ) : रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जनवरी से मार्च, 1979 के दौरान किये गये हीरों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :

जनवरी, 79	68.00 करोड़ रु०
फरवरी, 79	50.55 करोड़ रु०
मार्च, 79	55.46 करोड़ रु०

ये निर्यात 1978 के इन्हीं महीनों में किये गये निर्यातों से काफी अधिक थे ।

परिषद के अस्थायी अनुमानों के अनुसार वर्ष 1978-79 में 695 करोड़ रु० मूल्य के हीरों का निर्यात हुए जबकि 1977-78 में इनके 516 करोड़ रु० के निर्यात हुए । तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापारिक मन्दी की परिस्थितियों के फलस्वरूप हीरा निर्यात व्यापार में हाल में आयी मन्दी से सरकार अवगत है । स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा रत्न व आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद से विचार-विमर्श करके समीक्षा की जा रही है ।

ओरिएंटल प्रबंधकों द्वारा इमारत, फर्नीचर आदि पर किया गया व्यय

8931. श्री महीलाल : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबन्धक बोर्ड ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री के० एस० शिनाय तथा ओरिएंटल एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक श्री पी० सी० शेखर की दो सदस्यीय समिति ओरिएंटल प्रबंधकों द्वारा इमारत, फर्नीचर तथा इस प्रकार की अन्य मदों पर अत्यधिक खर्च की जांच के लिए नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उसे सभा पटल पर रखा जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने एक गैस्ट हाउस और उसके दो वरिष्ठ अधिकारियों के रिहायशी मकानों पर हुए खर्च की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) इस रिपोर्ट के ब्यौरे का और इस संबंध में यदि उस पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई की जानी हो तो उसका पता बीमा कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा उस रिपोर्ट पर विधिवत विचार किए जाने के बाद ही लग सकेगा।

रेलवे, डाक तथा तार और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

8932. **श्री चित्त बसु**
श्री हलीमुद्दीन अहमद
डा० रामजी सिंह } : **क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, डाक-तार तथा विभागीय उपक्रमों सहित सरकारी उपक्रमों को बोनस का भुगतान करने के बारे में मंत्रियों के ग्रुप का प्रतिवेदन इस समय वित्त विभाग में विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) : सरकार ने, मजदूरी, आय और कीमतों विषयक अध्ययन दल की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक दल को नियुक्त किया है जिसमें उप प्रधान मंत्री (वित्त), गृह मंत्री, श्रम मंत्री, उद्योग मंत्री और पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री शामिल हैं। इस रिपोर्ट में नए क्षेत्रों में बोनस को लागू करने सम्बन्धी सिफारिश निहित है, देखिए इस रिपोर्ट का पैरा 8.15 और 8.16 जो नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं :—

8.15 तर्क संगत रूप में, लाभ में संबद्ध बोनस, जो अब तक लंबे अरसे से, भारत में प्रचलित रहा है, केवल उन उद्योगों के लिये उपयुक्त है जो उपयुक्त प्रतियोगी परिस्थितियों में बाजार के लिये उत्पादन करते हैं। ऐसे संगठित क्रियाकलापों के मामले में चाहे वे औद्योगिक हों अथवा अन्य, जहां लाभ का प्रयोजन बिल्कुल नहीं होता अथवा जहां लाभ सार्वजनिक नीति द्वारा प्रेरित, प्रभावित अथवा अन्यथा प्रभावित होते हैं और जिसका उपयोग अधिकांशतः समाज के कल्याण के लिए होता है, यह उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार यह सरकारी सेवाओं और ऐसे ही कार्यकलापों के लिए

अनुपयुक्त हैं, जिनमें रेलवे, डाक व तार और सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं, वित्तीय और अन्य संस्थाएं भी शामिल हैं।

8.16 इस तर्क के आधार पर, लाभ से संबद्ध बोनस की पद्धति को नए क्षेत्रों में लागू करना वांछनीय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जहां कि अनुपयुक्त क्षेत्रों में बोनस की पद्धति चालू है इसे अवस्थाओं में समाप्त किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसे कार्य-निष्पादन के अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त उपायों से संबद्ध अन्य अदायगियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए।

2. भूतलिंगम अध्ययन दल की उपरोक्त सिफारिशों पर मंत्रियों के दल द्वारा विचार किया जा रहा है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रिपोर्ट में नीति के कुछ आधारभूत मामले उठाए गए हैं और इस स्तर पर यह कहना कठिन है कि मंत्रियों के दल के लिए अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देना कब तक सम्भव होगा।

सहकारिता आंदोलन की असफलता

8933. श्री एडुआर्डो फेलीरो : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सहकारिता आन्दोलन अपनी आन्तरिक निधियों का सृजन करने में असफल रहा है और फलस्वरूप सरकारी वित्त पर उसकी निर्भरता बढ़ गई है;

(ख) क्या सहकारिताओं में आमतौर से गांवों के धनिक लोगों का ही प्रभुत्व रहा है जिनके कारण एक नया 'महाजनवाद' पैदा हो गया है; और

(ग) सहकारिताओं के लिये प्रबंधकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा उनका लोकतांत्रिक स्वरूप सुरक्षित रखने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) सहकारी आंदोलन के विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास तथा प्रगति हुई है। वह भिन्न-भिन्न राज्यों और यहां तक कि एक ही राज्य के भीतर के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है। यद्यपि, यह कहा जा सकता है कि कुछ राज्यों में इस आंदोलन की अच्छी प्रगति हुई है, तथापि, अन्य राज्यों में यह प्रगति अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाई है। सहकारिता राज्य का विषय है और किसी राज्य में सहकारी आंदोलन के विकास का स्तर अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा राज्य से अपेक्षित सहायता-नीति वित्तीय तथा तकनीकी—प्रदान करने के लिये किये गये प्रयत्नों के अनुरूप ही हो सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में सहकारिता आंदोलन को काफी समय तक सरकार तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी। सरकार द्वारा प्रारम्भिक वर्षों में दी जाने वाली वित्तीय सहायता मुख्यत: इन रूपों में दी जाती है—सहकारी समितियों की ऋण लेने की क्षमता बढ़ाने के लिये उनकी अंशपूंजी में भाग लेना तथा गोदामों के निर्माण, संयंत्रों तथा मशीनों आदि की खरीद जैसी महत्वपूर्ण आस्तियां बनाने के

लिए ऋण तथा आर्थिक सहायता देना और प्रबंधकीय आर्थिक सहायता देना। सार्वजनिक क्षेत्र के सावधि ऋणदायी संस्थाओं द्वारा भी प्रमुख संसाधन तथा औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जैसा कि निजी क्षेत्र के ऐसे उद्योगों को उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक और कृषि पुनर्वित विकास निगम सहकारी ऋण क्षेत्र को कृषि कार्यों तथा कृषि के विकास के लिये क्रमश: अल्प व मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण देते हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान सहकारी समितियों के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों में विविधता लाने और कृषि के लिये आवश्यक आधार ढांचे की सहायता प्रदान करने के लिये काफी पहल की है। परिणामस्वरूप, सहकारी संस्थाओं को धन की आवश्यकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि, यह कहना सही नहीं होगा कि सहकारी समितियां आंतरिक संसाधनों से अपेक्षित धन जुटाने में असफल रही हैं। उदाहरण के लिये प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की अंशपूंजी वर्ष 1976-77 के अंत में 368-86 करोड़ रुपये थी, जिसमें से सरकार का अंशदान मात्र 46.16 करोड़ रुपये का था। इसी प्रकार, राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों, की 1976-77 के अंत में कुल अंशपूंजी लगभग 340 करोड़ रुपये की थी, जिसमें सरकार द्वारा उनकी अंशपूंजी में दिये गये अंशदान के रूप में केवल 100 करोड़ रुपये शामिल थे। सहकारिता की दृष्टि से विकसित कुछ राज्यों में सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के पास जमा राशियों के माध्यम से जुटायी गयी अतिरिक्त धन राशि है और उन्हें यह अतिरिक्त धनराशि सहकारी क्षेत्र से बाहर लगानी पड़ी है। राष्ट्रीय सहकारी नीति संकल्प में इस बात पर बल दिया गया है कि सहकारी आंदोलन का निर्माण एक स्वायत्त तथा आत्मनिर्भर आंदोलन के रूप में किया जायेगा। और सहकारी समितियों की स्वायत्तता का आधार अन्य बातों के साथ-साथ आंतरिक संसाधन अधिकाधिक मात्रा में बढ़ाना, ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में बचत जुटाना और बाहरी वित्तदायी संस्थाओं तथा सरकार के संस्थानों पर निर्भरता कराना होगा। यह कहा जा सकता है कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन ने इस उद्देश्य को निकट भविष्य में प्राप्त कर लेने की दिशा में शुरूआत कर दी है।

(ख) ग्रामीण सहकारी समितियों का उद्देश्य कृषि विकास के लिये आवश्यक आधार ढांचा सुलभ करना है और किसानों के लिये आय के अवसर सुधारने हैं। सहकारी समितियों की खुली सदस्यता है और वे सब जो इनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं इनके सदस्य बनने के पात्र हैं। उन्होंने अपनी ऋण नीतियों को भी नया रूप दिया है, ताकि छोटे तथा सीमान्त किसानों और अन्य कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को अधिकाधिक रूप से पूरा किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रारंभ में यह शर्त रखी थी कि सहकारी ऋण ढांचे द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का कम से कम 20 प्रतिशत कमजोर वर्गों को दिया जाना चाहिये। कृषि ऋण सहकारी समितियों ने 1975-76 के दौरान ही अपने द्वारा दिये गये ऋणों का 34 प्रतिशत भाग कमजोर वर्गों को देकर इस शर्त से अधिक ऋण दिया। इसलिये यह कहना सही नहीं होगा कि सहकारी समितियों में आम तौर से धनिक किसानों का ही प्रभुत्व रहा है, जिसके कारण गांवों में एक नया अभिजात वर्ग पैदा हो गया है।

(ग) सहकारी प्रशिक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य सहकारी आंदोलन के प्रबंध ढांचे को मजबूत करना और सहकारी समितियों में नियुक्त कर्मचारियों के ज्ञान, अनुभव तथा कुशलता में

सुधार करने के लिये व्यावसायिक प्रबंध का निर्माण करने में सहकारी संस्थाओं की सहायता करना है । सहकारी प्रशिक्षण समूह में विभिन्न श्रेणियों के सहकारी प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये एक राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान 16 सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा 73 कनिष्ठ सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र शामिल हैं । सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं का तीन स्तरीय ढांचा विविध कार्यमूलक पाठ्यक्रम आयोजित करता है जो अधिकाधिक रूप से लोकप्रिय हो रहे हैं । कई अल्पावधि पाठ्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं, ताकि प्रशिक्षण को स्वत: सुधार के लिए निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया बनाया जा सके ।

राष्ट्रीय सहकारी नीति संकल्प में सहकारी आंदोलन के लोकतंत्रीय स्वरूप को बनाये रखने पर काफी बल दिया गया है । राष्ट्रीय सहकारी नीति संकल्प के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तैयार किये गये 42 सूत्री कार्यवाही कार्यक्रम में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये जो उपाय किए जाने हैं उनका विस्तृत ब्यौरा दिया गया है ।

तस्करी पर रोक लगाने हेतु उपयोग में लाये गये हेलीकोप्टरों और नावों (लाँन्च) के लिए प्रयोग में लाये गये ईंधन पर व्यय

8934. श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तस्करी को रोकने के लिए उपयोग में लाये गये हैलीकोप्टरों और मोटर नावों के बारे में ईंधन आदि पर हुआ व्यय वर्ष 1976-77 की तुलना में वर्ष 1978-79 के दौरान काफी बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1976-77 तथा 1978-79 में जब्त किये गये तस्करी के माल का मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1976-77 में लगभग 35 करोड़ रुपये मूल्य का तथा वर्ष 1978-79 में लगभग 29 करोड़ रुपये मूल्य का तस्करी का माल पकड़ा गया था ।

आयकर अधिकारी ग्रुप 'बी' के पदों का ग्रुप 'ए' में बदला जाना

8935. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री 23 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 706 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक कार्य जो आयकर अधिकारी ग्रुप 'ए' द्वारा किये जाने होते हैं, इस समय आय-कर अधिकारी ग्रुप 'बी' द्वारा किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में अतिरिक्त भत्ते दिये जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो आय-कर विभाग में सरकार के नियमों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं और उन पदों को आयकर अधिकारी ग्रुप 'ए' के रूप में बदले जाने में क्या कठिनाइयां हैं जब दस वर्ष से अधिक सेवा वाले ग्रुप 'बी' के अनेक अधिकारी उपलब्ध हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : आयकर अधिकारियों अथवा समूह 'ख' के आयकर अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य के वर्गीकरण के आधार पर निर्दिष्ट नहीं किया गया है। समूह 'ख' का कोई अधिकारी समूह 'क' के अधिकार-क्षेत्र का कार्यभार संभाले हुए है अथवा नहीं इसका निर्धारण इस तरह के वर्गीकरण के बाद ही किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामलों की संख्या नहीं बताई जा सकती।

(ग) और (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते।

कच्चे काजू का आयात

8936. श्री अहसान जाफरी : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 14 सितम्बर, 1978 को एम० डी० सी० अधिसूचना संख्या 67-11 (एफ० एन०)/78 के आधार पर वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) ने कच्चे काजू के सीधे आयात के लिये आवेदन किया था;

(ख) क्या लाइसेंस जारी करने के लिये सरकार ने कार्यवाही की है; और

(ग) यदि लाइसेंस जारी करने में नवम्बर के महीने के बाद तक विलम्ब हो तो कच्चे काजू की वसूली किस प्रकार की जायेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) मांग स्वीकार करना संभव नहीं था क्योंकि कच्चे काजू सहित विशिष्ट मार्गीकृत मदों की नीति के अनुसार सीधे आयात की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

(ग) 1978-79 की आयात नीति के अन्तर्गत भारतीय काजू निगम के जरिए आयात के लिए कच्चा काजू एक मार्गीकृत मद है तथा मार्गीकरण अभिकरण को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयातों की व्यवस्था करने की सुविधा दी गई है।

राज्यों द्वारा पर्याप्त संसाधन जुटाना

8937. श्री डी० डी० देसाई : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्यों के वित्त मंत्रियों को लिखे पत्र में राज्यों के लिए छठे योजना मसौदे में निर्धारित 4,000 करोड़ के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का अनुरोध किया है; और

(ख) क्या उन्होंने इस वर्ष अनेक राज्यों के पर्याप्त संसाधन जुटाने में असफल होने पर अप्रसन्नता भी व्यक्त की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : 20 मार्च, 1979 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कुछ राज्यों के मामले में 1978-79 के दौरान अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में हुई कमी पर चिन्ता प्रकट की गई है तथा उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि 1978-83 की पंचवर्षीय आयोजना के मसौदे में उल्लिखित अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त किया जाए।

वाणिज्यिक बैंकों को आवास परियोजनाओं का वित्त पोषण करने की क्षमता

8938. डा० पी० वी० पेरीयासामी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक बैंकों की आवास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने की क्षमता पर विचार करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये यह व्यवस्था किन राज्यों में की गई हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) कार्यकारी दल की सिफारिशों की जांच करने के बाद, रिजर्व बैंक का यह विचार बना है कि प्रति वर्ष वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गयी आवासन वित्त की मात्रा उनके कुल ऋणों के लगभग 0.5 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए और इसकी अधिकांश मात्रा निम्नलिखित रूप में दी जानी चाहिए :

(1) हुडकों और राज्य आवासन बोर्डों के बांडों और ऋण पत्रों में अंशदान; और

(2) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, अल्प-आय समूह और मध्यम आय वर्ग आदि की आवासन परियोजनाओं का वित्त पोषण इन निर्णयों के कार्यान्वयन के तरीके निकाले जा रहे हैं।

(ख) सभी राज्यों को व्याप्त करने का प्रस्ताव है।

आम उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की थोक और खुदरा कीमतों की प्रवृत्ति

8939. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष फरवरी, मार्च और अप्रैल, के महीनों में आम उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की थोक और खुदरा मूल्यों में क्या प्रवृत्ति रही और तत्संबंधी विस्तृत आंकड़े क्या हैं; और

(ख) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अगवाल) : (क) तथा (ख) : आवश्यक वस्तुओं की थोक या खुदरा कीमयों का कोई अलग सूचक अंक नहीं है। किन्तु समस्त वस्तु संबंधी थोक कीमतों का सूचक अंक (1970-71=100) जो कि जनवरी 1979 में 184.6 था कम होकर फरवरी में 183.5 हो गया और उसके बाद मार्च 1979 में (जो कि सब से हाल के उपलब्ध अंक हैं) यह बढ़कर 188.7 हो गया।

अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100) जो जनवरी 1979 में 332 था कम हो कर फरवरी 1979 में (सबसे हाल के उपलब्ध सूचक अंक) 329 रह गया।

मार्च के महीने से आगे, कीमतों में मौसमी परिस्थितियों के कारण तथा बजट संबंधी करों के कारण कुछ वृद्धि होना अपरिहार्य है। फिर भी कीमतों की स्थिति पर बराबर नजर रखी जाती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है, उचित कार्यवाही भी की जाती है। अत: नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग ने राज्य सरकारों को सावधान कर दिया है कि वे कीमतों में किसी भी अनुचित वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें :

मांस का निर्यात

8940. श्री पोयूषतिरकी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान विभिन्न देशों को मांस के कितनी मात्रा में निर्यात की अनुमति दी गयी; और

(ख) विभिन्न देशों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : वर्ष 1978-79 के दौरान भारत से निर्यातित मांस की देशवार मात्रा तथा मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1978-79 के दौरान ताजे मांस का निर्यात

क्रमांक	देश	मात्रा मे० टन में	मूल्य लाख रु० में
1.	यू. ए. ई.	2108.9	264.12
2.	कुवैत	1296.8	157.13
3.	ओमान	668.5	157.32
4.	बहरीन	324.1	43.37
5.	अन्य	86.1	10.76
	योग	4484.4	632.70

[जारी.....]

1978-79 के दौरान जमाए हुए मांस का निर्यात

1.	कुवैत	8477.1	658.61
2.	यू. ए. ई.	2898.7	235.66
3.	बहरीन	242.7	19.56
4.	दक्षिण अरेबिया	2335.5	194.51
5.	नीदरलैंड	155.2	15.48
6.	अन्य	210.9	20.67
	योग	14320.1	1144.49

स्रोत : सीमा शुल्क गृहों के निर्यातों की दैनिक सूचियां।

घाट्टा कम करने के लिये भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा की गई मितव्ययिता

8941. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम देश में स्थित अपने होटलों को हो रहे घाटे कम करने के लिए कार्यवाही कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि ऐसी कार्यवाही द्वारा अब तक कोई मितव्ययिता की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा देश में परिचालित 19 होटलों में से, 1978-79 के दौरान 10 होटलों ने निवल लाभ अर्जित किया। शेष 9 होटलों में से, जिन्हें नुकसान उठाने पड़े केवल दो के मामलों में परिचालन संबंधी घाटे हुए। 1978-79 के दौरान सभी होटलों से सम्मिलित निवल लाभ (कर से पूर्व) अनन्तिम रूप से 206.59 लाख रुपए अनुमानित किया गया है। सभी होटलों के निष्पादन में और अधिक सुधार लाने और साथ ही हानियों को कम करने की दृष्टि से, भारत पर्यटन विकास निगम ने पहले ही बहुत से कदम उठाए हैं, जिनमें ये शामिल हैं :—दृव्य-श्रव्य प्रदर्शन के रूप में सघव मार्किटिंग प्रयास, सम्मेलनों और संगोष्ठियों में अभिवृद्धि, आकर्षक एकमुश्त यात्राएं, यात्रा संवर्धकों के लिए परिचायक यात्राएं, शैक्षणिक सम्मेलनों और संगोष्ठियों के लिए विशेष दरें, वाल्यूम बिजनेस के लिए प्रोत्साहन, आफ सीजन डिस्काउंट्स, विशेष सप्ताहान्त अवकाश दरें, केन्द्रीय आरक्षण सुविधा की व्यवस्था, यात्रा अभिकर्ताओं, व्यापार-घरानों और एयरलाइनों के साथ सघन अनुवर्ती सम्पर्क। इसके अलावा, प्रभावी मूल्य नियंत्रण उपाय लागू किए गए हैं और लागत को कम करने के लिए व्यय की मदों की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है।

(ग) इन उपायों के फलस्वरूप हानि में चल रहे यूनिटों की कुल हानियां 1976-77 के दौरान 96.36 लाख रुपए से कम हो कर 1978-79 के दौरान 43.55 लाख रुपए हो गयीं।

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र का कार्यकरण

8942. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1978-79 के दौरान कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र के कार्यकरण को तीव्र करने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ग) अब तक क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) : जी हां। कांडला मुक्त व्यापार जोन के विकास में रुकावट डालने जल्दी समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार ने जो समिति नियुक्त की थी उसने उन अवस्थापना संबंधी सुविधाओं तथा वित्तीय प्रोत्साहनों का पता लगा लिया है जिससे कांडला मुक्त व्यापार जोन के कार्य प्रणाली से मजबूत होगी तथा उसमें और सुधार होगा। समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्कालय में उपलब्ध हैं।

तस्करों पर मुकदमें

8943. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में तस्करों पर मुकदमें चलाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त अपराधियों को क्या दंड दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : जी हां। सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार तस्करी से सम्बन्धित अपराधों के लिये, वर्ष 1977-78 में 1614 व्यक्तियों के खिलाफ और 1978-79 में 1362* व्यक्तियों के खिलाफ इस्तगासे की कार्यवाही शुरू की गयी।

(ग) अन्तर्ग्रस्त माल को जब्त करने और अपराधियों पर सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत दण्ड लगाने के अतिरिक्त उनके खिलाफ न्यायालयों में भी इस्तगासे की कार्यवाही भी शुरू की गयी। न्यायालयों द्वारा वर्ष 1977-78 में 959 और वर्ष 1978-79 में 1035* अपराधी दोषी ठहराये गये।

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

छठी योजना के दौरान पर्यटन के लिए धनराशि का नियतन

8944. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1979-80 (छठी योजना के अन्तर्गत) के दौरान पर्यटन विकास के लिये प्रत्येक राज्य के लिये कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटन के विकास के लिए धन-राशि राज्य-वार आधार पर नहीं बल्कि योजना-वार आधार पर आबंटित की जाती हैं ।

1979-80 के दौरान पर्यटन विकास की निम्नलिखित स्कीमें प्रस्तावित की गई हैं :—

पर्यटन विभाग	**(रुपये लाखों में)**
1. अनुपूरक आवास (यात्री निवास, यूथ होस्टल, पर्यटक ग्राम)	35.00
2. वन्य जीव पर्यटन (कान्हा में वन-गृहों का निर्माण)	25.76
3. सांस्कृतिक पर्यटन (पर्यटक अभिरुचि के चार पुरातात्विक केन्द्रों की महायोजनाएं तैयार करना, पर्यटक महत्व के चुने हुए पुरातात्विक केन्द्रों पर सुविधाओं का विकास)	90.00
4. पर्वत और समुद्र तट विहार (गुलमर्ग, कोवलम गोआ और कुल्लू मनाली)	61.00
5. क्रीड़ा पर्यटन (ट्रेकिंग व अन्य मनोरंजक गतिविधियां)	5.00
6. मनोरंजन और मेले	3.00
7. मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में निर्मित किए जाने वाले जनता होटलों संबंधी प्रारम्भिक कार्य	5.00
8. परिवहन सुविधायें	25.00
9. पर्यटन संस्थान	20.58
भारत पर्यटन विकास निगम	
1. चालू योजनाओं का पूरा किया जाना, जैसे भुवनेश्वर में यात्री गृह का विस्तार, जयपुर में स्वागत केन्द्र-तथा-होटल आदि ।	49.00
2. विस्तार योजनाएं अर्थात अशोक होटल, अकबर होटल, वाराणसी होटल, मदुरै, बौध-गया, कुशीनगर, सांची,	205.00

[जारी.....]

कोणार्क आदि में यात्रीगृह

नई योजनाएं (होटल)

नई दिल्ली 3-स्टार होटल, अशोक यात्री-निवास, नई दिल्ली, आगरा, गुलमर्ग, गोआ, गोहाटी, बम्बई, अहमदाबाद, भोपाल, आदि में होटल्स ।	497.00
नये यात्री गृह	30.00
वर्तमान होटलों में सुधार/परिवर्तन	100.00
परिवहन एकक की स्थापना और विस्तार	60.00

चाय उद्योग में कमी

8945. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम उत्पादकता पुराने परिष्करण संयंत्रों और मशीनरी तथा निष्प्रभावी विपणन संगठन के परिणामस्वरूप हमारे चाय उद्योग में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं । चाय उत्पादन में निरन्तर वृद्धि रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्बाध व्यापार क्षेत्र

8946. श्री एफ० पी० गायकवाड़ : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे विश्व के निर्बाध व्यापार क्षेत्र को ऐसे क्षेत्रों में किये जाने वाले आयात और वहां से किये जाने वाले निर्यात पर शुल्क छूट के बारे में रियायत मिलती है;

(ख) क्या एक ओर जहां कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में आयात शुल्क से छूट है वहां दूसरी ओर इस क्षेत्र से किये जाने वाले निर्यात पर उन्हीं दरों से शुल्क लगता है जो देश के शेष भागों पर लागू होती है;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र की निर्यात व्यापार का घाटा होने के अतिरिक्त देश की अपनी सुस्थापित मंडियों में उसके प्रतियोगी देशों, मुख्यतया चीन से, सेके हुए तथा नमकीन काजुओं और मूंगफलियों के निर्यात व्यापार का घाटा होता है;

(घ) क्या इस क्षेत्र को उपरोक्त वस्तुओं के निर्यात के अपने लक्ष्य में लगभग 125 लाख रु० की कमी होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार एक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता समझती है कि उक्त क्षेत्र के भीतर के उद्योगों को आयात-निर्यात शुल्कों के भुगतान से छूट की विश्व-व्यापी रियायत की अनुमति हो ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) शुल्क रियायतों के बारे में विशेषकर निर्यात शुल्कों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) घरेलू टैरिफ क्षेत्र और साथ ही मुक्त व्यापार जोन दोनों से निर्यात किये जाएंगे।

(घ) कांडला मुक्त व्यापार जोन का केवल एक यूनिट है, जो भुने हुए, नमक लगे हुए, वैक्यूम द्वारा पैक किये हुए पीनट्स व काजू का उत्पादन-निर्यात कर रहा है।

चूंकि जोन में सभी यूनिटों को अपने उत्पादों का शतप्रतिशत निर्यात करना होता है, इसलिए उत्पाद-वार/यूनिट-वार कोई अलग अलग निर्यात निष्पादन नियत नहीं है। तथापि, कांडला मुक्त व्यापार जोन के वास्ते 1978-79 के लिए रखे गये 750 लाख रु० के निर्यात लक्ष्य की तुलना में 553 लाख रु० के निर्यात किये जा चुके हैं।

(ङ) हालांकि जोन के लिए कानून बनाने का काम आरंभ किया जा चुका है, परन्तु उसमें निर्यात शुल्कों के भुगतान से छूट देने के बारे में कोई विनिश्चय नहीं हुआ है।

विदेशों में बसे हुए भारत मूलक व्यक्तियों द्वारा स्वदेश भेजी जाने वाली राशि

8947. श्री छीतूभाई गामित : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में बसे भारत मूलक व्यक्तियों ने गत वर्ष में कुल कितनी राशि स्वदेश भेजी है और इसका देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राशि स्वदेश भेजने को प्रोत्साहन देने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा कोई सुविधा दी जाती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी स्वदेश भेजी जाने वाली राशियों पर कुछ राहत/छूट देने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) विदेशों में भारतीय मूल के लोगों द्वारा गत वर्ष के दौरान भारत में भेजी गई राशि की सही-सही सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि मौजूदा नियमों के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा 10,000 रुपए अथवा उससे कम की रकमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना देना जरूरी नहीं है। फिर भी कैलेण्डर वर्ष 1978 में बाहर से आने वाली कुल रकम 2218.75 करोड़ रुपए की थी। इस रकम में इस प्रश्न से सम्बद्ध चार प्राप्ति-

शीर्षों अर्थात् (1) परिवार भरण-पोषण (2) अनिवासियों की बचतें, (3) प्रवासी अन्तरण और (4) मनीआर्डर प्राप्तियों के अलावा सभी प्रकार की प्राप्तियों जैसे हवाई कंपनियों की प्राप्तियों, नौवहन कंपनियों की प्राप्तियों, बीमा प्राप्तियों, लाभांश प्राप्तियों पर्यटन, प्राप्तियों आदि की सकल निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के आंकड़े शामिल हैं। "आर" विवरणियों में जिनमें बाहर से भारत भेजी जाने वाली रकमों के बारे में प्राधिकृत व्यापारियों को भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना देनी होती है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें रकम पाने वाले के राज्य या रकम भेजने वाले के राज्य के बारे में जानकारी हो। अत: बाहर से भेजी जाने वाली रकमों का राज्यवार ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

(ख) सरकार ने रकमों को बैंकों में जमा करवाने अथवा औद्योगिक कारखानों में लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से कई योजनाएं बनाई हैं। भारतीय बैंकों द्वारा अतिरिक्त जमा रकमें जुटाने के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के अलावा, सरकार ने उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विदेशों से धन आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित खास-खास योजनाएं बनाई हैं :—

(1) अनिवासी (बाह्य) खाता योजना जिसके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय खाताधारी उस खाते में जमा रकमों में से अपनी इच्छा के अनुसार रकमें भारत से बाहर भेज सकता है।

(2) विदेशी करेंसी (अनिवासी) खाता योजना, जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त मद (I) में उल्लिखित लाभ के अलावा खाताधारी को विनिमय दरों में होने वाली घटबढ़ के कारण किसी हानि का खतरा भी नहीं उठाना पड़ता।

(3) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को रकमें वापस ले लेने के विकल्प के साथ नई भारतीय कंपनियों के नए सामान्य शेयरों में 20 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने की योजना।

(4) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को रकमें वापस ले लेने के विकल्प के साथ कतिपय औद्योगिक उपक्रमों में 74 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने की योजना; और

(5) विदेशों में रहने वाले संबंधियों से लागत के बराबर रकम प्राप्त करने वाले लोगों को ट्रेक्टर, सीमेण्ट और स्कूटर आयात करने के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर आबंटन करने की योजना।

(ग) चूंकि मौजूदा सुविधाएं फिलहाल पर्याप्त समझी गई है इसलिए और अधिक सहायता/रियायत देने के संबंध में कोई और प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बचत करने के लिए गैर-विकास व्यय पर प्रबन्धक नियंत्रण

8948. श्री ए० आर० बद्रीनारायण
श्री नाथू सिंह } : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने बचत करने के लिये गैर-विकास व्यय पर प्रभावी प्रबन्ध नियंत्रण की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इसने क्या अन्य सुझाव दिये हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ङ) तक : सरकारी व्यय की विस्तृत जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना के बारे में सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने आयोग की संरचना के बारे में यह सुझाव दिया है कि इसका आधार काफी व्यापक होना चाहिए जिससे व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जा सके। इसने यह सुझाव भी दिया है कि आयोग को गैर विकासात्मक व्यय, जहां तक कि विकासात्मक कार्यक्रमों के व्यय को भी, को कम करने के लिए ठोस सुझाव देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी विभागों तथा संगठनों के कार्यचालन को देखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

व्यय आयोग की संरचना तथा विचारार्थ विषयों को अन्तिम रूप देते समय उपर्युक्त सुझावों पर विचार किया जाएगा।

वायदा बाजार और वायदा बाजार आयोग की भूमिका सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति

8949. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण**
श्री निहार लास्कर } : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने वायदा बाजार और वायदा बाजार आयोग की भूमिका सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या समिति को उन वस्तुओं के बारे में भी सुझाव देना है जिनकी वायदा बाजार को अनुमति दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो समिति किन-किन बातों की जांच करेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) से (घ): जी हां। भारत सरकार ने 27 मार्च, 1979 को डा० ए० एम० खुसरो की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो वायदा बाजारों के संचालन और विभिन्न वस्तुओं के भावी सौदा व्यापार तथा वायदा सट्टा बाजार को प्रभावी रूप से नियमित करने में वायदा बाजार आयोग की भूमिका की जांच करेगा ताकि अस्वस्थ प्रवृत्तियों को रोका जा सके और साथ ही विनिर्दिष्ट वस्तुओं के वायदा व्यापार को रोकने के सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित किया जा सके। समिति के विचारणीय विषय ये हैं :—

(i) पिछले 10 वर्षों में वायदा व्यापार ने जो भूमिका अदा की है उसका पुनरीक्षण करना;

(ii) वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में और उन वस्तुओं की विपणन/वितरण प्रणाली में वायदा व्यापार की भूमिका का मूल्यांकन करना जिनमें वायदा व्यापार सम्भव है, विशेष रूप से उन वस्तुओं में जिनमें वायदा व्यापार फिर से शुरू करने की आमतौर पर मांग की जाती है;

(iii) इस बात की जांच करना कि जिन वस्तुओं में वायदा व्यापार की अनुमति दी जाए उनमें ऐसा व्यापार किस सीमा तक उन वस्तुओं के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ में हो सकता है;

(iv) इस बात की जांच करना कि निर्यात को बढ़ावा देने में वायदा व्यापार को किस सीमा तक विशेष भूमिका अदा करनी है;

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों का सुझाव देना कि जिन वस्तुओं में वायदा व्यापार की अनुमति दी जाए, उनमें वह रचनात्मक रहे और मूल्यों को उचित सीमाओं में बनाये रखने में मदद दें;

(vi) अपनी सिफारिशों के अनुसार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम में संशोधनों का सुझाव देना विशेष रूप से इस दृष्टि से कि उस दशा में गैर-कानूनी वायदा व्यापार को रोकने के लिए इस अधिनियम को कुशलता पूर्वक लागू किया जा सके जबकि ऐसे व्यापार की अधिनियम के अंतर्गत मनाही है; और

(vii) वायदा बाजार आयोग को मजबूत करने के लिए उपायों का सुझाव देना, ताकि भावी सौदा व्यापार की सामाजिक दृष्टि से उद्देश्य पूर्ण बनाने के प्रयोजन को पूरा किया जा सके।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में कथित अकुशलता

8950. **डा० विजय मंडल**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री शंकरसिंह जी बाघेला } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 31 मार्च, 1979 के "ब्लिट्ज" में "आई० ए० सी० शॉकिंग इनएफिशियैन्सी" शीर्षक प्रेस समाचार देखा है;

(ख) क्या यात्रियों के साथ पालम हवाई अड्डे के अधिकारियों के व्यवहार के विरुद्ध भी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या इस बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : जी, हां। ऐसी शिकायतों की पूरी तरह से जांच की जाती है और यथोचित कार्यवाही भी की जाती है।

(ग) शिकायतकर्ता ने जनवरी, 1979 में संबंधित उड़ान के ब्यौरे दिये बिना ही पैरा (क) में निर्दिष्ट शिकायत की ओर इण्डियन एयरलाइंस का ध्यान आकृष्ट किया था। उससे पूछताछ करने पर, उसने कारपोरेशन को अपने कनाडा स्थित यात्रा एजेंट का हवाला दिया। कनाडा स्थित यात्रा एजेंसी से अपेक्षित ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया है जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है। यात्रा एजेंसी से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर इंडियन एयरलाइंस आवश्यक कार्यवाही करेगी। इंडियन एयरलाइन्स अपने यात्रियों को संतोषप्रद सेवाएं प्रदान करने के प्रयत्न करती है। प्राप्त हुई शिकायतों की निश्चित रूप से जांच की जाती है और जहां आवश्यक होता है उपचारी कार्यवाही भी की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

8951. श्री गंगा भक्त सिंह : : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में पूर्व सूचना प्राप्त हुई है; और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में पहले ही से कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधकों को उक्त मांगें स्वीकार करने के लिये राजी करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे बैंक के कर्मचारियों द्वारा 3 अप्रैल, 1979 को की गई सांकेतिक हड़ताल के बारे में औपचारिक रूप से कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

(ख) कर्मचारियों की मांगें, लिपिक कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार करने से सम्बंधित हैं।

रिजर्व बैंक और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है और बातचीत का दूसरा दौर 2 मई, 1979 को मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के समझौता प्रक्रिया के तत्वाधान में होना निश्चित हुआ है।

फेडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट्स आर्गेनाइजेशन द्वारा गोष्ठी

8952. श्री के० राममूर्ति : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फेडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट्स आर्गेनाइजेशन द्वारा 7, 8 तथा 9 दिसम्बर, 1978 को आयोजित की गई गोष्ठी में क्या निष्कर्ष निकले; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही आरम्भ की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) भारतीय निर्यातक संगठन की फैडरेशन ने नई दिल्ली में 7 से लेकर 9 दिसम्बर, 1978 तक अखिल भारतीय अभिसमय आयोजित किया। इस अभिसमय में निर्यात सदनों, निर्यात आयात नीति और प्रक्रियाओं, ऋण और वित्त, नकद सहायता, वापसी, निर्यात संवर्धन परिषदों की भूमिका, वाणिज्यिक आसूचना, विदेशों में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की भूमिका आदि के बारे में मुख्य सिफारिशें की गई। अभिसमय में सामान्य रूप में इन्जीनियरी माल, साधित खाद्य पदार्थों, हस्तशिल्प की वस्तुओं, चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं, परामर्श सेवा और परियोजना निर्यातों तथा लघु उद्योग क्षेत्र जैसे विभिन्न वस्तु समूहों के बारे में भी सिफारिशें की गई।

(ख) मुख्य सिफारिशों के बारे में पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। आरम्भ की गई है। किए गए महत्वपूर्ण उपायों में कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) निर्यात संवर्धन में निर्यात सदनों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने और साथ ही भविष्य में उनकी भूमिका निर्धारित करने के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष श्री एल. सी. जैन की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह स्थापित किया गया है। कार्यकारी समूह ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं और आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही आरम्भ की गई है।

(2) एलैक्जैण्डर समिति की सिफारिशों के आधार पर नकद मुआवजा सहायता की मात्रा तय करने के लिए संशोधित सिद्धान्त तय किए गए हैं। 1-4-1979 से निर्यातों पर लागू होने वाली संशोधित दरें भी विभिन्न मदों के लिए घोषित कर दी गई हैं। ये दरें आमतौर पर 3 वर्ष के लिए तय की गई है किन्तु समय समय पर उनकी समीक्षा की जा सकती है।

(3) वापसी और साथ ही वापसी के दावों के निर्धारण निपटारे की वर्तमान प्रणाली का पुनर्विलोकन करने के लिए राजस्व विभाग के सदस्य (सीमा शुल्क) की अध्यक्षता में समिति स्थापित की गई है।

(4) राज्य व्यापार निगम, एम. एम. टी. सी., एच. एच. ई. सी., ई. सी. जी. सी., टी. डी. ए., और टी. एफ. ए. जैसे निर्यात संगठनों की भूमिका की फिर से व्याख्या की गई है ताकि वे केवल कार्य अभिमुख ही न रहें, बल्कि विशेष रूप से लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्षेत्रों के विकास के साधन के रूप में भी कार्य कर सकें। उन्हें आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों की उपलब्धि आसान बनाने, बाजार संबंधी आसूचना देने और इन क्षेत्रों को ऋण की गारन्टी सहित विपणन संबंधी सहायता देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

(5) निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों को भी इस योग्य बनाया जा रहा है कि वे निर्यातक समुदाय को सेवा प्रदान करने में अधिक गतिशील भूमिका अदा कर सकें।

इन की कार्य प्रणाली भी सरल बनाई जा रही है ताकि उनके काम करने के ढंग में और लचीलापन आ जाए।

(6) आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक के मुख्य संगठन को पुनर्गठित किया जा रहा है और निर्यात क्षेत्र में उसे संवर्धनात्मक भूमिका दी जा रही है।

(7) गतिशील निर्यात क्षेत्रों की समस्याओं की जाँच करने के लिए निम्नलिखित कार्यदल गठित किए गए हैं :—

1. चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद;
2. रत्न तथा आभूषण;
3. हस्त शिल्प की वस्तुएं;
4. इलैक्ट्रोनिक्स;
5. परियोजना निर्यात;
6. फर्नीचर;
7. कृषि उत्पाद;
8. निर्यात सेवाएं;
9. लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात;

कुछ निर्यात दलों ने अपनी रिपोर्टें पेश कर दी हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

(8) इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वस्तुओं का प्राथमिक रूप में निर्यात करने की बजाय मूल्य वर्धित रूप में उनका निर्यात किया जाए; इससे रोजगार में वृद्धि होगी और साथ ही निर्यात आय में भी वृद्धि होगी।

(9) आयात नीति उदार बनाई गई है ताकि आयातित अन्तर्निविष्ट साधन अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर आसानी से मिल सकें। आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को भी काफी सरल बनाया गया है और कई मामलों में प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है ताकि आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधन प्राप्त करने में कम समय लगे।

(10) यह निर्णय किया गया है कि निर्यात प्रयास में राज्य सरकारों के अधिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए और उसे प्राप्त किया जाए। उनके साथ अलग-अलग और सामूहिक रूप से विस्तार में विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्य मंत्रियों और अन्य संबंधित मंत्रियों के साथ आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही बैठकें की जाएंगी।

(11) निर्यात संवर्धन संगठनों और वस्तु बोर्डों के कार्यों में अधिक तालमेल लाने के लिए उनके विदेश स्थित कार्यालयों को यथा संभव एक छत के नीचे लाया जा रहा है। न्यूयार्क, पैरिस और लंदन में ऐसा किया भी जा चुका है।

(12) विदेशों में हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के कार्यालयों को भी इस योग्य बनाया जा रहा कि वे बाजार जानकारी देने, निर्यातकों को सहायता प्रदान करने, अनुवर्ती कार्यवाही करने और प्रति पुष्टि करने आदि में अधिक गतिशील भूमिका अदा कर सकें।

(13) क्वालिटी नियंत्रण विनियमों और पोत लदान पूर्व निरीक्षण प्रक्रियाओं को संशोधित किया जा रहा है तथा सम्बन्धित अधिनियम और नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

अभिसमय में की गई सिफारिशों के आधार पर और साथ ही मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए विभिन्न कार्यदलों द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में विस्तृत अनुवर्ती कार्यवाही आरम्भ की गई है।

चौकसी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

8953. डा० बापू कालदाते : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री 23 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4592 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौकसी समिति द्वारा की गई किन विशिष्ट सिफारिशों की क्रियान्विति वित्त अधिनियम, 1978 और वित्त विधेयक, 1979 के माध्यम से की गई है तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) शेष सिफारिशों की क्या स्थिति है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) प्रत्यक्ष-कर कानून समिति (चौकसी समिति) की अन्तरिम और अन्तिम रिपोर्टों में निहित जो सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई और कार्यान्वित की जा चुकी हैं, उनको दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र, लोक सभा में 20 अप्रैल 1979 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 7875 के उत्तर में, सदन-पटल पर रख दिया गया था।

(ख) प्रश्न सं० 7875 के उत्तर में यथा उल्लिखित चौकसी समिति द्वारा की गई शेष सिफारिशें विचाराधीन हैं और उनमें से जो सिफारिशें सरकार को स्वीकार्य होंगी, उनको लागू करने के लिए आवश्यक कानून यथा संभव शीघ्र पेश किया जाएगा।

इण्डियन एयरलाइंस की वर्कशापों के इंजीनियरी कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन

8954. श्री डी० डी० देसाई : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के कई विमानों को प्रतिदिन अधिकतम समय तक चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से यह उचित है; और

(ग) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की वर्कशापों के इन्जीनियरी कर्मचारियों ने विमानों के अतिशय उपयोग के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : इण्डियन एयरलाइन्स विमानों का अधिकतम उपयोग करती है और ऐसा करते समय यह निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाता है कि विमान सामान्य आवधिक निरीक्षणों के लिए उपलब्ध रहें। सुरक्षा की किसी भी प्रकार की उपेक्षा नहीं की जाती। इण्डियन एयरलाइन्स के विमानबेड़े के सभी विमानों की कड़ी संधारण जांचें की जाती हैं और इस संबंध में कभी कोई ढील नहीं बरती जाती।

(ग) जी, नहीं।

ऐच्छिक प्रकटीकरण

8595. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1977 के बाद प्राधिकरणों द्वारा काले धन का कोई ऐच्छिक प्रकटीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां तो इस प्रकार प्रकट की गई राशि कितनी है; और

(ग) वर्ष 1977 के बाद प्रत्येक महीने कितनी राशि प्रकट की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) : छिपाई गई आय/धन के सम्बन्ध में आय कर/धन कर प्राधिकारियों के सामने 1 अप्रैल 1977 से अब तक अनेक मामलों में प्रकटन किए गए हैं। कोई प्रकटन-विशेष वस्तुत: स्वेच्छिक है अथवा नहीं, इस बात का पता, जैसी कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 273 क (1) के अधीन/धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 18 ख (1) के अन्तर्गत परिकल्पना की गई है, संगत कर-निर्धारण (निर्धारणों) के पूरा होने पर और दाण्डिक कार्यवाही शुरू होने पर, आयुक्त द्वारा लगाया जाता है। इसमें समय लगता है।

छिपायी गई आय/धन की, कर निर्धारितियों द्वारा 1977-78 और 1978-79 के दो वर्षों में घोषित, रकम के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

सिन्थेठिक कपड़ों और इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिए नकद सहायता

8956. श्री डी० डी० देसाई : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्थेटिक कपड़ों और इन्जीनियरी सामान के निर्यात के लिए नकद सहायता जारी रखी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नकद सहायता प्राप्ति की हकदार वस्तुओं की सूची को व्यापक बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां । 1-4-1979 से लागू नई नकद मुआवजा सहायता दरें घोषित कर दी गई हैं ।

(ख) 31-3-1979 तक संश्लिष्ट वस्त्रों तथा इन्जीनियरी मान के जिन मदों पर नकद मुआवजा सहायता उपलब्ध थी, उन पर 1-4-1979 से भी यह सहायता जारी रहेगी । संश्लिष्ट वस्त्रों में मदों की संख्या छः है जबकि इन्जीनियरी माल में यह संख्या 172 है ।

(ग) तथा (घ) : संश्लिष्ट वस्त्रों के मामले में कोई परिवर्तन नहीं है । तथापि, इंजीनियरी माल की सूची में चार नई मदें शामिल की गई हैं ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विचाराधीन बैंक अधिकारियों के विरुद्ध मामले

8957. श्री सरत कार : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 फरवरी, 1979 को बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कुछ मामले केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के विचाराधीन थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 28 फरवरी, 1979 को 135 ऐसे मामले थे जिनमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच/पूछताछ की जा रही थी ।

(ख) आम तौर से अधिकारियों के विरुद्ध आरोप दुरुपयोग, गबन, ऋणों और अग्रिमों की अनियमित और/अथवा अप्राधिकृत मंजूरी, अनुपातहीन परिसम्पत्तियों के स्वामित्व, षडयंत्र, बेईमानी, दैनिक भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत के झूठे दावे, जालसाजी निजी व्यक्तियों के प्रति अनुचित पक्षपात, खातों/रिकार्डों की पुस्तकों में जाली और चालबाजी के इन्दराज, पैसे की छलपूर्ण निकासी गैर कानूनी इनाम मांगना और स्वीकार करना, फर्जी ऋणकर्त्ताओं को ऋण की मंजूरी, ऋण मंजूर करने आदि पर कमीशन लेने आदि से संबंधित होते हैं ।

(ग) इन मामलों में जांच/पूछताछ विभिन्न स्तरों पर चल रही है ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जेट विमान की खरीद

8958. कंवर लाल गुप्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री एक अमरीकी कम्पनी से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जेट विमान की खरीद के बारे में 31 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5151 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी कम्पनी से सीधे सम्पर्क किया था अथवा केन्द्रीय सरकार के माध्यम से सम्पर्क किया था;

(ख) विमान का लागत मूल्य क्या था; और

(ग) प्रत्येक राज्य के स्वामित्व वाले विमानों के लिए हवाई अड्डों का उपयोग करने के लिए गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : मैसर्स इंडेमार कम्पनी आफ इण्डिया से, जो यू. एस. ए. के मैसर्स बीचक्राफ्ट कार्पोरेशन के एकमात्र एजेंट हैं, यह सूचना प्राप्त होने पर कि 1977 की पहली तिमाही में बुकिंग के लिये केवल एक किंग एयर सी-90 विमान बचा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे अपने लिए एक किंग एयर सी-90 विमान मोल लेने के लिये बुक करने का अनुरोध किया था बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा का विमोचन कर दिया जाये। उत्तर प्रदेश सरकार के आवेदन की "एक्जीक्यूटिव एयरक्राफ्ट" के आयात पर बनी "इंटर-डिपोर्टमैंटल कमेटी" द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) सम्बन्धित एजेंसियों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकरण

8959. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को, जिनमें लगभग 1500 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है, लगभग 15 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत उन दस प्रथम उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें सर्वाधिक घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण के बारे में पूरी तरह से जांच कराने का है;

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या निश्चित उपाय किये हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बारह प्रतिशत लाभ हो, जैसा कि योजना आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है।

वित्त राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी हां। किन्तु जिस 1977-78 वर्ष में यह घाटा बताया गया है, उसके अंत में पूंजी-निवेश की रकम 15000 करोड़ रुपये की नहीं, बल्कि 12851 करोड़ रुपये की थी।

(ख) 1. भारतीय उर्वरक निगम

2. ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि०

3. भारत कोकिंग कोल लि०

4. हिन्दुस्तान कापर लि०

5. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०

6. हैवी इन्जीनियरिंग कारपो० लि०

7. माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपो० लि०

8. भारतीय नौवहन निगम

9. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०

10. बोकारो स्टील लि०

(ग) और (घ) : प्रशासनिक मंत्रालयों तथा सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा अन्य उद्यमों सहित इन सबकी आवधिक समीक्षा की जाती है। इनके घाटे के कारणों की ओर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है तथा उनके सुधार के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा इष्टतम लाभ-प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य से विभिन्न सदुपाय किए जाते हैं, जैसे क्षमता के उपयोग में सुधार, उत्पाद-मिश्र में समायोजन, लागत-वृद्धि के अनुरूप मूल्य में समायोजन, विपणन पद्धति को युक्तिसंगत बनाना आदि।

उन वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में वृद्धि जिन पर बजट में अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है

8960. श्री कंवर लाल गुप्त
श्री टी० एस० नेगी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में बजट के बाद कितनी वृद्धि हुई है, जिन पर इस वर्ष के बजट में अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है;

(ख) उन वस्तुओं में से प्रत्येक मद की बजट से पहले और बजट के बाद खुदरा कीमतों का ब्यौरा क्या है जिन पर नया शुल्क लगाया गया है अथवा शुल्क में वृद्धि की गई है;

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, जिनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में बजट में कर लगाये जाने के कारण वृद्धि हुई है और मूल्य वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन सभी वस्तुओं के खुदरा मूल्यों की वृद्धि के बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है, जो उस मद सं० 68 के अधीन आती है, जिनके मूल्य में वृद्धि की गई है;

(ङ) मद सं० 68 में कितनी उपभोक्ता वस्तुयें शामिल हैं;

(च) क्या यह सच है कि मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के ग्रामीणों पर भी हाल के बजट के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(छ) यदि हां, तो किस हद तक प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) इस वर्ष के बजट में जिन जिन्सों पर अतिरिक्त लेवी लगायी गयी है अथवा जिन पर शुल्क में राहत देने की व्यवस्था की गई है उन जिन्सों के खुदरा मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी में कोई एकरूपता नहीं है। विभिन्न जिन्सों के खुदरा मूल्यों पर, शुल्क की दरों में परिवर्तन के अलावा मांग की और पूर्ति, प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों के मूल्यों, स्थानीय खर्चों, खुदरा-विक्रेताओं की किस्म आदि जैसे अन्य अनेक घटकों का भी असर पड़ता है। कई मामलों में अलग-अलग श्रेणियों के उत्पादकों के पक्ष में दी गई विभिन्न रियायतों को ध्यान में रखते हुए, सभी निर्माताओं पर उत्पादन शुल्क की लेवी भी समान रूप से लागू नहीं होती है। इन्हीं कारणों से, उक्त जिन्सों के खुदरा मूल्यों में, उत्पादन शुल्क की दरों में किये गये परिवर्तनों के कारण जो वृद्धि या कमी हुई है उसकी मात्रा का पता लगाना बहुत मुश्किल है।

(ख) और (ग) : आमतौर पर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अनुसूची की प्रत्येक मद के अन्तर्गत अनेक किस्म के उत्पाद आते हैं। एक ही टैरिफ मद के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न किस्मों के माल के मूल्यों में, कच्चे माल, निर्माण की प्रक्रिया, निर्माता की श्रेणी, उपभोक्ता की तरजीह आदि के अनुसार, घट-बढ़ हो सकती है। एक ही वस्तु का मूल्य, अलग-अलग स्थान पर तथा अलग खुदरा-विक्रेताओं के पास अलग-अलग हो सकता है। इन्हीं कारणों से, बजट लेवियों के परिणामत: खुदरा मूल्यों में परिवर्तनों का सही-सही उल्लेख कर पाना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद संख्या 68 एक अवशिष्ट मद है जिसमें वे सभी विनिर्मित जिन्सें आती हैं जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ में अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है। इसलिए पूंजीगत उपस्कर से लेकर उपभोक्ता वस्तुओं तक अनेक किस्मों की जिन्सें इस लेवी के अन्तर्गत आ सकती हैं। अत:, मद संख्या 68 पर शुल्क की दर में वृद्धि के कारण प्रभावित उत्पादों के खुदरा मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण करने के लिए कोई सर्वेक्षण करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। लेवी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, मद संख्या 68 में शामिल की गई उपभोक्ता-वस्तुओं की संख्या बता पाना संभव नहीं है। इसके अलावा, इस मद पर अनेक छूटें लागू होती हैं। भाग (क), (ख) और (ग) से संबंधित उत्तर में उल्लिखित परिस्थितियों में, मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाले माल के मूल्य पर, वर्धित लेवी के प्रभाव का अध्ययन करना व्यवहारिक नहीं है।

(च) और (छ) : वर्ष 1979 के बजट में कृषि क्षेत्र को रिकार्ड-स्तर पर राहतें प्रदान की गई हैं। अनिर्मित तम्बाकू पर से उत्पादन शुल्क हटाने और तम्बाकू के अनेक उत्पादकों, शोधन-कर्ताओं, छोटे व्यापारियों पर उत्पादन शुल्क सम्बन्धी नियंत्रण हटाने से भी निम्न वर्ग के अनेक लोगों को राहत मिलेगी। श्रम-प्रधान उद्योगों को सुरक्षा तथा प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। सामान्य उपभोग की कुछ वस्तुओं पर भी राहत प्रदान की गई है। इन सब बातों को देखते हुए, बजट-प्रस्तावों के कारण आम उपभोक्ताओं पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना

8961. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1 जुलाई, 1979 के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का निर्णय किया है;

(ख) उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध की जाने वाली वस्तुओं का भंडारण करने पर कितनी पूंजी का निवेश किया जायेगा;

(ग) इस योजना पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी; और

(घ) इस योजना को सफल बनाने के लिये अब तक क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग) : इस योजना में केवल कृषि वस्तुओं के लिये मूल्य समर्थन तथा सुरक्षित भंडार बनाने संबंधी कार्रवाई करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है और यह व्यय हर वर्ष अलग-अलग होगा, जो नियत किये गये समर्थन मूल्य व निर्गम मूल्य, सुरक्षित भंडारों के परिमाण और अन्य संबंधित कारणों पर निर्भर करेगा ।

(घ) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक मार्गदर्शन सिद्धान्त राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं ।

मुनाफा कमाने वाले औद्योगिक एककों पर आसान शर्तों पर ऋण देने की योजना लागू करना

8962. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री मुनाफा कमाने वाले औद्योगिक एककों को उदार ऋण योजना का लाभ देने के बारे में 16 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3570 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर में उल्लिखित पांच उद्योगों के बड़े औद्योगिक गृहों की कितनी कम्पनियों ने नियत कालिक ऋण देने वाली संस्थाओं का लाभ उठाया है;

(ख) उन कम्पनियों का बड़े गृहों के नामों सहित पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी स्थापना के बाद बड़े और औद्योगिक गृहों के नियंत्रण के अधीन प्रत्येक एकक को कुल कितनी राशि मंजूर की गयी और कुल कितनी राशि वितरित की गयी ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) 31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार बड़े औद्योगिक घरानों अर्थात् एकाधिकार और निर्बन्धित व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अंतर्गत पंजीकृत 48 कम्पनियों को उदार ऋण योजना के अंतर्गत सहायता

स्वीकृत की जा चुकी है। इनमें से 5 कम्पनियों ने सहायता लेने से इन्कार कर दिया है और अन्य दो मामलों में सम्बद्ध एकाधिकार और निर्बन्धित व्यापार प्रक्रिया समूहों का कोई नियंत्रण नहीं है।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशों में बसे भारतीयों की आय को भारत में पूंजीनिवेश के लिये आकर्षित करने और प्रोत्साहन देने के लिये कार्यवाही

8963. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशों में बसे भारतीयों की बचत की बहुत बड़ी राशि विदेशों के बैंकों में पड़ी है और कभी-कभी उन पर बहुत ही कम ब्याज मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार विदेशों में बसे मध्यम श्रेणी के निरन्तर सम्पन्न होते आ रहे भारतीयों की बचत राशियों को आकर्षित करने और उन्हें इस राशि के भाग का भारत में पूंजी निवेश करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा विदेशों में रखे गए खाते भारतीय विदेशी मुद्रा नियंत्रण की परिधि में नहीं आते और इसलिए सरकार को इस वर्ग के लोगों द्वारा विदेशों में रखे गए धन के बारे में ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार ने इन राशियों को बैंकों में जमा करवाने अथवा औद्योगिक कारखानों में लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से कई योजनाएं बनाई हैं। भारतीय बैंकों द्वारा अतिरिक्त जमा रकमें जुटाने के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के अलावा, सरकार ने भारत में विदेशों से धन आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित खास-खास योजनाएं बनाई हैं :

(1) अनिवासी (बाह्य) खाता योजना जिसके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय खाताधारी उस खाते में जमा रकमों में से अपनी इच्छा के अनुसार रकमें भारत से बाहर भेज सकता है।

(2) विदेशी करेंसी (अनिवासी) खाता योजना, जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित लाभ के अलावा खाताधारी को विनिमय दरों में होने वाली घट-बढ़ के कारण किसी हानि का खतरा भी नहीं उठाना पड़ता।

(3) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को रकमें वापस लौटाने के विकल्प के साथ नई भारतीय कम्पनियों के नए सामान्य शेयरों में 20 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने की योजना।

(4) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को रकमें वापस लौटाने के विकल्प के साथ कतिपय औद्योगिक उपक्रमों में 74 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने की योजना; और

(5) विदेशों में रहने वाले संबंधियों से लागत के बराबर रकम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ट्रैक्टर, सीमेंट और स्कूटर आयात करने के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर आवंटन की योजना।

विदेशों में भारतीयों को बचत के प्रति आकर्षित करने के लिए उपाय

8964. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी में रह रहे भारतीयों के अरबों ड्युश मार्क वहां बैंकों में पड़े हैं और उन पर 1.5 से 2 प्रतिशत तक निम्न दर पर ब्याज मिल रहा है;

(ख) विदेशों में भारतीयों की बचत को आकर्षित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार गैर-निवासी भारतीयों को किसी भी मुद्रा में भारतीय बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति देने और उन पर आकर्षित ब्याज दर देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत में अपनी बचत को लगाने को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रोत्साहन देने की पेशकश की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) चूंकि विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा विदेशों में खोले गए खाते भारत के विदेशी मुद्रा नियन्त्रण की सीमा के अन्तर्गत नहीं आते, इसलिए सरकार के पास इस वर्ग के लोगों द्वारा विदेशों में रखी गई राशियों के संबंध में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख), (ग) और (घ) : अनिवासी भारतीयों को भारत में रकमें भेजने और भारत में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन देने के विचार से सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं बनायी हैं :—

(1) अनिवासी (बाह्य) खाता योजना जिसके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय खाताधारी उस खाते में जमा रकमों में से अपनी इच्छा के अनुसार रकमें भारत से बाहर भेज सकता है।

(ii) विदेशी करेंसी (अनिवासी) खाता योजना, जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त मद (i) में उल्लिखित लाभ के अलावा खाताधारी को विनिमय दरों में होने वाली घट-बढ़ के कारण किसी हानि का खतरा भी नहीं उठाना पड़ता।

(iii) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को रकमें वापस लौटाने के विकल्प के साथ नई भारतीय कंपनियों के नए सामान्य शेयरों में 20 प्रतिशत निवेश करने की अनुमति देने की योजना।

(iv) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को रकमें

वापस लौटाने के विकल्प के साथ कतिपय औद्योगिक उपक्रमों में 74 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने की योजना । और

(v) विदेशों में रहने वाले संबधियों से लागत के बराबर रकम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ट्रेक्टर, सीमेंट और स्कूटर आयात करने के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर आबंटन की योजना ।

सरकार अनिवासी भारतीयों को डालर और पौंड स्टर्लिग से भिन्न अन्य करेंसियों में विदेशी करेंसी खाते खोलने की अनुमति देने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों की शाखायें खोला जाना

8965. श्री एस० आर० दामाणी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष, 1978-79 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी शाखाएं खोली गयीं;

(ख) विशेष रूप से विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण देने और धन जमा करने के संबंध में उनके कार्य निष्पादन का ब्योरा क्या है; और

(ग) विभिन्न बैंकों द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 1978 के दौरान बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1721 शाखाएं खोली थीं ।

(ख) आंकड़ों की व्यवस्था में शाखाओं की जमाओं और अग्रिमों विषयक सूचना को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार संकलित करने की व्यवस्था नहीं है । जून, 1978 के अंत तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी ग्रामीण शाखाओं ने 2379 करोड़ रुपये की जमाएं जुटाई थीं और उनके ऋणों की बकाया राशि 1248 करोड़ रुपये थी ।

(ग) आजकल भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों और संबंधित बैंकों के परामर्श से कम बैंक वाले जिलों में से प्रत्येक में शाखा विस्तार की तीन वर्षीय योजना बना रहे हैं ताकि प्रति ग्रामीण/अर्धशहरी शाखा जनसंख्या का औसत 20,000 हो जाय ।

आयातित विसकोज फाइबर पर शुल्क से छूट

8966. श्री एस० आर० दामाणी : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टीमरों में लाये गये तथा 1 जनवरी से 4 जनवरी तक पहुंचे आयातित विसकोज फाइबर पर शुल्क से छूट देने का निर्णय किया है यदि हां, तो देश में आय ऐसी खेपों की स्थिति का स्पष्टीकरण क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि विस्कोज फाइबर के आयातकर्ताओं को गोदी कर्मचारियों की हड़ताल तथा पत्तनों पर जमाव, जिसके कारण स्टीमर देर से पहुंचे, यद्यपि वे पहुंच चुके थे और गोदी में लगाये जाने की नवम्बर 1978 से प्रतीक्षा कर रहे थे के कारण हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो 5 जनवरी को जारी की गयी अधिसूचना जिसमें आयात शुल्क से छूट जारी रखी गई है, 1 जनवरी से 4 जनवरी के बीच प्राप्त हुई खेपों पर लागू न किये जाने के क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख), (ग) और (घ) : 31 दिसम्बर, 1978 से पूर्व, विस्कोस स्टेपल तंतु पर समस्त मूल और उपसंगी सीमा शुल्क तथा समस्त प्रतिसंतुलनकारी उत्पादन शुल्क से छूट मिली हुई थी । सरकार ने इस प्रश्न की जांच की कि क्या इन छूटों को 31 दिसम्बर, 1978 के बाद भी जारी रखा जाना चाहिये । यह निर्णय किया गया कि केवल मूल और उपसंगी शुल्क से पूरी छूट जारी रखी जाय और आयातित विस्कोस स्टेपल तंतु पर 1.32 रु० प्रति कि० ग्रा० की दर से प्रति संतुलनकारी उत्पादन शुल्क लगाया जाय । छूट प्रदायी अधिसूचनाएं 5 जनवरी, 1979 के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गयी थीं । बाद में, 1 और 4 जनवरी 1979 के बीच विभिन्न पत्तनों पर पहुंचे कतिपय जलयानों द्वारा लायी गयी विस्कोस स्टेपल तंतु की कुछेक खेपों पर भी शुल्क की निरन्तर दर लगाने के सम्बन्ध में सरकार को दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं । इन दरख्वास्तों की जांच की जा रही है ।

एक लाख रुपये या उससे अधिक राशि की निजी थैली पाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध बकाया कर

8967. श्री हरिविष्णु कामत : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** 28 जुलाई 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 से पहले एक लाख रुपये या उससे अधिक रुपये की वार्षिक निजी थैली पाने वाले 102 व्यक्तियों के विरुद्ध आयकर, सम्पत्ति कर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों की बकाया राशि के बारे में अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त हो गई है तथा उसकी छानबीन, जांच और मिलान किया जा रहा है। दिनांक 28-7-1978 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 194 के उत्तर में सदन को दिया गया आश्वासन शीघ्र ही पूरा किया जायेगा ।

बैंक अधिकारियों द्वारा कदाचार के विरुद्ध शिकायतें

8986. श्री के० लकप्पा : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 तथा 1978 में बैंक अधिकारियों द्वारा कदाचार के विरुद्ध कोई शिकायतें केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजी गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जाँच के क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे उस सीमा तक सदन के पटल पर रख दिया जायेगा जहाँ तक उससे जाँच पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

आयकर की गणना के लिए व्यावसायिक कर की छूट

8969. श्री आर० के० महालगी : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में किसी भी व्यवसाय करने वाले को व्यावसायिक कर देना पड़ता है और राज्य सरकार को दी जाने वाली इस राशि को उस व्यक्ति की आयकर गणना के लिये कर योग्य आय निकालने में छूट नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कर पर कर नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार कब और क्या कार्यवाही करने का है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) महाराष्ट्र में कोई भी व्यवसाय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, राज्य सरकार को व्यावसायिक कर की अदायगी करनी पड़ती है । कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 से वेतन-भोगी व्यक्तियों के मामले में इस प्रकार का दावा धारा 16(i) के अधीन स्वीकार्य मानक कटौती के अन्तर्गत आता है । अदा किया गया व्यावसायिक कर, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 28 के अधीन कारोबार अथवा व्यवसाय से हुई कर निर्धारण योग्य आय में से कटौती के लिए अनुमत्य है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऊपर बतायी गई स्थिति को देखते हुए, सरकार का इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

डाक बीमा पालिसी

8970. आर० के० महालगी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-बीमा पालिसी जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा पालिसी से अधिक लाभदायक है जैसा कि बंबई से प्रकाशित होने वाले दिनांक 14 मार्च 1979 के मराठी दैनिक में लेख प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की दो एजेन्सियों द्वारा जारी की जाने वाली एक ही श्रेणी की बीमा पालिसियों में इतना अंतर क्यों है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां ।

(ख) डाक जीवन बीमा निधि से केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा स्थानीय निधियों से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सीमित वर्ग की ही आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। डाक जीवन बीमा कार्यों का स्वरूप ही ऐसा है कि जिसके कारण डाक जीवन बीमा का कारबार प्राप्त करने तथा सेवा प्रदान करने पर कम खर्च आता है और इसलिए इसके प्रीमियम की दरें जीवन बीमा निगम की दरों से कम हैं ।

पर्यटन विकास के लिए पड़ौसी देशों से सहायता की मांग

8971. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारत में पर्यटन विकास के लिये पड़ौसी देशों से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटन उद्योग के लिये एक्जीक्यूटिवज को प्रशिक्षण देने हेतु भारत में स्थापित किये जाने वाले स्वायत्तशासी पर्यटन तथा यात्रा प्रबन्ध संस्थान का लाभ उठाने हेतु मन्त्री महोदय के क्षेत्र में पड़ौसी देशों को भी आमंत्रित किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने अफगानिस्तान बंगला देश, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के लिये क्षेत्रीय पर्यटन योजना का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त सभी पड़ौसी देशों से पर्यटन विकास में भारत को सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) : हमारा सदा यह प्रयास रहा है कि अपने पड़ौसी देशों से पर्यटन को विकसित किया जाए। इसके अनुसरण में भारत और इसके पड़ौसी देश—अफगानिस्तान, बंगलादेश, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका—विश्व पर्यटन संगठन, जिसके कि वे सदस्य हैं, के तन्त्र दक्षिण एशिया के लिए आयोग के माध्यम से तथा द्विपक्षीय प्रबन्धों के द्वारा भी इस क्षेत्र में पर्यटन संवर्धन के लिए आपस में घनिष्ठ सहयोग का आदान-प्रदान करते रहे हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन के लिए यह आयोग एक संयुक्त मार्केटिंग कार्यक्रम तैयार कर रहा है; जून 1979 में काठमाण्डू में आयोग की आगामी बैठक में इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और तत्पश्चात इसे कार्यान्वयन हेतु अन्तिम रूप प्रदान किया जाएगा। पर्यटन में व्यावसायिकता का विकास करने और पर्यटन उद्योग के लिए प्रशिक्षित प्रबन्धकीय कार्मिकों के एक कॉडर की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग

द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान का लाभ उठाने हेतु हमारे पड़ौसी देशों को भी आमंत्रित किया गया है ।

वांचू समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

8972. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री पी० एम० सईद : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर में कटौती के बारे में वांचू समिति की सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) क्या वांचू समिति की सभी सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार किया गया है और क्रियान्वित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्रियान्वित करने के लिये कितनी सिफारिशें अभी तक अनिर्णीत हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : वांचू समिति ने, अन्य बातों के साथ साथ, यह सिफारिश की थी कि व्यष्टियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों, अपंजीकृत फर्मों, व्यक्तियों की संस्था आदि के मामले में अधिमार को मिला कर आय कर की अधिकतम सीमांत दर उस समय प्रचलित 97.75 प्रतिशत के स्तर से घटा कर 75 प्रतिशत की जाय । समिति ने कर की दरों में मध्यम और निचले स्तर पर कुछ कटौती करने की भी सिफारिश की थी ।

समिति की इस सिफारिश को सरकार ने 1974 में मामूली संशोधनों के साथ मान लिया था । वित्त अधिनियम 1974 के द्वारा व्यक्तिगत आय के सभी स्तरों पर आयकर की दरें कम कर दी गयीं और अधिभार सहित आयकर की सीमान्त दर 77 प्रतिशत नियत की गई जिसे 70,000 रुपये से अधिक की आय के खण्डों पर लागू किया गया । तत्कालीन वित्त मंत्री ने वर्ष 1976 के अपने बजट भाषण में बताया था कि सरकार की यह आशा कि दरों में कटौती करने से कर अपेक्षाकृत अधिक वसूल होंगे, पूरी हो गयी जैसा कि ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों में आयकर की वसूलियों में हुई वृद्धि से पता चलता है । तत्कालीन वित्त मंत्री ने आगे बताया कि यद्यपि कर की अधिक वसूलियां होने के लिए कुछ अन्य कारण भी जिम्मेवार थे जिनमें कर-अपवंचकों और अन्य आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाना भी सम्मिलित है, तथापि कर की दरों में कटौती करना भी कर की अपेक्षाकृत अधिक वसूली होने में सहायक सिद्ध हुआ है ।

आयकर की वसूलियां अनेक कारणों पर निर्भर करती हैं अर्थात् अर्थ-व्यवस्था की स्थिति,

मूल्य-प्रवृत्तियां, कर प्रशासन की क्षमता करों की दरें आदि, और इसलिए यह बताना कठिन है कि आयकर की दरों में कटौती करने से इन वर्षों में वसूलियां कहां तक बढ़ी है।

(ग), (घ) और (ङ) : वांचू समिति ने 393 सिफारिशें की थीं। अभी तक 326 सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय लिये जा चुके हैं। 326 सिफारिशों में 9 सिफारिशें कार्यान्वियन के लिए अभी बाकी पड़ी हैं। एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें ऐसी सिफारिशों का और उनके विचाराधीन पड़े रहने के कारणों का उल्लेख है। जो सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4376/79]

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे खोलने का प्रस्ताव

8974. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे खोलने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां कहां खोले जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : श्रीनगर, अमृतसर, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम् आदि जैसे कुछ अंतर्देशीय विमानक्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय विमानक्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न तत्वों से समय समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। परंतु, सरकार के लिये ऐसे किसी प्रस्ताव पर सहमत होना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। एयर इण्डिया ने त्रिवेन्द्रम् से मध्य-पूर्व के देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय सेवाओं का परिचालन पहले से ही आरंभ कर दिया है। एयर इण्डिया द्वारा अमृतसर से सेवाएं परिचालित करने की व्यवहार्यता की फिलहाल जांच की जा रही है।

सरकार द्वारा रेलवे को ऋण दिया जाना

8975. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे को ऋण दे रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 में कितना ऋण दिया गया; और

(ग) वर्ष 1979-80 में कितना ऋण दिया जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) तक : मार्च 1979 में संसद द्वारा अनुमोदित रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों के अनुसार पहली अप्रैल 1978 से लाभांश अदायगियों में हुई कमी को पूरा करने के लिए रेलवे राजस्व प्रारक्षित निधि को सामान्य राजस्व से कोई ऋण मंजूर नहीं किए गये हैं। 1978-79 में रेलवे विकास निधि के लिए 537.49 लाख रुपये का एक ऋण मंजूर किया गया था। 1979-80 के बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष के दौरान रेलवे विकास निधि को सामान्य राजस्वों से कोई ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा मेघालय राज्य में पर्यटन विकास

8976. श्री पी० ए० संगमा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशेषतया मेघालय में, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : काजीरंगा, गोहाटी और शिलांग को छोड़कर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबन्धों और साथ ही स्वदेशी पर्यटकों के बारे में मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड में "आंतरिक रेखा प्रतिषिद्ध क्षेत्र" के अंतर्गत आने वाले कुछ क्षेत्रों की यात्रा पर लगे प्रवेश प्रतिबंध के कारण, पर्यटन विभाग के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक पर्यटन का सक्रिय रूप से संवर्धन करना संभव नहीं हो सका ।

तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग के अनुरोध पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा काजीरंगा, गोहाटी और शिलांग की यात्रा करने के लिए कुछ शिथिलताएं प्रदान की गई हैं । इसे ध्यान में रखते हुए, काजीरंगा क्रीड़ा स्थल पर एक वन लॉज का निर्माण किया गया है, जिसका संचालन भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है । पंचवर्षीय योजना 1978-83 के दौरान गोहाटी और शिलांग में एक-एक युवा होस्टल का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है । असम और मेघालय की सरकारों से इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । भारत पर्यटन विकास निगम का भी गोहाटी में एक होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त योजनायें शुरू करने का प्रश्न इस क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधों में और अधिक शिथिलता देने पर और केन्द्रीय सैक्टर में 2 केन्द्रों/स्कीमों के विकास-कार्य को प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर निर्भर करेगा ।

प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में वृद्धि

8977. श्री सी० के० जाफर वारिफ : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्य कारण हैं और सरकार प्राकृतिक रबड़ के सुरक्षित भंडार में वृद्धि करने और इसकी मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करेगी ?

वाणिज्य, नागरिक, पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) तथा (ख) : जी हां । वर्ष 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान कोट्टायम बाजार में लाट रबड़ की, जिनमें आर. एम. ए. 3,4, तथा 5 ग्रेड हैं, औसत कीमत क्रमश: 595.96 रु०, 632.11 रु० तथा 953.43 रु० प्रति क्विंटल थीं ।

(ग) वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान रबड़ के उत्पादन में गिरावट के फलस्वरूप रबड़ की कीमतों में वृद्धि हुई। प्राकृतिक रबड़ का स्टाक बढ़ाने तथा इसकी कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए, सितम्बर-अक्तूबर 1978 के दौरान 14750 मे० टन प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया। मांग तथा सप्लाई स्थिति की आगे समीक्षा करने पर 1978-79 के दौरान 15,000 मे० टन अतिरिक्त रबड़ के आयात की अनुमति दी गई।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामलों का पता लगाना

8978. चौधरी हरीराम मक्कासर गोदरा : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान व्यापार गृहों एवं अन्यों के द्वारा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) उनके द्वारा किस प्रकार के अपराध किये गये एवं उनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी; और

(ग) इन मामलों में किस प्रकार की कार्रवाई की गई और इन मामलों का पता लगाने वाले अधिकारियों को क्या पारितोषिक दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) पिछले एक वर्ष (1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979 तक) की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के अपराधों से सम्बन्धित जिन मामलों का पता लगाया गया और कारण बताओ नोटिस जारी किये गये उनकी संख्या 2844 है।

(ख) और (ग): इन सभी मामलों के सम्बन्ध में, अपराधों के स्वरूप, अन्तर्ग्रस्त रकम, की गयी कार्यवाही के स्वरूप और जिन अधिकारियों ने इन मामलों का पता लगाया, उनको दिये गये प्रशंसा-पत्र के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा।

पटसन के बारे में भारत, बंगलादेश, नेपाल, थाईलैण्ड बर्मा के बीच समझौता

8979. श्री चित्त बसु : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पटसन सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के लिये भारत, बंगला देश, नेपाल, थाईलैंड और बर्मा जैसे पटसन उत्पादक देशों की एक बैठक हाल ही में काठमांडू में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या पटसन उत्पादक इन देशों के बीच कोई समझौता हो सका था, और

(ग) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : पटसन उपजकर्ता देशों ने सर्वसम्मति से पटसन पर एक ऐसे करार को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए अनुरोध किया है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पटसन तथा पटसन से बने माल के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की व्यवस्था हो ।

'एस० टी० सी० इन न्यूज पेपर मंडल'

8980. श्री चित्त बसु
श्री वसंत साठे
श्री विजय कुमार एन० पाटिल } : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बीच 10 मार्च, 1979 के इण्डियन एक्सप्रैस में 'एस० टी० सी० इन न्यूज पेपर मंडल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस बारे में इस बीच कोई जांच की गई है और इसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) चमकीले अखबारी कागज की केवल एक खेप की क्वालिटी के बारे में कुछ शिकायतें मिली थी । इस मामले पर उन विदेशी सप्लायरों के साथ बातचीत की गई जो कि माल पाने वाली भारतीय पार्टियों को मुआवजा देने के लिए सहमत हो गए हैं ।

सरकारी क्षेत्र के रिकार्ड में गिरावट

8981. श्री चित्त बसु : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान वर्ष 1978-79 के लिये इक्नामिक सर्वे में दी गई इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के रिकार्ड में बहुत तेजी से गिरावट पाई है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके वास्तविक और मूल कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है; और

(ग) यदि हां, तो कारणों का ब्यौरा क्या है और इन मूल कारणों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : हालांकि वर्ष के प्रथम आठ माह के दौरान सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों के वास्तविक कार्य-निष्पादन में गिरावट आई थी, जैसा कि अधिकांश मामलों में यह संलग्न विवरण से स्पष्ट है, पर वर्ष के शेष चार महीनों के दौरान यथासमय सुधारात्मक उपायों के फलस्वरूप उसे बहुत कुछ पूरा कर लिया गया।

विवरण

उद्यम	एकक	अप्रैल से नवम्बर तक की अवधि में उत्पादन			साल भर में उत्पादन		
		77-78	78-79	77-78 में गिरावट	77-78	78-79	77-78 से वेशी (+) कमी (−)
माडर्न बेकरीज	(लाख रोटियां)	926.45	915.84	(—)10.61	1280.05	1286.61	(+) 6.36
भारत अर्थमूवर्स लि०	(करोड़ रुपयों में)	43.28	39.61	(—) 2.67	83.31	90.17	(+) 6.86
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	(डले·लाख टन)	43.14	40.39	(—) 2.75	64.55	62.86	(−)0..69
हिन्दुस्तान कापर	(हजार टन)	13.1	10.7	(—) 2.4	21.0	21.9	(+)0.9

सिगरेट निर्मात्री कंपनियों में विदेशी शेयर

8982. **श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन विदेशी कंपनियों के शेयरों में परिवर्तन करने का है जिन्होंने भारत में धन लगाया है और विशेषकर सिगरेट निर्मात्री कंपनियों तथा सामान्य तौर पर अन्य कंपनियों के मामले में शेयर केवल 25 प्रतिशत कम किए जाएंगे, और

(ख) यदि नहीं, तो भारत में विशेषकर सिगरेट कंपनियों तथा सामान्य तौर पर अन्य कंपनियों का भारतीयकरण न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) विद्यमान विदेशी कंपनियों में विदेश शेयरधारिता में कमी करने के संबंध में सरकार की नीति विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 (2) (क) के अंतर्गत मार्ग निर्देशों में निर्धारित की गई हैं । ये मार्ग निर्देश कड़ाई से लागू किए जा रहे हैं ।

विदेशी ब्रांड के सिगरेटों की बिक्री पर रोक

8983. **श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में विदेशी ब्रांड की सिगरेटों की बिक्री पर रोक लगाने का है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इस प्रकार रोक लगाने से विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकेगी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्र के हित में विदेशी ब्रांड की सिगरेटों पर भारी कर लगाने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) तथा (ख) : ऐसे आयातों को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, 1 अप्रैल, 1976 से जबकि सिगरेट (उत्पाद विनियमन, पूर्ति तथा वितरण) अधिनियम 1975 प्रवृत्त हुआ, मूल्यवान प्रतिफल के लिए वितरण अथवा सप्लाई के लिए अथवा बिक्री के लिए सिगरेट के प्रत्येक पैकिट पर चाहे वह आयातित हों, उसके लेबल पर यह चेतावनी अवश्य होनी चाहिए कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।

(ग) विदेशी ब्रांड की सिगरेटों पर आयात शुल्कों के अतिरिक्त पहले ही प्रतिकारी शुल्क (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को ध्यान में रखते हुए) लगता है ।

'टिस्को' में अधिकांश शेयर पूंजी वाले सार्वजनिक वित्त संस्थाओं को हानि

8984. श्री ए० के० राय : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि 'टिस्को' की सहयोगी कंपनियों अर्थात् 'टेल्को' इंडियन ट्यूब कंपनी, टिनप्लेट, टाटा राबिन फ्रेजर टायो द्वारा 'टिस्को' के साथ अपने व्यापारिक लेन-देन में हेराफेरी करके उसको नुकसान पहुंचाकर लाभ पहुंचाया जा रहा है ;

(ख) क्या 'टिस्को' में अधिकांश शेयर पूंजी वाली सार्वजनिक वित्त संस्थाओं को इस प्रकार हानि होती है परन्तु उसकी सहयोगी कंपनियों को नहीं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसे टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, इंडियन ट्यूब कम्पनी आदि जैसी टाटा की सहयोगी कम्पनियों द्वारा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को हानि पहुंचाकर लाभ कमाये जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा नियमित रूप से लाभांश दिये जाने के कारण सभी सरकारी वित्तीय संस्थाओं को हानि होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार

8985. श्री एस० एस० सोमानी : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार बढ़ाने की विशेष योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली में मार्च 1978 में हुई भारत-ब्रिटेन आर्थिक समिति की मंत्रीस्तरीय बैठक की अनुवर्ति कार्यवाही के रूप में ब्रिटेन के व्यापार विभाग द्वारा लन्दन में दिसम्बर 1978 में भारतीय निर्यातकों तथा अधिकारियों की ब्रिटेन के आयातकों, आयात संगठनों तथा अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई । भारतीय निर्यातकों तथा ब्रिटेन के आयातकों के बीच अलग-अलग संविदाएं स्थापित करने; उत्पाद डिजाइनों तथा स्टाइलों में परिवर्तन करने के संबंध में जानकारी का आदान प्रदान करना; प्रणालियों में तालमेल बैठाने की दृष्टि से ब्रिटेन के उन संगठनों में जो इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उत्पादों के परीक्षण तथा निरीक्षण में लगे भारतीय श्रमिकों का दौरा करने;

दोनों देशों आदि द्वारा मेलों प्रदर्शनियों में और अधिक भाग लेने जैसे व्यापार संवर्धन सम्बन्धी कुछ उपायों, विशेष निर्यात हित के रूप में पता लगाई गई चौदह विशेष वस्तुओं के संबंध में उक्त बैठक में बातचीत की गई। इन मुद्दों पर एक ओर भारतीय निर्यातकों और निर्यात संगठनों तथा दूसरी ओर भारतीय उच्चायुक्त, लन्दन, और ब्रिटेन की सरकार के साथ परामर्श करके अनुवर्ती कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

अखबारी कागज के आयात के बारे में प्रकाशन गृहों की ओर से शिकायतें

8986. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने 1290 टन फिनलैंड का अखबारी कागज आयात के लिए खरीदा था ;

(ख) यदि हां, तो कुल आयात का मूल्य कितना है और बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता पत्तनों को कितना टन भार वितरित किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक प्रकाशन गृहों ने गम्भीर शिकायतें की हैं कि आयातित अखबारी कागज फिनलैण्ड में निर्मित नहीं है और उसकी किस्म घटिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या जांच की है और कागज की किस्म, मात्रा और सफाई के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है और उसके उपचार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) राज्य व्यापार निगम ने फिनलैण्ड का 1283 टन अखबारी कागज खरीदा।

(ख) इस अखबारी कागज का कुल मूल्य 43,59,377 रु० था। 1283 टन की कुल मात्रा में से 1035 टन बम्बई बन्दरगाह को और 248 टन कलकत्ता बन्दरगाह को बांट दिया गया।

(ग) राज्य व्यापार निगम को इस अखबारी कागज के उद्भव के बारे में कोई गम्भीर शिकायत नहीं मिली है। तथापि, क्वालिटी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी जो कि विदेशी सप्लायरों के साथ तय की जा चुकी हैं, जो माल पाने वाली भारतीय पार्टियों को मुआवजा देने के लिए सहमत हो गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस विषय पर फर्म के साथ विधिवत रूप से बात चीत की गई थी और माल पाने वाली पार्टियों के समाधान के अनुसार उसे तय कर दिया गया है।

चांदी, चांदी की वस्तुओं तथा चांदी के जेवरों का निर्यात

8987. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **उप प्रधानमंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 तथा 1978 के दौरान चाँदी, चाँदी की वस्तुओं तथा चाँदी के जेवरों का कितना निर्यात किया गया,

(ख) (1) व्यापारियों के पास (2) राष्ट्रीयकृत बैंकों (3) अन्य बैंकों तथा (4) देश में लोगों के पास चाँदी का भंडार अनुमानतः कितना है,

(ग) गत दो वर्षों के दौरान देश में चाँदी का कुल कितना वार्षिक उत्पादन किया गया, और

(घ) चाँदी की वस्तुओं तथा जेवरों का भारत से बाहर निर्यात करने के संबंध में सरकार का निर्णय क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) :

क : चाँदी का निर्यात

वर्ष	**मैट्रिक टन**
1977-78	64
1978-79	700 (लगभग)

चाँदी की वस्तुओं का निर्यात

वर्ष	**लाख रुपए**
1977-78	273.88
1978-79 (अप्रैल-दिसम्बर, 1978 अनन्तिम)	91.28

चाँदी के जेवरों का निर्यात

वर्ष	**लाख रुपए**
1977-78	95.38 (अनुमानित)
1978-79 (अप्रैल-जनवरी, 1979)	120.47 (अनुमानित)

स्वर्णेतर जेवरों के निर्यात से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं और उनके अनुसार 1977-78 में 119.23 लाख रुपये तथा अप्रैल 1978 से जनवरी 1979 तक की अवधि के दौरान इस प्रकार के 150.59 लाख रुपए की लागत के इन जेवरों का निर्यात हुआ है जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत चाँदी के जेवरों के निर्यात का अनुमान है) ;

(ख) इस बात के कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं कि (1) व्यापार में (2) राष्ट्रीयकृत बैंकों में (3) अन्य बैंकों में तथा (4) देश में जनता के पास चाँदी का कितना-कितना भण्डार है ।

(ग) सोना, तांबा तथा सीसा जैसी अन्य धातुओं के गौण उत्पादों के सिवाये भारत में

चाँदी का उत्पादन नहीं होता है। पिछले दो वर्षों के दौरान गौण उत्पाद के रूप में चाँदी के उत्पादन की मात्रा इस प्रकार रही :

वर्ष	किलो ग्राम
1977-78	12,753.927
1978-79 (फरवरी 1979 तक)	11,340.609

(घ) चाँदी की वस्तुओं, सिक्कों आदि के निर्यात की अनुमति दी जा रही है। किन्तु इसकी बराबर समीक्षा की जाती रहेगी ताकि हल्के काम वाली वस्तुओं की आड़ में चाँदी के निर्यात की सम्भावना को समाप्त करने के लिए इस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके।

आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

8988. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात राज्य के आदिवासी क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की अधिक संख्या में शाखाओं को खोलने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो नई शाखाओं को खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ग) आदिवासियों को ऋण देने की क्या पद्धति है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस बारे में अपनी पद्धति में सुधार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक, शाखाओं के लिए लाइसेंस देने की अपनी संशोधित नीति के अनुसार कम बैंक वाले जिलों में शाखा विस्तार की तीन वर्षीय योजना बना रहा है। गुजरात के जनजाति की घनी आबादी वाले जिलों में से बनासकांठा, डांग, पंचमहाल और साबरकांठा को कम बैंक वाले जिले निर्धारित किया गया है जहां नई शाखाएं खोलने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार और संबंधित लीड बैंकों के परामर्श से प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग), (घ) और (ङ) : बैंक जनजाति के व्यक्तियों को ऋण देने में सरल प्रक्रिया अपना रहे हैं। उत्पादक प्रयासों के लिए सामूहिक-गारण्टी के आधार पर और जहाँ ऋणकर्त्ता किसी प्रकार की प्रतिभूति अथवा गारण्टी देने में असमर्थ हो वहां किसी प्रकार की प्रतिभूति अथवा गारण्टी पर जोर दिये बिना ऋण दिया जाता है। पात्र होने पर जनजाति के व्यक्तियों को विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाता है। बैंक जनजाति क्षेत्रों में बड़े आकार की बहु प्रयोजनी समितियों के माध्यम से भी ऋण देती है।

कृषि से आय

8989. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि की आय के कुल अनुमान के बारे में राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग सभी बड़े व्यापार गृह कृषि कार्यों को चला रहे हैं और आयकर बचा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) तथा (ग) : मद (क) के सम्बन्ध में सूचना इस मंत्रालय के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा किया जा रहा है। मद (ख) और (ग) के सम्बन्ध में भी सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से इकट्ठी की जानी है। इसे इकट्ठा किया जा रहा है।

सूचना इकट्ठी होने पर सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में मैसर्स एलाइड प्रोड्यूस कम्पनी लिमिटेड, पौंटा साहिब को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण दिया जाना

8990. श्री दुर्गा चन्द : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश में मैसर्स एलाइड प्रोड्यूस कम्पनी लिमिटेड, पौंटा साहिब की पौंटा साहिब में लकड़ी गूदा और विशेष कागज मिल की स्थापना के लिए 4 नवम्बर, 1975 को औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था; और

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने जुलाई, 1977 में ऋण आदि के लिए वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों को आवेदन किया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हाँ। 1975 के दौरान इस कम्पनी को एक लाइसेंस जारी किया गया था।

(ख) यद्यपि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण निगम को कोई आवेदन पत्र नहीं भेजा है, एलाइड प्रौड्यूस कम्पनी लिमिटेड के श्री जे० मेहता ने जुलाई, 1977 में वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र भेजा था। अलबत्ता, जनवरी 1978 में हिमाचल प्रदेश सरकार के औद्योगिक परियोजना अनुमोदन एवं समीक्षा अभिकरण ने वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया था कि परियोजना को कार्यान्वित करने में आवेदन द्वारा दिखाई गई अपर्याप्त प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि लकड़ी सप्लाई करने के वायदे के साथ ही साथ इस मामले को रद्द कर दिया जाये।

ऋण लेने वालों के लिए बैंकिंग सुविधाओं के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त

8991. श्री दुर्गा चन्द : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग ऋण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास जाते हैं उन्हें इस बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं बताये जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बड़ी असुविधा होती है;

(ख) क्या कोई छपी हुई पुस्तिका निकालने का विचार है जिसमें ऋण लेने वालों के लिए बैंकिंग सुविधाओं के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा दिया हो; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और ऋण लेने वालों का बैंकों द्वारा किस प्रकार मार्गदर्शन किया जाता है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, नहीं । बैंक अपने ग्राहकों की अनावश्यक कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं । जब कोई शिकायत आती है तो सम्बन्धित बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाती है ।

(ख) और (ग) : बैंक अपने ऋणकर्त्ताओं को उन विभिन्न योजनाओं जिनके अंतर्गत उन्हें बैंक ऋण उपलब्ध हो सकता है, के बारे में विस्तृत सूचनायें देकर उनकी सहायता करते हैं और आवेदन पत्रों आदि को भरने में उनकी सहायता भी करते हैं । अधिकांश वाणिज्यिक बैंक जनता और राज्य सरकार के अभिकरणों, दोनों को ही, विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रचार साहित्य/छपी हुई पुस्तकें वितरित करने की प्रक्रिया भी अपनाते हैं ।

भारतीय रिजव बैंक के कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

8992. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी एसोसिएशन ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और इसके परिणामस्वरूप बैंक व्यापार के रूप में बैंक को कितना नुकसान हुआ; और

(ग) क्या भविष्य में ऐसी हड़ताल को रोकने के लिए कोई उपाय सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां ।

(ख) हड़ताल का कोई नोटिस औपचारिक रूप से नहीं दिया गया था किन्तु यह मालूम हुआ है कि वह बैंक के क्लैरिकल कर्मचारियों की सेवा शर्तों विषक नये समझौतों की उनकी मांग के समर्थन में की गयी थी ।

चूंकि रिजर्व बैंक कोई वाणिज्यिक बैंकिंग कारोबार नहीं करता, इसलिये बैंकिंग कारोबार के रूप में कोई हानि नहीं हुई।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ अपना द्विपक्षीय विचार विमर्श 2 मई, 1979 को आरम्भ करेंगे।

जनता होटलों का निर्माण

8993. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यटन विभाग द्वारा 31 मार्च, 1979 तक कितने जनता होटलों का निर्माण किया गया और किन-किन स्थानों पर निर्माण किया गया;

(ख) जनता होटलों में भोजन और आवास के लिये पृथक पृथक प्रति व्यक्ति प्रति दिन कितना न्यूनतम और अधिकतम शुल्क रखा गया है;

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान कितने जनता होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है और उनका निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जायेगा और उनके निर्माण पर तथा उन्हें सुसज्जित करने पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) जनता होटलों का निर्माण किन व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है और क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश की दो तिहाई आबादी गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रही है, सरकार इन होटलों के नामों से "जनता" नाम तत्काल हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी, जिससे "जनता" शब्द को बदनाम न किया जाए ?

पर्यटन और नागर विमामन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) : नई दिल्ली में 300 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 1250 बैड वाले प्रथम अशोक यात्री निवास (जनता होटल) का निर्माण कार्य शुरू हो गया है जिसे विभिन्न चरणों में 1980-81 तक पूरा किया जायेगा। आवास और खाद्य पदार्थों की प्रस्तावित दरें निम्न प्रकार होंगी—

कमरे का टैरिफ

स्नान-गृहों सहित 4 बैड वाले कमरे	रु० 10 प्रति बैड
स्नान-गृहों सहित डबल बैड वाले कमरे	रु० 15 प्रति बैड डबल आकुपैंसी के लिए 30 रुपए। यदि कमरा सिंगल आकुपैंसी के लिए अपेक्षित हो, तो कमरे का टैरिफ 30 रुपए होगा।

खाद्य पदार्थ तथा मादक पेय का टैरिफ

चाय	रु० 0.50
कलेवा (ब्रेकफास्ट)	2.00
लंच/डिनर	
शाकाहारी	4.50
मांसाहारी	6.00

अन्य स्थानों पर यात्री निवास (जनता होटलों) की दर संरचना यथा-संभव सीमा तक अशोक यात्री निवास की दरों पर आधारित होगी। पंचवर्षीय योजना (1978-83) में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में इसी प्रकार के एककों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इन परियोजनाओं पर प्रारंभिक कार्य करने के लिए बजट अनुमान 1979-80 में 5 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

(ग) इनका उद्देश्य कम बजट वाले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिनकी इससे पहले उपेक्षा की जाती रही है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू की खरीद

8994. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालांकि राज्य व्यापार निगम ने 15,000 टन तम्बाकू की खरीद करने के बारे में निर्णय किया था, परन्तु इसने तीन महीने बाद तम्बाकू की खरीद आरम्भ की;

(ख) क्या यह भी सच है कि उससे पहले व्यापारियों ने भारी मात्रा में तम्बाकू की खरीद कर ली थी;

(ग) क्या वर्ष 1979 के दौरान लगभग 80 हजार टन तम्बाकू का उत्पादन होने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो तम्बाकू उत्पादकों की उचित कीमतें सुनिश्चित करने और उन्हें एकाधिकारी कम्पनियों के शोषण से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) वर्ष 1978-79 और 1979-80 की पहली तिमाही के दौरान कम्पनियों को विदेशों से कितनी तम्बाकू के निर्यात के लिए क्रयादेश प्राप्त हुए ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय सरकार ने राज्य व्यापार निगम को फरवरी 1979 के तीसरे सप्ताह में 1979 की फसल में से आंध्र प्रदेश से सरकारी खाते में 10,000 मे० टन वी० एफ० सी० तम्बाकू खरीदने का निदेश दिया। आंध्र प्रदेश में वर्जीनिया तम्बाकू का विपणन फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू हुआ। राज्य व्यापार निगम ने सरकारी खाते में वी० एफ० सी० तम्बाकू की खरीद फरवरी के अन्त 1 मार्च के आरम्भ में शुरू की।

(ग) अनुमान है कि 1978-79 के दौरान आंध्र प्रदेश में वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन 95,000 मे० टन से 1,00,000 मे० टन के बीच होगा।

(घ) वर्जीनिया तम्बाकू उपजकर्ताओं के लिए उचित कीमतें सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से तम्बाकू विपणन में हस्तक्षेप किया।

(ङ) 1978-79 और 1979-80 की पहली तिमाही के दौरान कम्पनियों को विदेशों से प्राप्त तम्बाकू के निर्यात आदेशों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। तथापि, 1978-79

की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के दौरान अनिर्मित लगभग 26,118 मे० टन, तम्बाकू का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 47.15 करोड़ रुपये के लगभग था।

आन्ध्र प्रदेश में वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद

8995. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में इस समय प्रचलित विर्जीनिया तम्बाकू की खरीद की प्रथा के कारण सहकारिता आन्दोलन को भारी ठेस पहुंची है;

(ख) क्या बड़े व्यापारियों को बोर्ड से संरक्षण प्राप्त था और सरकारी अधिकारी भी उन्हें संरक्षण देते हैं तथा इस कारण साधारण उत्पादकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या इस बारे में पूरी जांच के लिये आदेश दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सरकार ने राज्य व्यापार निगम को 1979 की फसल में से आन्ध्र प्रदेश से सरकारी खाते में 10,000 में० टन वी० एफ० सी० तम्बाकू खरीदने के लिए कहा है। इस खरीद में से 5000 मे० टन सहकारी समितियों से और 5000 मे० टन सीधे ही उपजकर्ताओं से है। इस प्रकार इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खरीद में सहकारिता आन्दोलन को धक्का पहुंचने की बजाय बढ़ावा मिला है।

(ख) तथा (ग) : जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिले सिलाये कपड़ों के निर्यात के बारे में नई नीति

8996. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले सिलाये कपड़ों के निर्यात के बारे में नई नीति जून, 1979 से बनाई जायेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय जहाज पर माल का लदान करने में कठिनाई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1979 को पहली तिमाही के लिए कोटा निर्धारित करने में अनुचित बिलम्ब हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): **(क) से (घ)** : 1979 के लिए कोटा वितरण नीति पहले ही घोषित कर दी गई है। तथापि जब भी

आवश्यक होता है सही कदम उठाने के लिए नीति के महत्वपूर्ण तत्वों की बराबर समीक्षा की जाती है। कोटा वर्ष को दो आधे-आधे भागों में बांटा गया है, 1-1-1979 से 30-6-1979 तक तथा 1-7-1979 से 31-12-1979 तक। पूरे वर्ष के लिए नीति 2-11-1978 को घोषित कर दी गई थी। व्यस्त मौसम के दौरान सिले सिलाये वस्त्रों को लाने लेजाने को सरल बनाने के लिए इस वर्ष विशेष व्यवस्था की गई है।

मैसर्स पोरिट्स एंड-स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड द्वारा विदेशी साम्य पूंजी को कम करना

8998. **श्री अनन्त दवे :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जी० विलियम्स एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर जारी किए गए आशय पत्र पर अपना व्यापार चलाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, मैसर्स पोरिट्स एंड स्पैंसर (एशिया) लिमिटेड फरीदाबाद को अपनी शेयर पूंजी को 41 प्रतिशत तक कम करने की अनुमति किस प्रकार दी गई है, और

(ख) यदि उपरोक्त भाग का उत्तर हां में है तो इस गलती के लिए कौन उत्तरदायी है और संबद्ध अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) मैसर्स पोरिट्स ऐण्ड स्पैंसर (एशिया) लिमिटेड औद्योगिक मशीन क्लोदिंग के उत्पादन में लगी हुई है जिसके लिए उसके पास फरवरी, 1974 में संशोधित किया गया दिनांक 17 अप्रैल, 1968 का एक औद्योगिक लाइसेंस, संख्या एल०/23 (3)/43/68 टी० ई० एक्स० (ई०) है। चूंकि इन उत्पादों के लिए कंपनी को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, जो कि देश में उपलब्ध नहीं है, इसलिए कंपनी को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत अपनी विद्यमान 59 प्रतिशत विदेशी शेयरधारिता से ही अपना कारोबार करने की अनुमति दे दी गई है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

15 बड़े औद्योगिक गृहों से आयकर की वसूली

8999. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री 28 जुलाई 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 15 बड़े औद्योगिक गृहों से आयकर की वसूली के लिए की गई कार्यवाही के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, इसे एकत्र किया जा रहा है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जायगा।

वापी पेपर मिल्स लिमिटेड, बम्बई के सम्बन्ध में सीमा शुल्क, उत्पाद-शुल्क की अदायगी तथा उनकी ओर आयकर की बकाया राशि

9000. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री 9 अगस्त 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3510 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वापी पेपर मिल्स लिमिटेड 23 उद्योग मन्दिर, दूसरी मंजिल, 7-सी, पिताम्बर लेन

महीप, बम्बई द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क की (पृथक्-पृथक्) कितनी राशि अदा की गई और उस पर आय कर की अभी भी कितनी राशि बकाया है ; और

(क) इस फर्म में इसकी स्थापना से अब तक (वर्षवार) कितनी राशि का निवेश हुआ, इसके कितने भागीदार हैं, वे अन्य किन-किन उद्योगों तथा व्यापारों में भागीदार हैं; वहां उन्होंने कितनी-कितनी पूंजी लगा रखी है और उन पर गत तीन वर्षों का कितना आयकर बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयात कर्त्ताओं/निर्यात कर्त्ताओं से वसूल किए गए सीमा शुल्क का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अत: उल्लिखित कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में अदा की गयी सीमा शुल्क की रकम से संबंधित जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

31 दिसम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार, वापी पेपर मिल्स की ओर आयकर की कोई रकम बकाया नहीं थी।

वापी पेपर मिल्स द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) मैसर्स वापी पेपर मिल्स लिमिटेड, बम्बई कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड कम्पनी है और यह गुजरात राज्य में 27 जुलाई, 1974 को रजिस्टर्ड हुई थी। कम्पनी कार्य विभाग के पास उपलब्ध तुलन-पत्र के अनुसार, कम्पनी की चुकता पूंजी निम्नानुसार है :—

निम्नलिखित तारीख को समाप्त हुए वर्ष के अनुसार तुलन-पत्र	चुकता पूंजी (लाख रुपयों में)
31-12-1975	46·07
31-12-1976	50·00

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री आरिफ बेग।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये सं० एल० टी० 4367/79]

काफी बोर्ड के वर्ष 1977-78 के लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण।

वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : मैं काफी बोर्ड के वर्ष 1977-78 के लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 4368/79]

ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली को 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उसके कार्यकरण की समीक्षा संबंधी विवरण।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (जुल्फिकार उल्लाह) : (1) मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की समीक्षा सम्बन्धी एक विवरण।

(2) उपरोक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये सं० एल० टी० 4369/79]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति कार्यवाही सारांश

श्री त्रिदिव चौधरी (बहरामपुर) : मैं भारतीय पटसन निगम लिमिटेड पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के तीसरे, आठवें, बारहवें, तेरहवें, चौदहवें, सोलहवें और पच्चीसवें प्रतिवेदनों से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

साउथाल, लंदन में एशियाई समुदाय के विरुद्ध हिंसक घटनाओं का समाचार।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (सोनीपत) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

लंदन के साउथाल क्षेत्र में एशियाई समुदाय विशेषकर भारतीय आप्रवासियों के विरुद्ध हिंसक घटनाओं के समाचार और उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : लंदन के साउथ हाल में 23 अप्रैल को हुए झगड़े की खबरों से हमें बहुत चिंता हुई है। 24 अप्रैल को इस वारदात की खबर मिलते ही मैंने खुद अपने हाई कमिश्नर से बात की। इस संबंध में ताजा स्थिति जानने के लिए मैंने फिर 25 अप्रैल को अपने हाई कमीशन से संपर्क किया। हमारे हाई कमिश्नर भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने साउथ हाल गए हुए थे जिनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें उक्त वारदात में चोट आई थी।

जैसा कि सदन को ज्ञात है इस वारदात की शुरूआत एक चुनाव बैठक से हुई जो कि 23 अप्रैल को साउथ हाल के टाऊन हाल में नेशनल फ्रंट द्वारा आयोजित की गई थी। यह नेशनल फ्रंट एक जातिवादी नव-नाजी संगठन है जो कि अश्वेत बाशिन्दों के खिलाफ घृणा की वकालत करता है और यह कहता है कि उन्हें अनिवार्यतः देश प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए। साउथ हाल में रहने वाले एशियाई लोगों ने स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा नेशनल फ्रंट को इसकी आपत्तिजनक विचार धारा और कार्यक्रम को मद्दे नजर रखते हुए इजाजत दिए जाने पर रोष प्रकट किया था। भारतीय हाई कमीशन ने 19 अप्रैल को ब्रिटेन की सरकार को यह सलाह दी थी कि इस क्षेत्र के जातीय पर्यावरण पर ऐसी किसी बैठक का बुरा असर पड़ेगा और इससे अप्रिय घटना भी घट सकती है। यह आशंका सच सिद्ध हुई। पुलिस ने 23 अप्रैल को दोपहर बाद से टाउन हाल आने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया। उसी शाम पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गंभीर मुठभेड़ें हुई। नेशनल फ्रंट की फासिस्ट नीतियों का विरोध साउथ हाल के एशियाई लोग ही नहीं बल्कि ब्रिटिश लोग भी करते हैं जिन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बिना वजह उन पर आक्रमण किया। इसके विपरीत एशियाई और दूसरे संगठनों ने पुलिस पर शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इन दंगे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उनमें से एक जो न्यूजीलैंड का था और ऐंटी-नाजी लीग का सदस्य था, घायलावस्था में मर गया। बताया जाता है कि एशियाई मूल के करीब 40 लोग इसमें घायल हुए। करीब 340 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए जिनमें से अधिकांश जमानत पर रिहा कर दिए गये। हमारे हाई कमीशन ने ब्रिटेन के प्राधिकारियों से कहा है कि वे उन भारतीयों की ठीक-ठीक संख्या बतायें जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और जिन पर आरोप लगाया गया है। ऐसा समझा जाता है कि ब्रिटेन की सरकार 1976 के पुलिस अधिनियम के अंतर्गत स्वयं इस वारदात की जांच पड़ताल कर रही है।

हमारे हाई कमीशन से प्राप्त ताजा सूचना से यह पता चलता है कि साउथ हाल में तनाव कम हो गया है। हमारे हाई कमिश्नर ने भारतीय समुदाय को बार-बार यह सलाह दी है कि जातीय समरसता के हित में वे संयम से काम लें।

इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है, इस बारे में हम यहां और लंदन में भी ब्रिटिश सरकार के साथ संपर्क बनाये हुए हैं। हमें इस बात की खुशी है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने और वहां के दूसरे राजनीतिक नेताओं ने श्री कैलाहन के शब्दों में "नाजियों के अवशेष इस जातिवादी नेशनल फ्रंट की भर्त्सना की है। इस काम के आकार को किसी भी तरह कम किये बिना, हम यह उम्मीद करते हैं कि इससे प्रभावित समुदायों में पुनः विश्वास जाग्रत करने के लिए हर तरह से कोशिश की जाएगी।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, जिस इंसीडेंट के बारे में आज का यह काल अटेंशन का सबजेक्ट है, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इस किस्म के इंसिडेंट्स इंग्लैंड के अंदर हुए। जिस ब्रिटिश रेस के बाबत यह कहा जाता था कि बड़े मुहज्जब हैं और सिविलाइजेशन का एक माडेल उनको समझा जाता था लेकिन वहां पर सिविलाईजेशन और सभ्यता का जनाजा निकलता जा रहा है। किसी आदमी की बाबत समझा जा सकता है कि उसमें फेनेटिसिज्म आ सकता है, पागलपन आ सकता है लेकिन किसी मुल्क की हुकूमत में और उसकी जो एक मशीनरी होती है पुलिस की, उसमें भी इतना फेनेटिसिज्म और पागलपन आ जाए तो उसको क्या कहा जाए ? यह पागलपन सिर्फ आदमियों पर ही नहीं दिखाया गया, उनमें जो औरतें और बच्चे थे उनके बाल पकड़ कर खींचा और मारा गया। ऐसी बातें हिन्दुस्तान में तो सुनने में आई थीं लेकिन इंग्लैंड में सुनने में नहीं आई थीं कि वहां पर भी औरतों के साथ इस तरह का सुलूक किया जा सकता है। एक हफ्ता पहले भी वहां पर इस किस्म के अटैक्स हुए थे एशियन कम्युनिटी पर, इंडियन्स पर। इसलिए समय से पहले, चार दिन पहले ही हमारे हाई कमिश्नर ने ब्रिटिश गवर्नमेन्ट को इसके लिए इत्तला दे दी थी कि इस किस्म का इंसीडेन्ट वहां पर होने वाला है। नेशनल फ्रंट जो कि रेशियलिस्ट है वह इस किस्म की वायलेंस की प्रीचिंग्ज करता है। इण्डियन्स को खत्म करने के लिए फ्रंट प्रीच करता है कि उनका रजिस्टर मेनटेन किया जाए, कहां कहां इण्डियन्स हैं उनके नाम दर्ज किए जायें। उनका एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम है कि इतने दिनों में वहां से उनको निकाल दिया जायेगा। जब इस किस्म की बातें वे करते थे और जब ब्रिटिश सरकार को इत्तला भी दे दी गई थी टाइम से तब फिर ब्रिटिश गवर्नमेन्ट को चाहिए था कि इस किस्म की मीटिंग को बैन कर देती। साउथाल में 60 हजार इंडियनन्स रहते हैं। उन्होंने कहा था कि हम इसको बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं कि इस किस्म की वायलेंस हमारे खिलाफ प्रीच की जाए। गवर्नमेन्ट के खिलाफ भी डिमांस्ट्रेशन किए जाते हैं और इस किस्म की मीटिंग के खिलाफ भी डिमांस्ट्रेशन होते हैं लेकिन वह पीसफुल होते हैं परन्तु यहां पर तो पुलिस का पहले से ही इरादा मालूम होता है। 50-60 के करीब लोग मीटिंग होल्ड करने के लिए जा रहे थे, नेशनल फ्रंट वाले लेकिन वहां पर पांच हजार पुलिसमेन का तैनात होना—इसी से मालूम होता है कि यह एक साजिश थी इण्डियन्स और एशियन कम्युनिटी को सबक सिखाने की। डिमांस्ट्रेशन में न्यूजीलैंड का एक टीचर भी था जो कि इनके साथ सिम्पैथी रखता था। यही नहीं, अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में रहने वाले बिटिशर्स भी रेशियलिज्म के बड़े सख्त खिलाफ हैं लेकिन उसके बावजूद जैसा कि वहां पर खयाल

किया जाता है कि मिसेज थैचर टोरी पार्टी की तरफ से सरकार बनाने वाली हैं, वे भी रेशियलिज्म का प्रचार करती रही है। ऐसी हालत में अगर हमारी हुकूमत की इस किस्म की पालिसी रही और इस तरह की वीकनेस वह दिखाती रही और हमारे आदमियों के खिलाफ वहां पर इस तरह के इंसीडेन्ट्स और वायलेन्स होता रहा और इस तरह से पुलिस ऐक्शन में आई तो एशियंस वहां पर कैसे रह सकेंगे ? कामनवेल्थ के मेम्बर हम भी हैं और इंग्लैंड भी है, कामनवेल्थ कोई उनकी जागीर नहीं है। अफसोस की बात यह है कि जब कांग्रेस हुकूमत थी उस वक्त इतना तो सुनते थे कि हमने उलाहना दे दिया, प्रोटेस्ट कर दी लेकिन अब तो प्रोटेस्ट भी जाती रही। मिनिस्टर ने जो स्टेटमेन्ट दिया है उसमें कहीं एक लफ्ज भी इसके लिए नहीं है। उन्होंने कहा है हम सरकार के साथ वार्ता कर रहे हैं। हमारे एम्बेसेडर ने क्या किया ? हमें सरकार को एक कड़ा प्रतिरोध भेजना चाहिये था। क्या इसको करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं ? क्या मिनिस्टर साहब ने हमारे आदमियों को और एशियन्स को कोई एश्योरेंस दिया कि भारत उनके साथ और भारत सरकार उनके साथ है। इस किस्म का आश्वासन उनको दिया या नहीं दिया। मैं फारेन मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस किस्म की कोई साजिश तो आज इंग्लैंड में नहीं चल रही है ? क्या हमारी गवर्नमेंट ने हमारे हाई कमिश्नर की मारफत यह जानने की कोशिश की है कि आया ब्रिटिश कम्युनिटी इन्डियन्स या एशियन्स को वहां से निकालने पर आमादा तो नहीं है ? ये सारी चीजें वजाहत के साथ, मैं अपने फारेन मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा, हाऊस को बताएं ?

श्री समरेन्द्र कुन्डू : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो मनोभावना है, उससे मैं बहुत सहमत हूं। इस में दो राय नहीं हैं कि यह जो घटना हुई है, यह बहुत दर्दनाक और दुखदायी घटना है। जब यह खबर मिली तो हमारे हाई कमिश्नर ने फौरन इस के बारे में क्या तथ्य हैं, उन तथ्यों को जानने के लिए फौरन कदम उठाए और हम ने भी अपने हाई कमिश्नर के साथ बातचीत की। माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि हम यह एश्योर करें कि हमारे जो इन्डियन सिटीजन्स हैं, हम उन के साथ हैं, मैं उन को यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई एशोरेन्स की जरूरत नहीं है। हम इन्डियन कम्युनिटी के हर अच्छे काम में उनके साथ में बिल्कुल हैं। इसलिए उनको क्या क्या हुआ है और कितने आदमी इनजर हुए हैं और वे कैसे हैं, इस बारे में सब खबरें ले रहे हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उनका जो यहां पर हाई कमीशन का आफिस है, उसके साथ और लन्दन सरकार के साथ भी हमने सम्पर्क स्थापित किया है।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई भी दो राय नहीं हैं कि वहां जो नेशनल फ्रन्ट है, वह बहुत गन्दा संगठन है और रेशियल हेट्रिड फैलाना उसका काम है और सभा, समिति कर के प्रचार करना और गोरे आदमियों और एशियन्स और हमारे यहां के लोगों के बीच में विद्वेष भाव फैलाना उसका काम है। यह सुख की बात है कि नेशनल फ्रन्ट का जो आबजेक्टिव है, उसके विरोध में वहां के प्राइम मिनिस्टर मि० कैलाहन ने सख्त बयान दिये हैं और वहां के दूसरे नेताओं ने भी सख्त बयान दिये हैं।

कामनवैल्थ के बारे में जो माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, हमारे व्यजू कामनवैल्थ के बारे में क्या हैं, यह उनको पता है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी): उपाध्यक्ष महोदय, ये घटनायें अत्यन्त निन्दनीय तथा शर्मनाक हैं। परन्तु यह देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ है कि उच्च आयोग तथा भारत सरकार दोनों ने मामले को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया है। श्री कुन्डू द्वारा दिये गये वक्तव्य में हमें यह बताया गया है कि—

"हमने रिपोर्टों को गहरी चिन्ता से नोट किया है।"

उन्होंने यह भी कहा है :

"हम ब्रिटिश सरकार के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं।" इससे सरकार की कमजोरी का पता चलता है। इसमें किसी प्रकार का दुःख, नाराजगी या असन्तोष व्यक्त नहीं किया गया है। किसी प्रकार की निन्दा व्यक्त नहीं की गई है।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह भारत के लोगों की इज्जत की रक्षा करने के इस विशेष मामले में कमजोर रही है और यहां तक कि प्रधान मंत्री के बारे में यह टिप्पणी की गई है कि वह एक गन्दा व्यक्ति है। अतः मैं सरकार से स्पष्ट रूप से यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने समूचे देश में लोगों की तीव्र भावनाओं को ब्रिटिश सरकार तक पर्याप्त रूप से तथा ठीक तरह से किस प्रकार पहुंचाया है।

न केवल मामले को मामूली ही समझा गया, परन्तु मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि उच्चायुक्त ने सुस्ती से काम किया है। निःसन्देह, कुछ दिन पूर्व वह ब्रिटिश सरकार से मिले थे और स्थिति की नाजुकता से उन्हें अवगत कराया था। परन्तु हमें बताया गया कि माननीय मंत्री, श्री कुन्डू ने वक्तव्य सुनते ही 24 अप्रैल को उच्चायुक्त से सम्पर्क किया था। यह घटना 23 अप्रैल को घटी थी। अतः सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि क्या हमारे आयुक्त ने वहां पर होने वाली घटनाओं के बारे में सरकार को सूचित किया था क्या सरकार को सारे मामले के बारे में समाचारों से पता चला और उसके बाद वहां पर उच्च आयुक्त को सूचित किया। हमने सुना कि हमारी सरकार ने अगले दिन, अर्थात् 24 अप्रैल, को उच्च आयुक्त से सम्पर्क किया था। यह घटना 23 अप्रैल को घटी थी और भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश उच्च आयुक्त के साथ दो बार सम्पर्क करने के बाद 25 अप्रैल को उच्च आयुक्त ने क्षेत्र का दौरा किया तथा वह लोगों से मिले। अतः हमें यह बताया जाना चाहिये कि क्या सरकार ने इस प्रकार की सुस्ती का प्रश्न और जिस ढंग से मामले में कार्यवाही की गई वह मामला उच्च आयुक्त के साथ उठाया है।

माननीय मंत्री श्री कुन्डू ने हमें यह बताया—

"हम अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में यहां पर तथा लन्दन में ब्रिटिश सरकार के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं।"

यह बड़ा अस्पष्ट वाक्य है। 'हम सम्पर्क बनाये हुए हैं' इसका अर्थ क्या है ? इस सम्बन्ध में उठाये गये कदम क्या हैं ? क्या ब्रिटिश सरकार को कोई कड़ा नोट भेजा गया है ? आज के समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट है कि ब्रिटिश सरकार को मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। क्या यह सच है कि इस सरकार द्वारा जांच की मांग की गई है ? जांच का स्वरूप क्या है ?

क्या यह वहां के पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत केवल जांचमात्र है ? मुझे पता चला है कि गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि यदि कोई जांच की जाती है, तो उसकी विषय वस्तु प्रकाशित नहीं की जाएगी। क्या सरकार ने गृह मंत्री के इस विशेष टिप्पणी पर कोई टीका की है कि की जाने वाली गोपनीय जांच से ऐसी स्थिति से पर्याप्त तथा उचित रूप से निपटा जा सकेगा ? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह राष्ट्रमंडल मंच में इन मामलों को उठाने का विचार रखते हैं और इन मामलों के प्रति हमारा रवैया क्या होगा। मुझे आशा है कि जो मुद्दे मैंने उठाये हैं, सरकार उनका स्पष्ट उत्तर देगी।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : उपाध्यक्ष महोदय, श्री बनातवाला व्यक्तव्य में प्रयोग किये गये शब्दों से प्रसन्न नहीं है; उनका कहना है कि हमें और अधिक कड़ी भाषा का प्रयोग करना चाहिये था। उन्होंने समाचार पत्रों में ये रिपोर्टें देखी होंगी कि दो दिन पहले मैंने राज्य सभा में बताया कि हम इन मामलों पर गहरा रोष प्रकट करते हैं और मैंने कहा था कि यह मामला वास्तव में अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि शब्दों के प्रयोग से समस्याओं का समाधान किया जा सकता, तो सम्भवत: सरकार तथा हममें से कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बन्द न करते। मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि ब्रिटेन में चुनाव अभियान चल रहा है और 3 तारीख को वहां पर चुनाव हो रहे हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिससे यह पता चले कि हम किसी पार्टी या दल का पक्ष ले रहे हैं।

हम इस बात से सहमत हैं कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के कल्याण की देखरेख करना हमारा कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व है, परन्तु जब कोई मामला पूर्णतया कानून तथा व्यवस्था की समस्या बन जाता है, तो हमारी भी कुछ परिसीमाएं हैं। अत: कभी-कभी हमें वास्तविक तथ्यों, स्थिति आदि का पता लगाने के लिये अपने उच्च आयोग से सम्पर्क करना पड़ता है। यदि आप वक्तव्य देखने का कष्ट करें, तो आपको पता चलेगा कि हमने दोनों पक्षों की बातें कहीं हैं। हमने कहा है :

> "पुलिस ने 23 अप्रैल को दोपहर बाद से टाउन हाल आने वाले लोगों के लिये रास्ता बंद कर दिया। उसी शाम पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गम्भीर मुठभेड़ें हुईं। नेशनल फ्रन्ट की फासिस्ट नीतियों का विरोध साउथ हाल के एशियाई लोग ही नहीं बल्कि ब्रिटिश लोग भी करते हैं जिन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिये इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बिना वजह उनपर आक्रमण किया। इसके विपरीत एशियाई और दूसरे संगठनों ने पुलिस पर शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग करने का आरोप लगाया है।"

मुझे आशा है कि माननीय श्री बनातवाला इस बात को महसूस करेंगे कि इस सभा में बैठकर कोई व्यक्ति वहां पर होने वाली घटना के बारे में कोई निर्णय नहीं दे सकता। हमें वहां पर उन भारतीय नागरिकों के बारे में तथ्य जानने का पूरा अधिकार है कि कौन-कौन घायल हुए और उन्हें क्या-क्या हानि उठानी पड़ी। हम समस्या के इन पहलुओं की जाँच कर रहे हैं।

मैं इस आरोप का पूरी तरह खंडन करता हूं कि हमारे उच्च आयुक्त ने सुस्ती से काम किया है। इसके विपरीत वह बड़े सक्रिय रहे हैं। माननीय सदस्यों को पता है कि लन्दन के समय

और भारत के समय में 5 घंटे का अन्तर है। वहां का समय हमारे समय से 5 घंटे आगे है। हम और समाचार जानने के इच्छुक हैं और हम अपने उच्च आयोग के साथ टेलीफोन पर सम्पर्क बनाये हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने हमें कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। मेरा यह विचार नहीं कि हमें इन समस्याओं पर इस ढ़ंग से विचार करना चाहिये। बल्कि उन्हें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि अधिक तथ्य एकत्रित करने के लिए शीघ्र कदम उठाये गये थे और यह निर्णय लेने के लिये भी कि हम कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं।

माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि क्या हम इस मामले को राष्ट्रमण्डल मंच में उठायेंगे। इन मामलों पर सदैव राष्ट्रमंडलीय बैठकों में चर्चा की जाती है और हम बहु-जातीय सम्बन्धी मामलों तथा अन्य ऐसी समस्याओं पर चर्चा के लिये इस मंच का प्रयोग करते हैं।

श्री विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है मुझे उससे ज्यादा निराशा हुई है। जिस प्रकार का बरबरतापूर्ण कार्य वहां हुआ है और जिसके अन्दर एक गुप्त मीटिंग की जा रही थी रंग भेद के आधार पर एशिया मूल के निवासियों को वहां से कैसे निकाला जा सकता है, इस बात का प्रचार करने के लिये, और उसके विरोध मे शांतिपूर्ण जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो पुलिस ने बरबरतापूर्वक उन पर हमला किया, पुलिस ने वहां पर महिलाओं को बालों से पकड़ कर घसीटा.....

एक वहां न्यूजीलैंड का रहने वाला शिक्षक, जो वहाँ का न्यू नाजी संगठन है, उसका विरोध करने के लिये आया था, उसकी पुलिस की मार से हत्या हो गई और उसको मार दिया गया और 300, 400 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार का भीषण आतंक, जितने वहां एशिया मूल के और भारतीय मूल के निवासी हैं, उन सब में फैला हुआ है। इन सब कार्यवाहियों के बाद मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां पर चुनाव हो रहे हैं, हम कहीं ऐसा न कर बैठें जिससे यह इम्प्रैशन चला जाये कि हम किसी की साइट् ले रहे हैं। वहां दो पार्टियां हैं, एक श्रीमती थैचर की पार्टी, जो ज्यादा स्ट्रांग है और दूसरी मि० पावेल की। यह सारे लोग जो हैं, चाहे नेशनल फ्रन्ट है, उन सब का रवैया भारतीय मूल के और एशिया मूल के निवासियों के प्रति उचित नहीं है। इस बात को सब जानते हैं।

आज-कल तो वहां चुनाव हो रहे हैं। परन्तु जब गुरदीप सिंह चग्गर की हत्या हुई थी, तब तो वहां चुनाव नहीं थे। जब वहां पर कौमार्य परीक्षण की बात चल रही थी, तब तो वहां चुनाव की बात नहीं थी। वहां पर भारतीयों के प्रति जो अपमानजनक बातें हो रही हैं, सारे देश और पूरी लोकसभा को जोरदार शब्दों में उनकी निन्दा करनी चाहिए और इस सवाल पर देश के जन-मानस का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

जिस तरह से यह वक्तव्य दिया गया है, उस पर भी मुझे आपत्ति है। इसमें कहा गया है :

"हमारे उच्चायुक्त ने भारतीय समुदाय को बार-बार यह सलाह दी है कि जातीय सभरसत्ता के हित में वे संयम से काम लें।"

यह शायद सिद्ध करता है कि वहां पर भारतीयों ने कोई रेस्ट्रेंट नहीं रखा, और नहीं रख रहे हैं। दूसरी बात इस वक्तव्य में यह कही गई है कि पुलिस ने ऐलेज किया कि उन पर हमला

किया गया। प्रश्न यह है कि हमारे हाई कमिश्नर ने क्या रिपोर्ट दी है। क्या उसकी रिपोर्ट है कि लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था? अखबारों में ऐसी कोई बात नहीं है। सब अखबारों में साफ तौर पर लिखा गया है कि पुलिस ने कुछ गोरे लोगों के साथ मिलकर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे हाई कमीश्नर ने क्या रिपोर्ट दी है, यह बात इस वक्तव्य में क्यों नहीं बताई गई है, जबकि पुलिस क्या कहती है, यह बात इस वक्तव्य में शामिल कर ली गई है।

क्या इंगलैंड के इलेक्शन ला के मुताबिक रेशल डिसक्रिमिनेशन, रंग रंगभेद की नीति, के आधार पर चुनाव लड़ना अपराध है या नहीं; अगर है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं और नैशनल फ्रंट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? क्या सरकार ने ब्रिटिश गवर्नमैंट से इस बारे में पूछा है?

मंत्री महोदय ने कहा है कि हमें इस बात की खुशी है कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री और श्रीमती थैचर दोनों ने इस बात की निन्दा की है। उन्होंने किस की निन्दा की है? उन्होंने नेशनल फ्रंट की निन्दा की है, परन्तु यह जो कांड हुआ है, जिसमें लोगों पर बरबरतापूर्ण हमला किया गया, जिसके कारण भारतीय और एशियाई मूल के लोगों में भयंकर आतंक है, उन्होंने उसकी कोई निन्दा नहीं की है। किसी ने भी यह नहीं कहा है कि पुलिस की कार्यवाही गलत है। वहां पर जो रेशल डिसक्रिमिनेशन के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उसकी कोई निन्दा नहीं की गई है। हम तो यह जानना चाहते हैं कि उस कांड के बारे में क्या कहा गया है और वहां पर जो कानून को तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने क्या कार्यवाही की है।

पिछली बार कहा गया था कि हम कौमार्य परीक्षण के सवाल को यू० एन० ओ० में ले जायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां के लोग कौमार्य परीक्षण और अन्य सवालों को यू० एन० ओ० में ले जायें, इस बारे में हम क्या कदम उठा रहे हैं।

जहां तक कामनवैल्थ का सवाल है, मैं यह नहीं कहता हूँ कि हम उसको छोड़ दें, परन्तु कामनवैल्थ में नान-ब्रिटिश लोगों की मैजारिटी है। क्या हम उनके साथ मिलकर वहां पर यह मामला नहीं उठा सकते हैं? अब ये बातें कैनेडा में भी पहुंच रही हैं। पिछले दिनों मैं कैनाडा गया था। वहां पर बड़े जोरों से यह कहा जा रहा है कि भारतीय मूल के लोगों को निकाल दिया जाये। स्कूलों में डिसक्रिमिनेशन हो रहा है, स्कूलों में बच्चों को गालियां दी जाती हैं। ब्रिटेन और कैनेडा में स्किनहैड्ज और दूसरे लोगों के द्वारा एशियाई मूल के लोगों के विरुद्ध आतंकपूर्ण कार्यवाहियां की जा रही हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि अन्य नान-इंगलिश स्पीकिंग देशों के साथ मिल कर ब्रिटेन तथा कई दूसरे कामनवैल्थ के देशों में हो रही इन भयंकर घटनाओं के विरुद्ध कामनवैल्थ में आवाज बुलन्द करने के बारे में गवर्नमेंट आफ इण्डिया क्या कर रही है?

वे लोग ब्रिटेन के नैशनल्ज, वोटर्ज और नागरिक हैं। उनके साथ इस तरह की जो डिसक्रिमिनेशन की जा रही है, वह एक बहुत ही गलत बात हो रही है। उसके कारण इस देश के सब लोगों में एक बहुत बड़ा असंतोष है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट भी इसमें पार्टी बना रही है। क्या मंत्री महोदय इस बारे में हिन्दुस्तान के लोगों के सैंटीमेंट्स ब्रिटेन की गवर्नमेंट को पहुंचायेंगे?

श्री समरेन्द्र कुन्डू : जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह बहुत सुखदायक घटना है और इसके बारे में हमने अपना डीप कनसर्न एक्सप्रैस किया है। माननीय सदस्य ने जिस गुप्त मीटिंग की बात कही है, उसकी खबर हमारे पास नहीं है। यह खबर यह है कि नैशनल फ्रंट, जिसका वहां पर इलेक्शन में कंडीडेट है, एक स्कूल में मीटिंग कर रहा था।

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : जिस मिटिंग में कोई प्रैस वाला या कोई पब्लिक मैन नहीं जा सकता है, क्या वह गुप्त मीटिंग नहीं हैं ? कोई प्रैसमैन या पब्लिकमैन वहां नहीं जा सकता था। चारों तरफ पुलिस ने घेरा हुआ था।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : हमारी खबर यह है कि वहां पर पब्लिक मीटिंग थी। और उस मीटिंग के होने के पहले वहां पर केवल हिन्दुस्तानी और एशियन ही नहीं बल्कि जो वहां के नागरिक हैं, वहां के आदमी हैं, जो कि नाजी टेन्डेन्सी का विरोध करते हैं, उन सब ने इकट्ठे होकर कहा कि यहां पर मीटिंग होना ठीक नहीं है। तब जाकर वहां उस समय से गोलमाल शुरू हुआ, यह लड़ाई भी हुई। उसके बारे में जो कुछ खबर आई है, उसके बारे में ब्रिटिश सरकार भी डिटेल से इन्क्वायरी कर रही है।

जैसे मैंने कहा कि यह बहुत दुखदायक घटना है, इसके लिए हम भी वहां से रिपोर्ट ले रहे हैं और उनकी भी रिपोर्ट क्या है, यह भी देख रहे हैं। इसमें जो कानून के बारे में बात उठाई गई है तो वहां दो कानून हैं एक वहां रेस रिलेशन्स एक्ट है और दूसरा पब्लिक आर्डर एक्ट है। मैं यहां पर साफ बोलना चाहता हूं कि वहां पर कुछ आदमियों का यह अभिमत है कि इस रेस रिलेशन्स एक्ट और पब्लिक आर्डर एक्ट में ऐसी मीटिंग और मार्चेज को बैन किया जा सकता है, लेकिन उनके होम सैक्रेटरी का मत है कि इलैक्शन के समय पर मीटिंग्ज बैन नहीं कर सकते हैं, यह कानूनी पाबन्दी है, मार्च को बैन कर सकते थे। तो उनका डिबेट चल रहा है और एक अच्छी घटना उसमें यह हुई कि उन्होंने कहा है कि यह जो कानून है उसे वह रिव्यू करेंगे और भविष्य में देखेंगे कि किस को फायदा देकर, पीपल्स रिप्रेजेन्टेटिव एक्ट को फायदा देकर, जो ज्यादा नेशनल फ्रंट के माफिक है, रैजिस्ट आर्गेनाइजेशन है, वहां विद्वेष के भाव पर जाति और रंग के आधार पर विद्वेष भाव न फैले।

दूसरे इन्होंने बताया है कि मि० कैलहन ने जो स्टेटमैंट दिया है, उन्होंने इस घटना के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ जो मेरे पास उनका क्वोटेशन है, उसमें यह लिखा है :—

"मेरे विचार में सभी पार्टियों को कल की घटना की घोर निन्दा करनी चाहिये।" नेशनल फ्रंट के सिद्धान्त भड़काने वाले हैं। वे नाजीवाद की याद दिलाते हैं···।

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : पुलिस के बारे में क्या हुआ ?

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैंने उसे पढ़ दिया है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : उन्होंने यह कब कहा ?

श्री समरेन्द्र कुन्डू : 24 तारीख को। घटना 23 तारीख को घटी थी। मैं राष्ट्रमंडल के बारे में प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। ये मामले राष्ट्रमंडलीय देशों की बैठकों में उठाये जाते हैं।

श्री सौगतराय (बैरकपुर) : मैं इस अवसर पर उन वीर गैर-एशियाई लोगों को, जिन्होंने नाजी-विरोधी प्रदर्शन में भाग लिया अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विशेष रूप से उस महान न्यूजीलैंड वासी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिसने नाजी-विरोधी प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए पुलिस के अत्याचारों के कारण अपना जीवन बलिदान किया। ब्रिटेन में जातिवाद की समस्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। पहले ब्रिटेन में गंजे लोग भारतीयों को पीटते थे। गत कुछ वर्षों में ऐसी घटनायें आम हो गई थीं। उसके बाद इनांक पावेल के नेतृत्व में जातिवादी नेशनल फ्रंट स्थापित किया गया था। जिसका नेतृत्व मार्टिन वेबस्टर तथा जॉन टाइडाल ने किया। उन्होंने देश में भारतीय-विरोधी तथा काले लोग विरोधी एक नया उन्माद खड़ा किया। यह एक बड़ी अजीब बात है कि यद्यपि ब्रिटेन में लेबर सरकार है, तथापि नये उग्रवादी नेशनल फ्रंट के दबाव में ब्रिटिश सरकार अपने आप्रवास कानूनों को सख्त से सख्त बनाती जा रही है। इस तथ्य, से कि ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासी महिलाओं का कौमार्य परीक्षण किया जाता है, से यह सिद्ध होता है कि ब्रिटिश सरकार पर इन जातिवादी लोगों का कितना दबाव है। उन्होंने आप्रवास कानूनों को बहुत कड़ा बना दिया है।

प्रश्न यह है कि हमारी भारतीय सरकार इस समूची समस्या के प्रति क्या रुख अपनाती है क्योंकि विदेश राज्य मंत्री के वक्तव्य में स्थिति की गम्भीरता का उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे खेद है कि समरेन्द्र कुन्डू जैसे समाजवादी व्यक्ति ने एक ऐसा वक्तव्य दिया है जिसमें घटना के दोनों पहलुओं का वर्णन किया गया है। निस्सन्देह, अब वह जनता के व्यक्ति हैं (**व्यवधान**)।

इस घटना के एक सप्ताह पूर्व लैंचेस्टर में एक अन्य घटना घटी थी, जहां पर नेशनल फ्रंट द्वारा एक अन्य जातिवादी बैठक आयोजित की गई थी जहां स्थानीय लोगों ने विरोध व्यक्त किया था और जहां पूर जातिवादी फ्रंट की बैठक की रक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी। जब साउथ हाल में यह बैठक हुई, मंत्री जी के अनुसार भारतीय उच्च आयुक्त ने बताया कि इस बैठक से साउथ हाल में जन-शान्ति भंग होगी। ईलिंग काउंसिल, जिसने पहले बैठक करने की अनुमति नहीं दी थी, बाद में अचानक उन्हें अनुमति दे दी। जातिवादी नेशनल फ्रंट के 59 समर्थकों की रक्षा के लिए बैठक को 5000 पुलिसमैनों द्वारा घेर लिया गया था। नाजी-विरोधी प्रदर्शनकारी बाहर खड़े थे। पुलिस ने पत्रकारों को बैठक में जाने से रोका। इस बात से लोग भड़क उठे। हुआ क्या ? 59 लोग साउथ हाल पब्लिक हाल की सीढ़ियों पर खड़े थे और उन्होंने बाहर खड़े 3000 एशियाई लोगों को गालियां दीं। इस प्रकार भड़काने से भी हिंसा ने उग्र रूप नहीं लिया, यह कोई कम आश्चर्य की बात नहीं है। हिंसा के मुख्य शिकार एशियाई लोग थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे और जिनमें पाकिस्तान के तारिक अली भी शामिल थे। आजकल ब्रिटेन में बड़ी अजीब स्थिति चल रही है। यह यद्यपि सभी पार्टियों का सरकारी तौर पर यह रुख है कि वे जातिवाद के विरुद्ध हैं, तथापि वास्तविक प्रशासन जातिवादी लोगों के साथ पूरी तरह मिलकर यह काम कर रहा है। जेम्स कैलाहन ने नेशनल फ्रंट की एक जातिवादी संगठन होने के लिए भर्त्सना की है। हमने यह भी सुना है कि श्रीमती थैचर ने भी इस घटना की निन्दा की है। परन्तु ब्रिटिश के गृह मंत्री श्री मेरिलिन रीज क्या कहते हैं ? उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि ये घटनायें एशियाई

लोगों द्वारा भड़काये जाने से घटीं जो हिंसा का कारण बनीं। स्काटलैंड यार्ड के चीफ, सर डेविड मेकनी ने जो कहा वह तो और भी बदतर है :—

"ये घटनायें पुलिस तथा सम्पत्ति पर उन लोगों द्वारा, जो तनाव तथा घृणा का वातावरण पैदा करने के लिए दृढ़ संकल्प थे, बिना वजह आक्रमणों के कारण नहीं।"

इससे प्रशासन के रवैये का पता चलता है। जो कुछ नेता लोग कह रहे हैं उसके बावजूद आक्रमण मुख्य तथा भारतीय लोगों के विरुद्ध था। लोगों ने ब्रिटेन में प्रतिरोध किया है। कुछ लोगों की रक्षा के लिए 5000 पुलिस कर्मचारियों को लाना पड़ा और इस पर $2\frac{1}{2}$ लाख पौंड व्यय किये गये। समस्या तो यह है कि ब्रिटिश सरकार जातिवादी लोगों को नचाना चाहती है। उनका कहना है कि पूर्ण लोकतंत्र के लिए चुनाव बैठकें की जानी चाहियें। परन्तु क्या किसी ऐसे देश में जहां लोकतंत्र है, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह चुनाव बैठकें करने के लिए जातिवादी संगठन बनाये ? इस प्रश्न पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा। मुझे खेद है कि सरकार ने किसी भी स्तर पर निस्सहाय एशियाई लोगों पर पुलिस के अत्याचारों की निन्दा नहीं की, इसने यह भी नहीं कहा कि इतने लोग घायल हुए हैं। उच्च-आयुक्त शमशान घाट नहीं गये और कोई भी व्यक्ति अस्पताल नहीं गया। वहां पर ऐसी स्थिति चल रही है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वह स्थिति का गम्भीरता से अध्ययन करें।

अब समय आ गया है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को बलि का बकरा न समझा जाये। भारतीय विदेशों में इसलिये जाते हैं क्योंकि हम उन्हें नौकरियां नहीं देते। वे विदेश जाते हैं, नौकरी पाते हैं और पैसा अपने देश भेजते हैं, जिसका उपयोग हमारी सरकार विदेशी मुद्रा संबंधी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करती है। अब इन लोगों को पीटा जाता है और हमारी सरकार उनका साथ नहीं देती। विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग पहले ईदी अमीन और फिर श्री लंका, बर्मा और ब्रिटेन में बलि के बकरे बनते रहे हैं। ऐसा फ्रांस में भी हो जाएगा। इस पर आप क्या मुंह लेकर भारतीयों को विदेशों में भेजेंगे और किस मुंह से हम उन्हें अपने देश में पैसा भेजने के लिये कहेंगे ? अब समय है कि सरकार इस मामले में ठोस कदम उठाये।

मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूं कि न केवल हम अभी भी राष्ट्रमंडल में हैं और अपने ऐतिहासिक ब्रिटिश मास्टर के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये हुए हैं, अपितु आज भारत में ब्रिटिश निवेश की राशि 1947 से पूर्व के ब्रिटिश निवेश से अधिक है। आज देश में काम कर रहे ब्रिटिश लोगों की संख्या 1947 में काम कर रहे लोगों की संख्या से अधिक है। देश से बाहर भी बहुत पैसा जा रहा है। फिर भी सरकार ने किसी स्तर पर यह नहीं दिखाया कि वह विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ हैं, सरकार ने कोई कड़ा कदम उठाकर उनमें विश्वास पैदा नहीं किया ताकि वे यह समझ सकें कि यदि एशियाई लोगों के हितों को नुकसान पहुंचता है, यदि भारतीयों को चोट पहुंचती है, यदि भारतीय लोगों का अपमान किया जाता है, यदि भारतीय लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो भारत सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा करेगी और देश में हम ऐसे कदम उठायेंगे ताकि जातिवादी लोग विदेशों में ऐसी घटनायें दोहरा न सकें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इस पर पूर्ण चर्चा की जानी चाहिये।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैंने अपने माननीय मित्र का भाषण सुना। जोशीला भाषण देना तथा उत्तरदायित्व साथ-साथ नहीं चल सकते।

एक माननीय सदस्य : इसलिए आप गैर जिम्मेदार हैं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं कभी गैर-जिम्मेदार नहीं रहा। सरकार को जो जानकारी मिलती है, वह उसके अनुसार काम करती है। जो सूचना मुझे मिली है, वह मैं सभा को दे चुका हूं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों तथा जातिवादी भेद-भाव के बारे में व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं। जब कभी भी कोई घटना होती है, हम उनके बचाव के लिये गये हैं, हम विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सहायतार्थ गये हैं ..... (व्यवधान)। इसके कई उदाहरण हैं। जब कभी हमारे ध्यान में ऐसे मामले आये, हमने तुरन्त कार्यवाही की। हमारे उच्च आयुक्त यहां आये और इस पर चर्चा की। यह कहना सही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल नहीं गया। मैं कह सकता हूं कि हमारे अधिकारी अस्पताल गये थे। मेरी जानकारी के अनुसार अब कोई भी अस्पताल में नहीं है। तीन या चार व्यक्ति अस्पताल गये थे और उनमें कुछ की छुट्टी भी कर दी गई थी।

एक माननीय सदस्य : उच्च आयुक्त के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं इस बात का पता लगाऊँगा कि क्या उच्च आयुक्त वहां गये थे या नहीं। इसके अलावा, उच्च आयुक्त सभी स्थानों पर नहीं जा सकते, जैसे कि आप यह आशा नहीं कर सकते कि मंत्री सभी जगह जायें। जैसा कि मैंने कहा कि उच्च आयुक्त वहां गये थे और उन्होंने भारतीय लोगों से भेंट की थी।

उच्चायुक्त घटना स्थल पर गये थे और वहां उन्होंने भारतवासियों तथा एशिया वासियों से मुलाकात भी की थी। मैं यह कह सकता हूं कि कोई दूसरा राजदूत या उच्चायुक्त वहां नहीं गया। जैसे के साथ तैसा व्यवहार करने के लिए श्री सौगत राय को यह देखना चाहिए। आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जैसे के साथ तैसा व्यवहार किये बगैर आलोचना रचनात्मक नहीं होती है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उच्चायुक्त का उल्लेख करते हुए, माननीय मंत्री ने कहा, "जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना।" क्या वह उन्हें शैतान मानते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, शैतान सम्बन्धी प्रश्न है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उनके पास सुनी-सुनाई जानकारी है। यदि वह स्वयं जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो उन्हें पता चलेगा कि विदेश में ये लोग न तो मदद करते हैं और न ही कोई सहानुभूति रखते हैं। इन मिशनों को रखना धन बरबाद करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री समरेन्द्र कुंडू : इस विषय में श्री ज्योतिर्मय बसु के विचार सुविदित हैं।

प्रश्न का अंतिम अंश कठोर कार्यवाही के बारे में है। हम उचित कार्यवाही कर रहे हैं और हम वहां की सरकार तथा वहां अपने उच्चायोग के साथ बराबर संपर्क बनाये हुए हैं और इस समस्या के समाधान के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा हम निश्चित रूप से करेंगे।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मुझे यह पता लगा है कि भारतीय साउथाल में जातिवादी बैठकों पर प्रतिबंध चाहते हैं। उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया है। मुझे बताया गया है कि 3 मई तक चार बैठकें होने जा रही हैं। नेशनल फ्रंट जातिवादी संगठन है। वे भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उनके विरुद्ध बहुत कुछ कह रहे हैं। वे भारतीयों के विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं औरहिंसा का वातावरण पैदा कर रहे हैं। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यह कहा है कि जिन क्षेत्रों में भारतीय रहते हैं वहाँ इस प्रकार की बैठकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

हम उनकी रक्षा नहीं सके हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि उनकी रक्षा करना सरकार के लिए संभव है या नहीं। उनकी रक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? मान लीजिए भविष्य में इस प्रकार की हिंसा फिर भड़क उठे, तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी? जब हमने यह चाहा कि भारत राष्ट्रमंडल से अलग हो जाये, तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि इसमें रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं करेगी, और वहां पर हमारा बहुमत है। क्या आप राष्ट्रमंडल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की निंदा करने जा रहे हैं? क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं।

श्री समरेन्द्र कुंडू : इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन मंत्री होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैं वहां होता, तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता था।

इस संगठन पर प्रतिबन्ध के विषय में मैंने यह कहा है कि यह बहुत गन्दा जातिवादी संगठन है। यह जातिवादी घृणा को भड़काता है और नाजी संगठन की किस्म का संगठन है। भारतीयों के प्रति इन लोगों के मन में कोई प्रेम नहीं है और लगभग सभी पार्टियों, लिबरल, कन्जरवेटिव और लेबर पार्टी के नेताओं ने इस घटना की निन्दा की है। मेरे विचार से इस बारे में ब्रिटिश सरकार कानून का अध्ययन कर रही है, कि क्या वह इस पर प्रतिबन्ध लगा सकती है या नहीं, और वह इस बारे में निर्णय करेगी।

लोक लेखा समिति

127वां, 142वां तथा 143वां प्रतिवेदन

श्री अशोक कृष्ण दत्त (दमदम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं—

(1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1976-77 के अग्रिम प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) के ऊर्जा मंत्रालय से सम्बन्धित लोकटक जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी पैराग्राफ 11 पर 127वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित प्रत्यक्ष करों पर 79वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 142वां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित प्रत्यक्ष करों पर 78वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 141वां प्रतिवेदन।

प्राक्कलन समिति

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

33वां और 35 वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश और 32 वां और 37 वां से 40 वां प्रतिवेदन

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं —

(1) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)—सीमा-शुल्क पर 33वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा विभाग)—भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्—कृषि वैज्ञानिकों के कार्य की दशा—पर 35 वां प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त 35 वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(4) रेल मंत्रालय – यात्रियों को सुविधायें—पर समिति के 10 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 32 वां प्रतिवेदन।

(5) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग)—सिंचाई सुविधाओं के विकास पर समिति के 12 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 37 वां प्रतिवेदन।

(6) ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग)—विद्युत पर समिति के 16 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 38 वां प्रतिवेदन।

(7) रेल मंत्रालय—भारतीय रेलों में माल के गुम होने और क्षतिग्रस्त होने सम्बन्धी दावों पर समिति के 19 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 39 वां प्रतिवेदन।

(8) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग)—उच्चतर तकनीकी शिक्षा पर समिति के नौवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 40 वां प्रतिवेदन।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

20वां प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 20 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

29वां, 30वां, 34वां, 35वां, 37वां, और 38वां प्रतिवेदन

श्री राम धन (लालगंज) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) निर्माण और आवास मंत्रालय (निर्माण प्रभाग)—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन पर 29 वां प्रतिवेदन।

(2) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) दक्षिण पूर्व रेलवे की कर्मशालाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोटे ठेके दिये जाने के बारे में पांचवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 30 वां प्रतिवेदन।

(3) विदेश मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में, जिसमें विदेश स्थित भारतीय मिशन भी शामिल हैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन पर छठे प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 34 वां प्रतिवेदन।

(4) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर प्रभाग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन पर 23 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 35 वां प्रतिवेदन।

(5) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)—पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोटे ठेके दिये जाने के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

(6) पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग)—भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन पर पर 38 वां प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

50 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का पचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री व्यालार रवि (चिरयिंकील) : क्या हम इस पर चर्चा करेंगे ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : कल जब हमने सरकारी कार्यसूची के संबंध में प्रश्न किये थे, तब हमने यह कहा था कि इस प्रतिवेदन पर चर्चा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव दीजिये उस पर विचार किया जायेगा।

श्री कंवरेलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : पहले ही एक प्रस्ताव दिया जा चुका है। हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर अध्यक्ष महोदय को विचार करना है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : क्या आप कृपा करके अध्यक्ष महोदय के सामने हमारी भावनाएँ व्यक्त कर देंगे?

श्री वयालार रवि : इस समय आप अध्यक्ष हैं। इस पर आप चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। इस प्रतिवेदन पर हमें चर्चा करनी चाहिए।

जम्मू और कश्मीर राज्य की हाल की यात्रा के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस सदन में 19 अप्रैल 1979 को जम्मू और कश्मीर राज्य में हाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा तथा आगजनी के बारे में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि मुझे स्वयं को 4-5 और 6 अप्रैल 1979 को हुई विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रभावग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। तदनुसार मैं 22 अप्रैल 1979 को श्रीनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में गया। राज्य के मुख्यमंत्री भी जिनका मुख्यालय इस समय जम्मू में है मेरे साथ थे जब मैंने श्रीनगर में उन स्थानों का दौरा किया जो भीड़ की हिंसा से ग्रस्त हो गये थे तथा उन गांवों का भी दौरा किया जिनमें भिन्न भिन्न संख्या से मकान लगभग पूर्णतः जला दिये गये थे।

श्रीनगर शहर में मैंने उन विभिन्न भवनों को देखा जो वास्तव में पूर्णतः जला दिये गये थे अर्थात् श्रीनगर क्लब, संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षण ग्रुप का दफतर, समीप की दूरदर्शन के निदेशक की रिहायश तथा आल सेंटस चर्च और इसके अहाते के भवन, स्पष्टतः ये भीड़ द्वारा आक्रमण और आगजनी के लक्ष्य बनाए गए थे। उसके तुरन्त बाद मैं कुछ गांवों में गया जिनमें मुख्यतः जमायत-ए-इस्लामी और अहमदियों के रिहायशी मकान जला दिये गये थे। जिन गांवों में मैं गया वे अनन्त-नाग जिले में हसनपुर, बिचारन, दरगांव, देवसर और अरवानी थे। कुछ गांवों में इन वर्गों के बागों में बड़ी संख्या में पेड़ काट दिये गये थे। यह स्पष्ट था कि इन सभी गांवों में आगजनी और अन्य क्षति एक निर्धारित ढंग से की गई थी और आक्रमण जमायत-ए-इस्लामी के अनुयाइयों और अहमदिया पंथ के लोगों पर किया गया था। राज्य सरकार द्वारा मुझको दी गई सूचना के अनुसार 900 से अधिक रिहायशी तथा गैर रिहायशी निर्माणों को जला दिया गया था। तीन मस्जिदें और एक चर्च आग से क्षतिग्रस्त हुए थे, लगभग 800 दुकानें, गोशालाएं और स्टोर क्षतिग्रस्त हुए थे। लगभग 200 मकानों को लूट लिया गया था। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से 5 जानें गई थी और ग्राम निवासियों तथा उपद्रवी भीड़ के बीच झड़पों के कारण तीन व्यक्ति मारे गये थे। फिसाद में दो व्यक्तियों की मृत्यु डूबने के कारण हो गई थी।

बाद में शाम को मैं जमायत-ए-इस्लामी, जमायत-उल-तुलना, जमायत-ए-अहमदिया, श्रीनगर के ईसाई निवासियों, कांग्रेस (आई), आवामी एक्शन समिति तथा राज्य जनता पार्टी का प्रति-

निधित्व करने वाले शिष्ट मंडलों से मिला। प्रायः उनमें से सभी ने प्रभावित व्यक्तियों तथा परिवारों के पुनर्वास के लिये तुरन्त उपाय, दोषी को दंड तथा पर्याप्त निरोधात्मक उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि भविष्य में ऐसी घटनायें न हो। मैंने स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री और राज्य के सरकारी अधिकारियों से भी विचार विमर्श किया।

विशेष रूप से 1978 के आरम्भ में जब स्वर्गीय श्री भुट्टो को लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था श्रीनगर में लोगों की तीव्र प्रतिक्रिया को देखकर राज्य प्राधिकारियों को आशंका थी कि यदि भुट्टो को फांसी दी गई तो इसकी तीव्र प्रतिक्रिया होगी। किन्तु उनको यह आशंका न थी कि प्रतिक्रिया इतनी हिंसक तथा व्यापक होगी। न ही उन्होंने यह सोचा था कि यह विशिष्ट वर्गों के विरुद्ध ही होगा जो भीड़ पर गोली चलाये जाने के शिकार हुए थे। जैसे ही राज्य प्राधिकारियों ने...दंगे की व्यापकता को महसूस किया वैसे ही उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सभी संभव उपाय किये। परन्तु अपेक्षित अतिरिक्त पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना की यूनिटों को एकत्र करने में कीमती समय नष्ट हो गया था। स्थिति को 7 अप्रैल तक पूर्ण रूप से नियंत्रण में लाया गया था। राज्य सरकार ने हिंसा तथा आगजनी के लिये जिम्मेवार संदेहस्पद अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। उनमें से कुछ विश्वास किया जाता है कि जिन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया था, बताया जाता है कि वे अभी तक पकड़े नहीं गये हैं। गाँवों में जिन लोगों से मैंने मुलाकात की उन्होंने इस तथ्य पर रोष प्रकट किया कि प्रायः उनमें से बहुत से जो गिरफतार किये गये थे परन्तु जमानत पर रिहा कर दिये गये थे।

राज्य सरकार और अन्य गैर सरकारी स्वयं सेवी ऐजेन्सियों जैसे रैडक्रास ने प्रभावित गांवों में कम्बल, कपड़े और अनाज बांटा है। राज्य सरकार उन व्यक्तियों को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं या जल गए हैं लकड़ी और जी० सी० शीटों के लिए ऋण की स्वीकृति का प्रबन्ध कर रही है। केन्द्रीय सरकार से पीड़ितों के पुनर्वास के लिए विशेष सहायता करने के लिए कहा गया है और इस अनुरोध पर निःसन्देह सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्रतापूर्वक विचार किया जाएगा।

हालांकि जो घटित हुआ और जो सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए किया गया उसका यह स्पष्ट विवरण है फिर भी मुझे बताना है कि मेरे विचार से अभी भी काफी तनाव बना हुआ है और कुछ वर्गों ने मुझसे कहा था कि वे भविष्य के बारे में असुरक्षा और अनिश्चितता महसूस करते हैं। इस कारण और जो कुछ हुआ के कुछ पहलुओं के कारण भी मैं महसूस करता हूं कि 4 और 5 अप्रैल की घटनाओं की पूरी तरह संवीक्षा करना सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के हित में होगा।

राज्य के मुख्य मंत्री इस बात से सहमत है और चाहते हैं कि यह पता लगाने के लिए कि प्राधिकारी इसके स्वरूप का क्यों नहीं अनुमान लगा सके अथवा क्यों नहीं रोकथाम की उपयुक्त कार्यवाही कर सके अथवा जब हिंसा हुई तो अधिक कारगर ढंग से क्यों नहीं उसकी रोकथाम कर सके, एक विस्तृत जांच की जाये। मुख्य मंत्री का यह भी दृढ़ निश्चय है कि अपराधियों के विरुद्ध तुरन्त तथा कड़ी कार्यवाही हो ताकि प्रभावग्रस्त समूहों के लोगों में एक विश्वास की भावना उत्पन्न

की जा सके । मैंने मुख्य मंत्री को आश्वासन दिया है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को सभी आवश्यक सह यता देगी ताकि वह लोगों के सभी वर्गों में विश्वास पुन: स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि ऐसे ऐदंगे न हों ।

डा० कर्णसिंह (ऊधमपुर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ ? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक व्यापक धारणा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सत्तारूढ़ दल नेशनल कान्फ्रेंस भीड़ को उकसाने और उसका नेतृत्व करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं । क्या माननीय गृहमंत्री यह आश्वासन देंगे कि जो भी जांच की जायेगी, वह उस सरकार और उस पार्टी की देख-रेख में नहीं की जायेगी, बल्कि निष्पक्ष तथा न्यायिक जांच होगी ? अन्यथा इससे लोगों में विश्वास पैदा करने का मकसद हल नहीं हो सकेगा ।

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार से मैं उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता । मैंने यह कहा है कि तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच की जायेगी । माननीय सदस्य का यह वक्तव्य कि इस प्रकार की व्यापक धारणा है कि नेशनल कान्फ्रेंस इसके लिए उत्तरदायी है, मेरे विचार से कि एक ऐसा वक्तव्य है जो स्वीकार्य नहीं हो सकता ।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि 30 अप्रैल, 1979 से आरंभ होने वाले सप्ताह में इस सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य होगा :—

(1) आज की कार्यसूची से लिए गए सरकारी कार्य के किसी मद पर विचार करना ।

(2) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978
(विचार तथा पास करना)

(3) विशेष न्यायालय विधेयक, 1979 में
राज्य सभा द्वारा किए गये संशोधनों पर विचार करना

(4) निम्नलिखित पर विचार तथा पास करना
(एक) अन्तराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन-विनियमन और सेवा-शर्त) विधेयक, 1979

(दो) संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री वी० एम० सुधीरन (अलप्पी) : श्रीमान्, मैं आपकी अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वह दिल्ली में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा के लिये कुछ समय निकालें ।

श्रीमान्, दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की वृद्धि चौंका देने वाली है.....

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विषय में न जायें ।

श्री वी० एम० सुधीरन : श्रीमान्, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है । माननीय गृह राज्य मंत्री ने 19 अप्रैल को राज्य सभा में बताया था, कि 15 जुलाई, 1977 से 30 जून, 1978 की

अवधि के दौरान दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के कारण लगभग 730 व्यक्ति मारे गये तथा 4188 व्यक्ति हताहत हुए। उसी दिन हमारे एक साथी श्री परमानन्द गोविन्द जी कला, लापरवाही और तेजी से गाड़ी से चलाने के शिकार हुए, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। दूसरे मित्र श्री मोहन जैन, अभी तक उसका कष्ट उठा रहे हैं।

श्रीमान्, दिल्ली परिवहन निगम के संचालक को पूर्णतः असुरक्षित माना जाता है.....

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम दिल्ली परिवहन निगम पर चर्चा नहीं कर सकते। आप केवल चर्चा के लिये समय ही चाहते हैं।

श्री वी० एम० सुधीरन : अभी परसों ही दृश्य एवं प्रचार निदेशालय के एक कर्मचारी, श्री पी० एस० नारायण की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मृत्यु हो गई, वह बस में चढ़ने जा रहे थे। प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में 3 या 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। आज भी 3 दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वह दिल्ली परिवहन निगम की कार्य प्रणाली पर चर्चा के लिए कुछ समय निकालें।

श्री व्यालार रवि (चिरयिंकील) : हमने जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय अथवा संचार मंत्रालय में से किसी की मांगों पर चर्चा नहीं की है। दिल्ली परिवहन निगम जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत आता हो दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के कारण एक चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय इस तथ्य से परिचित हैं तथा मैं केवल यही चाहता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की कार्यपद्धति में यात्रियों की सुरक्षा हेतु किये जाने वाले सुधार के उपायों के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके जिससे कि सारी कार्य-प्रक्रिया में सुधार हो सके तथा लोगों के बहुमूल्य जीवन को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

दूसरा मुद्दा संचार मंत्रालय से संबंधित है। संचार मंत्रालय के बारे में सभा में गत 7 वर्षों से कोई चर्चा नहीं हुई है। यदि मुझे ठीक से याद है तो पिछली चर्चा तब हुई थी जबकि श्री बहुगुणा इस विभाग के मंत्री थे। देश के नागरिकों से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण विषय है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इस मंत्रालय पर, प्रस्ताव अथवा अन्य किसी नियम के अधीन, चर्चा का अवसर प्रदान करना चाहिये, जिसमें प्रत्येक सदस्य, भाग लेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इस मंत्रालय संबंधी कुछ नये तथ्य सामने आ रहे हैं। एक नये कर्मचारी संघ को मान्यता दी गई है जिसके कारण काफी तनाव उत्पन्न हुआ है।

दूसरी बात यह है कि दूरभाष ठीक रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। मेरा अपना अनुभव तो यह है कि कोचीन के दूरभाष संचालन में अनेक कमियाँ हैं जो चकित कर देने वाली हैं। मैं चाहता हूं कि विषय के इस पहलू पर भी चर्चा की जाये।

श्री रवीन्द्र वर्मा : विषय जो माननीय सदस्यों ने उठाये हैं निस्सन्देह महत्वपूर्ण हैं तथा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा उन पर विचार किया जायेगा।

बहुराज्य सहकारी सोसायटी विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

श्री कृष्णचन्द्र हलदर (दुर्गापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

कि यह सभा उन सहकारी सोसाइटियों से जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो एक से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों के हितों को पूरा कर रही हैं, संबंधित विधि का समंकन और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

श्री हरि विष्णु कामत : मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैं आपका ध्यान नियम 303 की ओर आकृष्ट करता हूँ जिसका पाठ इस प्रकार है :

"किसी विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने के बाद यथासंभव शीघ्र प्रवर समिति विधेयक पर विचार करने के लिए नियम 264 के अनुसार समय-समय पर समवेत होगी और सभा द्वारा निश्चित समय के भीतर उस पर प्रतिवेदन देगी" :

"परन्तु जब सभा ने प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए कोई समय निश्चित न किया हो ।....."

इससे आगे का परन्तुक भी देखें जो इस प्रकार है :—

"परन्तु यह और भी कि सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर, निदेश दे सकेगी कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाये ।"

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इस ज्ञापन के कुछ पहलू ऐसे हैं जिनमें सन्तोषजनक स्पष्टीकरण आवश्यक हो । समिति इस सभा द्वारा गत वर्ष 15 मई को स्वीकृत तथा 18 मई को राज्य सभा की सहमति प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर गठित की गई थी । अर्थात् पिछले बजट सत्र में यह गठित की गई थी तथा आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन उसे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । इसका अर्थ यह हुआ कि पिछली जुलाई में, 21 जुलाई, 1978 को उन्हें प्रतिवेदन पेश करने के लिए कहा गया था । तो फिर क्या हुआ ? उपहास का विषय तो यह है कि समिति को दो बार प्रतिवेदन पेश करने के लिये समय बढ़ाया गया पहली बार तो 21 जुलाई को हो, जबकि उन्हें प्रतिवेदन पेश करना था । पहले इस समयावधि को 1978 में शीतकालीन सत्र के स्थगन से कुछ ही समय पहले अर्थात् 22 दिसम्बर तक बढ़ाया गया था ।

पुनः दूसरी बार समयावधि को 24 नवम्बर से इस सत्र के अन्तिम दिन अर्थात् 18 मई, 1979 तक बढ़ाया गया ।

अब पूरे ज्ञापन के सर्वाधिक अस्पष्ट पहलू, पैरा-3 का सवाल सामने आता है । अभी तक समिति की 11 बैठकें हुई हैं । यह सही है । 11 की संख्या पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अगर कृपया यह देखें कि समयावधि के दो बार बैठाये जाने के पश्चात् कितनी बैठकें हुई । समयावधि के पहली बार बैठाये जाने के बाद समिति की दो बैठकें हुई और समयावधि के दूसरी बार बैठाये

जाने के बाद 7 बैठकें हुई। कहने का अर्थ यह है कि यह साधारण गणित है इसके लिये उच्चतर गणित की जानकारी अपेक्षित नहीं इसका अर्थ यह हुआ कि गत वर्ष मई और जुलाई के बीच उनकी केवल दो बैठकें हुई—2+7=9, 11—9=2, पिछले बजट सत्र के स्थगन की तारीख से लेकर मौनसून सत्र के अन्तिम दिन तक जब कि उन्हें प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था, उन्होंने केवल दो बैठकें की। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उससे अधिक बैठकें क्यों नहीं की जा सकी ? दिल्ली में केवल दो बैठकें ही हुई जबकि वे आसानी से तीन अथवा चार बैठकें कर सकते थे। जब लोकपाल विधेयक संबंधी समिति के मेरे साथी श्री श्यामनन्दन मिश्रा, सभपति थे तो हम दिन प्रतिदिन अनेक बैठकें किया करते थे। इस प्रकार, श्रीमान, यह अत्याधिक—मैं यहाँ शर्मनाक अथवा 'घृणित' शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, किंतु यदि, मैं विपक्ष में होता तो मैं 'शर्मनाक', 'अक्षम्य', 'अन्यायोचित' शब्दों का प्रयोग करता।

अब, श्रीमान, वे फिर इस बार समय बढ़ाने के लिए कहते हैं।

श्रीमान् आपको एक उदाहरण पेश करना चाहिये। संयम तथा कार्यक्षमता से काम लेने का यह उपयुक्त समय है लेकिन हम सरकार से कार्यक्षम होने के लिए किस मुंह से कह सकते हैं जब हम स्वयं ही कार्यक्षम नहीं हैं, जबकि समिति ही कार्यक्षम नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप अध्यक्षपीठ महोदय भी एक अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए समान रूप से उत्सुक हैं हमारी समिति को कार्यक्षमता पूर्वक तथा कठिन मेहनत से कार्य करने का उदाहरण पेश करना चाहिये।

अब कृपया पैरा 4 को पढ़ें—

बहु राज्य सहकारी सोसाइटियों की कार्य-प्रक्रिया तथा उनसे संबंधित वर्तमान परिस्थितियों से परिचित होने तथा सहकारिता के नियमों के इन समितियों में कार्यान्वयन संबंधी विवक्षणों की जाँच को दृष्टि में रखते हुए.....''

श्रीमान, सहकारिता के नियमों की उलझनों की जाँच करने के लिए उन्हें सारे भारत का दौरा करने की क्या जरूरत है ? यह कार्य दिल्ली में बैठकर भी किया जा सकता था।

ज्ञापन में आगे कहा गया है—

.....''विधेयक के खण्डवार विश्लेषण से पूर्व अपनी धारणाएँ सुनिश्चित करने के लिये...''

इस वाक्य का दूसरा अंश निस्सार है। यह कार्य भी वे दिल्ली में ही पूरा कर सकते थे। इसके अतिरिक्त इस सराहनीय लक्ष्य की पूर्ति के लिये—

''समिति ने स्थल पर अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों के दौरे किये।''

श्रीमान्, मैं जानता हूं कि समितियों के लिए कार्य स्थल पर जाकर अध्ययन करने के लिये नियमों के अधीन सारे भारत का दौरा करना काफी कठिन है। मैं याचिका समिति का दो वर्षों तक सभापति रहा हूं तथा इस अवधि में मैंने केवल एक बार अध्यक्ष महोदय से बाहर दौरे पर जाने की अनुमति मांगी थी। जबकि इस संयुक्त समिति ने कार्य-स्थल पर जाकर अध्ययन करने के लिये विभिन्न राज्यों के दौरे किये हैं। उन्होंने संख्या नहीं बताई है। इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि यह कार्य उन्होंने कई चरणों में पूरा किया है। यह चरण बद्ध कार्यक्रम है। इस चरणबद्ध

कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यस्थल पर जाकर अध्ययन करने के लिये तीन चरण थे। दो चरणों को उन्होंने पूरा कर लिया है। प्रथम चरण समयावधि बढ़ाये जाने के बाद सितम्बर, 1978 में शुरू किया गया था। बजट सत्र के बाद गर्मियों में या तो बजट सत्र की थकान के कारण अथवा गर्मी की तपन के कारण वे कार्यस्थल पर जाकर अध्ययन के लिये दौरे पर नहीं गये। प्रथम चरण मौनसून सत्र के स्थगन के तुरन्त बाद 18 से 25 सितम्बर, 1978 के बीच पूरा किया गया। दूसरा चरण 3 और 11 जनवरी के बीच पूरा हुआ। इस समय काफी अच्छा मौसम होता है, तीसरा चरण अभी शुरू होना है। यह समझ में नहीं आता कि तीसरा चरण वे जनवरी के अन्त अथवा फरवरी के आरंभ में पूरा क्यों नहीं कर सके। तीसरा चरण पूरा न किये जाने के लिये कोई कारण नहीं बताये गये। यह अभी शुरू किया जाना है।

श्रीमान्, उन्होंने दिल्ली में बैठे हुए क्या किया यह पैरा 5 है—

"समिति ने सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञों तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों/संगठनों इत्यादि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य सुझा"

पुनः उन्होंने विशेषज्ञों की संख्या नहीं बताई है। उसे मैं आगे पढ़ता हूं

"·····9 अगस्त, 1978, 22 से 25 जनवरी, 1979, तथा 11 और 12 अप्रैल, 1979 को हुई अपनी बैठकों में ·····"

अन्तर्सयावधि के दौरान उन्होंने केवल चार बैठकें की है। यह बिल्कुल भी क्षमायोग्य नहीं है। अन्तर्समावधि में आपने चार बैठकें की। 9 अगस्त को आपकी एक बैठक हुई तथा 11 और 12 अप्रैल को आपने एक बैठक की। ये बैठकें सत्र काल में हुई। अन्तर्समावधि में आपने केवल चार बैठकें की अर्थात् 22 से 25 जनवरी तक। किंतु ये कितने दिन हुए? मुझे गिनती अच्छी तरह नहीं आती। ये चार बैठकें हुई। उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि यदि समिति सुबह और शाम दोनों समय बैठती हैं तो यह दो बैठकें मानी जायेंगी अथवा इसे एक ही बैठक माना जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस पर निर्भर करता है कि वे कितनी बार बैठते हैं? यदि वे दिन में दो बार बैठते हैं तो ये दो बैठकें ही मानी जायेंगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर (दुर्गापुर) : मुझे बताया गया कि 8 बैठकें हुई थी। उस समय मैं हस्पताल में था।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : फिर समिति का कोई भी सदस्य ऐसा ही कह सकता है कि उस समय वह हस्पताल में था।

उपाध्यक्ष महोदय : स्मरण रहे कि आपका एक विशिष्ट संशोधन है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान् मैं उसकी पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहा हूं। क्या समिति का कोई अन्य सदस्य इस समय सदन में उपस्थित है?

श्री दिनेन भट्टाचार्य : समिति का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति उत्सुक था।

श्री हरि विष्णु कामत : उनकी उत्सुकता अब समझ में आती है। श्रीमान्, अब उस पूरे ज्ञापन के रसपूर्ण अंश पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रायः इसमें से आखिर कितना रस और निकालना चाहते हैं ?

श्री हरि विष्णु कामत : समिति को अभी कुछ शेष बचे हुए राज्यों के अध्ययन दौरे का तीसरा चरण शुरू करना है तथा विधेयक का खंडवार विश्लेषण करना है तथा विधेयक की अन्य बातों को "पूरा करना है।"

आगे कहा गया है :—

"पूरा किये जाने वाले अधूरे कार्य के परिमाण को देखते हुए समिति ने महसूस किया कि उनके लिये निर्धारित तारीख अर्थात् 18 मई, 1979 तक काम को पूरा करना और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होगा।"

लगभग 3 सप्ताह अभी उस तारीख तक बाकी हैं। और आगे ज्ञापन में कहा गया है :—

"समिति ने इसलिए अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय को आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करने का निर्णय किया है।"

मेरे संशोधन के अनुसार 13 वीं मद में

'अन्तिम दिन' **के स्थान पर**

'प्रथम दिन' **का प्रतिस्थापित किया जाये** मैं अपने संशोधन का प्रस्ताव रखता हूं।

13 वीं मद में

'अन्तिम दिन' के **स्थान पर**

'प्रथम दिन' **प्रतिस्थापित किया जाये**

यदि इस संशोधन को सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रस्ताव इस प्रकार होगा :—

"कि यह सभा उन सहकारी सोसाइटियों से जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो एक से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों के हितों को पूरा कर रहे हैं, संबंधित विधि का समंकन और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के पहले दिन तक और बढ़ाती है।"

मुझे विश्वास है कि यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथी, मेरे दायीं ओर बायीं ओर तथा केन्द्र में बैठे हुए—केन्द्र में बैठे हुए साथियों में श्री हल्दर भी शामिल हैं, सभी साथी उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जो कि मैंने पेश किये हैं, मेरे इस संशोधन से सहमत होंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास हैं।

मैं अपने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं तथा सभी को दूसरी स्वीकृति के लिये अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : इसे प्रथम सप्ताह रखा जाये।

प्रोफेसर पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन।

श्री सोमनाथ चैटर्जी (जादवपुर) : अगले सत्र के प्रथम सप्ताह का अन्तिम दिन।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कामत, क्या आप उस संशोधन को स्वीकार करते हैं ?

श्री हरि विष्णु कामत : वे कुछ अधिक उदार बनना चाहते हैं किंतु यह उदारता अनुचित है। तथापि, श्रीमान्, मैं अपने प्रस्तावित संशोधन में यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर (दुर्गापुर) : मैं श्री कामथ के संशोधन में प्रोफेसर मावलंकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं श्री हरि विष्णु कामथ द्वारा पेश किये गये संशोधन को प्रोफेसर मावलंकर के संशोधन सहित प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है

13 वीं मद में, अगले सत्र के 'अन्तिम दिन' शब्दों के **स्थान पर**

'अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन' **प्रतिस्थापित किया जाये।**

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब प्रस्ताव को उस संशोधित रूप में रखूंगा जैसा कि श्री कृष्ण-चन्द्र हल्दर ने प्रस्ताव किया है।

प्रश्न यह है ;

"कि यह सभा उन सहकारी सोसाइटियों से जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो एक से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों के हितों को पूरा कर रहे हैं, संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न-पश्चात् दो बजकर बीस मिनट पर पुन: समवेत हुई

(श्रीमती पार्वती कृष्णन् पीठासीन हुईं)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जबलपुर डिवीजन में करेली और गदरवाड़ा मंडियों के अन्य स्थानों पर अनाज ले जाने के लिये वेगनों की कमी

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : सभापति महोदया, मध्य प्रदेश के जबलपुर डिवीजन में करेली और गदरवारा दो महत्वपूर्ण अनाज मण्डियाँ हैं। मध्य प्रदेश की अन्य अनाज मण्डियों के अलावा इन दो मण्डियों को वेगनों की कम संख्या में सप्लाई करने की नियमित शिकायतें रही हैं।

अनाज व्यापारी एसोसियेशन, गदरवारा से तार प्राप्त होने पर इस बारे में माननीय रेल मन्त्री का ध्यान मैंने अपने 4 अप्रैल, 1979 के पत्र द्वारा आकर्षित किया था, जिसकी प्राप्ति-स्वीकृति 17 अप्रैल, 1979 को भेजी गई है। परन्तु समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। करेली अनाज व्यापारी एसोसियेशन ने एक व्यापक पत्र भेजा है, जिसे मैंने अपने नोटिस के साथ भेजा था। अब एक नियमित सत्याग्रह प्रारम्भ हो गया है। घटना कभी भी गलत रुख व्याख्या कर सकती हैं। इस मामले को मध्य प्रदेश विधान सभा में भी उठाया गया है। इसलिए, तत्काल समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

(दो) आसनसोल दुर्गापुर उद्योग क्षेत्र में स्थित लघु उद्योगों को कच्चे माल की कम सप्लाई

श्री रोबिन सेन (आसनसोल) : सभापति महोदया, आसनसोल-दुर्गापुर स्थित लघु उद्योग और सहायक उद्योगों पर सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा है और सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों विशेष रूप से 'सैल' और 'एच० एस० एल०' के सौतेले और गैर-सहायक रुख के कारण इस महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के द्रुत विकास में बाधा पहुंची है। सरकारी क्षेत्र के इन विशाल उपक्रमों से काम उपलब्ध न होने के कारण, वर्ष के अधिकांश दिनों में इन लघु उद्योगों की क्षमता अप्रयुक्त पड़ी रहती है। इन उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता का तात्पर्य है कर्मचारियों की छंटनी, उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा जाना और इन लघु उद्योगों की आर्थिक स्थिति का अस्थिर और डांवाडोल होना। आसनसोल-दुर्गापुर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इन लघु उद्योगों को सरकारी सप्लाई स्रोतों से कच्चा माल न मिलने के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि पिछले वर्ष एच० एस० एल० और 'सैल' द्वारा दुर्गापुर में स्टाक यार्डों का शानदार उद्घाटन किया गया था, जिसका उद्देश्य दुर्गापुर-आसनसोल के लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को कच्चे माल की सप्लाई करना था, परन्तु यह महसूस किया गया है कि इन लघु उद्योग क्षेत्र के एककों और सहायक उद्योगों में से किसी भी एकक को आज तक अपेक्षित मात्रा में इस्पात की सप्लाई नहीं की गई है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इस औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों, विशेष रूप से एच० एस० एल०/एस० ए० आई० एल० से यह अनुरोध किया जाता है कि इन लघु उद्योगों को उचित मूल्य पर सप्लाई किये जाने के लिए कुछ मदों का आरक्षण किया जाये और इन लघु उद्योगों एवं सहायक उद्योगों के अस्तित्व को बनाये रखने और उनके विकास दोनों के लिए कच्चे माल की अपेक्षित मात्रा में नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जाय और इस प्रकार कुछ सीमा तक रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जा सकें।

(तीन) रक्षा सेवाओं के अधिकारियों को वीरता पुरस्कार और पदोन्नति देने की प्रक्रिया

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : सभापति महोदया, श्री कृष्णामैनन के दिनों से लेकर बाबूजी के समय तक, सुरक्षा बलों की सुदृढ़ स्थिति के बारे में सदन को बार-बार आश्वासन दिया गया है।

सभापति महोदया : नियमों में यह प्रावधान है कि आप स्वयं को लिखित वक्तव्य तक ही सीमित रखें ।

श्री डी० डी० देसाई : सभापति महोदया, हमें यह विश्वास दिलाया गया था कि रक्षा बलों ने 1962 की पराजय से सीख ली थी और नीचे से लेकर ऊपर तक कमाण्ड कार्यकरण में सुधार किये थे । लेकिन लेफ्टीनेन्ट जनरल हरबख्श सिंह (सेवा-निवृत्त) द्वारा लिखे गये लेख से, जो 'इण्डियन एक्सप्रेस' के 25 अप्रैल के संस्करण में प्रकाशित हुआ है, यह पता चलता है कि 1962 की कमान विफलताओं को 1965 और 1971 में दुहराया गया था । इससे गम्भीर चिन्ता उत्पन्न होनी चाहिए क्योंकि रक्षा बलों की क्षमताओं सम्बन्धी विषय पर जनता में कम चर्चा होती है । इसके अलावा उसी समाचारपत्र में लेफ्टीनेन्ट कर्नल जे० आर० सहगल ने चयन प्रक्रियाओं में, विशेष रूप से लेफ्टीनेन्ट कर्नल से ऊपर के रैंक में चयन के लिए और शौर्य पुरस्कार देने में गम्भीर त्रुटियों का उल्लेख किया है । जबकि सही व्यक्तियों को पुरस्कार और पदोन्नतियां देने से सेना के मनोबल में वृद्धि होती है, गलत व्यक्तियों को पुरस्कार और पदोन्नतियाँ देने से मनोबल में गिरावट आती है । श्री सहगल का यह रहस्योद्घाटन क्षोभजनक है कि 1971 में एक पुरस्कार सिगनल्स के एक कमाण्डिग अधिकारी पर थोपा गया था और वह पुरस्कार मजाक का पात्र बन गया था । सरकार को इन त्रुटियों के बारे में वक्तव्य देना चाहिए जिससे रक्षा सेनाओं के बारे में जनता की शंकायें दूर हो सकें ।

(चार) राजस्थान में भरतपुर और खेरली मंडियों से खाद्य सरसों में तेल के निर्यात के लिये परिवहन सुविधाओं की कमी

श्री राम किशन (भरतपुर) : सभापति महोदया, पिछले दो महीनों से राजस्थान की भरतपुर तथा खेरली मंडियों से खाने योग्य तेल सरसों का निर्यात नहीं होने से तेल उद्योग संकट में आ गया है । एक तरफ कारखाने बंद हो रहे हैं । मजदूरों की छटनी हो रही है, माल सड़ रहा है, दूसरी तरफ रेल सुविधा के अभाव में ट्रकों से थोड़ी मात्रा, अधिक समय और ज्यादा मालभाड़ा देने के कारण तेल मंगाने वाले आसाम, बंगाल ऐसे प्रान्तों में तेल की कमी और भारी महंगाई से हाहाकार मच रहा है । राजस्थान राज्य से रेलवे लदान की सुविधा नहीं होने से तेल सरसों आयात निर्यात करने वालों की परेशानी तो है ही इसके अलावा जहां खरीदार की हालत खस्ता हो रही है वहां सरसों उपजाने वाले किसानों को भी अपनी उपज की सही कीमत नहीं मिलने से उनमें भी भारी असंतोष फैल रहा है ।"

(पांच) सिधपुर काटन टैक्सटाइल मिल, सिधपुर का प्रबन्ध ग्रहण करने की आवश्यकता

श्री अहसान जाफरी (अहमदाबाद) : सभापति महोदया, सिधपुर स्थित सिधपुर काटन टेक्सटाइल मिल पिछले तीन महीने से बन्द पड़ी है और लगभग 23,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं । अकुशल प्रबन्ध के कारण कारखाना बन्द पड़ा है । प्रबन्धकों की कुप्रबन्ध सम्बन्धी गतिविधियों की ओर श्रमिकों ने अनेक बार सरकार का ध्यान दिलाया था, परन्तु उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । परिणामतः कारखाना बन्द हो गया है, और देश में बेरोजगारों की विशाल फौज में 2500 और शामिल हो गये हैं ।

पुराने प्रबन्धकों द्वारा निकट भविष्य में कारखाने को फिर से खोले जाने की कोई सम्भावना नहीं है और अगर उक्त प्रबन्धकों द्वारा यह खोली भी जाती है, तो यह सुचारू और साफ प्रबन्ध देने में असफल रहेगा।

राष्ट्रीय प्रयास देश में कपड़ा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। केन्द्रीय सरकार कपड़ा उत्पादन और कपड़ा उद्योग के बारे में अपनी नीति की बार-बार घोषणा कर रही है, परन्तु उसका कोई भी परिणाम नहीं निकल सका है।

बेरोजगारी कम करने के बजाय, देश के विभिन्न भागों में कारखानों को बन्द करने से रोजगार की समस्या और गम्भीर होती जा रही है और करोड़ों रुपये का पूंजी निवेश बेकार पड़ा है, जिससे सकल राष्ट्रीय घाटे में वृद्धि हो रही है।

सरकार ने ऐसे बीमार एककों को अधिग्रहीत न करने की नीति अपनाई है और यह घोषणा की है कि ऐसे एकक लाभ अर्जित करने वाले एककों को दे दिये जायेंगे, परन्तु प्रक्रिया लम्बी है और इससे शीघ्र सहायता नहीं मिलती, विशेष रूप से जहाँ मिल की मशीनरी अच्छी है और प्रबंधक उसे बन्द करने पर तुले हुए हों। सिधपुर टेक्सटाइल मिल इसका एक अच्छा उदाहरण है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मिल का अधिग्रहण करने के लिए तत्काल कार्यवाही करे और देश में कपड़े का उत्पादन बढ़ाने में सहायता करे और मैं सरकार से यह अनुरोध भी करूंगा कि उसे औद्योगिक विकास तथा नियन्त्रण अधिनियम, 1961 की धारा 18 क के अधीन प्रतिवेदन नहीं मांगना चाहिए और सिधपुर मिल में व्याप्त विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मिल का अधिग्रहण करने के लिए सीधे ही कार्यवाही करनी चाहिए और श्रमिकों की स्थिति सुधारने में सहायता करनी चाहिए।

वाणिज्य पोत परिवहन (द्वितीय संशोधन) विधेयक

(i) राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार

सभापति महोदय : सदन अब राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करेगा। मन्त्री महोदय द्वारा संशोधन पेश किये जाने से पूर्व मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि वे पूर्णतः शाब्दिक या तकनीकी किस्म के हैं। यह केवल अंकों और तारीखों को बदलने से सम्बन्धित है।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चाँद राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाय :—

अधिनियमन सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "उन्तीसवें" शब्द के स्थान पर "तीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाय।

खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में "द्वितीय" शब्द को लोप कर दिया जाय।

(3) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, अंक "1978" के स्थान पर अंक "1979" प्रतिस्थापित किये जायं।

खण्ड 2

(4) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 13 में, शब्द, कोष्ठक और अंक "(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1978" के स्थान पर "(संशोधन) अधिनियम, 1979" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किये जायं।"

श्री बी० रचैया (चामराजनगर) : यह विधेयक एक सीमित प्रयोजन के लिए है। नौवहन के क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तियों पर इसका पक्षपातपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। परिवर्तन परिणामी हैं, परन्तु फिर भी यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 को आकर्षित करता है।

सभापति महोदया : जब विधेयक पहले यहाँ पेश हुआ था, उस समय इस बारे में चर्चा हो चुकी है। यह अवसर चर्चा को दुहराने का नहीं है।

श्री बी० रचैया : मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि वह एक व्यापक विधेयक लायेंगे जिसमें नौवहन और कार्मिकों की सेवा शर्तों सम्बन्धी सभी पहलू शामिल होंगे।

श्री व्यालार रवि (चिरयिंकील) : इस विधेयक पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। पहले उठाये गये मुद्दों को मैं दुहराऊंगा नहीं। जहाँ तक मेरी समझ में आया है, संशोधनों का सारा प्रयोजन यह है कि एक निश्चित अवधि से पहले सेवा छोड़ने के लिए लोगों के अधिकार-क्षेत्र को सीमित किया जाय। मन्त्री महोदय यह महसूस करते हैं कि अपने देश की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित लोगों की उपलब्धता बहुत ही सीमित है। जब हम लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी सेवाओं का इस देश में चार वर्ष तक तो उपयोग किया ही जाय। हमारे देश में प्रशिक्षित व्यक्ति पर्याप्त सख्या में उपलब्ध नहीं हैं। यह विधेयक का सार है।

जब मन्त्री महोदय इस बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदन का स्वयं अध्ययन करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी सीमित है। मन्त्री महोदय लोगों को प्रशिक्षण देने में कंजूस हैं। उन्होंने 6 प्रशिक्षण केन्द्रों का उल्लेख किया—मैंने प्रतिवेदन का अध्ययन नहीं किया है—2 प्रशिक्षण केन्द्र कलकत्ता में हैं और 4 प्रशिक्षण केन्द्र बम्बई में हैं। क्या वह यह सोचते हैं कि बम्बई और कलकत्ता ही केवल ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ हम प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर सकते हैं और 60 करोड़ लोगों के इस देश में 700 या 800 लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, जहाँ इतने अधिक बेरोजगार व्यक्ति हैं? मद्रास, ट्रीकोरिन और कोचीन में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए गुंजाइश है। वहाँ प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने से मन्त्री महोदय को कौन रोकता है, जिन्हें वह दूसरे देशों में भेज सकते हैं और धन कमाया जा सकता है? मैं वर्तमान मन्त्री को ही दोष नहीं दे रहा। वह तो वहाँ केवल पिछले दो सालों से ही हैं।

एक अन्य बात जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। पोत चालकों की इस देश में भारी कमी है और उनकी बहुत ज्यादा मांग है—पोत चालकों, द्वितीय कमाण्डिग अधिकारियों और नाविकों की माँग है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इन मुद्दों के बारे में उत्तर दें और यह सुनिश्चित करें कि कोचीन में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हो।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर (बम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, इस बिल पर भाषण करने की जरूरत नहीं है। मैं खाली एक ही ट्रेनिंग के मुद्दे पर कहना चाहती हूं। ट्रेनिंग

सैंटर का भी सवाल नहीं है, हम यह कहना चाहते हैं कि ट्रेनिंग की सहूलियत जिनको मिलेंगी, उसकी जो शर्तें हैं, उनमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक कोर्स के लिये इण्टर-सांइस पास होना जरूरी है।

बम्बई में 117 में से 30 लड़के पहले आ गये और उस समय बम्बई में इण्टर-सांइस का एग्जामिनेशन नहीं लिया गया है। यह लड़के पहले आ गये लेकिन इण्टर-सांइस का सर्टिफिकेट नहीं था इसलिये उनको नहीं लिया गया। जब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नहीं लेती है इसके बारे में मिनिस्ट्री के श्री रानाडे को सब मालूम है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेनिंग के लोग मिलते नहीं, लेकिन जो जाने की कोशिश करते हैं, उनको इस तरह से रोक देते हैं। इसके बारे में आप जांच कीजिये, इतना ही मैं कहना चाहती हूँ।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चाँद राम) : सभापति महोदया, मैं उन तीन माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश देने के लिए कुछ ठोस उपायों का सुझाव दिया है। मैं उन्हें, विशेष रूप से श्री रचैया और श्री वयालार रवि को केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि यह मामला पहले से ही हमारे विचाराधीन है। वस्तुतः, इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को विदेश जाने से रोकने से ही समस्या का समाधान नहीं होता। मेरी उनके साथ पूर्ण सहानुभूति है और मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनको किसी भी प्रकार से अनुचित तौर पर परेशान नहीं किया जायेगा। हम इस उपाय का केवल तभी उपयोग करेंगे जबकि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक होगा। मैंने नौवहन यूनियन और उनके नेता, श्री कोला को सभी आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया है। जहाँ तक प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध का सम्बन्ध है, 250 कैडेटों के बारे में मैंने पहले ही कार्यवाही की है, जिन्हें हम इस समय प्रशिक्षण दे रहे हैं। पहले हम 125 कैडेटों को प्रशिक्षण दे रहे थे, हमने कैडेटों की संख्या 125 से बढाकर 250 कैडेट कर दी है। अब, मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं कि 250 कैडेटों की इस संख्या को बढ़ाकर 500 कैडेट प्रति वर्ष कर दिया जाय। और मैं विदेश से पूर्ण स्तर का एक अन्य प्रशिक्षण जहाज प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने नौवहन महानिदेशक को भेजा था। इस बारे में वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रहे हैं और रिपोर्ट पर विचार हो चुकने के बाद, हम निश्चित रूप से, वित्त मन्त्रालय की सहायता से टी० एस० राजेन्द्र की तरह एक अन्य प्रशिक्षण जहाज प्राप्त करेंगे। मैंने महानिदेशक से कहा है कि वह प्रत्येक जहाज की समीक्षा करें और यह देखें कि क्या जहाजों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि हो सकती है।

जहाँ तक नौवहन इंजीनियरी अधिकारियों का सम्बन्ध है इस बारे में दो संस्थान हैं। एक कलकत्ता में है और दूसरा बम्बई में है। यहाँ भी, मैं यह देखने का प्रयास कर रहा हूं कि 100 कैडेटों की वर्तमान संख्या को बढ़ाकर 200 कैडेट प्रति वर्ष कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को जानकारी है कि पोतचालकों और नौवहन अधिकारियों की भारी कमी है। श्री रचैया ने यह उल्लेख किया है कि मैंने सदन को यह आश्वासन दिया था कि मैं एक व्यापक और समेकित विधेयक पेश करूँगा। लेकिन यह बहुत ही मामूली संशोधन है। वस्तुतः, यह विधेयक सदन द्वारा पारित कर दिया गया था और फिर उसे राज्य सभा को भेज दिया गया था। राज्य

सभा ने कुछ संशोधन किये थे और ये संशोधन, जैसी कि आपने टिप्पणी की थी कि बहुत ही तकनीकी किस्म के हैं। और इसलिए, मैं श्री रचैया को एक बार पुनः आश्वासन दे सकता हूं कि मैं किसी उपयुक्त समय पर एक व्यापक और समेकित विधेयक पेश कर सकूंगा।

सभापति महोदया : यथासम्भव शीघ्र।

श्री चाँद राम : जहाँ तक श्रीमती अहिल्या रांगनेकर की प्रवेश और अर्हता आदि के बारे में शिकायत का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में पता करने की कोशिश करूंगा। लेकिन न्यूनतम अर्हता इन्टर साइन्स है। पहले, वे सभी लड़के, जिन्होंने विज्ञान सहित मैट्रिक पास कर रखी थी, दाखिल कर लिये जाते थे। लेकिन पाठ्यक्रम दो वर्ष के लिए था। अब अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रम एक वर्ष का कर दिया गया है लेकिन अर्हता मैट्रिक से बढ़ाकर इन्टर साइन्स या 10+2 कर दी गई है। भर्ती में वृद्धि करने के लिए ही अर्हता में वृद्धि की गई थी।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर (बम्बई उत्तर-मध्य) : इस वर्ष बम्बई विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों को इन्टर साइन्स की परीक्षा में बैठने से छूट दे दी और इसके बाद उन्हें बम्बई विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र नहीं मिला।

श्री चाँद राम : इस मामले को मैं देखूंगा, और इन संस्थाओं में दाखिला पाने के लिए काफी प्रतिस्पर्द्धा है।

सभापति महोदया : श्री रवि ने कमी के बारे में उल्लेख किया था।

श्री चाँद राम : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि तकनीकी किस्म का यह एक मामूली सा संशोधन है। मुझे आशा है कि सदन इसे पारित कर देगा।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है, "कि वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाय :—

अधिनियमन सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "उन्तीसवें" शब्द **के स्थान पर** "तीसवें" शब्द **प्रतिस्थापित किया जाय।**

खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में, "द्वितीय" शब्द का **लोप कर दिया जाय।**

(3) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, अंक "1978" **के स्थान पर** अंक "1979" **प्रतिस्थापित किये जायं।**

खण्ड 2

(4) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 13 में, शब्द, कोष्ठक और अंक "(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1978" **के स्थान पर** "(संशोधन) अधिनियम, 1979" शब्द, कोष्ठक और अंक **प्रतिस्थापित किये जायं।"**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम संशोधनों को लेंगे । पहले अधिनियमन सूत्र । प्रश्न यह है : "कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "उन्तीसवें" शब्द के स्थान पर "तीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये ।"

संशोधन स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 1 के संशोधनों को लेते हैं । प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में "द्वितीय" शब्द का लोप किया जाय ।"

संशोधन स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, अंक "1978" के स्थान पर अंक "1979" प्रतिस्थापित किये जायं ।

संशोधन स्वीकृत हुआ

सभापति महोदया : अब हम खण्ड 2 के संशोधन को लेते हैं । प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 13 में, शब्द, कोष्ठक और अंक "(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1978" के स्थान पर "(संशोधन) अधिनियम, 1979" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किये जायं ।"

संशोधन स्वीकृत हुआ

श्री चाँद राम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों को स्वीकृत किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों को स्वीकृत किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) विधेयक

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और उससे सम्बन्धित मामलों में प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

श्रीमान् मुझे यह विधेयक पेश करते हुए खुशी है । इस विधेयक में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमाओं को समायोजित करने का प्रावधान है । यह विधेयक उन समस्याओं का सन्तोषजनक समाधान ढूंढ़ने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों द्वारा सहमति-प्राप्त दृष्टिकोण का परिणाम है, जो यमुना की गहरी धारा द्वारा निर्धारित इन दोनों राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा के पास के गाँवों में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण समय समय पर उसमें परिवर्तन होता रहता है ।

2. इस समस्या की पृष्ठभूमि का मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। दोनों राज्यों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच वर्तमान सीमा का स्रोत वर्ष 1884 और 1887 में भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें हैं। ये अधिसूचनायें वर्ष 1933 में जारी की गई अधिसूचना में समेकित हैं, जो अभी भी प्रभावी है। इस प्रकार इन दो राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण आंशिक रूप से पार्श्ववर्ती सीमावर्ती ग्रामों की सीमाओं के सन्दर्भ में निर्धारित होती है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है, क्योंकि यमुना नदी की गहरी धारा को सीमा बनाने के कारण उसमें प्राय: परिवर्तन होता रहता है। हरियाणा के पाँच सीमावर्ती जिलों में से और उत्तर प्रदेश के छह जिलों में से, हरियाणा के अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिलों और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा निश्चित है और यही स्थिति हरियाणा के गुड़गाँव जिले और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बीच है। एक ओर हरियाणा के करनाल और सोनीपत जिले और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ जिलों के लिए यमुना नदी की गहरी धारा को सीमा घोषित किया गया है और इसी प्रकार हरियाणा के गुड़गाँव जिले और उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर और अलीगढ़ जिलों के बीच भी यमुना की गहरी धारा सीमा है।

नदी की सीमा को निश्चित सीमा द्वारा बदलने के लिए पहले भी समय समय पर प्रयास किये गये थे, विशेष रूप से गुड़गाँव जिले की बल्लभगढ़ तहसील को शामिल करने वाले हिस्से में, परन्तु किसी न किसी कारण से ये प्रयास पूरे नहीं हुए। बाद में, हरियाणा की एक पृथक राज्य के रूप में स्थापना के बाद, गुड़गाँव और बुलन्दशहर जिलों के बीच नदी सीमा की सही स्थिति के बारे में असहमति बढ़ती गई।

सीमा विवादों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सदैव के लिए समाधान करने के विचार से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के तत्कालीन मुख्य मंत्रियों ने तत्कालीन गृह मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित को मई, 1974 में सुझाव दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले में निर्णय करें और उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। श्री दीक्षित ने 14 मई, 1975 को अपना निर्णय दिया जिसमें विवादास्पद सीमा के स्थान पर एक निर्धारित सीमा का उल्लेख किया गया था। इस विधेयक में निर्णय को प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 3 के उपबन्धों के अनुसार विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के विधान मंडलों को उनके विचार जानने हेतु भेजा गया था। उत्तर प्रदेश विधान सभा और विधान परिषद् में क्रमश: 3 और 8 नवम्बर, 1976 को विधेयक पर चर्चा हुई। दोनों राज्यों के विधानमंडलों ने सीमा परिवर्तन, जैसा कि विधेयक में उल्लेख था, के समर्थन में संकल्प पारित किये। (विधेयक के बारे में दोनों राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही संसद ग्रंथालय में रखी गयी है)। वर्ष 1977 में निर्वाचन के पश्चात् इन राज्यों में जब नई सरकार बनीं तब इन दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के विचारों की जानकारी मांगी गयी। दोनों ही राज्यों ने अनुरोध किया कि परिवर्तनशील गहरी धाराओं से निश्चित होने वाली सीमा को निर्धारित सीमांकन में बदलने के लिये श्री उमाशंकर दीक्षित के निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु विधान लाने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये।

विधेयक के मुख्य तत्वों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह इस सभा द्वारा भूतकाल में पारित राज्य पुनर्गठन कानूनों की पद्धति का, विशेषतया बिहार और उत्तर प्रदेश सीमाओं का परिवर्तन, अधिनियम, 1968 अनुसरण करता है। अतः बहुत से विवरणों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं विधेयक के कुछ विशेष तत्वों तक ही सीमित रहने का प्रयास करूँगा। एक राज्य से दूसरे राज्य को स्थानान्तरित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण विधेयक के खंड 4 (1) में दिया गया है और निर्धारित सीमायें विधेयक की अनुसूची के साथ पढ़े जाने वाले विधेयक के खंड 3 में दी गई है। निर्धारित सीमाओं की व्याख्या वही है जो श्री उमाशंकर दीक्षित ने अपने निर्णय में दी है। यद्यपि निर्धारित सीमाओं को विधेयक में परिभाषित किया गया है फिर भी भूमि पर सीमा पत्थरों से निश्चित सीमांकन भी आवश्यक है। इस उद्देश्य से, हमने विधेयक के खंड 3 में एक विशेष उपबन्ध सम्मिलित किया है। उस खंड के उपखंड (2) में व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण द्वारा सीमांकन किया जायेगा। यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि वास्तविक रूप में सीमांकन करने में प्राधिकरण को अनुसूचि में परिभाषित निर्धारित सीमाओं की सिधाई का अनुसरण करना चाहिये। निर्धारित सीमा की व्याख्या अनुसूचि से "वर्तमान गहरी धारा पंक्ति" जिसे नवम्बर 1974 से फरवरी 1975 के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने आंका और निर्धारित किया था, और वर्ष 1943 में गुड़गांव जिले का बन्दोबस्त पूरा होने पर जो अन्तर्ग्राम सीमायें निश्चित हुयीं तथा नक्शों में दिखाई गयीं, शब्दों में दी गई है। इसी लिये, सीमांकन के उद्देश्य से प्राधिकरण को सम्बन्धित रिकार्ड को ध्यान में रखने और निर्धारित सीमा की परिभाषा की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। सीमांकन प्राधिकरण को स्वविवेक का अधिकार दिया गया है जो आवश्यक है।

यह भी आवश्यक है कि प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्र के निवासी इस विधेयक से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का सही विचार रखें। अतः विधेयक के खंड 3 (4) में यह व्यवस्था की गई है कि प्राधिकरण निर्धारित सीमा तथा दोनों ओर के उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के नक्शे तैयार करेगा जिससे "वर्तमान गहरी धारा" पंक्ति और इससे सम्बन्धित निर्धारित सीमा तथा निर्धारित सीमा के दोनों ओर के गांवों के नाम तथा उनकी सीमायें जैसाकि सम्बन्धित राज्य सरकार के राजस्व रिकार्ड में निर्देशित है, प्रकट होंगी। इन नक्शों की अधिप्रमाणित प्रतियाँ दोनों राज्यों की सरकारों को भेजी जायेगी। गहरी धारा 'में' परिवर्तन के कारण स्थानान्तरित होने वाले क्षेत्रों में राज्यों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन आ रहा है, लोगों में विशेषतया किसानों में, इस बात के प्रति आशंका होनी स्वाभाविक ही है कि स्थानान्तरण के पश्चात उनके अधिकार किस प्रकार प्रभावित होंगे। हमने विधेयक के खंड (2) में यह व्यवस्था की है स्थानान्तरित क्षेत्रों में वर्तमान कानून ही चलते रहेंगे अर्थात् उत्तर प्रदेश को स्थानान्तरित किये गये प्रदेश में हरियाणा के कानून लागू रहेंगे और हरियाणा को स्थानान्तरित किये जाने वाले क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के कानून लागू रहेंगे जब तक कि सक्षम विधान मंडल अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा कोई और व्यवस्था नहीं की जाती। भूमि पर वर्तमान कानूनों के अनुसार जो अधिकार लोगों को प्राप्त हैं, इस उपबन्ध के अनुसार वे अधिकार चलते रहेंगे। खंड 32 में सीमा पत्थरों के निर्माण और रखरखाव के लिये विशेष व्यवस्था की गई है।

हमने सोचा है कि निर्धारित सीमाओं भूमि पर सीमांकन होना चाहिये ताकि इस कानून के पारित होते ही क्षेत्रों के स्थानान्तरण को सीधा क्रियान्वित किया जा सके। इस उद्देश्य से दोनों राज्य सरकारों के परामर्श से कार्य आरम्भ कर दिया गया है और लगभग पूरा भी हो चुका है केवल 8-10 किलोमीटर में कार्य पूरा होना शेष है।

विधेयक के खंड 3 (3) (ग) में सीमांकन प्राधिकरण को सीमा रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र में कार्यवाही आरम्भ करने और किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और सीमांकन के सम्बन्ध में आवश्यक उपाय करने का अधिकार देने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। खंड 33 में अब तक हो चुके कार्य को वैध करार देने की व्यवस्था है ताकि जो सर्वेक्षण आदि कार्य हो चुके हैं उनका जितना भी संभव हो सके उपयोग किया जा सके।

इस विधेयक का पारित होना इस समय अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति वाले क्षेत्र में प्रशासनिक प्रबन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम है। विधेयक उन सिद्धान्तों पर आधारित है जो दोनों राज्य सभाएँ द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं अतः मैं सदन से इस विधेयक को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि केवल इन दो राज्यों को ही क्यों चुना गया है। यदि सीमा सम्बन्धी कोई परिवर्तन किया जाना है तो वह देश पर्यन्त होना चाहिये।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि यह विधेयक आवश्यक क्यों है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : सभी राज्यों में एक जैसे ही कारण हैं। क्या अन्य राज्यों के बारे में भी कोई निर्णय है यदि है तो उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिये। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय एक समिति अथवा आयोग गठित करें जो सभी राज्यों के सीमा विवादों के बारे में जाँच करे ताकि एक अन्तिम निर्णय किया जा सके।

सभापति महोदय : आप उनसे इस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि अन्य राज्यों का मामला क्यों नहीं लिया गया है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : जी हाँ।

श्री धनिकलाल मंडल : इस प्रश्न का कई बार स्पष्टीकरण किया गया है। जब कभी किसी क्षेत्र को लेकर दो राज्यों में कोई विवाद खड़ा होता है और एक दूसरे द्वारा दावे, प्रतिदावे किये जाते हैं, दोनों सरकार एक साथ बैठकर समस्याओं का समाधान कर सकती है। यदि उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता होती है तो हम अपना सहयोग सहायता देने के लिये तैयार हैं क्योंकि हमारा विचार यह है कि अन्तिम समाधान के लिये सम्बन्धित राज्यों को एक साथ बैठकर समस्या का समाधान करना चाहिये। इस मामले में हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य सरकारों ने एक साथ बैठकर विचार विमर्श किया और तत्कालीन गृहमंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित से निर्णय

करने के लिये कहा। दोनों सरकारों ने उन्हें आश्वस्त कराया कि उनका निर्णय उन्हें मान्य होगा। ऐसा किया गया।

सभापति महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि जब अपने इस मामले को लिया तब आपने अन्य राज्यों के मामलों को क्यों नहीं लिया।

श्री धनिक लाल मंडल : यह विधेयक बहुत समय से अनिर्णित था क्योंकि निर्णय 1975 में दिया गया।

श्री बी राचैया : कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक और केरल के बीच सीमा विवादों के बारे में महाजन संचार बहुत समय से भारत सरकार के पास पड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि आप उस मामले में क्या कर रहे हैं।

श्री धनिक लाल मंडल : दोनों राज्यों की सरकारों को एक साथ बैठकर समस्याओं का समाधान करना चाहिये। यदि वे हमसे कोई सहायता लेना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं।

सभापति महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

32वां प्रतिवेदन

श्री पवित्रमोहन प्रधान (देवगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 32 वें प्रतिवेदन से जो 25 अप्रैल, 1979 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है,

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 32 वें प्रतिवेदन से, जो 25 अप्रैल, 1979 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

एक न्यायाधीश की पदोन्नति के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया संबंधी संकल्प

सभापति महोदय : श्री स्टीफन।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैंने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये लिखा था। मेरे विचार से वह आपके पास उपलब्ध होना चाहिये। मैंने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है। मेरा अनुरोध है कि मेरे माननीय मित्र विपक्ष के नेता, श्री स्टीफन के संकल्प की भाषा देखिये :

"जिन परिस्थितियों में किस्सा कुर्सी का मामले में फैसला सुनाये जाने के बाद श्री ओ० एन० वोहरा को पदोन्नति हुई, उसके सम्बन्ध में 6 मार्च, 1979 को सभा में श्री शांति-भूषण, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात् यह सभा उक्त मामले में अपनाई गई प्रक्रिया पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करती है।"

श्री सी० एम० स्टीफन (इडुक्की) : व्यवस्था का प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है। यह व्यवस्था का प्रश्न उस दिन निपटा लिया गया था और मैंने अपना भाषण आरम्भ कर दिया था। मैंने अपना आधा भाषण पूरा कर लिया था।

सभापति महोदय : वह लगभग आधा घन्टा बोल चुके हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : वह आधा घन्टा तक नहीं बोले हैं। वह एक मिनट भी नहीं बोले।

सभापति महोदय : रिकार्ड से पता चलता है कि उन्होंने 29 मिनट का समय लिया।

श्री कंवर लाल गुप्त : नहीं, वह नहीं बोले। आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दीजिये।

सभापति महोदय : बहुत से व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये थे और उन सभी का समाधान हो गया था। श्री स्टीफन ने संकल्प पेश करते हुये अपना भाषण आरम्भ कर दिया था। यदि आपका प्रश्न जो कुछ श्री स्टीफन ने कहा है उसके बारे में है तो इस समय आप उसे उठा सकते हैं। अब एक बार संकल्प पर चर्चा आरम्भ हो गई है, मुझे खेद है कि आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री कंवर लाल गुप्त : कृपया आप मेरी बात सुनें और फिर निर्णय दें। आपका निर्णय अन्तिम है। मैं आपके निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं।

सभापति महोदय : आप संकल्प पढ़ रहे थे और आप उसी पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं। संकल्प पर व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये थे। उन सभी का उत्तर दे दिया गया था और श्री स्टीफन ने अपना भाषण आरम्भ कर दिया था। उन्होंने संकल्प पेश कर दिया है। क्या आप उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं? इस समय केवल वही संगत है। बार-बार व्यवस्था का प्रश्न उठाकर आप कोई बात फिर से आरम्भ नहीं कर सकते।

श्री कंवर लाल गुप्त : पिछली बार यह हुआ कि कुछ व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये परन्तु उस समय सभापति महोदय ने कहा था कि वह व्यवस्था के प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकते क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने संकल्प स्वीकार कर लिया है। अतः उन्होंने कहा था कि व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि यदि आप सभापति के रूप में होते तो किसी व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का आपको पूरा अधिकार होता क्योंकि यहाँ आप अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे होते। अतः आपको भी वही सभी अधिकार होते जो अध्यक्ष को होते हैं। परन्तु उस समय सभापति ने कहा कि वह व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे जिस विषय पर भी हो क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने संकल्प स्वीकार कर लिया है। अतः यदि आपकी यही व्यवस्था है कि आप कोई भी व्यवस्था का प्रश्न इसलिये स्वीकार नहीं करेंगे, कि अध्यक्ष महोदय ने संकल्प स्वीकार कर लिया है तो मुझे आपके निर्णय को स्वीकार करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कहना है। परन्तु यदि आपके विचार से व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि आपको भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो अध्यक्ष को प्राप्त हैं तब मेरा अनुरोध यह है कि आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दें। वास्तव में मैंने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा था ताकि वह उस पर विचार कर सकें क्योंकि इसके एक

संवैधानिक मुद्दा है, एक सार्वजनिक महत्व का मामला है। यदि इस प्रकार की चीजें चलती रहेंगी तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पायेगी। यदि न्यायपालिका पर आक्रमण किया जाता है तो इससे उनका मनोबल टूटेगा" (व्यवधान)। यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाऊंगा। परन्तु यदि आपका कहना यही है कि क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने अपने कक्ष से इस संकल्प को स्वीकार कर लिया है अतः मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, तो मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उस समय सभापति ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात श्री स्टीफन ने अपना भाषण आरम्भ कर दिया। अतः मेरे विचार से श्री स्टीफन अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि मैंने आपसे कहा.....

सभापति महोदय : मैंने कार्यवाही पढ़ी है।

श्री कंवर लाल गुप्त : संभवतया आप ने इसे पूरी तरह नहीं पढ़ा है।

सभापति महोदय : हो सकता है मुझ में इसके पूरा पढ़ सकने की क्षमता न हो।

श्री कंवर लाल गुप्त : श्री स्टीफन एक अथवा डेढ़ मिनट के लिये बोले हैं। परन्तु वह बोले तभी थे जब सभापति महोदय ने व्यवस्था का प्रश्न यह कहकर अस्वीकार कर दिया था कि व्यवस्था का प्रश्न इसलिये नहीं उठाया जा सकता कि अध्यक्ष महोदय ने संकल्प स्वीकार कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : यदि आप भी इस बात से सहमत हैं कि मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकता क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने संकल्प स्वीकार कर लिया है तो.....

श्री सी० एम० स्टीफन : व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था उसे अस्वीकार कर दिया गया और वह समाप्त हो गया।

सभापति महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर सभापति अपनी व्यवस्था दे चुके हैं। मैं फिर से व्यवस्था नहीं दे सकता।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप भी एक सदस्य हैं, आपको भी ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : पिछली बार गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा के दौरान

सभापति महोदय : श्री गुप्त, मुझे आशा है आपकी टिप्पणी गम्भीर रूप से नहीं की गई है क्योंकि मेरे विचार से अध्यक्ष पीठ के लिये ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : प्रत्येक समस्या को ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इससे मैंने कोई अनुचित टिप्पणी नहीं की है।

सभापति महोदय : परन्तु अध्यक्ष पीठ के प्रति ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिये। मेरे

विचार से अध्यक्षपीठ के प्रति यह कोई अच्छी टिप्पणी नहीं है क्योंकि यह अध्यक्षपीठ की ओर इंगित है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप एक सदस्य हैं और अध्यक्ष पीठ के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा कहने में क्या गलती है।

श्री सी० एम० स्टीफन : सभापति महोदया, संकल्प का क्षेत्र बहुत सीमित है और इस विषय में मैं भी बहुत सीमित रहूंगा। मैं आश्वस्त कराता हूं कि मेरे विचार इस संकल्प के क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे। इस संकल्प का मुख्य भाग यह है कि :

"यह सभा उक्त मामले में अपनाई गई प्रक्रिया पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करती है।"

वह प्रक्रिया क्या है जिसकी इस संकल्प में भर्त्सना करने का प्रयास किया गया है। मेरे विचार से यह प्रक्रिया अपनाई गई कि न्यायाधीश श्री वोहरा को पदोन्नत करने का निर्णय करने के पश्चात, सरकार के पहल करने और दिल्ली उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करने के पश्चात, सरकार ने न्यायाधीश के समक्ष अनिर्णीत मामले के निर्णय को ध्यान में रखकर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कराने में विलम्ब करने का निर्णय किया, इस संकल्प में इसी प्रक्रिया की अवहेलना की गई है।

मुझे न्यायाधीश की पदोन्नति के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। नाही न्यायाधीश के विरुद्ध मुझे कुछ कहना है। परन्तु सरकार ने जो यह प्रक्रिया अपनाई, अर्थात न्यायाधीश की पदोन्नति, जिसके लिये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सिफारिश की, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सिफारिश की, भारत के राष्ट्रपति ने जिसे मंजूर किया, को यह कहकर स्थगित रखा गया कि अनुच्छेद 217 के अधीन अधिसूचना 'किस्सा कुर्सी का' मामले पर निर्णय के पश्चात जारी की जायेगी। मेरे विचार से इस कारण से किया गया विलम्ब, असंवैधानिक, अवाँच्छित, लोकहित के विरुद्ध है तथा न्यायिक प्रक्रिया में कार्यपालिका का हस्तक्षेप है और इससे न्यायाधीश और निर्णय दोनों ही निश्पक्षता संदेहास्पद स्थिति में पहुंच गई है। संक्षेप में, प्रक्रिया के बारे में मेरा यही विरोध है और यही प्रक्रिया मेरे विचार में भी है।

मैं पांच बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं : (1) क्या यह थौंपा गया विलम्ब वांच्छित था ? (2) क्या यह विलम्ब लोकहित में था, (3) क्या यह विलम्ब संविधान के उपबन्धों के अनुकूल था, (4) क्या इस विलम्ब से न्यायिक प्रक्रिया में कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप नहीं हुआ, (5) क्या विलम्ब से न्यायाधीश और निर्णय की निश्पक्षता पर संदेह नहीं होता है। जिससे सम्पूर्ण कार्यवाही की स्वीकार्यात्मकता, विश्वसनीयता, निश्पक्षता और तटस्थता, का जिनसे कोई निर्णय लोगों को तथा अपराधी को स्वीकार्य होता है, हनन होता है।

यही पांच मुद्दे मैं उठाना चाहता था। सर्व प्रथम यह कि क्या विलम्ब वांच्छनीय था। श्री शांतिभूषण ने अपने वक्तव्य में इसके लिये एक यह कारण बताया है।

"यह महसूस किया गया कि जब तक मामले का निर्णय न हो जाये उनको पदोन्नत करना जनहित में नहीं है क्योंकि ऐसे किसी कदम से उनके स्थान पर आने वाले न्यायाधीश को

साक्ष्यों का फिर से परीक्षण करना आवश्यक हो जायेगा जिससे वादी, प्रतिवादी दोनों ही को असुविधा होगी।"

मैं नहीं जानता किस कानून के आधार पर उन्होंने ऐसी प्रक्रिया अपनाई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 326 के पढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि केवल नये न्यायाधीश के आने मात्र ही से, साक्ष्य को फिर से बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : क्या आप दिसम्बर, 1978 के संशोधन से पूर्व की धारा पढ़ रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह संशोधन से पहले की है। अतः इनका पहला मुद्दा समाप्त हो गया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह दिसम्बर के संशोधन के बाद की है। इसमें वर्ष 1978 का अधिनियम संख्या 45 भी जुड़ा है। अतः मेरा पहला मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है।

श्री शांति भूषण : जब उनके नाम की सिफारिश की गई थी तब यह उपबन्ध नहीं था।

श्री कंवर लाल गुप्त : अतः पहला मुद्दा समाप्त हुआ।

श्री सी० एम० स्टीफन : समाप्त हो जाता है फिर बन जाता है आप पहली 326 धारा का उद्धरण दे सकते हैं। यह संशोधन, इसके एक बहुत छोटे से भाग में हुआ है। आप मेरी गलती ठीक कर सकते हैं। मेरे पास मूल पाठ उपलब्ध है और इसमें वर्ष 1978 के अधिनियम संख्या 45 के द्वारा किया गया संशोधन भी जुड़ा है।

उसमें यह कहा गया है :

"जब कभी कोई जज या मजिस्ट्रेट..." संशोधन यह था कि मजिस्ट्रेट के स्थान पर 'जज' भी जोड़ा गया था। वही एकमात्र संशोधन था।

"जब कभी किसी जज अथवा मजिस्ट्रेट का किसी जांच अथवा सुनवाई करते हुए पूरे साक्ष्य अथवा उसके अंश को सुन लेने और दर्ज कर लेने के पश्चात् न्यायाधिकार क्षेत्र का प्रयोग समाप्त हो जाता है तथा उसके स्थान पर दूसरा जज अथवा मजिस्ट्रेट आ मजिस्ट्रेट उस जाता है तथा दूसरा जो उस न्यायाधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, वह जज अथवा साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकता है जो उसके पूर्वाधिकारी द्वारा दर्ज की गई है अथवा उसके पूर्वाधिकारी द्वारा आंशिक रूप से दर्ज की गई है अथवा स्वयं उसके द्वारा आंशिक रूप से दर्ज की गई है।"

बशर्ते कि, यदि वह आवश्यक समझता तो वह साक्षी को बुला सकता है और उस सबका पुनर्परीक्षण कर सकता है। इसलिए, इस धारा के अन्तर्गत जज के किये यह आवश्यक नहीं है कि वह साक्षी को बुलाए या अभियुक्त को इस बात का अधिकार नहीं लिल जाता कि वह साक्षी को बुलाए जाने की मांग करे। मेरे पास इस सम्बन्ध में यह पाठ है जिसे मैं पढ़ रहा हूं, जिसमें कि अभी शुद्धि की सम्भावना हो सकती है।

श्री शान्ति भूषण : दिसम्बर तक यह अनियार्य था।

श्री सी. एम. स्टीपन (इदक्की) : आप मुझे वह खास धारा बताएं जो दिसम्बर, 1976 अथवा 1978 में प्रवर्तन में था। वह आप मुझे बताइए।

चूंकि स्थिति यह थी इसलिए यह दलील माननं योग्य नहीं थी। यदि यह माने जाने योग्य भी हो, तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा। "क्या न्यायाधीश श्री वोहरा के सामने "किस्सा कुर्सी का" ही एकमात्र विचाराधीन मुकदमा था ? दूसरे मुकदमे भी उनके सामने थे। न्यायाधीश श्री वोहरा के सामने दूसरे फौजदारी मुकदमे भी विचाराधीन थे, जिनके सम्बन्ध में साक्ष्य पूरे नहीं हुए थे। 'किस्सा कुर्सी का' के मामले में ही खास बात क्यों ? आप कह रहे हैं कि 'किस्सा कुर्सी का' मुकदमा इस दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था कि साक्षियों तथा उन सभी को जो 'किस्सा कुर्सी का' मामले से सम्बन्धित हैं, असुविधा न हो। उस दृष्टि से कि असुविधा न हो, यह विशेष उत्सुकता दिखाई गई। दूसरे मुकदमों के बारे में क्या रहा ? दूसरे मुकदमे वहां नहीं थे इस एक खास मुकदमें के बारे में ही विशेष महत्व क्यों दिया गया ? यदि उस मुकदमे के सम्बन्ध में ही विशेष ध्यान दिया जाना है, तब आपको यह बात अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिए कि किसी भी जज को कभी भी पदोन्नत अथवा स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी पदोन्नति या स्थानान्तरण के समय सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट या जज के समक्ष कुछ मामले निश्चित तौर पर विचाराधीन होंगे। यदि वह मानदण्ड स्वीकार कर लिया जाता है, तब आप समूची न्याय व्यवस्था को पूरी तरह ठप्प कर रहे हैं। यह मुख्य बात है। इसलिए पहला मुद्दा जो मैंने उठाया है वह वास्तव में प्रासांगिक है। अब मैं और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। यह मार्गदर्शी सिद्धान्त बनने जा रहा है जिसका अर्थ होगा कि जब तक सारे मामले निपट नहीं जाते तब तक किसी की भी पदोन्नती नहीं की जा सकती ? तब वह कहेंगे: कि अब वह रोक यहां नहीं है। परन्तु पहले के मामले के बारे में क्या रहा ? क्या इसका अभिप्राय यह था कि कोई जज कभी भी उस समय पदोन्नत या स्थानांतरित नहीं किया गया जब एक मामला उसके समक्ष विचाराधीन था ? मैं पुनः इस बात पर जोर दे रहा हूं : उस खास मुकदमे के बारे में खास रवैया क्यों अपनाया गया ? मैं पुनः यही कहूँगा कि दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए बहुत ही आश्चर्यजनक बात मेरे सामने आयी है। जब न्यायाधीश वोहरा को उनके पहले वाले पद से— वह मजिस्ट्रेट जज या वैसा ही कोई पद था—सैशन जज के रूप में पदोन्नत किया गया—उनको जब वह पदोन्नति दी गई तो उस पदोन्नति आदेश में यह लिखा गया था कि 'किस्सा कुर्सी का' मुकदमा भी सुनवाई के लिए उनके सामने पेश किया जाएगा। मैं अपने मित्र से इस बात का अनुरोध करूंगा कि जो आरोप मैं लगा रहा हूं उसका वे खण्डन करें। नियुक्ति आदेश में, नियुक्ति आदेश पाठ, यह खास तौर पर रहा गया था, यद्यपि वह जिला या सैशन जज होने वाला हैं। तब उसमें कुछ बात नहीं है। पुनः, मैं 'किस्सा कुर्सी का' मामले पर आता हूं। मैं अब से 'कुर्सी' वाला ही कहूँगा।

सभापति : आप इसे मलयालम में कहें।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह 'कुर्सी' मुकदमा की भी न्यायाधीश श्री वोहरा द्वारा सुनवाई की जाएगी। इसलिए, शुरूआत करने के लिए न्यायाधीश वोहरा ने अन्य बहुत से मुकदमों के साथ

उस मुकदमे की सुनवाई की। न्यायाधीश वोहरा को सेशन जज बना दिया गया है और जब उसे सेशन जज बनाया जाता है तो एक खास बात का उल्लेख किया जाता है कि 'कुर्सी' मुकदमे की सुनवाई उसके द्वारा की जाएगी। उसके साथ लगाए गए चार टिप्पण और हैं (व्यवधान) वह 'कुर्सी' मुकदमे की खास तौर पर सुनवाई करेगा। और तब उसको हाई कोर्ट जज के रूप में उन्नत किए जाने की सम्भावना है, तब फिर 'कुर्सी' मुकदमा उनके सामने आता है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि वहां दूसरे बहुत से मुकदमे हैं, उन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन यह मुकदमा एक रोक है। केवल उस मुकदमे को ही निपटाया जाना है।

सभापति : कौन से मुकदमे को ?

श्री सी० एम० स्टीफन : 'कुर्सी' मुकदमे को। जब तक 'कुर्सी' मुकदमे को निपटा दिया नहीं जाता, न्यायाधीश वोहरा को उस स्थान तक समुन्नत नहीं किया जाएगा। मैं पूछता हूं, समूचे प्रश्न के सम्बन्ध में इस प्रकार का रवैया अपनाना क्या उचित है ? इसलिए, मैं कहना चाहूंगा कि यह भेदमूलक मुकदमा इस आशय में अतिक्रामक है कि मैं नहीं जानता कि इसके कानूनी पहलू क्या हैं—एक प्रकार से इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है जो हैं समान व्यवहार, कानून के समक्ष समानता ! अभियुक्त न्यायाधीश के सामने हैं। यहां एक विशेष अवसर पर विशेष मुकदमे को खास तरीके से किया जाता है और मुकदमे को खास ध्यान से निपटाया जाना है। सबके साथ समान व्यवहार नहीं किया गया। एक के साथ विशेष तौर पर व्यवहार किया जाता है, हो सकता है उससे उसको लाभ हो सकता है, उसके लिए हानिकारक भी हो सकता है। इससे अनुच्छेद 14 की मूल भावना का अतिक्रमण होता है। प्रख्यात संविधान शास्त्री श्री शान्तिभूषण किसी निर्णय को उद्धृत कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अनुच्छेद 14 के तरह यह नहीं आएगा। लेकिन यह अनुच्छेद 14 की भावना का निश्चित तौर पर अतिक्रमण करेगा। एक न्यायाधीश के समक्ष अनेक अभियोक्ता हैं और वह उनमें से एक अभियोक्ता को छांट लेता है और उसके साथ एक खास व्यवहार करता है। यह विशेष व्यवहार दूसरे अभियोक्ता को उपलब्ध नहीं है—मेरे कहने का मतलब है कि खास तौर एक का ध्यान रखा जाना। उस खास अभियुक्त का वह खास ध्यान रखा गया ताकि उसके गवाहों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, अभियोगपक्ष के गवाहों को असुविधा न हो ? एक खास मुकदमे में खास अभियुक्त को विशेष महत्व दिया जाना अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण है। इससे अनुच्छेद 14 की भावना का अतिक्रमण हो चुका है। यही है जो मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं कहूंगा कि आपकी यह दलील सही नहीं बैठती तब प्रश्न यह है : क्या इसमें हुआ विलम्ब सार्वजनिक हित में था ? हमें स्मरण रखना होगा कि इस न्यायाधीश की नियुक्ति का मामला संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत आता आता है। अनुच्छेद 224 का कब प्रयोग होता है ? जब आप अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हों। अनुच्छेद 224 (1) में कहा गया है :

> "यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण अथवा उसमें काम की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए तो राष्ट्रपति सम्यक्रूपेण अर्द्ध व्यक्तियों

को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी कालवधि के लिए, जैसी कि वह उल्लेखित करे, उस न्यायालय के ऊपर न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त कर सकेगा।"

इस न्यायाधीश को एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। स्पष्टत: यह अनुच्छेद 224 क तहत आता है। नियुक्ति को उस तथ्य द्वारा उचित ठहराया गया कि वहां बकाया काम हैं, कि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पड़े कार्य को देखते हुए इस बात की मांग हुई कि अस्थायी अवधि के लिए एक न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए चार पाँच न्यायाधीश स्वीकृत किए गए हैं। नियुक्ति एक सप्ताह में की जानी है। वहां पांच न्यायाधीशों के करने के लिए पर्याप्त कार्य है और दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाही शुरू करता है। वह मांग करता है कि एक नियुक्ति की जा सकती है। वह इस सम्बन्ध में सिफारिश करता है। यह कार्यवाही अधिकारी के पास आता है, कार्यकारी अधिकारी इसे आगे भेजता है, सारे मामले को रोक देता है। कितने समय के लिए रोका जाता है—यह सिर्फ भगवान् ही जाने। जब तक 'कुर्सी' का मुकदमा पूरा नहीं कर दिया जाता। इसके लिए कोई निर्दिष्ट अवधि नहीं है। केवल उस समय तक जब तक 'कुर्सी' मुकदमा पूरा किया जाता है? यह नियुक्ति नहीं की जाएगी, पूर्णत: रुकी रहेगी। और उसके बाद क्या होगा? केवल एक न्यायाधीश ही नहीं, क्योंकि यह न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है, दूसरे न्यायाधीश भी नियुक्त नहीं किए गए हैं। बढ़ते हुए बकाया काम के साथ न्यायालय में एक अनिश्चित अवधि के लिए थे स्वीकृत पद रिक्त बने रहेंगे और निपटाया जाने वाला सारा कार्य ठप्प हो जाएगा। क्या यह सार्वजनिक हित में हैं? क्या यह अनुच्छेद 224 की भावना के अनुरूप है। क्या एक अकेले मुकदमे में ऐसा किया जाना है? क्या यह अपेक्षित था? यह पूर्णत: सार्वजनिक हित के विपरीत है।

इस मामले के व्यक्तिगत पहलू पर दृष्टिपात कीजिए। मेरे दोस्त श्री शान्ति भूषण ने न्यायाधीश श्री वोहरा को एक बहुत अच्छा प्रमाण पत्र दिया है, मेरा उससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है। वह कहते हैं—

"श्री वोहरा का अच्छा रिकार्ड रहा है, और उनको नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रत्येक दृष्टि से सही था। इसीलिए इसको राष्ट्रपति द्वारा द्वारा स्वीकृत किया गया था।"

यहां न्यायाधीशों के लिए पर्याप्त काम है, यहां पूरी तरह सक्षम न्यायाधीश है, एक शानदार रिकार्ड रखने वाला न्यायाधीश। इस नियुक्ति की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सिफारिश की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसको अनुमोदित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया है। कार्य किये जाने की प्रतीक्षा हो रही है परन्तु नियुक्ति नहीं की गई है और उसके परिणामस्वरूप चार और नियुक्तियों में विलम्ब किया जा रहा है। काम इकट्ठा होता गया, यह एक पहलू है। एक योग्य न्यायाधीश को उस स्थान पर नियुक्त नहीं किया गया, इसलिए नहीं कि उसका कोई दोष था, बल्कि इसलिए कि वह अत्यधिक अच्छा था। सरकार को दृष्टि में, वही एकमात्र व्यक्ति था जो 'कुर्सी' मामले को निपटा सकता था। इसलिए, उसे वहां रहना था। अपनी श्रेष्ठता के कारण और सरकार के इस विश्वास के कारण कि संभवत: कोई दूसरा

'कुर्सी' मामले में इतना बेहतर कार्य नहीं कर पाएगा, उसे अनिश्चित समय तक वहां रहना था, और नौकरी में उस व्यक्ति को उस पद का पदभार ग्रहण करने के अवसर में विलम्ब किया जाता है जिसके लिए कि उसको पदोन्नत किया गया है। क्या यह सार्वजनिक हित में है ? यह सम्पूर्णतः सार्वजनिक हित के प्रतिकूल है। यह वह दूसरा मुद्दा है जो मैं बताना चाहता हूँ।

तीसरी बात यह है कि क्या यह संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप था ? मैं अनुच्छेद 217 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसके अनुसार एक खास तरीके में नियुक्ति को प्रभावी बनाया जाना होता है। इसमें कहा गया है :

> "भारत के मुख्य न्यायाधिपति से, उस राज्य के राज्यपाल से तथा मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्या न्यायाधिपति से परामर्श करके राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा..."

सारी प्रारम्भिक कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं, परामर्श हो चुके हैं, अनुमोदन हो चुके हैं और अंततः वे क्या निश्चय करते हैं ? वे निश्चय करते हैं कि नियुक्ति सीधे की जा सकती है परन्तु उसकी अधिसूचना रोकी जा सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि यह इस धारा की भावना के विपरीत है जो इस बात को आवश्यक ठहराती है कि पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। मैं यह प्रश्न उठा रहा हूँ। जब एक बार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सम्बद्ध राज्य वे राज्यपाल के परामर्श से यह एक निर्णय लिया गया है कि पद पर नियुक्ति की जानी है और इस प्रकार के एक व्यक्ति की नियुक्ति की जानी होती है, क्या यह संविधान के अभिप्राय के अनुरूप है कि नियुक्तिपत्र का मामला अनिश्चित काल के लिए रोक दिया जाता है। इस मामले में यह सिर्फ पांच या 6 महीने रोका गया है, परन्तु बेतुके ढंग से दलील पेश करना, क्या यह संविधान की भावना के अनुरूप होगा कि आप किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने का निश्चय करें और पांच या दस सालों तक उसके नियुक्ति पत्र को रोके रखें, यदि छः महीने के लिए नियुक्ति पत्र को रोके रखना उचित है तो फिर पांच वर्ष के लिए उसे रोके रखना भी समान रूप से कानूनी तौर पर यह उचित है, दस वर्ष के लिए रोके रखना भी समान रूप से कानूनी तौर पर उचित है। मुख्य न्यायाधीश और प्रत्येक सम्बद्ध व्यक्ति के साथ आपका विचार विमर्श पूरा हो चुका है, नियुक्ति पर निर्णय पूरा किया जा चुका है, परन्तु आप दस साल बाद नियुक्ति पत्र जारी करते हैं। कड़े शब्दों में कहा जाए तो आपको नए सिरे से परामर्श करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्या यह संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है कि परामर्श, निर्णय और नियुक्ति पत्र का मामला एक संविदा होनी चाहिए, एक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए ? मैं परामर्श और नियुक्त करने के निर्णय में कुछ समय लग जाने को समझ सकता हूँ, किसी तरह उसको नियुक्त करने का निर्णय न करते हुए प्रत्येक सम्बद्ध व्यक्ति से विचार विमर्श किए बिना सारे मामले को आपके द्वारा अपने तक रखे जाने को भी मैं समझता हूं, परन्तु आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास जाने का कदम उठाते हैं, आप उच्चतम न्यायालय तक जाने का कदम नहीं उठाते। आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास गए, उसके साथ विचार विमर्श किया। मुख्य न्यायाधीश और आपके मध्य एक समझौता हो गया। श्री शान्ति भूषण कहते हैं,

"दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनके साथ मैंने इस विषय पर विचार विमर्श किया, इस दृष्टिकोण से सहमत हो गए कि जब उस विशेष उपस्थिति में प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता था, वास्तविक अधिसूचना 'किस्सा कुर्सी का' मुकदमे का समापन होने तक रोकी जा सकती थी।"

श्री विनोद भाई सेठ (जामनगर) : वह सार्वजनिक हित में था।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह जनता पार्टी के हित में हो सकता है। क्या यह आपके लिए उचित है? आपने प्रत्येक वस्तु, सिफारिशें और अन्य प्रत्येक वस्तु एकत्रित की क्या कानून मंत्री के लिए यह उचित था कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिलने और उस एक मुकदमें के विशेष सन्दर्भ में उसके साथ विचार-विमर्श करें जो कि उनके अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायालय में विचाराधीन है? क्या यह आपके लिए उचित है? यह पूरी तरह एक भिन्न प्रभाव क्षेत्र है। विधि मंत्री एक न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एक मुकदमे के प्रभावक्षेत्र में कैसे जा सकते हैं? आप मुकदमा सौंपते हैं, आप मुख्य न्यायाधीश के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि 'कुर्सी' मुकदमा विचाराधीन है और उसमें कठिनाई हो जायेगी यदि कोई दूसरा जज आ जाता है। इसलिए इस पर जोर मत दीजिए कि वह व्यक्ति पदोन्नत किया जा सकता है।" और वे उससे सहमत हो गए। आप कहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश इस बात से सहमत हो गए कि मामले को विचाराधीन रखा जा सकता है। परन्तु मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि निर्णय लिया जा सकता है। निर्णय लिया गया है कि मुकदमा विचाराधीन रखा जा सकता है। आपने भारत के मुख्य न्यायाधीश से सम्पर्क क्यों नहीं किया? यदि नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जानी थी और यदि आपने उस समय उनसे परामर्श किया था जब आपने घोषणा या नियुक्ति पत्र जारी करने में देरी करने का निश्चय किया, तब आपने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श क्यों नहीं किया? उसे इससे अलग रखा गया। आप दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श करते हैं, किसके सीधे अधिकार क्षेत्र के तहत यह विशेष न्यायाधीश कार्य करता है। आप उसे इस खास मुकदमे के बारे में बताते हैं। एक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मुकदमे के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ आपको किस कार्य का उल्लेख करना था? एक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एक विशेष मुकदमे से कानून मंत्री किस तरह सम्बन्धित हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ उस मुकदमे के सम्बन्ध में विचार विमर्श करते हुए क्या आप समुचित तरीके से कार्य कर रहे थे? आप उस मुकदमे के सम्बन्ध में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श करते हैं। आपने यह नहीं कहा होगा कि "आप निर्णय लिखते हैं।" आपने उस मुकदमे में काफी दिलचस्पी दिखाई। आपने कहा, "यदि आप न्यायाधीश वोहरा को पदोन्नत करने जा रहे हैं तो इस विशेष मुकदमे में गवाहों को फिर से बुलाना होगा, मामले में देरी करनी होगी, असुविधा उत्पन्न हो जाएगी, मामले को जल्दी निपटाया नहीं जा सकेगा।" आपने एक खास मुकदमे के बारे में विचार विमर्श किए हैं। क्या भारत के कानून मंत्री के लिए यह उचित है कि वह एक अधीनस्थ न्यायालय में निपटाये जाने के लिए विचाराधीन एक मुकदमे के विशेष

सन्दर्भ में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करें ? यह ऐसी बात है जहां आपने पूरी तरह गलती की।

मेरा निवेदन है, जब निर्णय ले लिया जाता है, तो किसी तरह भी समय की चूक को न्याय-संगत नहीं ठहराया जा सकता है। मैं पुनः उस बात को दोहराता हूं, आप फाइल को अपने साथ रख सकते थे, आप सही समय आने पर निर्णय ले सकते थे। परन्तु आपका यह कार्य बिना प्रयोजन के नहीं था और इसलिये ही आप समूची कार्यवाही को बिगाड़ देना चाहते थे।

(श्री एम० के० शेजवालकर पीठासीन हुये।)

इसलिए इस सारी प्रक्रिया में, आपने भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़ दिया, आपने अनुच्छेद 217 की भावना का अतिक्रमण किया। आपने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ एक समझौता किया। उन्होंने आपके साथ मुकदमे के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया और आपने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श के लिए एक मुकदमा उठाया। कौन जानता है कि यह उसके समक्ष अपील के लिए नहीं आएगा ? क्या यह विचार-विमर्श करना आपके लिए उचित था ? इस प्रकार आपने संवैधानिक व्यवस्था में बाधा डाली। अब आपके विवरण में जो हमारे समक्ष है, आपने भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री के नाम जाते हैं और कहते हैं कि आपने सभी की अनुमति प्राप्त कर ली थी।

किस लिए ? 'कुर्सी' मुकदमा के लिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री हरेक का नाम 'कुर्सी' मुकदमे में आता है।

एक चीज को निपटा देने के बाद, उनमें से अधिकांश पर पुनः दोषारोपण कर दिया जाता है। जस्टिस वोहरा की कुछ समय के लिए बिल्कुल उपेक्षा कर दी जाती है ताकि 'कुर्सी' मुकदमे में एक उचित निर्णय लिया जा सके। क्या यह उसके साथ व्यवहार करने का तरीका है ? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नियुक्ति अनुच्छेद 217 की भावना के अनुरूप नहीं थी। यह बहुत स्पष्ट है। मैं इस बात को दुहरा रहा हूं कि यदि नियुक्ति पत्र को जारी करने में छः महीने की देरी की अनुमति दिए जाने योग्य है, तो नियुक्ति के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाने में 10 वर्ष की देरी भी कानूनी रूप से अनुमति दिए जाने योग्य है, यदि वह कानूनी तौर पर अनुज्ञेय, नैतिक रूप से कल्पनीय, ठीक रूप से स्वीकरणीय और कानूनी तौर पर जारी रहने योग्य नहीं है, तो छः महीने की अवधि के लिए इसमें विलम्ब करना भी न तो कानूनी तौर पर और न नैतिक दृष्टि से स्वीकरणीय या जारी रखने योग्य नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 217 का अतिक्रमण किया गया है।

चौथी दलील यह है कि आपने सही न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि किस तरह ऐसा किया गया। इसका परिणाम क्या रहा ? जो परिणाम आपने निकाला, वह है, न्यायाधीश वोहरा एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। उससे कह दिया गया है, "कानून में ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें बाध्य कर सकेगी।"

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : अब आप असली मकसद पर आ रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : कोई वास्तविक मकसद बिल्कुल नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि प्रस्ताव की परिधि के भीतर कैसे रहा जाए। मैं इस सम्बन्ध में अत्यन्त सजग हूं।

यह प्रयोजन हीन नहीं था कि आपने निर्णय लिया और उसकी घोषणा करने में देरी कर दी। आपने निर्णय की घोषणा करने में देरी जस्टिस बोहरा से यह कहने के लिए की "यहां एक प्रलोभन है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको पदोन्नत करने के लिए हमें बाध्य करती हो क्योंकि न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने की आवश्यकता नहीं, यद्यपि ऐसा रिवाज है, हम कर सकते हैं, हम इसका अतिक्रमण भी कर सकते हैं, तो भी यहां यह निर्णय है, निर्णय को कार्यान्वित किया जाएगा,—कब, कैसे और यदि—जब कभी और यदि निर्णय दिया जाता है बताए हुए तरीके से इसे दिया जाना है।" प्रलोभन उसके सामने रख दिया जाता है। "यह आपकी पीठ है। आप इस 'कुर्सी' मुकदमे का निपटान कीजिए, आपको वह कुर्सी मिल जाएगी। वह कुर्सी उसके लिए रोकी गई है। आप उस कुर्सी तक जा सकते हैं। आप जल्दी वहां जाना चाहते हैं तो इसे तुरन्त निपटा दीजिए। आप देर से उस मामले को निपटाते हैं तो कुर्सी पाने में भारी विलम्ब होगा। एक सही तरीके से इसका निपटान कर दीजिए। यहां आपको दिया गया एक निर्णय है, लेकिन वह उसे उपलब्ध नहीं कराया गया। यह आपको तभी उपलब्ध कराया जाएगा जब आप एक सही तरीके से काम को पूरा कर दोगे—अविलम्ब निपटान।" आप शीघ्र निपटान के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक गए। उसके लिए, यह उसको दिखा दिया गया है। क्या यह कार्य करने का यह सही तरीका है? एक न्यायाधीश से अनेक प्रकार से यह कहा जा रहा है कि कार्यकारी अधिकारी इसमें रुचि ले रहे हैं, कानून मंत्री रुचि ले रहे हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रुचि ले रहे हैं, राष्ट्रपति ने इस तरीके को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और 'कुर्सी' मुकदमा ऐसा मुकदमा है जिसमें राष्ट्रपति से लेकर उसके नीचे तक देश के उच्च अधिकारी, हरेक कोई रुचि ले रहा है। वह आपके लिए उचित होता कि सुनवाई कर सके न्यायाधीश को निर्देश देते। क्या मैं श्री शान्तिभूषण को बता सकता हूं कि यदि सुनवाई कर रहे जज को इस प्रकार की रुचि जाहिर करते हुए कोई निर्देश दिया जाता है, तब कोई भी आत्मसम्मान वाला न्यायाधीश तुरन्त यह कह देता : "मुकदमे को मेरे पास से ले जाइए मैं उस पर कार्य नहीं करूंगा।" यदि उसके सम्मुख विचाराधीन पड़े किसी मुकदमे के सम्बन्ध में कोई उल्लेख किया जाता है, एक आत्मसम्मान वाला न्यायाधीश तुरन्त कहेगा—"मैं इस मुकदमे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यह किसी दूसरे के पास स्थानान्तरित कर दीजिए।" यहां काफी कुछ कहा जा चुका है, दिखाया जा चुका है और उसे यह कहने के लिए काफी कुछ प्रदर्शन किया जा चुका है कि य 'एक मुकदमा नहीं है, परन्तु यह 'मुकदमा' है। यह उससे कहा गया था और इस मुकदमे पर उसका भविष्य निर्भर होगा, यह भी कहा गया। उसने इस बात को महसूस किया और तदनुसार कार्य किया। मैं न्यायाधीश वोहरा पर लांछन नहीं लगा रहा हूं। परन्तु आपने इस प्रक्रिया का आश्रय लेकर देश में न्याय व्यवस्था की प्रतिष्ठा और निष्पक्षता के सम्बन्ध में अपराधिक कार्य किया है, जिसके द्वारा आपने न्यायाधीश और निर्णय को संदेहास्पद बना दिया। एक कार्य जो साधारण रूप में किया जा सकता था, आपने उसे सन्देहास्पद बना दिया और आपने उस आधार को ही पूर्णतया नष्ट-भ्रष्ट कर दिया जिस पर कि उस देश की न्याय

व्यवस्था का ढांचा समुन्नत किया जा सकता था। यह बात यहां इसलिए कही जा रही है कि मैं इस प्रक्रिया पर प्रहार कर रहा हूं, इसका विरोध कर रहा हूं। मूलतः श्री साठे ने मुझ से कहा था कि श्री राम जेठमलानी या किसी अन्य ने कहा है : "निर्णय मेरी जेब में है।" यह एक अनुशासन-हीन वक्तव्य था और इसकी उपेक्षा कर दी गई होती। अपने स्पष्टीकरण से आपने उसको एकांगी (पक्षपातपूर्ण) बना दिया। कोई व्यक्ति जो एक मुकदमे को निपटा रहा है, उसे पदोन्नति मिल रही है तो इसमें गलत कुछ नहीं है, परन्तु अब आपने स्वयं आगे बढ़कर ऐसी बहुत सी बातें कही हैं। जिन्होंने इस तरह के अनेक प्रश्न खड़े कर दिए, आपने जो वक्तव्य हमारे समक्ष दिया है उससे अनेक सवाल खड़े होते हैं। इसने सारी स्थिति को विकृत बना दिया है। इसलिए, मैं अपनाई गई प्रक्रिया पर प्रहार कर रहा हूं, उसका विरोध कर रहा हूं।

इस देश की न्यायिक प्रक्रिया में यह एक काला अध्याय है। यह आपके द्वारा उठाया गया एक गलत कदम है। मैं इस मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श में अनुपयुक्तता का आरोप आप पर लगाता हूं। मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आपने बहुत से मुकदमों में जो इस देश के जजों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष विचाराधीन थे, मुकदमे में खास दिलचस्पी लेने की अनुपयुक्ता दिखाई। मैं आप पर एक मुकदमा चुनकर उसको एक विशेष व्यवहार देकर धारा 14 के उल्लंघन का आरोप लगाता हूं। मैं आप पर न्याय व्यवस्था और संदेहास्पद बना कर इसकी प्रतिष्ठा को नष्ट-भ्रष्ट करने और इसकी सम्मानीयता और प्रतिष्ठा को समाप्त करने का आरोप लगाता हूं। मैं आप पर नियुक्ति के मामले में अपनाई गई प्रक्रिया द्वारा धारा 217 के उल्लंघन का आरोप लगाता हूं। मैं इस सम्बन्ध में आप पर सार्वजनिक हितों का उल्लंघन करने का आरोप लगाता हूं कि 'किस्सा कुर्सी का' के सम्बन्ध में अपनी नीयत को पूरा करने के प्रयोजन से दिल्ली उच्च न्यायालय में ले जाए जाने के लिए कुछ महीनों तक बकाया काम बढ़ने दिया और पांच पदों को रिक्त रखा ताकि इस मुकदमे का निपटान किया जा सके।

सार्वजनिक हितों के व्यापक उल्लंघन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस आचरण द्वारा भारत के विधि मंत्री ने इस देश की न्यायव्यवस्था पर अत्यधिक क्षोभकारी, निर्ममतम और क्रूरतम प्रहार किया है और यही आधार है जिस पर कि सारी प्रक्रिया में अपनाए गए तौर तरीकों पर प्रहार करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव को सदन की स्वीकृति के लिए सौंपता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्तुत पारित हुआ :

"जिन परिस्थितियों में "किस्सा कुर्सी का" मामले में फैसला सुनाये जाने के बाद श्री ओ० एन० वोहरा की पदोन्नति हुई, उनके संबंध में 6 मार्च, 1979 को सभा में श्री शांति भूषण, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात यह सभा उक्त मामले में अपनाई गई प्रक्रिया पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है।"

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, मैंने विरोधी दल के नेता तथा अपने मित्र की बात को ध्यानपूर्वक 45 मिनट तक सुना। 45 मिनिट तक ध्यान से सुनने के बाद मैं

इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनके पास कोई मामला नहीं है । वह इस प्रकार एक तिल का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक मामला बनाने का प्रयास किया तथा विधि मंत्री के ऊपर भी अभियोग लगाने का प्रयास किया। लेकिन मैं यही कहूंगा कि वह ऐसा करने में असफल ही नहीं रहे हैं बल्कि बुरी तरह असफल रहे हैं ।

उनका इरादा न्यायाधीश को बदनाम करना, न्यायपालिका को निरुत्साहित करना, तथा जनता को यह बताना था कि यह सरकार देश का शासन चलाने योग्य नहीं है तथा यह सरकार देश का प्रशासन भी अच्छी तरह नहीं सम्भाल सकती है तथा जनता के मन में यह भ्रम पैदा करना था कि न्यायपालिका उसी प्रकार कार्य कर रही है जैसे वह आपातकाल में कार्य कर रही थी। वे हमें भी उन जैसा समझते हैं। यह उनका इरादा है ।

जब विधि मंत्री श्री शांति भूषण ने अपना वक्तव्य दिया, तो मैं यह बतलाऊं कि श्री साठे ने भी उसी के आधार अपना वक्तव्य दिया था । इस प्रस्ताव का वास्तविक उद्देश्य यही है ' अन्यथा कोई मामला नहीं है । प्रत्येक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है । मैं उन सब बातों को पढ़कर सुना कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता । न्यायाधीश की नियुक्ति से सम्बन्धित संविधान में निर्दिष्ट प्रत्येक अनुच्छेद का पूरी तरह पालन किया गया है । भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श ले लिया गया है, राष्ट्रपति का परामर्श ले लिया गया है । प्रत्येक प्रकिया का पालन किया गया है। फिर भी मेरे मित्र का कहना है कि अपनायी गयी प्रक्रिया गलत थी ।

1 मार्च, 1979 को विशेष अदालत विधेयक पर चर्चा के दौरान किस्सा कुर्सी का जिक्र किया गया । उस संदर्भ में आदरणीय श्री साठे ने एक टिप्पणी की थी कि दिल्ली के जिला तथा सत्र न्यायाधीश को उस मामले को देखने के लिये एक आश्वासन दिया गया था कि यदि आप अपराधी को पकड़वा देते हैं तो आपको दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जायगा ।

यह श्री साठे का वास्तविक उद्देश्य है तथा यह आपका भी वास्तविक उद्देश्य है । जब आप यह कहते हैं कि न्यायाधीश अंधकार में है, समस्त न्यायपालिका अंधकार में है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आप यह देखना चाहते हैं कि जनता का विश्वास न्यायपालिका में न रहे। आप हमसे भी वही काम कराने की आशा रखते हैं जो आपने आपातकाल के दौरान किये । मैं कहता हूं कि हम ऐसे कार्य नहीं कर सकते । आप असफल हो चुके हैं तथा बुरी तरह असफल हो चुके हैं । यहां प्रक्रिया का पालन पूरी तरह किया गया है। उसका कहना है कि अधिसूचना के जारी करने में विलम्ब हो गया था क्योंकि वह "किस्सा कुर्सी का" मामले की पैरवी कर रहे थे। श्री स्टीफन मेरे एक अच्छे मित्र हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था। अब भी दिल्ली उच्च न्यायालय में पद खाली पड़े हैं । इसमें विलम्ब किया जा सकता था, इस प्रक्रिया को आरम्भ करना आवश्यक नहीं था। आरंभ करने के पश्चात भी प्रक्रिया में विलम्ब किया जा सकता था। लेकिन प्रक्रिया की शुरूआत समय पर की गयी तथा यह समय पर ही पूरी हो गयी । इससे इस बात का साफ-साफ पता लगता है कि कोई गलत इरादा नहीं था । इसके पीछे यह विचार था कि मामला बहुत आगे बढ़ी हुई स्थिति में था, यह एक या दो महीने में पूरा होने वाला था, इसलिये

जो न्यायाधीश इस मामले में दो साल से काम कर रहा था उसे इसे पूरा करना चाहिए था। इतनी ही बात थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। यदि आप इससे ज्यादा कोई बात सोचते हैं तो मैं केवल यही कहूंगा कि आपको भी अपने नेता की तरह ऐसा करने की आदत है तथा आपको अपनी नेता की इच्छानुसार कार्य करना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य : वह स्वयं नेता हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : जहां तक हमारा सम्बंध है वह विपक्ष के नेता हैं। लेकिन उनका उनसे भी ऊपर एक नेता है। उनके इशारों पर उसे नाचना पड़ता है तथा वह नाच रहे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके नेता के बारे में क्या है, श्री देवरस ?

श्री कंवर लाल गुप्त : श्री देवरस कठघरे में नहीं हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके सुपुत्र ही कठघरे में हैं। कांग्रेस पार्टी की फूट, आन्दोलन, साथ साथ चल रही इन समस्त बातों को इस प्रस्ताव द्वारा लाना एक पूर्व नियोजित, पूर्व-निर्धारित षड्यंत्र है जिसे इन सब मामलों को राजनैतिक रंग देने तथा विश्व को यह बताने के लिये किया गया कि सुपुत्र तथा मां दोनों नादान हैं तथा जनता पार्टी एक बदले की भावना वाला दल है। प्रयास यह है। यह प्रस्ताव भी उसी प्रयास का एक अंग है। यह पूर्व निर्धारित तथा पूर्वनियोजित है। क्या यह न्यायपालिका को बदनाम करने तथा इसे भ्रष्ट करने तथा इससे विश्वास उठाने के लिये नहीं था। वह आपका प्रयास था। आप जनता को यह बताना चाहते हैं कि जनता सरकार, जो कानून पर चलने का दावा करती है, उसके राज्य में भी न्यायपालिका एक सरकारी विभाग है। यह ऐसा नहीं है।

आपातकाल के दौरान क्या हुआ ? मैंने एक रिट याचिका दायर की थी। श्री स्टीफन इसके बारे में जानते हैं। मैंने उनको बतलाया था, वह मेरे एक अच्छे मित्र हैं। मैं बीमार था और मेरा इलाज नहीं किया गया। मैंने उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की। मेरे एक मित्र थे जो मेरी ओर से न्यायालय में उपस्थित हुए। मेरी तरफ से कोई भी वकील जाने के लिये तैयार नहीं था। केवल मेरे एक मित्र ही न्यायालय में उपस्थित हुए। लेकिन जिस दिन वह न्यायालय में गये उसी दिन शाम को एक वारंट 'मीसा' के अन्तर्गत उन्हें भेजा गया। दूसरे दिन जब मैं न्यायालय में पहुंचा, वह वहां नहीं थे। मुझे बताया गया कि उसके विरुद्ध मीसा वारंट जारी किया गया था तथा उससे क्षमा याचना के लिये कहा गया था उससे यह भी लिखित में देने के लिये कहा गया कि वह श्री गुप्त की ओर से न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे। केवल यही गलती थी। मेरी केवल एक ही दलील दी कि मुझे केवल इलाज कराने की इजाजत दी जायें। न्यायाधीश ने मुझे इलाज कराने की इजाजत दे दी।और क्या परिणाम निकला ? न्यायाधीश को दिल्ली से उड़ीसा मेंत स्थानांतरि कर दिया गया। यही नियम है जिसके अनुसार आप कार्य करते रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : आप हमारी नकल करना चाहते हैं ?

श्री कंवर लाल गुप्त : यही नियम है जिसके अनुसार आप काम करते रहे हैं। आप उन्हीं

आंखों से हर वस्तु को देखते हैं। शायद आप अपना चेहरा शीशे में देख रहे हैं। क्या यह सत्य नहीं है ? हम इस प्रकार की बातों में विश्वास नहीं करते। हमने आपको, जो भी आपके पास साक्ष्य हों, प्रस्तुत करने के लिये अनुमति दी है। क्या हमने ऐसा नहीं किया ? हम आपको, आपके ही द्वारा बनाये गये 'मीसा' के अन्तर्गत ला सकते थे। हमने ऐसा नहीं किया। और आप यह कहते हैं कि काफी दमनचक्र चल रहा है, मीसा अब भी लागू है, जनता को परेशान तथा गिरफ्तार किया जा रहा है आदि आदि। भांति भांति के दोष लगाये जा रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : अब गृह मंत्रालय पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा प्रस्ताव पर चल रही है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने कई मुद्दों को उठाया है। मुद्दा-1, 2, 3, 4 तथा 5 इन मुद्दों का उत्तर दीजिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : मामले में और देर करना जनता के हित में नहीं है। क्यों ? हमें जनता के हित में उस मामले में जल्दी से जल्दी निर्णय देना है। उस मामले में सारे देश की दिलचस्पी थी। और श्री संजय क्या कर रहे थे ? वह लोगों को खरीदने में लाखों रुपये व्यय कर रहे थे जिससे बहुत से साक्षी खिलाफ हो गये। यह सब हो रहा था, और आप उस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में जानते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने उसे एक महीने के लिये जेल में रखने के आदेश उच्च न्यायालय को दिया। यह केवल इसलिये किया गया कि वह गड़बड़ी पैदा कर रहा था। क्या यह सचाई नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन : उसके जेल में होने पर भी सभी साक्षी विरोधी हो रहे थे।

श्री कंवर लाल गुप्त : उनको पहले ही धनराशि दे दी गयी थी।

सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट में यह चीज थी कि इस केस को जल्दी खत्म किया जाता। अगर उस समय ही जज को बदल दिया जाता तो शायद और एक, डेढ़ साल लग सकता था। और यह चीज ही उनके सामने थी। इसके अलावा इनके मोटिव को चैलेंज करता, इंटेंशन को चैलेंज करना या यह कहना कि जज भी क्लाउड के अन्दर आ गया, यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और इसका तथ्य से कोई ताल्लुक नहीं है।

हमारे साथी ने यह कहा कि कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। कौन से कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। जो आर्टिकिल है उसमें दी हुई सब चीजों को उन्होंने फौलो किया है। जो डिले भी हुई उस चीज के बारे में भी चीफ जस्टिस से बात हो गई, प्रेसीडेंट से भी बात हो गई। प्रेसीडेंट के इलेक्शन में आपका भी साथ था। वह जनता पार्टी का चुना हुआ प्रेसीडेंट नहीं है। तो प्रेसीडेंट ने भी इसमें

स्वीकृति दी, चीफ जस्टिस ने भी स्वीकृति दी। अब चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट स्वीकृति देते हैं और आप दोष बताते हैं मंत्री महोदय का। जो आपने काम किया, जो आपका पेन है।

मैं आपके दर्द तथा पीड़ा को समझता हूं क्योंकि उस लड़के को सजा मिलनी चाहिये थी और वह उसे मिल गयी है। आपको उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। उच्च न्यायालय में जाइये, उच्चतम न्यायालय में जाइये। लेकिन आप यह सोचते हैं कि दो व्यक्तियों पर कानून लागू नहीं होना चाहिये। उनमें एक श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं तथा दूसरे संजय गांधी हैं। वे दोनों कानून से ऊपर हैं।

जहां तक जनता पार्टी का सवाल है, जनता पार्टी की निगाह में चाहे प्रधान मंत्री हो या तांगा चलाने वाला, दोनों कानून में समान हैं, कानून की निगाह में अलग अलग नहीं हो सकते। आपने प्रधान मंत्री के लिये अलग कानून बनाया था। आपने कहा था कि प्रधान मंत्री के लिए अलग कानून होगा और बाकी लोगों के लिए अलग कानून होगा। जनता पार्टी इन चीजों में विश्वास नहीं करती।

आपने जो अत्याचार किया, 20 महीने जो कुछ इन्दिरा जी ने किया, संजय गांधी ने किया, वह चीज अगर पीनल कोड में आती है, और आज उन पर अगर केस चलाया जाता है, तो उसमें आपको अधिकार है, आप भी लाइयर करें। एक-एक केस में 7,7 लाइयर आपके यहां से पेश होते हैं, यह पैसा कहां से आता है और कौन पैसा देता है, यह समझ में नहीं आता है।

तो इतना कुछ होने के बाद भी राइट आफ अपील है, आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार है। जब यह सब अधिकार है तो मैं नहीं समझता कि आप किसी एक जज को, जो बनाया गया है, उसके बारे में कुछ कहें।

अगर ज्यादा एरियर है तो एडीशनल जज बनाये जायेंगे। आज भी हाई-कोर्ट में बहुत केसेज हैं। मैं गलती नहीं करता, लेकिन शांति भूषण जी बतायेंगे कि अभी भी कई हाई कोर्ट के जज दिल्ली में और होने हैं। अगर इनकी नियत ठीक नहीं होती तो यह प्रासेस ही शुरू नहीं करते, यह तभी प्रासेस शुरू करते जब "किस्सा कुर्सी का" केस खत्म हो जाता। तब आपको कोई शिकायत नहीं होती। यह इनके हाथ में था यह प्रासेस को इतना लम्बा कर देते कि "किस्सा कुर्सी का" केस का फैसला होने के बाद उनको क्लीयरेंस मिलती। इसलिये स्टीफन साहब, आपका कोई केस नहीं है, लेकिन आपके अन्दर पीड़ा है, आपको बाहर से आदेश है, आपको नाचना है, नाचिये, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि यह सारी कोशिशें सिर्फ पोलिटिक्लाइज करने की हैं।

जब कांग्रेस के दो टुकड़े हुए, मैंने कहा था कि इन्दिरा जी दो टुकड़े करेंगी और स्वयं अध्यक्ष बनेंगी क्योंकि जब उनको सजा होगी तो अखबारों में यह आयेगा कि कांग्रेस का प्रैजीडैंट कन्विक्ट हो गया है। सो यह पोलिटिकलाइज करने की कोशिश है आपकी। इसीलिये इन्दिरा जी ने कांग्रेस को तोड़ा। आखिर में जब कांग्रेस की यूनिटी की बात हो रही थी, वह क्यों टूटी ? उन्होंने कहा कि आपको उन्हें और संजय गांधी को खुलेआम समर्थन देना होगा। अगर आप समर्थन

देने के लिये तैयार नहीं हैं तो आप हमारे साथ नहीं आ सकते। तो लोगों ने कहा कि हम नहीं आ सकते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह एक राजनैतिक भाषण दे रहे हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह एक राजनैतिक प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं है ?

मेरा कहना यह है कि यह पोलिटिकल रैज्यूलूशन है और इनका उद्देश्य यही है कि जुडिशियरी पर से फेथ जाय, सरकार पर से विश्वास उठे और इस चीज को पोलिटिकलाइज किया जाये और यदि इससे भी देश में कुछ न हो तो देश में बद-अमनी पैदा की जाये और लड़ाई गलियों तक जाये। इंदिरा जी ने कांग्रेस कमेटी में कहा है कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आहिस्ता-आहिस्ता गर्दन पर जब नैट चारों तरफ नजदीक होता जायेगा, तो घबराहट बढ़ती जाती है। स्पेशल कोर्ट बिल पास हुआ तो ऐसा लगा कि मार्शल-ला पास हो गया है। (**व्यवधान**)

अगर माननीय सदस्य एक महीना भी मीसा में बंद रहतीं—मैं नहीं चाहता कि वह रहें, मैं नहीं चहूंगा कि हिन्दुस्तान में मेरी कोई भी बहन मीसा में बन्द रहे, लेकिन अगर वह रहतीं—तो उन्हें पता लगता कि लोगों के साथ क्या व्यवहार किया गया है। जब इनके गले में चारों तरफ से फंदा आ रहा है, तो इस इस्यु को पोलिटिकलाइज करने और उसे गलियों में ले जाने की कोशिश की जा रही है।

मेरा कहना है कि जनता पार्टी उसमें विश्वास नहीं करती है। जनता पार्टी रूल आफ ला में विश्वास करती है। जनता पार्टी का विश्वास है कि हर एक कानून को माना जायेगा, आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० को पूरी तरह से माना जायेगा, उनकी कोई अवहेलना नहीं होगी, लेकिन चाहे इन्दिरा गांधी हो या मोरारजी भाई, तांगे वाला हो या रेढ़ी चलाने वाला, हर एक को एक ही निगाह से देखा जायेगा। जनता पार्टी इसमें भी विश्वास करती है कि हमें किसी के प्रति विंडिक्टिव नहीं होना चाहिए। हम विंडिक्टिवनैस की भावना से कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसे, जब साठ लाख रुपये वाले केस के बारे में कमीशन ने कहा कि उसमें इन्दिरा जी का हाथ नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि श्री मोरार जी देसाई का बयान दूसरा था। किसी कमीशन या अदालत का जो भी हुक्म होगा, जनता पार्टी उसे मानेगी।

मेरा कहना है कि हमारे मित्र भी उसे मानें। अगर वे सचमुच जुडिशरी में विश्वास करते हैं, जनता के नुमायंदों पर विश्वास करते हैं, जनता पर विश्वास करते हैं, तो वे इस तरह की बातों को छोड़ दें। अगर किसी ने कोई कुसूर किया है, तो उसे सजा मिलेगी, और हमारे मित्र उसको सजा होने दें।

मैं समझता हूं कि श्री शान्ति भूषण ने जो प्रोसीजर अपनाया है, वह बिल्कुल ठीक है और ऐसा कोई काम नहीं किया गया है, जिससे उस प्रोसीजर का वायलेशन हो। मेरे ख्याल से यह प्रस्ताव बाई इटसेल्फ अनकांस्टीट्यूशनल, अनवारंटिड, यूजलेस और मीनिंगलैस है और इसका कोई केस नहीं है। इस लिए मैं लीडर आफ दि आपोजीशन से प्रार्थना करूँगा कि अगर वह इस प्रस्ताव

को वापस ले लें, तो बहुत अच्छा होगा। मेरा विचार है कि इसमें कोई मामला नहीं है, इसलिये मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, इतने खराब मुकदमे की इतनी अच्छी पैरवी श्री स्टीफन ने की है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। जब कांस्टीचुएन्ट एसेम्बली में हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के विषय में चर्चा हुई थी, तो उसके सदस्यों में भी विचार-वैभिन्य था। उस समय डा० पी० एस० देशमुख ने कहा था :

> उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों का कार्य राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है तथा वह उनकी नियुक्तियां केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यों के राज्यपालों की सलाह से ही कर सकते हैं।

श्री पोकर साहब ने कहा था कि चीफ जस्टिस की अनुशंसा और राष्ट्रपति के अनुमोदन पर नियुक्ति होनी चाहिए।

अगर जज की नियुक्ति ठीक तरीके से नहीं होती है, तो उसकी इनटेग्रिटी भी एफेक्ट होती है और उसकी जजमेंट भी एफेक्ट होती है। श्री स्टीफन कहते हैं कि जजों की नियुक्ति के तरीके पर उनको एतराज है, मगर जज की ईमानदारी की तरफ उनका कोई इशारा नहीं है। जज के निर्णय का—"किस्सा कुर्सी का" के केस में जो भी निर्णय हुआ है, उसका—वह समर्थन करते हैं, क्योंकि संविधान उनको जज और जज के निर्णय पर कोई बात कहने की अनुमति नहीं देता है।

लेकिन उनको तो कुछ कहना था और उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा। संविधान की धारा 217 के उल्लंघन का ज़ो उन्होंने जिक्र किया है, कई बार उन्होंने उसके उल्लंघन का जिक्र किया लेकिन यह नहीं कहा कि उस धारा का कहां उल्लंघन हुआ है। 217वीं धारा इस प्रकार है—

> उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर तथा मुहरयुक्त वारंट जारी करके की जायेगी इसमें कौन से शब्द का उल्लंघन हुआ, यह उन्होंने नहीं बताया।

फिर उन्होंने कहा कि 14वीं धारा का उल्लंघन हुआ, यानी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो 14वीं धारा यह है—

सरकार भारत की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानूनी समानता या कानूनी समान सुरक्षा देने से इन्कार नहीं करेगी। तो यह कहा किस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, यह उन्होंने नहीं बताया। मुझे तो ऐसा लगता है कि संविधान की धारा का अगर हमारी सरकार ने उल्लंघन किया होता तो वह सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते कि यह अप्वाइंटमेंट गलत हुआ है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। संवैधानिक गलती हुई है तो उसके लिए हमने संविधान का द्वार और न्यायपालिका का द्वार बन्द नहीं किया है। सचमुच में जब हम एप्वाइंटमेंट की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की तो यह बहुत महत्व रखता है। यह बात ठीक है कि—

न्याय की समानता पर न्यायाधीश के व्यक्तिगत गुणों का काफी प्रभाव पड़ता है। इसलिए न्यायाधीशों के चयन करने की विधि का बहुत महत्व है।

तो कौन सा मेथड जो संविधान में दिया हुआ था उसका उल्लंघन हमारी सरकार ने किया ? (व्यवधान)

स्टीफन साहब ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको तो यह ऐसा लगता है अपने बैकग्राउन्ड में उनकी अपनी जो पूर्व पीठिका है उसी में वह इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री मधुदंडवते जी ने एक हाफ एन अवर डिक्कशन उठाया था, उसका थोड़ा सा अंश मैं पढ़ना चाहता हूं।

"श्री कुलदीप नायर की "न्यायाधीशों के "अधिक्रमण" नामक पुस्तक के पृष्ठ 32 पर एक बहुत ही रोचक पाद टिप्पणी दी गयी है। पाद टिप्पणी में इस प्रकार कहा गया है :

> शपथ ग्रहण समारोह के समय श्री कुमारामंगलम न्यायाधीश श्री रे के पास गये और उनको मजाक के तौर पर कहा ! ऐसे पद राजनैतिक सेवाओं के लिये इनाम हैं : न्यायाधीश रे ने उत्तर दिया : मैंने सत्य और न्याय के अतिरिक्त किसी की कोई राजनैतिक सेवा नहीं की है।

यह है जूडिशियरी का पिक्चर। इसलिये सचमुच में वह तो वही देखते हैं। और यह जो मंथली लीगल जर्नल है लाइयर्स का, उसमें से थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहता हूं। जब सुपरसेशन हुआ था जजेज का उस सम्बन्ध में यह बात आई थी, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, केवल उसका जो अंतिम निष्कर्ष है वही पढ़ना चाहूँगा।

> यह कहना संदर्भ के विपरीत नहीं होगा कि छठे संसदीय चुनाव के बाद सरकार न्याय-पालिका को ज्यादा से ज्यादा आदर देने की नीति की ओर ध्यान देने की इच्छुक है। न्यायपालिका के देय दर्जा, जिसे आपातकाल की अवधि में खत्म कर दिया गया था, की पुनः स्थापना की जा रही है। हमें यह आशा करनी चाहिए कि वर्तमान सरकार पूर्वगामी सरकार की गैर-अनुपालन की नीति का अनुसरण नहीं करेगी तथा विधिवेत्ताओं को ही न्यायाधीश नियुक्त करेगी।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इनका कोई एतराज नहीं है कि वोहरा साहब को जज नहीं बनाया गया जोकि सबसे ज्यादा सीनियर थे जिनका रिकार्ड सबसे अच्छा था। उनके विषय में कैसे कह सकते हैं कि नहीं बनाया है। उनके विषय में उनकी आपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी आपत्ति नहीं की कि "किस्सा कुर्सी का" केस का गलत निर्णय हुआ। उनका केवल इतना ही आक्षेप है कि इतनी देर क्यों की गई ? कभी-कभी होता है कि होम करने से भी हाथ जल जाता है, अच्छा काम करने से भी कभी-कभी कलंक लेना पड़ता है। यही हुआ। हमें सार्वजनिक जीवन में केवल ईमानदार होना ही नहीं चाहिए बल्कि हमें ईमानदार प्रतीत भी होना चाहिए।

न्यायपालिका की पवित्रता को सम्पूर्ण राष्ट्र के सामने शुद्ध रूप से रखने के लिए जो किया गया उसके सम्बन्ध में उनको निराशा होती है। अच्छा होता अगर नहीं करते लेकिन नहीं होता

तो उसके बाद भी कुछ और कहते । कर्मठ व्यक्ति तो अपने कर्त्तव्य को सामने रखकर काम करते हैं । स्टीफन साहब को कहीं एतराज नहीं, केवल जो विलम्ब हुआ उस पर एतराज है । उन्होंने पब्लिक इन्ट्रेस्ट और यूटिलिटी की बात कही तो पब्लिक यूटिलिटी में यह भी एक बात है कि न्याय होना चाहिए तथा साथ ही दूसरों को भी लगे कि न्याय हो रहा है ।

"उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन तथा नियुक्ति"

एक केस हिस्ट्री है उसमें जो वर्कआउट किया गया है, उसके जो निष्कर्ष हैं, वह मैं पढ़ना चाहता हूं । कितना सुपरसेशन हुआ इत्यादि उसके बारे में तो गुप्ता जी ने बताया है ।

"हमारे सामने वास्तविक समस्या यह है कि उच्च प्रतियोगितात्मक विधि व्यवसाय उच्च दर्जा-निर्माण वर्गों को ही आरोपित कर दिये गये हैं विधि संबंधी नियुक्तियाँ इस प्रकार प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देती है तथा उसी समय दर्जा निर्माण ढांचा पक्का हो जाता है । कोई भी सरकार इन सभी बातों को स्वयं नहीं बदल सकती ।"

क्या आप सोचते हैं शांतिभूषण जी इसमें कोई परिवर्तन कर देते ? वे परिवर्तन नहीं कर सकते थे । उन्होंने केवल न्याय के दृष्टिकोण से, प्रोप्रायटी के दृष्टिकोण से किया और शायद कोई भी दूसरा कानून मंत्री यह नहीं करता । जिस व्यक्ति को संकोच होता है, जिसकी आंखों में पानी होता है उसमें जनतंत्र के लिये लज्जा होती है इसलिये उन्होंने यह काम किया है ।

मैं और ज्यादा तो नहीं कहता लेकिन स्टीफन साहब की ओजस्विता और प्रखरता उस समय कहां चली गई थी जबकि दि-वैल्युएशन आफ जूडीशियरी हुआ ? यह समूचा चैप्टर जो है ।

न्यायाधीशों की अधिक्रमण : "तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों के अधिक्रमण तथा 25 अप्रैल, 1973 को श्री ए० एन० रे० की उच्चतम न्यागालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति करने तथा साढ़े तीन वर्ष बाद न्यायाधीश श्री एम० एच० बेग के पक्ष में न्यायाधीश श्री एच० आर० खन्ना के अधिक्रमण ने न्यायिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में काफी गर्मी पैदा कर दी थी ।"

इसके संबंध में जो सारे बड़े-बड़े न्यायविद हैं उनका कथन एक जगह पर है :

"इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि तीन न्यायाधीशों का केवल इसलिये अधिक्रमण किया गया था कि उनके निर्णयों से सरकार प्रसन्न नहीं थी ।"

"यह सरकार का ढांचा था ।"

"इन तीनों न्यायाधीशों की योग्यता तथा प्रत्येक की पूर्ण उपयुक्तता के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती । इनमें से दो न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालयों में पहले ही विशिष्टता पूर्वक काम किया है ।"

इस लिए मैं कहूंगा कि उनको कम से कम सोचना चाहिए कि आज उनकी बातों पर किसको विश्वास आयेगा जब वे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा की बात कह रहे हैं ।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 14 और 217 के संबंध में वे एक शब्द भी बता दें जिसका वायलेशन हुआ हो । क्या राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली गई है या किस

विधान का उल्लंघन हुआ है। हां, जहां पहले हिन्दुस्तान में जुडीशियरी को स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म कर दी गई थी वहां सब लोगों के विश्वास में न्यायपालिका प्रतिष्ठित हो गई है।

इसलिये डेविड जी मोर्गन ने अपनी "एशियाई मामले" नामक पुस्तक में एक विवादपूर्ण मामलों के अन्तर्गत इस प्रकार कहा है।

"आजकल भारत में बहाली की हवा चल रही है। श्रीमति इन्दिरा गांधी की निर्दयता के गुणों से भरपूर आपातकालीन स्थिति तथा इसके परिणामस्वरूप हुई भारी पराजय से नयी सरकार को यह कहने का प्रोत्साहन मिला है कि वह 18 महीनों में लगाये गये सभी आरोपों को समाप्त करना चाहती है।

तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो उनके विचार हैं

यह न्यायपालिक को बदनाम करने के लिये राजनैतिक षड्यन्त्र का ही एक भाग है क्योंकि उन को विश्वास नहीं है आजाद न्यायपालिका पर, उनको विश्वास नहीं है आजाद संसद पर। ये बन्दी संसद में विश्वास करते हैं, बन्दी न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और यही कारण है कि शाह आयोग को उन्होंने नाटक कहा और श्री वोहरा के एपाइन्टमेंट पर इस तरह से कुठाराघात किया न्यायपालिका पर। इस प्रकार से प्रहार करने वाला जनतन्त्र का कभी पक्षपाती नहीं हो सकता है। मैं इसको एक राजनीतिक संकल्प मानता हूं। अगर इसमें कोई बात रहती, तो मैं उसका स्वागत करता। चाहे इस पक्ष से आवे और चाहे उस पक्ष से आवे, मैं उसका स्वागत करता क्योंकि जनता पार्टी रहेगी या कांग्रेस पार्टी आएगी, यह तो आना जाना रहेगा लेकिन सर्वोच्च न्यायपालिका रहेगी, यह सदन रहेगा। इसको कभी अपमानित मत कीजिए, न्यायपालिका को कलंकित मत कीजिए, वह जो हमें रक्षा देती है, वह जो आप को रक्षा देती है, अपने क्षुद्र स्वार्थों को पूरा करने के लिए न्यायपालिका के मूल्यों पर कभी कुठाराघात मत कीजिए।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : सभापति महोदय, यह प्रस्ताव श्री स्टीफन द्वारा इतने विलम्ब से क्यों लाया गया। यह चिन्ता का भी विषय है और इसका कारण भी ढूंढ़ना बड़ा आवश्यक है। यह मौका श्री साठे को क्यों दिया गया कि सबसे पहले वोहरा साहब पर वे लांछन लगाएं जबकि विपक्ष के नेता श्री स्टीफन हैं। यह अवसर नेता पद का साठे साहब को क्यों दिया गया, यह भी एक विचारणीय विषय है। कोई इसका विशेष मतलब है? कंवर लाल गुप्त जी ने कहा कि किसी नेता ने आदेश दिया कि ऐसा संकल्प लाओ क्योंकि इस समय इन्दिरा गांधी कांग्रेस में संजय की राजनीति घूम रही है चाहे वह श्री अर्स और श्रीमती गांधी में मतभेद पैदा करने की बात हो, अथवा संजय को बचाने की बात हो या जिस समय पहला प्रस्ताव आया, जो झगड़ा हुआ उस झगड़े के बाद आदेश दिये गये स्टीफन साहब को कि इस प्रकार का प्रस्ताव लाओ और जूडीशियरी को, न्यायपालिका को बदनाम करो और इसके बारे में दूसरी साजिश यह है कि अभी यह मामला "किस्सा कुर्सी का" दिल्ली की हाई कोर्ट में चल रहा है। इसलिए वोहरा साहब को बदनाम कर के, न्यायपालिका को बदनाम कर के ये स्तंभित करना चाहते हैं, आतंकित करना चाहते हैं, इन्टी

मिडेट करना चाहते हैं हाई कोर्ट के जजों को, जो उस अपील को सुनेंगे। यह इनकी साजिश है जिसके कारण यह प्रस्ताव, यह राजनीतिक प्रस्ताव इस रूप में लाया गया है। अब इन्होंने कारण क्या बताया है। एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है।

सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। जिन्होंने यह पाप किया है न्यायपालिका को दबाने को, आज वे यह समझते हैं और आज वे यह बताना चाहते हैं कि बाकी के सब लोग भी न्यायपालिका को दबाना चाहते हैं, लेकिन यह बात सच नहीं है। न्यायपालिका को दबाने का काम पहले चलता था और माननीय कंवर लाल गुप्त ने उस का एक उद्धरण दिया है और मैं भी एक उद्धरण देना चाहता हूं। मेरी भी हीबियस कोरपस की पेटीशन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जब आई थी, तो मैंने स्वतः वहां जा कर बहस की और उन्होंने यह होल्ड किया कि यह जस्टीसियेबिल है। और मिस्टर जस्टिश ए० पी० सेन को वहां से ट्रांसफर करके राजस्थान भेज दिया गया। यह क्यों भेजा गया था, किस कारण से भेजा गया था? आप यह समझते थे कि इंड्युसमेंट, थ्रेट्स, प्रामिजिज, धमकी काम करते हैं। आप उन्हें धमकाना चाहते थे। न्यायपालिका को धमकाना चाहते थे।

सभापति महोदय, संविधान की धारा 217 की बात कही गयी। इस धारा 217 में यह स्पष्ट है कि—

राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से नियुक्तियां करेंगे।

एवीडेंस एक्ट की धारा 114 में साफ है—यह प्रिज्यूम किया जायगा, यह माना जाएगा कि सब इसी प्रकार से हुआ है, इसी प्रकार से इसका निर्णय हुआ है जिस प्रकार से कानून है। यदि यह माना जाता है कि प्रेजीडेंट ने, चीफ जस्टिश ने दो-दो जगह उनकी नियुक्ति को रिकमण्ड कर दिया तो फिर यह सब क्यों? कांग्रेस आई के दो मुंह हैं, वह दो मुंह से बातें करती है। जैसी कि अभी उसने उपवास के सम्बन्ध में की है। श्री मावलंकर जी गुप्त ने 18-4-78 को एक प्रश्न किया था और उसी दिन कांग्रेस आई के श्री वसंत साठे ने यह प्रश्न पूछा था कि हाई कोर्ट के जजिज की जो वेकेन्सीज हैं उनको भरा क्यों नहीं जा रहा है। माननीय विधि मंत्री जी ने उसके उत्तर में यह आश्वासन दिया था कि—

> पदों को जल्दी से जल्दी भरने के कदम उठाये जा रहे हैं राज्य सरकारों तथा मुख्य न्यायाधीशों को अपनी सिफारिशें शीघ्रतिशीघ्र भेजने के लिये अनुस्मारक भेज दिये गये हैं। उनको प्रस्ताव भेजने में कुछ विशिष्ट समय सारिणी के अनुपालन करने के लिये भी कहा गया है।

अब उसमें अगर वोहरा साहब का नाम आ गया तो आप कहते हैं कि जब नाम आया था तो तभी आपने उन्हें अपाइंटमेंट क्यों नहीं दे दी। आप चाहते थे कि केस जो एडवांस स्टेज पर पहुंच गया था और प्रासीक्युशन एवीडेंस कम्प्लीट हो गयी थीं उस ट्रायल को फिर से शुरू किया जाता क्योंकि संजय गांधी को सजा हो गयी है, क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ जजमेंट दे दिया है। आप इसलिए क्षुब्ध हैं कि संजय गांधी को सजा हो गयी है। एक केस को आपने मापदण्ड बना

दिया है। राष्ट्रपति ने एक रिपोर्ट दी, सी० जे० ने एक रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दी और उसके आधार पर यह सब प्रारंभ हुआ। आपने कहा कि वे बहुत अच्छे आदमी हैं और विधि मंत्री ने जो कहा उसे मैं स्वीकार करता हूं। अगर आप विधि मंत्री ने जो कुछ कहा उसे स्वीकार करने को तैयार हैं और वोहरा साहब डिजर्विंग आदमी हैं और उनका प्रमोशन होना ही था तो इसे आपको कबूल करना चाहिए था। आपने तो इसे किस्सा कुर्सी केस से लिंक कर दिया। इस तरह से साजिश कर के आप सारी न्यायपालिका को बदनाम करना चाहते हैं, इस तरह से आप अकेले प्रेजीडेंट को बदनाम नहीं कर रहे हैं। आपने शांति भूषण जी के ऊपर 6 चार्ज लगाये हैं। जिस तरह से आपने ये चार्ज लगाये हैं उस तरह से आपका इशारा इन चार्जों का भारत के चीफ जस्टिश पर भी जाता है, दिल्ली के चीफ जस्टिश पर भी जाता है।

आपको यह प्रस्ताव लाने से पहले इस बारे में गवर्नमेंट से विचार कर लेना चाहिए था। अगर आप विचार कर लेते और आपको यह बात लगती कि यह प्रमोशन पक्षपात के कारण हुई है तो आप वह सब नहीं कहते कि वोहरा साहब डिजर्व करते थे, उनको प्रमोशन देना चाहिए था और पहले क्यों नहीं दिया गया।

आपने आर्टिकल 14 की बात कही कि उनके प्रमोशन को क्यों नहीं रद्द कर दिया गया, उसे क्यों रोके रखा गया, यह उनके साथ अन्याय हुआ है। आपने जहां यह कहा वहां फिर आपको यह नहीं कहना चाहिए था—

किसी भी स्वाभिमानी न्यायाधीश को मामले को फेंक देना चाहिए। आपने क्या इतना सरल समझ लिया है कि वे यह कह देते कि हम यह केस नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट इन्वाल्व हो गया है जब सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ इन्ट्रेस्ट होगा तो हर आदमी करना चाहेगा। जहां आपका स्वार्थ टकरायेगा, वहां तो आप करना ही चाहेंगे।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर कोई जज ईमानदारी से काम करता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, भर्त्सना नहीं करनी चाहिए। जिस तरह की आपने करने की चेष्टा की है। आपके विचारों में स्वतः कन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ आप तारीफ करते हैं दूसरी तरफ आप बात करते हैं—इट इज ए वोयेड आफ सेल्फ रेस्पेक्ट।

बहुत दिनों से बहुत से स्थान खाली पड़े थे। एक बार कांग्रेस के शासन काल में जब श्री नीतिराज सिंह विधि मंत्री हुआ करते थे तो मैं उनके पास गया और उनको कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत से स्थान खाली पड़े हैं, आप भरते क्यों नहीं हैं? इसका जबाब उन्होंने 'यह दिया कि अच्छे आदमी मिलते नहीं हैं। मैंने कहा कि अगर आप सचमुच में इंटैलैक्ट वाले भी चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि वह कांग्रेस वाला भी हो तो आपको कैसे मिल सकते हैं? दोनों एक साथ नहीं मिल सकते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि डेढ़ दो साल तक पांच स्थान खाली पड़े रहे। क्या यही स्थिति आप यहां भी पैदा करना चाहते हैं? पांच स्थान दो साल तक खाली पड़े रहे और फिर आपको शिकायत करने का मौका मिल जाए कि एरियर्ज बढ़ते जा रहे हैं। यह नहीं हो सकता

था। इस केस में सिर्फ इतना हुआ कि चीफ जस्टिस आफ इंडिया ने रिकोमेंड किया, चीफ जस्टिस आफ दिल्ली ने रिकोमेंड किया कि उनका एप्वाइंटमेट कर दिया जाए, किस्सा कुर्सी का जो केस है उससे पहले कर दिया जाए। आपने पब्लिक इंटरेस्ट की बात कुछ एक्सपीडियेसी के कारण कही है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट इससे ज्यादा सर्व नहीं होता है कि केस जल्दी निपटे यह किस्सा कुर्सी वाला ?···पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए यदि कुछ दिन रुकना पड़ा और केस के निपट जाने के बाद उनका प्रोमोशन किया गया तो इसमें आप क्यों छिद्र निकालना चाहते हैं ? इसमें इस वास्ते आप छिद्र देखने की चेष्टा कर रहे हैं क्योंकि केस जल्दी निपट गया है अन्यथा न्यायपालिका के साथ न्याय हुआ है, न्यायपालिका ने न्याय किया है और यह जो राजनीतिक प्रस्ताव है यह शरारतपूर्ण है। इसलिए यह भर्त्सना के योग्य है और मैं इसका विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : अन्य माननीय सदस्यों को बोलने के लिए बुलाने से पहले, मैं सदन से मार्ग दर्शन प्राप्त करना चाहता हूं। इस मद के लिये पहले दिया गया समय 3 घंटे था। तदनुसार चर्चा 4-30 बजे सायं समाप्त कर दी जायगी। सदन का क्या इरादा है। हमें बहस के लिये कितना समय बढ़ाना चाहिए ?

कुछ माननीय सदस्य : एक घंटा

विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यह आज ही समाप्त होनी चाहिए।

सभापति महोदय : अतः हम चर्चा के समय में अनन्तिम रूप एक घंटे की वृद्धि करते हैं अर्थात् 5-30 बजे सायं तक। यह 5-30 बजे सायं से थोड़ा कम हो सकता है जिससे अन्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सके। इसलिए समय 5-25 बजे सायं तक होगा।

श्री शान्ति भूषण : मुझे लगभग 20 या 25 मिनट चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे भी उत्तर देने के लिए समय चाहिए। मेरा समय, 'मंत्री जी क्या कहते हैं' इस बात पर निर्भर होगा।

सभापति महोदय : मेरा विचार है श्री स्टीफन 10 मिनट लेंगे। अब श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्रीमान जी, मेरा विचार है कि यह वस्तुतः दुर्भाग्य है कि इस प्रस्ताव पर बहस की अनुमति दी गयी है क्योंकि इसका उद्देश्य री से प्रतीत नहीं होते हैं जैसा यह प्रस्ताव है। प्रस्ताव का अभिप्राय न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनायी गयी प्रक्रिया से है लेकिन उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट रहा है। तथा श्री स्टीफन भी अपनी महान संसदीय कुशलता के होते हुए भी इसे छिपा नहीं सके। उद्देश्य संदेह पैदा करने वाला है तथा यह फिलहाल विद्वान् न्यायाधीश द्वारा दिये गये फैसले के बारे में भी संदेह पैदा करता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह ऐसा प्रस्ताव है पर दुर्भाग्यवश सदन में चर्चा के लिये अनुमति दी गयी है।

तथापि चूंकि इस मामले की अनुमति दे दी गयी है तथा इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। प्रस्ताव का संबन्ध विधि मंत्री जी के वक्तव्य से है और उस

वक्तव्य के संदर्भ में इसे लगाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री स्टीफन के दल के एक सदस्य द्वारा एक बहुत ही बेधड़क आरोप लगाये जाने के कारण यह वक्तव्य अनिवार्य हो गया कि न्यायाधीश को कहा गया था "यदि आप दंडात्मक निर्णय देते हैं, तो आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद का इनाम दे दिया जायगा।

ऐसी हालत में विधि मंत्री का स्वाभाविक रूप से यह कर्त्तव्य था कि वह आगे आते और पैदा की जा रही इस भ्रांति को दूर करते कि इस मामले में की गयी कार्यवाही का तरीका अनुचित था तथा दिया गया फैसला अनुचित था। इसलिये मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि इस मामले में सरकार ने कोई अनौचित्य किया है। दूसरी ओर उन्होंने अपने कृत्यों का निर्वहन किया है। जब हम यह देखते हैं कि वे व्यक्ति जिन्होंने महीनों ही नहीं बल्कि वर्षों न्यायपालिका की टीका टिप्पणी करने तथा न्यायालय प्रक्रिया को क्षति पहुंचाने की कोशिश की वे एक न्यायाधीश की नियुक्ति पर इतने चिन्तित हैं तो आश्चर्य होता है कि इसमें देश की न्यायपालिका की परम्परा को बनाये रखने की अपेक्षा कोई दूसरा ही उद्देश्य है। कई बार हमने विपक्ष के अपने माननीय मित्रों को जो उन 19 महीनों में तानाशाही का साथ देते रहे हैं मगरमच्छ के आंसू बहाते देखा है। लेकिन आज हमें पता लगता है कि चापलूसी बहुत ही गहराई पर पहुंच गयी है। मुझे खेद है कि श्री स्टीफन जो इस सदन के एक माननीय सदस्य ही नहीं बल्कि विरोधी दल के नेता भी हैं, उन्होंने भी हुक्म के पालन करने में मेहरवानी की। यह केवल, महानतम तानाशाह श्रीमति इन्दिरा गांधी के लिये नहीं था लेकिन यह सब अभियुक्त ही नहीं बल्कि अपराधी को लाभ पहुंचाने के लिए था जिसे भारत का शहजादा घोषित किया गया था। तथा उसके सामने सभी जिनमें मंत्रिमंडल के सदस्य भी सम्मिलित थे झुकते थे।

श्रीमान जी, जैसा कि मैंने कहा है तानाशाह ही नहीं बल्कि उसकी परिपक्व अर्धशिक्षित संतान के आदेशों ने देश के प्रजातंत्र के मूल्यों को बरबाद किया, लोगों की जान से खेला, उसकी अभिलाषाएं कैसे समय के आदेश बने, हमने इन सब बातों को देखा है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रस्ताव प्रक्रिया के विषय में है। मैंने प्रक्रिया की सीमाओं के भीतर ही रहने की सावधानी बरती। यदि वह हमारे लोगों की, जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है, आलोचना करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उसके लिये भी कोई प्रक्रिया है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। यदि वह एक बहुत ही उपयोगी बहस चलाना चाहते हैं तो हमें एक बहुत ही उपयुक्त तरीके में रहना और व्यवहार करना होगा। उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब तक तो ठीक है। मुझे तानाशाह के 'दल का सैनिक' 'चापलूसी' तथा इस प्रकार के अन्य शब्दों पर आपत्ति है, उन्होंने असंसदीय तथा अनुलेख्य शब्दों का प्रयोग किया है। इन सब बातों का उल्लेख इस सदन के सदस्यों को सम्बोधित करके किया जा रहा है वह ऐसा कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा अनुरोध किया जा सकना है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि आप प्रस्ताव तक ही सीमित रहें ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सही उद्देश्य का पता लग गया है । मैं उसी पर आ रहा हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : कौन से सही उद्देश्य का पता लगा है ? क्या आप लोगों के नाम देने में स्वतन्त्र हैं ? **(व्यवधान)**

हमें आपकी इस देश के प्रति निष्ठा का पता है । हमें आपकी संविधान के प्रति निष्ठा का भी पता है । आप श्री नम्बूदिरीपाद की बातें कर रहे हैं जिसे न्यायालय की मानहानि के मामले में अपराधी ठहराया गया है । आप हमें यहां पढ़ाने आये हैं । **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव के पीछे सही उद्देश्य यह है कि वे अपनी नाराजगी को प्रकट करना चाहते हैं क्योंकि वे इस मामले के निपटाने में देर नहीं कर सकें और इसके बाद दोष सिद्ध हो गया । उनका विश्वास था कि इस मामले को महीनों तथा वर्षों तक लटकाये रखा जा सकता है । श्रीमान जी यह आपको याद होगा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तथा न्यायालय ने इसे जल्दी से जल्दी निपटाने के निर्देश दिये । और इसी बीच अभियुक्त को जेल भेज दिया गया क्योंकि वह साक्षियों को तोड़ने में दोषी पाया गया था । **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस विशिष्ट मामले का वह उल्लेख कर रहे हैं वह अब न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं किसी विशिष्ट मामले का हवाला नहीं दे रहा हूँ । **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : किसी मामले के गुणागुणों की चर्चा करना एक अलग बात है । **(व्यवधान)**

वह मामला न्यायालय के विचाराधीन है । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, आपको इसका हवाला नहीं देना चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने मामले के गुणागुणों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । **(व्यवधान)**

मैं यह कह रहा हूं कि मुझे यह कहने का हक है कि इस प्रस्ताव के पीछे क्या कारण है ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, वह उस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर): मैं नहीं मानता हूं । मैंने मामले के गुणावगुण पर विचार नहीं किया है । मैं उनके संकल्प के पीछे कारण बताने का हकदार हूं । इसलिये मैं उस मामले का उल्लेख कर रहा हूं । मामला लम्बे समय से अनिर्णीत पड़ा था तथा मामला प्राय: समाप्त होने वाला था । हमें माननीय विधि मंत्री के वक्तव्य से मालूम हुआ है कि नियुक्ति की वास्तविक रूप से घोषणा करने से पूर्व संविधान के अन्तर्गत सभी कार्यविधियों का पालन किया गया था । वह दिल्ली उच्च

न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश के पास गये थे और उन्होंने कुछ दिनों के लिये वास्तविक अधिसूचना को रुकवाने के लिये राष्ट्रपति की अनुमति ली थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ किस तरह से हस्तक्षेप किया गया है तथा यह कितनी असंवैधानिक बात है ? मुझे अधिक समय नहीं मिला है तथा मुझे विश्वास है कि माननीय विधि मंत्री इस पर कार्रवाई करेंगे तथा मैं अपने अल्प समय में, एक या दो निवेदन करना चाहूंगा। उद्देश्य यह है कि यदि इस मामले को किसी तरह कुछ समय तक और टाल दिया जाता तो होनी को स्थगित किया जा सकता था। दूसरे, आज यह कहने के लिये कि श्री वोहरा एक अच्छे व्यक्ति हैं परन्तु निर्णय ठीक नहीं था। मानो उनको यह लालच, अर्थात् दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाकर, इस निर्णय को देने के लिए राजी किया गया था। मेरे माननीय मित्र ने वह बताया है। यह धारणा लोगों के दिमाग में बन चुकी है। मैं उस भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं धारणा यह नहीं है। आज इस संकल्प का उद्देश्य लोगों के दिमाग में सन्देह उत्पन्न करना है। क्या यह ऐसा होगा ? इसलिए जो प्रयास किया गया है वह न्यायपालिका की मर्यादा बनाये रखने के लिए नहीं बल्कि एक बार फिर न्याय-पालिका को बदनाम करने के लिए। इस प्रयास का इस देश के सही विचारधारा के सभी व्यक्तियों द्वारा विरोध किया जाना चाहिए। इसलिए मेरे माननीय मित्र उस समय स्वाभाविक रूप से चिढ़ जाते हैं जब हम आपातकाल तथा इस देश में जो हुआ था उसका जिक्र करते हैं, तथा यह कहते हैं कि इस देश में न्यायपालिका के साथ कैसा व्यवहार किया गया था, न्यायाधीशों के तबादले कैसे किये गये थे तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश को सत्र-न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कैसे वापस भेजा गया था। मुझे दिल्ली उच्च न्यायालय में ज्योतिर्मय बसु के लिये पेश होना था, मैं जानता हूं कि क्या हुआ सरकार की ओर से क्या दलील दी गई थी। एक बार न्याया-धीश रंगाराजन ने निर्णय दिया था कि यह वादयोग्य था परन्तु अगले दिन इसको वादयोग्य नहीं करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था। इस तरीके से वे उस समय न्यायपालिका के साथ बर्ताव कर रहे थे। एक मात्र अपराध जो उसने किया था, वह यह था कि वह गृह विभाग की फाइलों को देखना चाहते थे। उन्होंने कहा, नहीं, वह नहीं देख सकते हैं। उन्होंने ऐसा रवैया बना लिया था। आज वे इस देश में न्यायाधीशों तथा न्यायपालिका के लिए इतनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि किसी को अधिसूचना की घोषणा करने में विलम्ब के कारण कठिनाई हुयी है तो वह स्वयं न्यायाधीश वोहरा थे और कोई नहीं क्योंकि उसकी नियुक्ति में कुछ दिनों का विलम्ब किया गया था। किसी और को भी मामले के शीघ्र निपटाने से परेशानी हुयी थी और यह मसला नहीं है जिसका यहां जिक्र किया जाना है।

मैं ऐसे किसी मामले का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जो न्यायालय में विचाराधीन है। सम्भवत: कोई भी यह महसूस कर सकता है जबकि उसमें सजा की अवधि की व्यवस्था थी तो सजा दी जा सकी या नहीं दी जा सकी। इस मामले पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र ने एक बात का उल्लेख किया चाहे यह संगत हो या न हो, चाहे यह लोक हित में हो अथवा न हो। उन्होंने कहा कि बकाया कार्य का निपटान करने के आधार पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 224 के अन्तर्गत व्यवस्था है। बकाया

कार्य है। क्या इसका यह अर्थ है कि यह किया जाना चाहिए ? अनुच्छेद 224 में नयी व्याख्या की गयी है। इसका अर्थ है कि जब कभी बकाया कार्य हों तो तुरन्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी होगी। समूचे भारत में बहुत से रिक्त पद पड़े हैं। हमने माननीय मंत्री से प्रश्न पूछा है तथा हम न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये उन पर बहुत जोर दे रहे हैं। अधिकाधिक संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी होगी। बहुत सी कठिनाइयां हैं। हम समझते हैं। हर जगह कमी है। उसका अर्थ यह नहीं है कि श्री वोहरा की नियुक्ति की घोषणा में कुछ दिनों के विलम्ब से अनुच्छेद 224 की अवहेलना की गई है। तब अनुच्छेद 217 का हवाला दिया गया था। इस देश में न्यायाधीशों की नियुक्तियां एक विशेष पद्धति से की जाती हैं। हम उस पद्धति से सहमत नहीं हो सकते हैं जो संविधान में निर्धारित की गई है। परन्तु जब तक यह संविधान में है उस समय तक इसका पालन केवल पूर्ण रूप से करना है। हमें मालूम हुआ है कि पिछली सरकार के दौरान उसका घोर रूप से उल्लंघन किया गया था। हमने यह देखा है। न्यायिक नियुक्तियों के बारे में अनेक टिप्पणियां की गई हैं। यहां मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु वे टिप्पणियां तथा शिकायतें जानी-मानी है। यहां क्या हुआ है ? सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया गया है तथा मुझे विश्वास है कि अन्य बातें कुछ भी हुई हों, मैं इन बातों में नहीं जा रहा हूं। माननीय विधि मंत्री ने स्वयं दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास जाकर बड़ा सम्मान प्रदर्शित किया है। सम्भवत: वे मुख्य न्यायाधीशों को अपने निवास स्थान पर बुलाया करते थे। अब वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के निवासस्थान तथा कार्यालय गये, उन्हें स्थिति से अवगत कराया, उनकी स्वीकृति ली, भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति ली तथा उसके बाद यह किया गया है। इसलिए हम नहीं देखते हैं कि कोई अनुचित बात हुई है। जिन कारणों से यह संकल्प लाया गया है हम उनकी अनदेखी न कर सकते हैं। जिन कारणों से वह इस संकल्प को लाये हैं, वह न्यायपालिका की मर्यादा को बनाए रखना समर्थन करना नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण देश में एक व्यक्ति है जो इस मामले में एक अभियुक्त था। अब वह दोषी सिद्ध किया जा चुका है। यह अपील के अधीन है, गुणावगुण से कोई सरोकार नहीं है। परन्तु मामले में विलम्ब क्यों किया गया ? श्री वोहरा को पहले ही पदोन्नत कर दिया गया होता। उसको पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय में लाया गया होता। अन्य दो, तीन वर्षों के लिये नये सिरे से विचारण, साक्षी तथा सभी प्रकार के विलम्बकारी दांव-पेंच अपना लिये गये होते। मैं देखता हूं कि इस संकल्प का उद्देश्य स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है। तब हमें मालूम होगा कि जिन लोगों ने एक व्यक्ति को उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए मत दिये थे, क्योंकि वह इस देश में एक पद पर कब्जा किये हुये थे। वही लोग आज इस देश के आपराधिक न्यायशास्त्र तथा इस देश में न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता की बात कर रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले में जबकि विपक्ष के माननीय नेता ने यह स्वीकार कर लिया है कि सभी दृष्टिकोण से पदधारी नियुक्ति के लिए हकदार है, यही परीक्षा है। क्या वह पद के उपयुक्त था या नहीं था ? यह उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने यह माना है कि एक योग्य व्यक्ति का चयन कर लिया गया है। किसी को उनकी वरिष्ठता का उल्लेखन कर नियुक्त नहीं किया गया है, और न सरकार ने ऐसा करने की अनुमति दी है। इसलिए व्यक्ति को उचित समय पर नियुक्त किया जा चुका है। मामले के लम्बित पड़े रहने के कारण आपराधिक

मामले के निपटान में विलम्ब होता। उस समय अभियुक्त के लिये यह लाभप्रद न होता, क्योंकि कोई भी ईमानदार, सदाशयी अभियुक्त अपने मामले पर तुरन्त विचारण को पसंद करता है जिससे न्याय में विलम्ब न हो। यदि वास्तविक उद्देश्य यही है तो मेरा निवेदन है कि जिस उद्देश्य के साथ यह संकल्प लाया गया है, वह उस न्यायाधीश की नियुक्ति से कुछ राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश करना है जिनको इस मामले में अकेला छोड़ दिया जाता। इसीलिये मैंने यह कह कर भाषण आरम्भ किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस संकल्प पर यहाँ चर्चा करने की अनुमति दी गई।

सभापति महोदय : मैं अभी एक सदस्य को बुलाना चाहूंगा, जो पांच मिनट का समय ले। अब सूची में अगला नाम श्री कृष्ण सिंह का है।

वह यहाँ पर नहीं है।

श्री व्यालार रवि (चिरयिंकील) : आप श्री लकप्पा को बुला सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं क्रम से बुला रहा हूं। श्री लकप्पा ने अपना नाम अभी दिया है।

श्री विनोद भाई सेठ। कृपया पांच-सात मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री विनोद भाई सेठ (जामनगर) : शर्त ऐसी है कि मैं पांच मिनट से अधिक नहीं लूंगा।

मैं अपने को श्री सी० एम० स्टीफन के संकल्प के विषय तक सीमित रखना चाहूंगा। यह एक बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि राजनीति से प्रेरित यह संकल्प एक वकील से आया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि हमने देश में न्यायिक प्रक्रिया को बहाल किया है। हमने कानून का शासन बहाल किया है। हमारे अध्यक्ष महोदय ने सदन में इस संकल्प पर चर्चा को सही समझा है। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से पूर्णतया सहमत हूं कि यह बहुत नाजुक संकल्प है, जो देश की न्यायपालिका पर आक्षेप करता है, बेहतर है कि इस पर कम चर्चा की जाए। स्टीफन के अनुसार अनुच्छेद 217 का उल्लंघन किया गया है। परन्तु उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया है तथा अनुच्छेद 217 को लागू करने के कौन से सिद्धान्त हैं जिनका उल्लंघन किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया गया है। उनका कहना है कि यह व्यवस्था है। यह व्यवस्था नहीं है बल्कि परामर्श है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया गया है। प्रधान मंत्री समर्थन करते हैं और राष्ट्रपति उसे नियुक्ति करते हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष के नेता के साथ परामर्श नहीं किया गया है। मैं विपक्ष के नेता से एक बहुत खास प्रश्न पूछना चाहूंगा। वह इस संकल्प को उस समय क्यों नहीं लाये थे जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री को दोष मुक्त किया गया था? उस समय हम ऐसा संकल्प नहीं लाए क्योंकि हम न्यायपालिका की मर्यादा कायम रखना चाहते हैं। और हमारा विश्वास है कि देश में न्यायपालिका निष्पक्ष रही है। हर मामले में जब कोई नियुक्ति होती है तो हमें आक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि श्री साठे को किस कारण ऐसा कहना पड़ा। ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने वार्तालाप में व्यस्त मंत्री शान्ति भूषण तथा न्यायाधीश बोहरा को यह कहते हुये सुन लिया हो कि आप प्रसिद्धि सम्बन्धी मामले को सौंप दें और आपको न्यायाधीश बना दिया

जाएगा।" अथवा इसी तरह से कुछ और कहा। श्री साठे कुछ भी कह सकते हैं जो एकदम गलत है परन्तु विपक्ष के नेता के लिए इस संकल्प को, जो न्यायपालिका पर आक्षेप है, लाना बहुत ही अनुचित है। हमारे देश में सच्चाई का सम्मान होता है। हमारी न्यायपालिका सच्चाई तथा न्याय का प्रतीक है तथा पक्षपात रहित आपात स्थिति के दौरान स्थिति भिन्न थी। परन्तु अब आपात स्थिति समाप्त हो चुकी है तथा न्यायाधीश स्वतंत्रता महसूस करते हैं। विशेष किस्म का निर्णय देने के लिए उनको तबादले का डर नहीं है। सरकार के बहुत से निर्णय न्यायपालिका द्वारा बदल दिये गये हैं। परन्तु फिर भी न्यायपालिका का सम्मान किया जाता है, क्योंकि हम देश में न्याय-पालिका की मर्यादा का सम्मान करते हैं। इसके विपरीत मैं दलील दूंगा कि न्यायाधीश के साथ अन्याय किया गया है। इसके अलावा आप मंत्रालय पर कुछ दोष लगा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि उसकी पदोन्नति में तीन महीने का विलम्ब क्यों किया जाये? श्री वोहरा के साथ अन्याय क्यों किया जाये? विलम्ब लोकहित में था व्यक्तिगत हित में नहीं। मैं मंत्रालय से अपील करूंगा कि यदि आप उनके साथ न्याय करना चाहते हैं तो उनकी पदोन्नति पर भूतलक्षी प्रभाव से विचार करें। कृपया न्यायाधीश वोहरा के रिकार्ड की पूर्ण रूप से जांच की जाए। क्या उनको किसी के स्थान पर नियुक्त किया गया है? क्या उसका किसी मंत्री के साथ संबंध है? मुझे बताया गया है कि वह सबसे वरिष्ठ तथा सबसे कार्य कुशल न्यायाधीशों में से एक है। जब गुजरात से न्यायाधीश देसाई की पदोन्नति की गई तब दुर्भाग्य से उनका उपनाम देसाई होने के कारण हमारे प्रधान मंत्री का नाम घसीटा गया था। परन्तु उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं हैं उन्हें देखिए उनके कार्य को देखिये। उनको अब अवकाश न्यायाधीश नियुक्त किया जा चुका है। इस सरकार में जहां तक न्यायपालिका का संबंध है न तो किसी का पक्ष लिया जाएगा न ही किसी का डर होगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावक से इस संकल्प को वापस लेने का निवेदन करता हूं।

विधि न्याय तथा कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : सभापति महोदय विपक्ष के नेता ने जो संकल्प पेश किया है उसमें उन्होंने अनेक बातें उठायी हैं। मेरा विचार प्रत्येक प्रश्न को इसके क्रम से निपटाना है। परन्तु उन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व, जिन्हें पूछने की कोशिश की गई है, मैं भूमिका के रूप में दो विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

जब मैंने संकल्प को पहली बार देखा तो मैं यह देखने के लिए बड़ा उत्सुक था कि इस संकल्प का प्रस्तावक कौन था मैंने सकल्प पर विपक्ष के नेता का नाम, श्री सी. एम. स्टीफन पाया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्योंकि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। इस बात की जांच करने के बाद कि संकल्प के प्रस्तावक वही थे तो मैंने महसूस किया संकल्प में टाइप की गलती थी, क्योंकि मैंने महसूस किया था तथा आशा की थी कि मुझे ऐसा लगा कि सम्भवत: उन्होंने लिखवाया कुछ था और उसके आशुलिपिक ने कुछ और लिख दिया। मैंने महसूस किया कि उन्होंने जो कुछ लिखवाया होगा वह यह हो सकता था कि 'श्री शान्ति भूषण, विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री के द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के बाद, आदि, आदि" व्यावहारिक भाग यह है, "यह सदन उक्त मामले के संबंध में अपनायी गयी प्रक्रिया पर संतोष तथा प्रसन्नता व्यक्त करता है।" मैंने

जांच करने की कोशिश की परन्तु मुझे बताया गया कि यह टाइप की गलती नहीं है तथा वास्तव में संकल्प इसी रूप में लिखाया गया था। इसलिए शुरू में मुझे कुछ धक्का लगा और आश्चर्य हुआ था। परन्तु तब मैंने अपने वकालत के व्यवसाय का अवलोकन किया। मुझे वे दिन याद आये जब मैं नया वकील, एक छोटा वकील था और मैंने यह सोचना आरम्भ किया "क्या मैंने एक निराशापूर्ण बेकार के मामले पर जोरदार बहस नहीं की थी। मैं इन्कार नहीं कर सका। मैंने महसूस किया कि मैंने कई निराशजनक मामलों में भी बहस की थी तथा मैंने उन निराशाजनक मामलों में क्यों बहस की थी? वकालत करने के शुरू के वर्षों में जब एक वरिष्ठ वकील ने मुझे वकालत करने के लिए एक छोटा मामला यह समझकर सौंपा कि यह एक निराशाजनक मामला है तथा वह अपने आप न्यायालय में उस सम्बन्ध से नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा "अपनी सारी शक्ति से बहस करो क्योंकि यह आपको अवसर मिला है।" इसलिए मुझे मालूम हुआ कि यदि कोई मुझे मामला सौंपता है तथा मुझे मामले पर जोरदार ढंग से बहस करने के लिए कहता है तो यह मेरा कर्त्तव्य हो जाता है। कभी-कभी मेरे मुवक्किल, मेरे वरिष्ठ मुझे निराशाजनक मामले पर बहस करने के लिए कहते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : वह इतने कनिष्ठ नहीं हैं।

श्री शान्ति भूषण : कनिष्ठ नहीं, बल्कि विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें अधिक वर्ष नहीं हुए हैं। वह विपक्ष के नेता के रूप में निष्पक्ष रूप से नये हैं। मेरा मतलब है कि उनके भूरे बाल उन्हें धोखा दे सकते हैं, अन्यथा वह दिल से जवान हैं तथा वह अपने अथक शक्ति से जवान हैं। जिस प्रकार की शक्ति से वह यहां अपने मामले पर बहस करते हैं उससे कोई भी सोचेगा कि वह सबसे छोटे संसद सदस्य हैं।

इसलिये मैंने सोचा कि निराशाजनक मामले में भी बहस करना गलत नहीं था। तब, श्रीमान जी मेरा ध्यान एक अन्य घटना की ओर गया जो उस समय घटी थी जब मैं कानून का विद्यार्थी था तथा जब सर तेज बहादुर सप्रू ने मुझे बड़े प्रेम से उनके सम्मेलनों में उपस्थित होने के लिए आमन्त्रित किया था क्योंकि वह मेरे पर बड़े दयालु भी थे। मेरा ध्यान उस निश्चित दिन की ओर गया जबकि मैंने सम्मेलन के समय एक निश्चित प्रश्न पूछ लिया तथा मैंने कहा : "न्यायालय में जहाँ मामलों का निर्णय किया जाता है तथा मामले में न्यायाधीश तथ्यों तथा कानून तथा विभिन्न वकीलों द्वारा दिये गये तर्कों के आधार पर निर्णय लेते हैं तो न्यायालय में सुवक्ता के लिये क्या स्थान है; ऐसा क्यों है कि वकील न्यायालय में सुवक्ता बनने की कोशिश करते हैं?" तथा जो उत्तर मुझे मिला वह था : "ठीक, कभी-कभी जब वकील मामले में बहस कर रहे होते हैं जिसमें तथ्य उसका समर्थन नहीं करते हैं, कानून उसकी मदद नहीं करता है, यहां तक की सामान्य विचार भी उसकी मदद नहीं करते हैं तो वह क्या करे? उन मामलों में उसे अपनी वाक्पटुता पर विश्वास करना पड़ेगा।" मैंने आज स्पष्ट रूप से देखा कि जब मि० सी. एम. स्टीफन इस संकल्प के समर्थन में अपने मामले के बारे में बता रहे थे कि वह अपनी वाक्पटुता पर विश्वास कर रहे थे जिसके लिए मैं बड़ा सम्मान रखता हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि उनकी वाक्पटुता की बराबरी कोई अन्य संसद सदस्य कर सकता है। वास्तव में, जहाँ तक मेरा संबंध है मैं उनकी वाक्पटुता के

सौवें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकता हूं, उनकी पूर्ण वाक्पटुता के बारे में तो क्या कहूं। इसलिए उन्होंने मामले को बनाने का प्रयास करने में केवल अपनी वाक्पटुता पर विश्वास किया है जहां तक तथ्यों का संबंध है, जहां तक कानून का संबंध है यदि मैं बड़े सम्मान के साथ कहूं, जहां तक सामान्य विचार का संबंध है, प्रश्नों के संबंध में उनकी सहायता करने में कुछ नहीं है।

इस भूमिका के साथ मैं उन प्रश्नों पर आता हूं जिनको उन्होंने पूछने की कोशिश की है। अब, श्रीमान जी, शायद श्री स्टीफन भी सहमत होंगे जब मैं कहता हूं कि जब श्री वोहरा का नाम दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित किया गया था तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसका समर्थन किया गया था तो इसके संघ राज्य क्षेत्र होने के कारण राज्यपाल अथवा मुख्य मंत्री का इससे सम्बन्ध नहीं। इसलिए केवल दो प्राधिकारियों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करने से पूर्व परामर्श करना पड़ता है। और दोनों ही इस बात में एकमत हैं कि वह नियुक्त होने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। मैं आशा करता हूं कि वह मेरे साथ सहमत होंगे कि सरकार के सामने केवल चार विकल्प हैं। एक तो उनको बिलकुल भी नियुक्त न करने का था परन्तु फिर भी उसने उस विशेष विकल्प पर वकालत नहीं की है।

श्री वोहरा सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक नहीं है ऐसा श्री विनोद भाई ने कहा है परन्तु दिल्ली न्यायिक सेवा के एक वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा एक सक्षम न्यायाधीश है, क्योंकि जहां तक इन सब न्यायाधीशों का संबंध है एक चरित्र-पंजी रखी जाती है जिसमें प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा तथा मुख्य न्यायाधीश द्वारा हर वर्ष टिप्पणियां की जाती हैं। एक के बाद एक मुख्य न्यायाधीशों ने उनको समान रूप से विशिष्ट रिपोर्ट दी है। कभी भी भिन्न प्रकार की रिपोर्ट नहीं गयी। तथा वही न्यायाधीश हैं जो विशिष्ट रिकार्ड के साथ सेवा में वरिष्ठतम हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उनका नाम प्रस्तावित किया तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उनके नाम का समर्थन किया। नियुक्ति न करने अर्थात् उनको बिलकुल भी नियुक्त न करना तथा उन्हें अयोग्य घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि वह उस मामले को सुन रहे थे जो विपक्ष के नेता ने बहुत से अवसरों पर, 'किस्सा कुर्सी का' मामला अथवा विभिन्न तरह से कहना पसंद किया था। परन्तु आखिरकार हम सहमत हो गये कि इसको 'कुर्सी' मामला कहा जाए। केवल इस कारण कि उन्होंने 'कुर्सी' मामले में कार्य संचालन किया, पदोन्नति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि वह वरिष्ठतम न्यायाधीश थे; ऐसे न्यायाधीश थे जिसके बारे में सभी एक के बाद एक आने वाले मुख्य न्यायाधीशों आदि ने हमेशा बहुत ही अच्छा बनाया।

वह विकल्प उपलब्ध नहीं था, क्योंकि विपक्ष के नेता स्वयं सहमत हो गये थे। इसलिये तीन विकल्प रह गए। एक उनको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशें मिलते ही शीघ्र ही नियुक्त करना है। दूसरा विकल्प यह था कि मामले को लम्बित रखा जाए तथा निगरानी रखी जाए अर्थात ठीक है, यदि उसको एक दम नियुक्त नहीं किया जाता है तो यह आंशिक रूप से सुना गया मामला जारी रखा जाना चाहिए। तब यह

विकल्प है जिसके लिए उन्होंने वकालत की है, अर्थात् कोई निर्णय लिये बिना मामले को अनिर्णीत रखा जाना चाहिए। अधूरा निर्णय अर्थात ठीक है, उन्हें नियुक्त कर लिया जाएगा परन्तु अधिसूचना जारी करने में उस समय तक विलम्ब किया जाएगा जब तक कि मामला समाप्त नहीं होता है। यह दूसरा विकल्प था। तीसरा विकल्प वह था जो वर्तमान मामले में अपनाया गया था, अर्थात् ठीक है, उच्च स्तर पर औपचारिक पक्का निर्णय लिया जाए, अर्थात उन्हें नियुक्त किया जाएगा। उनके निर्णय देने से बहुत पहले एक पक्का निर्णय लिया गया था कि उन्हें नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि वह नियुक्ति के योग्य है चाहे मामले में कुछ भी हो। चाहे मामले में अन्तिम निर्णय कुछ भी हो, चाहे मामले का परिणाम दोष मुक्ति हो या चाहे मामले का परिणाम दोषसिद्धि परन्तु एक पक्का निर्णय हुआ, ताकि निर्णय मामले में हुये निर्णय पर आश्रित नहीं होना चाहिए।

तीसरा विकल्प जिसका उन्होंने समर्थन किया है यह था कि उसे लंबित रखा जाये, तदुपरांत जब कि विचारण समाप्त हो जाये और निर्णय उपलब्ध हो जाये तब आप यह फैसला करें कि वह नियुक्त किये जाने के योग्य है अथवा नहीं। मैं विपक्ष के नेता से स्वयं इन विकल्पों पर, बगैर किसी पूर्वग्रह के, ध्यानपूर्वक विचार करने के लिये कहता हूं। इसके बाद ही वह किसी निर्णय पर पहुंचे। मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष के नेता यदि इस पर किसी पूर्वग्रह के बगैर विचार करें तो वह संकल्प को उस रूप में बदलने से सहमत होंगे जैसा कि मैंने सुझाव दिया है और जिसके बारे में मैंने सोचा था कि उन्होंने आशुलिपि को लिखवाया था। अब हम पहले विकल्प पर विचार करेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता में, जिसका विपक्ष के नेता ने उल्लेख किया है, संशोधन किये जाने से पहले ही, उस नाम का सुझाव दिया था। यह संशोधन एक विधेयक के द्वारा किया गया, जो लगभग दिसम्बर 1978 में अधिनियमित किया गया था। इसलिये इस नाम का सुझाव कहीं पहले दिया गया था। उस समय जब इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था और उस समय जब मैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले पर विचार कर रहा था तब यह संशोधन नहीं हुआ, और स्थिति यह थी : स्थिति क्या थी ? स्थिति यह थी जिस पर 1960 में उच्चतम न्यायालय ने विचार किया था और अपना मत प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि जहां तक मजिस्ट्रेट के सम्मुख विचारण का संबंध है, विचारण के दौरान यदि मजिस्ट्रेट उपलब्ध न रहे तो उसके बाद आने वाले मजिस्ट्रेट के पास यह विकल्प रहेगा कि वह विचारण को नये सिरे से आरंभ किये बगैर, उसी तारीख से विचारण आरंभ कर दे। लेकिन सैशन न्यायाधीशों के मामले में यह प्रक्रिया लागू नहीं की जा सकती। इसलिये 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि जहां तक सैशन न्यायाधीश के सम्मुख विचारण का संबंध है, किसी कारणवश यदि वह सैशन न्यायाधीश उपलब्ध न रहे तो उसके बाद आने वाले न्यायाधीश के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि वह विचारण को नये सिरे से आरंभ करे और सभी गवाहों आदि की गवाही दर्ज करे।

अतः जब ये सिफारिशें की गईं तो यही विकल्प उपलब्ध था। क्या विपक्ष के नेता इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि लंबे समय तक चलने वाले विचारण की स्थिति वही नहीं रहती,

जो न्यायालय में प्रतिदिन आने वाले सामान्य मामलों में होती है। इस बात का ध्यान न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना की शब्दावली में रखा जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि यह अधिसूचना उस समय से लागू होगी जब न्यायाधीश अपना कार्यभार संभाल लेगा। तात्पर्य यह है कि नियुक्ति आदेश को जारी किये जाने के बाद उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने और शपथ लेने के लिये कुछ दिन दिये जाते हैं क्योंकि प्रथा यह है कि वह इस बीच अधूरे पड़े मामलों को निपटा लेता है क्योंकि आम मामलों में बहुत कम गवाह होते हैं और मामले कुछ ही दिनों में पूरे किये जा सकते हैं।

मैं विपक्ष के नेता का ध्यान, दिल्ली उच्च न्यायालय की ही पिछली नियुक्तियों की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्तमान सरकार के शासन के दौरान, दिल्ली में, श्री वोहरा से पहले दो व्यक्ति नियुक्त किये गये। पहले श्री आर० एन० अग्रवाल थे जिन्होंने आपातस्थिति के दौरान रिवर्ट कर दिया गया था। उन्हें जब नियुक्त किया गया था और उन्होंने कार्यभार संभाला था तो उन्होंने कोई भी अधूरा मामला नहीं छोड़ा था। इसी प्रकार दूसरे सज्जन, श्री सिद्धू को, जो जिला और सैशन न्यायाधीश थे, जब राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था, तब उन्होंने नया पद संभालने से पहले सभी अधूरे मामले पूरे कर दिये थे और एक भी मामला अधूरा नहीं छोड़ा। ऐसी ही प्रथा और परम्परा रही है।

परन्तु यदि किसी विशेष मौके पर जिला और सैशन न्यायाधीश के पास कोई बहुत लम्बा मामला लंबित हो तो अधिसूचना में कार्यभार संभालने की तिथि से शब्दों का उल्लेख करने की सामान्य प्रथा का पालन नहीं किया जा सकता क्योंकि नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने और वास्तव में कार्यभार संभालने के बीच महीनों का अन्तराल नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिये वह एक विशेष मामला है। ऐसे खास मामले रोज सामने नहीं आते क्योंकि ऐसे लम्बे मामले बहुत कम होते हैं।

विपक्ष के नेता स्वयं जानते हैं कि यह कुर्सी किस्सा, जैसा कि अब हम उसे पुकारते हैं, श्री वोहरा के समक्ष बहुत लम्बे अर्से से था।

श्री सी० एम० स्टीफन : कितने लम्बे अर्से से ?

श्री शान्ति भूषण : लगभग एक वर्ष से।

श्री सी० एम० स्टीफन : नहीं।

श्री शान्ति भूषण : अनेक गवाहों से पूछताछ की गई। जनवरी, 1978 में, उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि विचारण प्रतिदिन होना चाहिये। वस्तुतः उन्होंने एक अवश्यपालनीय आदेश जारी किया था कि इस मामले की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये और रिट याचिका के आधार पर उसका विचारण किया जाये।

श्री सी० एम० स्टीफन : विचारण अप्रैल में आरंभ हुआ और अभियोजन साक्ष्य अक्तूबर में समाप्त हुआ।

श्री शांति भूषण : विचारण में लगभग एक वर्ष का समय लग गया।

श्री सी० एम० स्टीफन : अप्रैल से अक्तूबर।

श्री शांति भूषण : अक्तूबर में विचारण समाप्त नहीं हुआ था।

श्री सी० एम० स्टीफन : 3 नवम्बर को अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो गया था।

श्री शांति भूषण : उसके बाद अभियुक्तों के बयान लिये जाने थे।

अप्रैल से उच्चतम न्यायालय के निदेश के अधीन, न्यायाधीश ने अन्य मामलों से भिन्न, मामले की प्रतिदिन कार्यवाही आरंभ कर दी जहां तक इस मामले का संबंध है, उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार, न्यायाधीश के समक्ष यह विचारण लगातार चल रहा था। विपक्ष के नेता इस बात से इन्कार नहीं करेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में अभियोजन साक्षियों से पूछताछ की गई थी। इसलिये, यदि उस समय, जब कि अभियोजन साक्ष्य लगभग समाप्त होने वाला था या समाप्त हो गया था, यदि उस चरण में, न्यायाधीश की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति कर दी गई होती तो उस हालत में, अभियोगियों को भी यह शिकायत हो सकती थी कि, "देखिये, आप बीच में एक न्यायाधीश की पदोन्नति करके, हमें विचारण की प्रक्रिया से एक बार फिर गुजरने के लिये मजबूर कर रहे हैं और जब बाद में आने वाले न्यायाधीश आयेंगे और जब तक अभियोजन साक्ष्य फिर से दैनिक आधार पर दर्ज किया जायेगा तब वह न्यायाधीश भी संभवत: पदोन्नति के लिये तैयार हो जायेंगे।" यह परेशान करने का बहुत गम्भीर मामला हो जाता और यहां तक कि अभियुक्त, वस्तुत: दोनों ही पक्ष इस प्रक्रिया पर बहुत आपत्ति करते। जब इतना लम्बा मामला होता है, जबकि एक पक्ष का साक्ष्य ही छ: सात महीनों तक किया जाना हो तो ऐसी हालत में, उस न्यायाधीश की जगह पर किसी दूसरे न्यायाधीश को रखकर, दोनों पक्षों को उस न्यायाधीश की सेवाओं से वंचित रखने पर, जबकि नियम यह हो कि उस मामले में कोई दूसरा विकल्प न हो और नये सिरे से विचारण करना पड़े, अभियुक्त व्यक्ति भी कह सकते थे कि : "इतने सारे अभियोजन साक्षी पक्षद्रोही हो गये हैं, अभियोजन में सहयोग नहीं दे रहे हैं और वस्तुत: यहां भी दावा कर सकता है कि इसलिये मामले में कुछ रह नहीं गया है, और इस चरण पर, आप पुनर्विचारण थोप रहे हैं ताकि इन अभियोजन साक्षियों को अभियोजन मामले का फिर से समर्थन करने का अवसर मिले और अभियुक्त पक्षद्रोही होकर अभियोजन मामले का समर्थन न करने के लाभ से वंचित रह जाये। क्या यह अभियुक्त के प्रति न्यायोचित है ?" मुझे पूरा विश्वास है कि यदि यह प्रणाली अपनायी गई होती, तो सरकार पर प्रहार किया जाता। कुछ लोगों ने यह कहा होता कि कुछ साक्षियों के साथ उन्हें बार बार परेशान करके सरकार जानबूझ-कर अन्याय कर रही थी इत्यादि। इसलिये, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष के नेता भी इस बात का पक्ष समर्थन नहीं करेंगे कि इस मामले में यह प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये थी। उनके प्रति निष्पक्ष होते हुये, मैं कहूंगा कि उन्होंने इस विषय में समर्थन, वादविवाद अथवा पक्ष प्रचार नहीं किया कि उन्हें तुरंत नियुक्त कर दिया जाना चाहिये था। दूसरी ओर, विपक्ष के नेता ने कहा कि समय से पहले यह निर्णय नहीं किया जाना चाहिये था, कि श्री वोहरा को विचारण के समाप्त

होने के बाद नियुक्त किया जायेगा क्योंकि यह, उनके शब्दों में, श्री वोहरा को प्रलोभन देने के बराबर था। उनकी राय में सरकार को यह मामला अनिर्णीत रखना चाहिये था, और विचारण समाप्त हो जाने के बाद ही उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिये था कि श्री वोहरा को नियुक्त किया जाये या नहीं और केवल तभी उनकी नियुक्ति का अनुमोदन किया जाता, इत्यादि। किन्तु विपक्ष के नेता इस पहलू पर ध्यान दें कि, उस हालत में यह कहा जा सकता था कि, "ठीक है, यह एक ऐसा मामला है जिसमें कुछ राजनीतिक पुट है क्योंकि एक भूतपूर्व मंत्री भी इसमें अभियुक्त व्यक्ति थे और ऐसे मामले रोज नहीं आते जिनमें भूतपूर्व मंत्री भी अभियुक्त व्यक्ति की स्थिति में हों" और इसलिये कुछ राजनैतिक सुझाव और तर्क दिये जा सकते हैं, और यदि उस मामले में, निर्णय नहीं लिया गया होता तो यह तर्क बिल्कुल सही साबित होता और जैसा कि मैंने कहा कि तथ्य और कानून और यहां तक कि सहज बुद्धि के अनुसार भी वे तर्क असंगत है क्योंकि उस हालत में, यह कहा जा सकता था कि बावजूद इसके कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उनके नाम का समर्थन किया था हम निर्णय नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम पहले यह देखना चाहते हैं कि क्या निर्णय दिया जाता है, कि श्री वोहरा उन्हें दोषमुक्त करते हैं या सिद्धदोष ठहराते हैं। यदि आप देखेंगे कि उन्हें दोषमुक्त किया गया है, तो आप कहेंगे "यह न्यायाधीश है जो पदोन्नति के योग्य है, आप इसे पदोन्नत करेंगे" और यदि वह सिद्धदोष ठहराता है तो "यह बेकार है, इसका निर्णय विश्वसनीय नहीं है, यह पदोन्नति के योग्य नहीं है।" प्रस्तुत संकल्प में जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, तब दिये जाते और तब उसमें कुछ वजन होता, यदि प्रस्तुत मामले में विपक्ष के नेता द्वारा समर्थित प्रक्रिया को अपनाया गया होता। जब हम कोई अप्रतिसंहरणीय निर्णय लेते हैं जब हमें यह मालूम नहीं होता कि निर्णय का परिणाम दोषमुक्ति या दोषसिद्धि होगा·····

श्री सी० एम० स्टीफन : "अप्रतिसंहरणीय निर्णय" से आपका क्या तात्पर्य है ?

श्री शांति भूषण : अप्रतिसंहरणीय इस अर्थ में कि उच्चतम प्राधिकारी को अर्थात राष्ट्रपति को और उनके नाम पर विधि मंत्री, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति को निर्णय लेना होता है। जहां तक निर्णय लेने का संबंध है, संविधान में निर्दिष्ट प्राधिकारियों से अर्थात, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, केवल यही तीन प्राधिकारी इस मामले से संबंधित होते हैं। इसलिये यदि इन तीनों प्राधिकारियों ने यह निर्णय कर लिया है कि, हां, यह नियुक्त करने के योग्य है क्योंकि यह वरिष्ठतम है, इसका पिछला रिकार्ड बहुत अच्छा है और इन तीनों प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद और उनके द्वारा प्रक्रिया का अनुमोदन किये जाने के बाद, सिर्फ इसलिये कि, यह एक नाजुक मामला है जिसमें कुछ राजनीतिक पुट है किसी के लिये यह सोचने का कोई अवसर नहीं है कि, "मुझे नहीं मालूम कि मैं नियुक्त किया जाऊंगा कि नहीं", आदि, यह अन्तिम निर्णय है·····

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या आपका आशय यह है कि एक विशिष्ट तिथि को भारत के राष्ट्रपति एक लिखित निर्देश देते हैं कि अमुक नियुक्त किया जाता है·····

श्री शांति भूषण : नियुक्त नहीं किया जाता । यह निर्णय किया जाता है कि वह नियुक्त किया जायेगा । नियुक्ति, नियुक्ति-पत्र के द्वारा की जाती है; यह निर्णय से नहीं होती ।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या भारत के राष्ट्रपति की ओर से एक निदेश होता है कि अमुक को नियुक्त किया जाता है अथवा नियुक्त किया जायेगा—मुझे ठीक मालूम नहीं वह क्या है—नियुक्ति की जा रही है परन्तु आदेश अमुक समय के बाद जारी किया जायेगा ? क्या राष्ट्रपति की ओर से ऐसा कोई निदेश होता है ।

श्री शांति भूषण : आप बिल्कुल सही हैं सिवाय इस भेद के कि यह निदेश नहीं होता कि यह एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है । नियुक्ति, नियुक्त-पत्र के द्वारा ही होती है । नियुक्ति-पत्र पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं । निर्णय लेने के समय से नियुक्ति नहीं होती है । पहले किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का निर्णय लिया जाता है, और फिर उसके बाद, राष्ट्रपति नियुक्ति-पत्र पर हस्ताक्षर करके नियुक्ति करते हैं । नियुक्ति-पत्र पर हस्ताक्षर करके नियुक्ति की जाती है । उससे भी पहले, हर मामले की फाइल राष्ट्रपति के पास जाती है, अर्थात्, जब किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का निर्णय किया जाता है, वह निर्णय तक भारत के राष्ट्रपति के स्तर पर किया जाता है । विधि मंत्री निर्णय लेता है; उसे प्रधान मंत्री का समर्थन प्राप्त होता है और उसे राष्ट्रपति का समर्थन प्राप्त होता है तब, किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का निर्णय अंतिम हो पाता है ।

तदुपरान्त कुछ औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं जैसे कि नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति से नमूना हस्ताक्षर और कुछ घोषणाएं ली जाती हैं । फिर, हर मामले में, मामले को एक और बार, दूसरी बार, राष्ट्रपति के पास इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि वह आदेश पर हस्ताक्षर करके नियुक्ति करें । प्रक्रिया का पहला भाग हर मामले में किया जाता है । इस मामले में भी वह पूरी की, यानी राष्ट्रपति के पास फाइल इस टिप्पण के साथ पहुंची कि श्री वोहरा को नियुक्त करने का निर्णय अभी ले लिया जाना चाहिये परन्तु निर्णय को लागू तभी किया जायेगा जब कि नियुक्ति-पत्र पर हस्ताक्षर हो जायेंगे और तभी जब कि मामला पूरा हो जायेगा क्योंकि उसमें इतनी समस्याएं थीं ।

ऐसा नहीं था कि सरकार ने इस प्रक्रिया के बारे में, पूरी तरह अपने आप निर्णय ले लिया था । मैंने अपने विवरण में कहा था कि इस मामले पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से चर्चा हुई थी और उन्होंने पूर्ण सहमति प्रकट की कि यह प्रक्रिया सही है । वास्तविक जीवन में, सब कुछ नितान्त सैद्धान्तिक नहीं होता । यहां तक कि ऐसे मामले में जहां यह निर्णय किया जाना होता है कि कब एक विशिष्ट नियुक्ति की जानी है, लोक हित की अनेक बातें होती हैं जो उस पर प्रभाव डालती हैं, जो कि न्याय के प्रशासन को भी प्रभावित करती है । यदि किसी विशेष नियुक्ति को समय विशेष से मामले के पक्षों में पूर्वग्रह पैदा हो यानी कि पक्षों को कठिनता और असुविधा हो जिसके लिये वे दोषी न हों तो वह भी नियुक्ति के समय के बारे में एक न्यायसंगत मामला है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिये । इसी कारण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सैद्धान्तिक रूप से इस बारे में परामर्श किया गया था ।

जहां तक मामलों के संचालन, उच्च न्यायालय की, परिधि के अधीन मुकदमों का संबंध है, क्योंकि संविधान के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण उच्च न्यायालय करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही इन आधारों पर संतुलित रूप से विचार करने के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी थे। मैं स्वीकार करता हूं कि जहां तक भूलों का प्रश्न है, निस्संदेह, इस विलम्ब से बकाया की स्थिति पर कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। वह चाहे, 0.1 प्रतिशत हो अथवा 0.01 प्रतिशत हो, इससे अन्तर नहीं पड़ता। यह भी एक कारण था कि मामलों में देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही, यह विचार भी था कि इससे न्याय की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि दो पक्ष हैं, एक ओर अभियोजन और दूसरी ओर प्रतिपक्ष जो कि सैशन न्यायालय के समक्ष लम्बे समय से एक मुकदमा लड़ रहे हैं उच्चतम न्यायालय का निदेश था कि विचारण को लगातार चला कर शीघ्र निपटारा किया जाये अर्थात् अपने अन्य सभी मामलों को स्थगित करके, इस मामले के विचारण पर अपना पूरा समय लगाये। उस स्थिति में विकल्प यह था कि वक्ता पक्षों को एक न्यायाधीश की सेवाओं से वंचित किया जाये जिससे कि उन्हें नये सिरे से, एक दूसरे न्यायाधीश के सामने विचारण शुरू करना पड़े। मैं निवेदन करता हूं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस बात के लिए तुरन्त सहमत हो गये और कहा कि 'यह ठीक नहीं होगा लेकिन फिर भी, लोगों का विश्वास बनाये रखने के लिए कुछ निर्णय किया जाना चाहिये : निर्णय को स्थगित करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि, अन्य का उससे ऐसा आभास होगा कि आप यह निर्णय भी लेना चाहते हैं जबकि आप जान जायें कि वह उसे दोषमुक्त करेंगे या सिद्धदोष करेंगे, इसलिये निर्णय अभी लिया जाये ताकि न्यायाधीश भी, मुक्त भाव से और दिमाग पर किसी बोझ के बिना, किसी भी पक्ष में मुकदमें का निर्णय दे सके; यदि उसके अनुसार पर्याप्त सबूत है तो वह सिद्धदोष कर सकता है और यदि उसे लगता है कि सबूत काफी नहीं है तो वह दोषमुक्त कर सकता है और, निस्संदेह, अपील का प्राधिकार तो सदैव ही रहता है।" इसलिये, मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे नाजुक मामले में, यही एकमात्र उपयुक्त प्रक्रिया थी। कोई प्रलोभन नहीं दिया गया था और जैसे ही अन्तिम निर्णय लिया गया और राष्ट्रपति के स्तर पर भी वह अनुमोदित हो गया, तो प्रलोभन का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। प्रलोभन का प्रश्न इसलिये नहीं था क्योंकि सरकार मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी; यह निर्णय किया जा चुका था कि उन्हें नियुक्त किया जायेगा, वह वरिष्ठतम व्यक्ति थे, पिछले मुख्य न्यायाधीशों की उनके बारे में बहुत अच्छी राय थी, इस नियुक्ति के लिये सुयोग्य थे, इत्यादि। इसके बाद यदि मान लीजिए, मुकदमे का अंत दोषमुक्ति में होता तो सरकार के लिये यह कह पाना संभव न होता कि, "इस मामले में उन्होंने दोषमुक्त कर दिया है; यद्यपि राष्ट्रपति तक के स्तर पर, उन्हें नियुक्त करने का निर्णय ले लिया गया है फिर भी हम नियुक्ति पत्र को बदल देंगे और उन्हें नियुक्त नहीं करेंगे।" वैसा संभव नहीं हो सकता था।

यदि, इसके विपरीत, सरकार की, नीयत खराब होती तो यही सही प्रक्रिया थी जिसका विपक्ष के नेता ने समर्थन किया है। न किसी बहाने से, मामले को टाला जा सकता था; समय नहीं है, इत्यादि और इस तरह फाइल पड़ी रहती। मैंने बहुत सी फाइलें देखी हैं जो अधिकारियों

की मेजों पर महीनों पड़ी रहती थीं। इसलिये यह फाइल भी अपेक्षित पड़ी रहती और जब निर्णय उपलब्ध हो जाता तो यह कहा गया होता, "ठीक है, देखिये; यद्यपि रिकार्ड में कुछ नहीं है तथापि मैंने इस न्यायाधीश के खिलाफ कुछ सुना है; यदि आर. एन. अग्रवाल जिन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, उनको पदावन्त किया जा सकता है यानी उनकी कार्यविधि बढ़ाई जा सकती थी तो बम्बई के अन्य न्यायाधीश के मामले में भी वही किया जा सकता है...।" यदि इस मामले में नीयत खराब होती तो ऐसा किया गया होता कि निर्णय घोषित होने तक उनको नियुक्त करने का निर्णय लिये बिना मामले को लटकाये रखते। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले में सबसे उपयुक्त प्रक्रिया अपनायी गई। इसलिये, मैं अपील करूंगा कि विपक्ष के नेता जिनके बारे में प्रसिद्ध हैं कि बहुत स्पष्टवादी हैं, इत्यादि, उनके लिये जब भी समय है कि वह "अप्रसन्नता" शब्द को हटा कर उसे 'संतोष और प्रसन्नता' से बदल दें।

ये मुद्दे उठाये गये कि विलम्ब का कोई उचित आधार था अथवा नहीं। मैंने स्पष्ट कर दिया है। विपक्ष के नेता अन्य मुद्दा भी उठा सकते हैं जो यह है कि जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उनके नाम का सुझाव दिया था और भारत के उच्च न्यायाधीश ने उसका समर्थन किया था तो यह वैधानिक स्थिति थी : मगर दिसम्बर में इस वैधानिक स्थिति में अन्तर आ गया क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर दिया गया और तदुपरान्त बाद में आने वाले न्यायाधीश के लिये आवश्यक नहीं था कि वह विचारण की पूरी प्रक्रिया पुन: प्रारम्भ करें। उस मौके पर कम से कम आप निर्णय बदल सकते थे और कह सकते थे, 'ठीक है, यद्यपि उस मौके पर उन्हें नियुक्त करता उचित नहीं था तो कम से कम अब हम उन्हें नियुक्त करने का निर्णय कर सकते हैं।' मगर अनुच्छेद 326 के परिवर्तित हो जाने के बाद भी स्थिति क्या है क्योंकि वह इस मामले पर भी लागू होगा। स्थिति यह है कि जबकि बाद में आने वाले न्यायाधीश के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वह मामले को नये सिरे से चलाये, उसे इस मामले में यह विवेकाधिकार दिया जाता है कि वह चाहे तो उसी चरण से विचारण को आगे बढ़ाये अथवा वह गवाहों से फिर से पूछताछ करे जिनसे पूछताछ की जा चुकी है। यह एक खास मामला था जिसमें बहुत से गवाह पक्षद्रोही हो गये थे। ऐसे मामलों में अभियोजन गवाह पक्षद्रोही हो जाते हैं और बहुत विवादास्पद मामला होता है, इत्यादि गवाहों का बरताव जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने अनेक अवसरों पर ध्यान दिलाया है और विविध उच्च न्यायालयों ने उस विनिर्णय का पालन किया है— गवाहों का बरताव बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषत: किसी विवादास्पद मामले में.....न्यायाधीश के लिये वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अन्यथा आप सत्य का पता कैसे लगाएंगे ? यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण है कि गवाहों ने साक्ष्य कैसे दिया है। इसलिये, एक ऐसे मामले में क्या होने की संभावना है ? उसमें यह होगा कि बाद में आने वाला न्यायाधीश कहेगा, मैं गवाहों का बरताव देखे बिना ऐसे विवादास्पद मामले का निर्णय कैसे करूं ? केवल साक्ष्य पढ़कर मुझ पर वह असर कैसे पड़ सकता है जैसा कि खुद सुनना पड़ता।' यह एक विवादास्पद मामला है। आशा है कि विपक्ष के नेता इस बात से सहमत होंगे कि यह मामला विवादास्पद है। अत: ऐसे विवादास्पद मामले में अभियुक्त को इस सारे विचारण का लाभ न मिल जाने का उस स्थिति या बाद की स्थिति में जबकि दंड

प्रक्रिया संहिता संशोधित की गई थी, खतरा था, और यह खतरा तब भी था, जब मामले को आगे बढ़ाया गया, और यह लगभग समाप्त होने को था, तथा दोनों पक्षों के गवाहों को दुबारा बुलाने और उनके दुबारा बयान लेने की स्थिति बन सकती थी, मैं इस मामले पर तब तक कोई राय नहीं दे सकता, जब तक साक्षियों को साक्ष्य देते हुए स्वयं न सुनूं। इससे बचा नहीं जा सकता था। इसलिए वही प्रक्रिया उचित थी और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, यह विलम्ब अत्यावश्यक था।

सभापति महोदय : केवल 8 मिनट ही शेष हैं।

श्री शान्ति भूषण ; मैंने केवल मुख्य बातों की ही चर्चा की है। मैं विपक्ष के नेता से अनुरोध करूंगा कि वह अपने संकल्प पर जोर न दें और इस स्पष्टीकरण के बाद इसे वापस ले लें।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं और श्री शांति भूषण वस्तुत: प्रशंसक वर्ग में ही शामिल हैं। उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं किंतु दुर्भाग्यवश वह मुझे इस बात से सहमत नहीं कर पाए हैं, कि सरकार सही है। आज वह सामान्य से अधिक प्रभावशाली वक्ता थे। सामान्यत: वह सुवक्ता नहीं रहते वरन् तथ्यपरक बात ही कहते हैं, किंतु आज वह वाक्पटु ही अधिक थे। संभवत: श्री अग्रवाल ने उनको बताया है कि सुवक्ता होना आवश्यक है। वह जानते थे कि मामला कमजोर है, इसलिए उसे प्रभावशाली ढंग से कहना आवश्यक था।

मैंने जो कुछ मुद्दे उठाए थे, वे तो रह ही गए हैं। मुझे अफसोस है कि मेरी बातों का उत्तर नहीं दिया गया। इधर-उधर की बातों में मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार के आचरण ने न्यायाधीश और उसके निर्णय को संदिग्ध बना दिया है या नहीं।

(1) जब श्री वोहरा को जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया तो संबंधित टिप्पणी में यह लिखा गया था कि 'किस्सा कुर्सी' मुकदमे पर वे ही विचारण करेंगे। उन्होंने इंकार नहीं किया। मैं यह मान लेता हूं कि उन्होंने इसे स्वीकार किया। यह सब उनके द्वारा इस मामले की सुनवाई आरम्भ किये जाने के एक महीने के भीतर ही हो गया। इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि उन्हें ही इस मामले की सुनवाई जारी रखने का भार क्यों सौंपा गया जबकि अन्य मामले भी थे।

(2) उनके पास बहुत से मामले लंबित थे—केवल यही मामला नहीं वरन् अन्य मामले भी विचाराधीन थे। उन्होंने उसे पिछले न्यायाधीशों के पास भेजा था, श्री वोहरा के पास नहीं, अत: इससे यह स्पष्ट होता है कि अन्य मामले भी उनके विचाराधीन थे। यदि अन्य मामले उनके पास निर्णय के लिए शेष थे, ऐसे में किसी एक मामले को चुन कर उसी मामले के आधार पर प्रशासन नीति या पदोन्नति की नीति पर निर्णय लेना, क्या विधि के सम्मुख समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करना नहीं होगा ?

(3) श्री वोहरा को मालूम हुआ और उन्हें बताया गया कि उन्हें पदोन्नत कर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। यह और बात होती यदि यह बात भारत के राष्ट्रपति और उनके बीच ही गोपनीय रहती किंतु ऐसा नहीं हुआ, श्री वोहरा को जो बताया गया,

और उन्होंने वही समझा भी कि बताए जाने की इस प्रक्रिया में दिल्ली मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के राष्ट्रपति सभी की स्वीकृति है। और श्री वोहरा को बताया गया, श्री वोहरा को इस बात का बोध कराया गया कि "इसमें भारत के राष्ट्रपति रुचि ले रहे हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रुचि ले रहे हैं, उच्च न्यायालय रुचि ले रहा है—सभी रुचि ले रहे हैं; और किस्सा कुर्सी' मामला विशेष मामला है। यदि यह जानकारी न्यायाधीश को मिले और वह उस मामले पर विचारण कर रहा हो, तो वह क्या करेगा ? प्रश्न तो यह है ? क्या आप समझते हैं कि इसका उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा ? इसीलिए मैंने कहा कि यदि विचारण न्यायाधीश को महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसा बोध कराएं तो यह न्यायाधीश पर दबाव डालने के समान ही है, और कोई भी स्वाभिमानी न्यायाधीश विक्षुब्ध होकर यही कहेगा कि 'मैं इस मामले पर और विचार नहीं करूंगा और यहीं से मामले में गड़बड़ी आ गयी, और फिर क्या हुआ ? उनकी नियुक्ति होनी है, जैसा कि मुझे बताया गया। मैं अखंडता के बारे में कुछ नहीं जानता। हम संविधान को जानते हैं; हम जानते हैं कि सरकार क्या करती है; हम जानते हैं कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति इनमें से किसी विशेष बात पर निर्णय नहीं लेता है। यह कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है। सरकार निर्णय लेती है; राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति इस मामले में स्वेच्छा का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता। यही वास्तविक संवैधानिक स्थिति है।

इसीलिए इसमें किसी प्रकार की भी अखंडयता नहीं है। तब क्या रह जाता है ? जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी और अन्य साथियों ने संकेत किया कि यही वह तारीख है जब, जिस न्यायाधीश की पदोन्नति होनी थी, उसकी पदोन्नति हुई। वास्तविकता यही है कि कोई भी अधिकारी शीघ्रातिशीघ्र पदोन्नति पाना चाहेगा। इसीलिए उस दिन से मामले को जल्दी से निपटा देने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। यदि आप मामले की डायरी देखेंगे, तो मालूम होगा कि अनेक याचिकाएं अस्वीकार कर दी गईं। एक साक्षी को दुबारा बुलाने के लिए निवेदन किया गया—अस्वीकार कर दिया गया। किसी विशेष साक्षी को बुलाने के लिए निवेदन किया गया—अस्वीकार कर दिया गया। आखिर क्यों ? क्योंकि अनुमति देने का अर्थ है विलंब, और विलंब का अर्थ मामले को निपटाने में देरी ही नहीं वरन् पदोन्नति पाने और कार्यभार संभालने में भी देर होना है। न्यायिक प्रक्रिया में इसी भ्रष्टता का उपयोग किया गया। आप न्यायाधीश को पदोन्नति का प्रलोभन देते हैं; आप शीघ्रता से निपटारा चाहते हैं। केवल यही विधि है, जिससे आप शीघ्रता से निपटारा करवा सकते थे।

अब वे यह पूछते हैं कि श्री वोहरा नियुक्ति के हकदार थे या नहीं। इस मामले में मैं 'हां' या 'नहीं'—कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि उससे संबंधित रिकार्ड के बारे में नहीं जानता, मैं उस व्यक्ति को ही नहीं जानता, फिर मैं उस पर कोई टिप्पणी क्यों करूं ? किंतु श्री वोहरा इन सभी गतिविधियों के बावजूद भी विचारण करते रहे, सामने प्रलोभन को देखते हुए तथा यह बताए जाने के बाद कि इस मामले में अमुक और अमुक की रुचि है उन्होंने शीघ्रता से मामले पर कार्यवाही करनी शुरू कर दी, क्योंकि नहीं तो उनकी पदोन्नति में विलंब हो जाएगा, यदि श्री वोहरा

उस मामले पर विचार करना जारी रखते हैं तो इससे पहले उनका कार्य-निष्पादन कैसा भी रहा हो, न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए उनकी योग्यता समाप्त हो जाती है, क्योंकि निष्पक्षता-भाव उनसे छीन लिया गया है। यह आप ही ने किया है। श्री वोहरा अब बलि का बकरा बन गए हैं। यह सरकार ने ही किया है। श्री वोहरा संदेहास्पद हो गए हैं। यही मुझे कहना है। अन्य बातों का मैं बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करना चाहता। केवल यही कहना चाहता हूं कि मेरा मुख्य मुद्दा ही रह गया, और उसका जवाब नहीं दिया गया। सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाली; विधि मंत्री ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाली; विधि मत्री ने मुख्य न्यायाधीश से अधीन न्यायालय में लंबित मामले के बारे में चर्चा की। विधि मंत्री ने उसकी पदोन्नति की, और उसे यह कह कर टाले रखा कि मामले के निपटारे के बाद ही पदोन्नति की जाएगी। न्यायिक प्रक्रिया में यह अत्यधिक हस्तक्षेप है। यह नितांत अनुचित है। इसीलिए निर्णय संदेहास्पद हो गया है। यह षडयंत्र लालच और प्रलोभन देकर कराया गया है। यही वह परिस्थितियां हैं, जिसमें ऐसा कराया गया। यह अनुचित है, श्री शांति भूषण को ऐसा नहीं करना चाहिए था।

मुझे यही कहना है। न्यायिक प्रक्रिया के मामले में मंत्री के रूप में श्री शांति भूषण के निष्कलुष काम पर छोटा सा दाग लग गया। मुझे इसका खेद है, मुझे केवल इतना ही कहना था। मैं तिरस्कारपूर्ण निंदा जिसमें श्री चटर्जी को बहुत रुचि है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, और उसे कहने का अभी कोई समय भी नहीं है। (व्यवधान) उन्हें न्यायपालिका में बहुत रुचि है। मैं उन्हें केवल यही याद दिलाना चाहूंगा, कि महान नेता श्री ई० एम० शंकरन् नंबूदिरीपाद ने कहा था कि भारत के जज बोल्शेविक के परिणाम है। उन्हें यह समझना होगा कि उन्होंने यही फतवा दिया। (व्यवधान) मैंने बहुत तथाकथित महान कार्य-निष्पादन देखे हैं; मैंने बहुत से प्रजातंत्र छाप काम देखे हैं; मैंने देश के प्रति आपका प्रेम भी देखा है; न्यायपालिका के प्रति सौहार्द भाव भी बहुत ज्यादा महसूस किया है; केवल इतना ही मुझे कहना है।

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा आरंभ करते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं तुरंत समाप्त कर देता हूं।

सभापति महोदय : 5.30 बज गए हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : केवल दो तीन मिनट और लूंगा, अगली बार आप उस पर मतदान करवा लें। मैं आधे घंटे की चर्चा में देर नहीं करना चाहता। ठीक 5.30 बजे से शुरू किया जाना है।

सभापति महोदय : 5.30 पहले ही बज चुके हैं। अत: हम आध घंटे की चर्चा शुरू करते हैं।

आधे घंटे की चर्चा

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में कथित अनियमितताएं

डा० रामजी सिंह : सभापति महोदय, यह 'आई० आई० टी० कानपुर में विश्वास का संकल्प इस स्थिति में पहुंच गया है, जहां विरोधी गुटों को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह से जांच आवश्यक है। जब इतनी भारी संख्या में कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं जिनमें कुछ तो स्पष्टत: गंभीर हैं—और राष्ट्रपति श्री रेड्डी जो कि इस संस्था के कुलाध्यक्ष हैं, के ध्यान में लाई जा चुकी हैं; तब शिक्षा मंत्रालय की उदासीनता समझ में नहीं आती।"

कानपुर के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की अनियमितताये और भ्रष्टाचार के आरोप आए हैं, उनके सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा है।

सभापति महोदय, इसके पहले कि और बातें मैं रखूं, मैं कहना चाहूंगा कि आई० आई० टी० कानपुर राष्ट्र की कितनी बड़ी सम्पत्ति है वह इस इंस्टीट्यूट की एनुअल रिपोर्ट, 1977-78 से प्रकट होता है कि :

इक्वीपमैंट	852 लाख
फर्नीचर	854 लाख
बुक्स वगैरह	164 लाख।

कहा जाता है कि यह संस्थान काफी बड़ा और उपयोगी है। मैं यहां पर अखबारों की बात नहीं कहना चाहता। मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन, डिपार्टमैंट आफ सोशल वेलफेयर के संबंध में एस्टीमेट्स कमेटी की 1977-78 की जो रिपोर्ट है उसके कुछ अंश मैं यहां पढ़ना चाहूंगा। बाहर की बातें तो गलत हो सकती हैं लेकिन एस्टीमेंट्स कमेटी की बातें गलत नहीं हो सकती हैं। अपेंडिक्स (8) में जो समरी आफ रेकमेंडेशन्स दी हुई हैं उसमें से थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा :

> 'आई० आई० टी० बंबई और कानपुर ने अभी अपने प्रस्ताव तैयार करने हैं, समिति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिश को लागू करने में इतनी देर करने के कारण अप्रसन्न है।"

यह है आई० आई० टी० की स्थिति। आप टेक्निकल एजूकेशन कमेटी की संस्तुति पर भी ध्यान नहीं देते हैं।

इतना ही नहीं आप इसकी रेक्समेंडेशन 245 को देखें :

> "समिति इस बात से अप्रसन्न है कि इस संस्था में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण शुरू करने में देरी की गई। जबकि आई० आई० टी० बंबई और दिल्ली के स्नातकोत्तर और प्रशासनिक स्थानों के लिए 1968 में ही आरक्षण शुरू कर दिया था, इस संस्था ने 1974 में आरक्षण शुरू किया।"

वहां के शेड्यूल्ड कास्ट्स स्टूडेंट्स ने भी लिख कर भेजा है कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ है। इसके अलावा रेकमेंडेशन 282 और 283 को भी आप देखें :

"समिति को यह नोट कर दुःख हुआ कि पुनरीक्षण समिति विशेषतः आई० आई० टी० कानपुर सम्बन्धी पुनरीक्षण समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब किया।"

तो यह है वहां की जन्म कुण्डली, लोगों को लगता होगा कि कुछ राजनीतिक कारणों से हमारे कुछ सदस्य इन बातों को उठाते हैं लेकिन यह एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है :

"समिति चाहती है कि आई० आई० टी० में उपलब्ध मूल्यवान सूक्ष्म उपकरणों के उपयोग का अनुमान लगाने के लिए गहराई से अध्ययन किया जाए ताकि उनके पूरे उपयोग के लिए आवश्यक उपाय किये जा सकें।"

मैं एक दो उदाहरण और रखना चाहूँगा। 563 में वह कमेटी कहती है : आई० आई० टी० कानपुर के मामले में सिफारिशों को इस तर्क पर लागू नहीं किया गया है कि वहां आवास की कमी है और बच्चों की स्कूल में भर्ती में कठिनाई है।

सितंबर, 1974 में कुलाध्यक्ष द्वारा जारी किये गए आदेशों के अनुसार विभिन्न आई० आई० टी० और भारतीय विज्ञान संस्था के बीच 'संचय विनिमय कार्यक्रम' को चालू करने की अत्यधिक धीमी गति से समिति निराश है।

इसमें सबसे ज्यादा जो सेंसर किया गया है, वह आई० आई० टी० कानपुर को किया गया है। इतना ही नहीं, एस्टीमेट्स कमेटी की केवल एक बात रख कर मैं इसको समाप्त करूंगा, क्योंकि वह बात बहुत इम्पोटट है, उसने 623 में कहा है :

समिति इस बात से चिंतित है कि जब आई० आई० टी० मद्रास और आई० आई० टी० बंबई ने 1976-77 के दौरान क्रमशः 12.94 लाख रुपए और 11.21 लाख रुपए की राशि अर्जित की तो आई० आई० टी० कानपुर ने केवल 4.31 खाख रुपए ही अर्जित किए थे।

यह है जो एस्टीमेंट्स कमेटी ने कानपुर के बारे में कहा है, मेरे पास तो आरोपों का बंडल है, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं रखना चाहूंगा, जिसका मैं प्रमाण न दे सकूं, सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि : लाखों का नुकसान बर्दाश्त कर आई० बी० एम० 7044 और 1401 कम्प्यूटरों की बिक्री।

अब यह जो टेंडर दिया गया है, इस टेंडर में इन्स्टीट्यूट को लॉश हुआ है। पचास लाख रुपए का टेंडर आया था लेकिन ऐक्सेप्ट किया कम था।

मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहूंगा। यह रिकार्ड मेरे पास है। इसमें एन० सदासीवन ने आई० बी० एम० 1401 के लिए 20 लाख रुपये और इन्डियन डेटा प्रोसेसर्स ने 30 लाख रुपये का टेन्डर दिया था लेकिन टेंडर 20 लाख का एवसैप्ट किया गया। आई० बी० एम० 7044 के लिए सदासीवन ने 20 लाख रुपये का टेंडर दिया था और इन्डियन डेटा प्रोसेसर्स ने 15 लाख रुपये का। इस तरह से 5 लाख रुपये का लास हो गया। यह रुपया कहां चला गया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्र की सम्पत्ति से खिलवाड़ किया गया और ये 5 लाख रुपये उनसे वसूल करने चाहिए जो दोषी हैं। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि और दूसरे वक्ता इसके बारे में कहेंगे।

इसी तरह से जे० एल० उपाध्याय की बात है। श्री जे० एल० उपाध्याय को एक लाख रुपए की राशि का भुगतान।

ये वहां पर थे और उनके बारे में यह तय हो गया था कि उनको 30 हजार रुपया दे दिया जाए और वे क्रिमनल केस लौटा लेंगे। राष्ट्र की सम्पत्ति के साथ खिलवाड़ करने वाले बदमाशों ने क्या किया कि 30 हजार के बदले एक लाख रुपये देने पड़े ताकि वे अपना क्रिमनल केस वापस ले लें। इस तरह से ये जो 70 हजार रुपये हैं, ये उनसे वसूलने चाहिए, यह मेरा दूसरा चार्ज है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जरनल्स के लिए जो एडवांस दिए गए, उनको एडजस्ट नहीं किया गया।

पत्रिकाओं के लिए ली गई अग्रिम राशि समायोजित नहीं की गई—मेसर्स एलाइड पब्लिशर्स को प्रति वर्ष पत्रिकाओं के लिए 10 से 15 लाख रुपए की राशि पेशगी तौर पर अभिदान के रूप में दी जाती है। लेखा अनुभाग ने वहां से मंगवाई गई पत्रिकाओं की रसीद के विवरण मंगवाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। एलाइड पब्लिशर्स को दी गई राशि बिना समायोजित किए ही खर्च के रूप में दिखाई गई है।

न मूल लिख्यते किंचित्। यह उनके बारे में है।

इसी तरह से मैं एक लेटर और पढ़ देना चाहता हूं कि किस तरह से सेन्ट पर सेन्ट एडवांस एलाइड पब्लिकेशन प्राइवेट लि० को दिया है। यह जनवरी 8, 1979 का डी० ओ० लेटर है।

"निवेदन है कि मेरे कार्यालय में दिनांक 8 जनवरी, 1979 को प्राप्त दिनांक 6 जनवरी, 1979 के आपके अर्ध सरकारी पत्र सं०..... के बारे में जो कि मेसर्स एलाइड पब्लिकेशन प्राइवेट लि०, नई दिल्ली को 6,51,648 रुपए की अग्रिम राशि की अदायगी के संबंध में है, मुझे यह कहना है कि....."

यह मेरा लिखा हुआ नहीं है। उसमें यह और लिखा हुआ है :

लेखा अनुभाग को पुस्तकालय से इन अग्रिम अदायगियों के बारे में कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आप चाहते हैं, तो इसकी पुस्तकालय से यथास्थिति जांच की जा सकती है।

अब चौथी बात मुझे आप से कहनी है—निजी दौरे के लिए विमान का उपयोग।

यह मैं इसमें नहीं कहूंगा क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी का 5652 क्वेश्चन है और इसका उत्तर दिया है। इसमें कहते हैं कि भोपाल गए, इन्दौर गए। वहां संजय गांधी का और इंदिरा गांधी का स्वागत करने के लिए गए। पूछने पर कहते हैं कि अपने खर्चे पर गए, पेट्रोल का खर्चा किया। यह भी कहते हैं कि हवाई जहाज हमारी व्यक्तिगत सम्पत्ति है। उसको हम मेन्टेन करते हैं। इसको हम मेन्टेन करते हैं इस तरह से कहना सरासर गलत है।

पांचवीं बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं—2000/- रुपए के बयाने के प्रति 15000/ रु० का समायोजन—

जब रासायनिक इंजीनियरी विभाग ने कटे-फटे और कहीं-कहीं मिटाए गए वाउचर प्रस्तुत किए, तो निदेशक ने आदेश दिया कि स्थायी रूप से संस्वीकृत 2000/- रु० के बयाने के प्रति विभाग

द्वारा खर्च की गई 15000/- रुपए की राशि समायोजित कर दी जाए । आपत्तियां रद्द कर दी गईं ।

जैसे इंदिरा राज में अपनी मर्जी से होता था वैसा ही अब भी होता है । मेरे पास ये फोटो स्टेट कापी हैं । इतने कम समय में सब तो नहीं पढ़ी जा सकती है, केवल थोड़ी सी आपको पढ़ कर सुनाता हूं—

"चूंकि मामला प्राधिकारियों के नोटिस में आ गया है और वाउचरों की जांच के लिए निदेशक ने समिति गठित कर दी है, शेष वाउचरों के समायोजना की प्रक्रिया समिति द्वारा आगे सिफारिश के लिए अभिलिखित विवरण के आधार पर ही अपनाई जाएगी ।"

सभापति महोदय, मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहना चाहता हूं । अब दूसरी बात यह है :

"जो फर्म विद्यमान ही नहीं उन्हें अग्रिम राशि दी गई ।"

इनको पकड़ कर जेल में रखने की बात है । कोई फर्म नहीं है, उसे एडवांस दे दिया है । जिसने इसको दिया उसे जेल में रखना चाहिए ।

"क्रम आदेश सं० पी० 6 ई० 29/73-74/600 दिनांक 25-9-73 के अनुसार क्रय अनुभाग ने आर्डर दिया था । संस्था ने बैंक के माध्यम से फर्म को 20% अग्रिम राशि अदा की जो 60.26 रुपए अधिक थी ....."

जब यह एक्सेस मिला तो पता लगा कि किसी नान एग्जिस्टिंग फर्म को यह दिया गया और एक्सेस अमाउंट दिया गया । बाद में पता चला कि लापता, बेनामी फर्म को, दिया गया । यह बात मैं बिना प्रमाण के नहीं कह रहा हूं । यह सुपरिंटेंडेंट का लिखा हुआ है । ये सब कागज पत्र हम शिक्षा मंत्री जी को दे देंगे । हमें उन पर विश्वास है कि वे न्याय करेंगे ।

"मेसर्स एन० जे० इलेक्ट्रॉनिक्स, बंबई को दिए गए आर्डर पी० ओ० सं० अमुक दिनांक 25 सितंबर, 1963 के अनुसार बैंक के माध्यम से फर्म को 90% अर्थात् 825.20 रुपए की अग्रिम राशि अदा की गई ।"

यह जो सारा हुआ है इसका कोई पता नहीं, इस फर्म का ही कोई पता नहीं है । इन सारी चीजों में इर्रेगुलेरिटी हुई है । समय की सीमा के अंदर मैं एक चीज कहना चाहता हूं—सांविधिक उपबंध का दुरुपयोग । हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं तो हम को चुप हो जाना पड़ता है । हम आपको रिपोर्ट से पढ़ कर सुनाते हैं—

"यह संस्था संसद् अधिनियम 1961 के अंतर्गत निगमित स्वायत्त संगठन है और पूरी तरह केंद्रीय सरकार से ही आर्थिक सहायता पाता है । यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है । आई० आई० टी० परिषदों, विभिन्न घटकों के निदेशक मंडल, भवन औरनिर्माण कार्य समिति, वित्त समिति, सीनेट आदि जैसे विभिन्न घटकों को अधिनियम और संविधि के अंतर्गत संगठित किया जाता है जो प्रशासन, पाठ्यक्रमों और पाठ्य विषयों सहित शिक्षा छोटे-बड़े निर्माण कार्य और मरम्मत तथा बजट आदि का संस्था का काम चलाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं ।"

उनको यह भी पढ़ना होगा। यह मिसयूज आफ स्टेचुटरी प्राविजन है। यह धोखा देने वाला है। यह स्टेचुटरी प्राविजन नहीं हो सकता है।

"किसी व्यक्ति का समर्थन करने के लिए सांविधिक उपबंध के घोर दुरुपयोग का उदाहरण श्री एन० सी० निगम की उप-निदेशक के पद पर नियुक्ति है। नियमित चयन समिति का गठन करने की प्रथा का उल्लंघन करके निदेशक मंडल के चेयरमैन ने 'स्वविवेक' का उपयोग करते हुए एक तदर्थ चयन समिति गठित की और डॉ० एन० सी० निगम को उप-निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया का शीघ्रता से निर्वहन किया।"

मैं इतना ही कहूंगा कि डायरेक्टर ने अपने मन से स्टेटिस्टिक्स लिए हैं।

इसलिए..... मैं नहीं कहता हूं कि वायोलेशन किया है किसी एप्वाइंटमैंट में। लेकिन केवल एक आदमी ही इन्टरव्यू में आए थे और स्टेचूट की धारा को तोड़ मरोड़ करके एक आदमी को बहाल कर लिया तो अब स्वायत्तता क्या करेगी, कैसे शिक्षा मंत्री हस्तक्षेप करेंगे ?

मैं जानता हूं कि आई० आई० टी० कानपुर में रिसर्च किस प्रकार से होता है क्योंकि मैंने वहां पी एच० डी० के लिए रिसर्च किया है। रिसर्च कैसे होता है मैं जानता हूं। डबल डाक्ट्रेट यह है। आधे दर्जन लोगों ने रिसर्च किया था। यहां पर एक सज्जन मनोहर प्रसाद जी—मनोहर लाल नहीं, मनोहर प्रसाद—उन्होंने रिसर्च का थीसिस जमा किया। चार एग्जैमिनर होते हैं। अब स्टेचूट कहता है कि अगर तीन एप्रूव कर दें और रिपोर्ट कर दें तो उसको पी एच० डी० मिल जानी चाहिए। तीन ने रिपोर्ट कर दी, एक ने डिफर किया यहां। अब तीन के रिपोर्ट करने के बाद भी उसको नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि ऐसे आदमी ने जिस ने नहीं दी अगर कोई पी एच० डी० की डिग्री उसके पास है तो वह उससे छीन ली जानी चाहिए। जो इस तरह से रिसर्च की मेहनत के साथ खिलवाड़ करता है उसके पास यह डिग्री नहीं रहनी चाहिए।

मैं शिक्षा मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं और न ही उनके बारे में पक्षपात की बात मैं कह रहा हूं। उनकी न्यायप्रियता में हमें विश्वास है। सारी चीज की जांच हो रही है यह मंत्री महोदय कहेंगे। लेकिन वह मौखिक रूप से हो रही है। वह हो भी चुकी होगी। लेकिन जो प्रमाण मैंने दिए हैं मैं जानता हूं कि पार्लियामैंट के पांच सदस्यों की जिसमें जनता पक्ष के भी और विरोधी दल के भी सदस्य हों और शिक्षक भी हों जो एक से एक बढ़कर हैं और लायर्ज भी हों, आप समिति बनाएंगे जो जांच करे और जांच करके अगर वह कुछ लोगों को दोषी पाए तो क्या आप उनको दंडित करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और ऐसे ही छानबीन करते हैं तो इसका सारा कलंक हमारे ऊपर लगेगा। झाड़पोंछ वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो रूल्ज को तोड़ मरोड़ रहे हैं, न्यायप्रियता और शिक्षा की स्वायत्तता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है, रिसर्च के कानून को तोड़कर डिग्री उसको नहीं दी है और इस सब के लिए जो अपराधी हैं, दोषी हैं, उनका पता लगाने के लिए क्या आप संसदीय समिति का निर्माण करेंगे और निष्पक्ष जांच इस सब की करवाएंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : सबसे पहले मैं डा० रामजी सिंह को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने आई० आई० टी० को प्रतिष्ठित संस्था माना, केवल

आई० आई० टी० कानपुर ही नहीं वरन् चार अन्य आई० आइ० टी० भी हैं जो देश में सर्वश्रेष्ठ तकनीशियन तैयार कर रहे हैं, जो कि अन्य देशों और उन्नत देशों में सम्मान से देखे जाते हैं।

उन्होंने ठीक ही कहा है कि उनकी भलीभांति देखभाल की जानी चाहिए। उन्होंने प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है। जब भी कोई प्रतिवेदन प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति प्रस्तुत करती है, तो सरकार हमेशा उस पर बड़ी सावधानी से विचार करती है और उनकी प्रत्येक सिफारिश और सुझाव की छानबीन करती है, ताकि सरकार यह जान सके कि किसी अधिकारी या मंत्री के हित में नहीं वरन् देश के हित में संस्था के लिए क्या उत्तम होगा। इसीलिए डा० रामजी सिंह ने प्राक्कलन समिति के बारे में जो उल्लेख किया है कि समिति परिसंपत्ति आदि के पूरे उपयोग किए जाने की गहराई से जांच चाहती है, तो मैं यह कहूंगा कि सरकार प्रस्तुत की गई इन सिफारिशों में से कुछ पर निश्चित रूप से विचार कर रही है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में की गई विस्तृत सिफारिशों के अलावा जो डा० रामजी सिंह ने और उदाहरण दिए हैं, वे प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में से उद्धृत नहीं हैं, जबकि उनका मुख्य कार्य प्राक्कलन समिति द्वारा की गई आलोचना से संबंधित था। सरकार इन मामले पर सावधानी से विचार कर रही है, और समुचित उपाय किये जाएंगे। तथा इस मामले में सरकार जो कार्यवाही कर रही है, उनका प्रतिवेदन प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के समक्ष भी रखा जाएगा। अतः मैं डा० रामजी सिंह से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि प्राक्कलन समिति के प्रतिबेदन पर जो कार्यवाही की जा रही है, उसे जानने के लिए वह धैर्य रखें।

उन्होंने मोटे तौर पर अनियमितताओं के कई अन्य मामले बताये हैं। किंतु मेरा यह अनुरोध है कि मूलरूप से पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आधे घण्टे की चर्चा सदन में उठाई गई थी तथा जिसका उत्तर मैंने दिया था। उस उत्तर में मैंने बताया था कि संस्थान के निदेशक के विरुद्ध बहुत शिकायतें की गई हैं तथा माननीय राष्ट्रपति, जो संस्थान, 'विजिटर' हैं के समक्ष सदन के माननीय सदस्यों ने निदेशक के आचरण के सम्बन्ध में जांच की मांग की थी। उन्हें प्रस्तुत किये गए कागजातों की प्रति मुझे मिल गई है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वर्तमान निदेशक डा० ए० भट्टाचार्य जी के मामले के बारे में था तथा इसमें मांग की गई थी कि उनके होते हुए, किए गए, अत्याचारों की जांच की जाए। मैंने कहा है कि इस संस्थान में निदेशक ही सब कुछ नहीं है। कानूनी रूप से मैं यह बात नहीं कह रहा और न ही इस समय मैं स्वायत्तता के विषय में बताना चाहता हूं। मैं तो संस्थान के अधिनियम और संविधि के अंतर्गत आने वाले विषय में साधारण तौर पर बताना चाहता हूं कि अन्य सभी संस्थानों में—निदेशक एक अधिकारी होता है—निसन्देह प्रमुख अधिकारी—किंतु उसके कार्यकलाप की देखरेख प्रशासन—बोर्ड द्वारा की जाती है, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं तथा बड़ी संख्या में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् के प्रतिनिधि भी होते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की एक सामान्य परिषद् है जो इस संस्थान के सम्पूर्ण मामलों की देखभाल करती है। अतः, माननीय सदस्य द्वारा बताये गए विशिष्ट मुद्दों को जांच के लिए प्रशासन बोर्ड के पास अवश्य भेजा जाएगा तथा उनसे विवरण भी मंगाया जायेगा, जिससे कि वे अपने विचार रख सकें। किंतु सदन के माननीय सदस्यों द्वारा

निदेशक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर बोर्ड ने पहले ही विचार किया हुआ है, मैं नहीं जानता कि बोर्ड क्या कुछ कहेगा। वित्तीय अनियमितताओं के लिए कुछ विशेष प्रश्न उठाये गए हैं। प्राइवेट लेखा परीक्षकों द्वारा नहीं, अपितु, सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा कराये जाने की व्यवस्था है जो इन मामलों की जांच करते हैं। वास्तव में यदि वित्तीय अनियमितता है तो सरकारी लेखा परीक्षक उस पर निश्चित रूप से अपनी टिप्पणी देगा तथा उस पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी। डा० रामजी सिंह ने कहा है कि वे ये कागजात मुझे उपलब्ध करायेंगे। यदि ये कागजात मुझे उपलब्ध हुए, तो मैं निश्चित रूप से मामले की जांच करूंगा। किंतु मैं एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस बात के लिए इच्छुक है कि अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं सहित इस सम्मानित संस्थान को इन बातों से ऊपर रखा जाये। भारतीय तकनीकी, संस्थाओं और विभिन्न निकायों, जो भारतीय तकनीकी संस्थानों पर शक्तियों का प्रयोग करती हैं के ढांचे को ध्यान में रखते हुए यदि किसी भारतीय तकनीकी संस्थान के कार्यों के विषय में कोई सन्देह है, तो सरकार निश्चित रूप से यह देखेगी कि इन संस्थाओं की अनावश्यक अलोचना न की जाए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के कुछ विद्यार्थी कुछ समय पूर्व मुझसे मिले और उन्होंने बताया कि इस तरह से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रेस में आलोचना किए जाने से उनका भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की उपाधियों में लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। मैं माननीय सदस्यों से बहुत ही विनम्रता से निवेदन करता हूं वे यह लीक न पकड़ें। किंतु यदि कोई वास्तविक मामला तैयार किया जाता है, उसके लिए बोर्ड है। चाहे ये सरकारी लेखा परीक्षक अथवा महालेखाकार हैं, उसकी वास्तव में जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं के चैयरमैन के रूप में, यदि डा० रामजी सिंह विशेष रूप से वे मामले बता सकें जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किए जा सकते, तब समुचित कदम उठाये जाएंगे।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : 3 संसद सदस्यों की समिति नियुक्त करने के लिए दिए गए मेरे सुझाव का क्या रहा ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : मेरा अनुरोध है कि संसद सदस्यों की सामान्य रूप से देश के प्रति बड़ी जिम्मेदारियां हैं तथा मैं नहीं समझता कि अकेली एक संस्था के मामलों में संसद सदस्यों को अपना समय खर्च करना चाहिए।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति जी, मैंने माननीय मंत्री महोदय के विचार सुने और मैं उनसे इस बात में सहमत हूं कि किसी का भी यह विचार नहीं है कि आई. आई. टी. के बारे में देश में इम्प्रैशन खराब किया जाये। लेकिन साथ ही साथ आपको मालूम है कि 25,30 एम. पीज ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिखकर भेजा है और उनसे वह मिले भी हैं और उन्होंने कुछ चार्जेज लगाये हैं।

आपने सवाल के जवाब में कई बार यूनिवर्सिटी, के बारे में कहा है कि वह तो आटोनामस है, अभी भी आपने कहा कि उनका बोर्ड है, एक आदमी काम नहीं करता। ठीक है, वह बोर्ड है; लेकिन जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या और यूनिवर्सिटीज हैं वहां भी वाइस-चांसलर और एग्जी-

क्यूटिव काउन्सिल होती हैं लेकिन वह एग्जीक्यूटिव काउन्सिल और बोर्ड डायरेक्टर के कहने के मुताबिक ही चलते हैं। यह प्रायः हर जगह होता है, जो मिनिस्टर कहेंगे, कैबिनेट प्रायः वही मानती है। स्मूथ वर्किंग के लिए जरूरी भी शायद होगा, लेकिन इसलिये बोर्ड को रैफर करना, आप देखें, मैंने देखा है कि कुछ इर्रेगुलैरिटीज हैं, माल-प्रैक्टिसेज हैं, शिकायतें हैं और कुछ तो फाइनेन्शियल हैं, कुछ एप्वाइन्टमैंट के बारे में हैं, कुछ मिस-यूज आफ अथारिटीज और पर्सनल मिस-यूज के बारे में हैं।

फाइनेन्शियल इर्रेगुलैरिटीज का जहां तक सवाल है तो मैं समझता हूं कि आई०आई०टी० आटोनामस भी हो, आप यह मानेंगे कि जो पैसा कंसौलिडेटेड फंड आफ इंडिया से दिया जाता है, पार्लियामैंट के जरिये से कोई विश्वविद्यालय अथवा कोई अन्य प्राधिकरण संसद के प्रति उत्तरदायी है। आप सहमत होंगे कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा और सब मामले की जांच करते हैं। आई० आई० टी० संसद के प्रति उत्तरदायी है। एक स्वायत्त-शासी निकाय होने के बावजूद भी यह संसद के प्रति उत्तरदायी है। जब मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में गया तब मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है। वहां मुझे सबसे ज्यादा चौंका देने वाला एक मामला देखने को मिला वहां बैंक में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम से लगभग दो करोड़ रु० जमा थे। ये बैंक में जमा थे, किंतु बैंक में जमा धन के बारे में विश्वविद्यालय को कुछ मालूम न था। क्या आपके सामने ऐसे मामले आये हैं ? मेरी समिति द्वारा इसका निर्देश दिया गया था। लगातार अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि, जहां तक वित्तीय मामलों का सम्बंध है, यह आई० आई० टी० संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है ? आपने उस मामले में क्या किया। एक मामले में··· ····

सभापति महोदय : आपको सिर्फ स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं केवल एक ही स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। एक विश्वविद्यालय में आपने दूसरी बार लेखा परीक्षण करायी, दूसरी बार सरकारी लेखापरीक्षण शिकायत में बताए गए विशेष मामले में कराई। अतः, इस मामले में भी, जहाँ तक गबन और धोखाधड़ी जैसी वित्तीय अनियमितताओं का सम्बंध है, क्या आप ऐसे प्रस्तावों पर विचार करेंगे तथा मामले की विस्तार से जांच के लिए क्या आप किसी सरकारी लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेंगे तथा इसे निदेशक बोर्ड पर नहीं छोड़ेंगे ?

मैं नहीं जानता किस सीमा तक शिकायतें सही हैं। एक अफवाह है कि निदेशक का आप से सम्बंध है। क्या वास्तव में वह आप से सम्बन्धित हैं; मैं नहीं जानता ? आपके अपने हित में, मैं आप से निवेदन करता हूं कि नियुक्तियों तथा और सभी मामलों के सम्बंध में, आप इन सभी मामलों को किसी व्यक्ति को भेजें, जिससे कि सभी कुछ स्पष्ट हो सके। ये मेरे दो प्रश्न हैं। पहला, वित्तीय अनियमितताओं के बारे में, क्या आप दूसरा लेखापरीक्षक नियुक्त करेंगे, क्योंकि लेखा परीक्षा पूरी हो जानी चाहिए ? लेकिन उसी मामले के लिए जिसके विषय में शिकायत की गई है, जैसा कि एक विश्वविद्यालय के मामले में आपने किया है, क्या आप लेखापरीक्षा विभाग को भेजेंगे ? मेरा

दूसरा प्रश्न अन्य मामलों के बारे में है जो केवल गम्भीर मामले हैं। यदि वे गम्भीर हैं, क्या आप किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, यहां तक कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा आपके मंत्रालय से कोई व्यक्ति ? क्या आप इसकी जांच हेतु किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे ? ये मेरे दो प्रश्न हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : माननीय सदस्य श्री कंवर लाल गुप्त एक बहुत अनुभवी वकील तथा एक अनुभवी सांसद हैं। परन्तु मैं सम्मान के साथ यह कहता हूं कि उनका मंत्रिमण्डल तथा प्रधानमंत्री की बात बिल्कुल उपयुक्त नहीं है क्योंकि मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अथवा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं के बोर्ड आफ गवर्नर के मामले में, निदेशक की शक्ति कम होती और जैसा कि मैंने पहले कहा है, उस क्षेत्र में तथा आई० आई० टी० की परिषद् में भी, जिन पर निदेशक का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अलग-अलग राज्यों के अधिक संख्या में सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, परन्तु मैं इन तकनीकी बातों में नहीं जा रहा हूं। मैं अपने माननीय मित्र से पूरी तरह सहमत हूं कि किसी भी संस्था को, जिसे सरकारी निधि—राजकोष से निधि जुटाई जाती है और यदि उसमें कोई वित्तीय अनियमितता होती है तो वह बच कर नहीं जाएगी तथा संविधि में उसके संरक्षण के उपाय भी किए गए हैं। उदाहरण के लिए, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम की धारा 9 (2) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है —

> "विजिटर एक या एक से अधिक व्यक्तियों को किसी संस्थान के कार्य एवं प्रगति की समीक्षा करने तथा उसके मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए नियुक्त कर सकता है जो उस पर 'विजिटर' के मार्गदर्शन के अनुसार प्रतिवेदन देंगे।"

अगली उप-धारा में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि विजिटर इन संस्थानों को इन निर्देशों का पालन करने का निर्देश दे सकता है। अत: सरकार के हाथों में पर्याप्त शक्ति है। किन्तु यह सख्त कदम है। जब तक कि कोई उचित मामला तैयार नहीं किया जाता। इन मामलों में इस प्रकार की लम्बी जांच, इसके हल की अपेक्षा ज्यादा उलझन उत्पन्न करेगी। अत: मैंने डा० रामजी सिंह को बताया है, यदि वे मुझे इन विशेष मामलों को दे देते हैं, ये बातें निश्चित रूप से पूरी की जाएंगी।

श्री कंवर लाल गुप्त ने दो बातों का उल्लेख किया है। एक यह है कि क्या वित्तीय अनियमितताओं को किसी सरकारी लेखा परीक्षक को भेजा जा सकता है। यदि उनके मुद्दों को विशेष रूप से मेरे सामने लाया जाता है तथा प्रथम दृष्टि में डा० रामजी सिंह मुझे संतुष्ट करते हैं, तब मैं इसे एक बार और सरकारी लेखा परीक्षक के पास भेजने के लिए तैयार होऊंगा जिससे कि इन मामलों की जांच हो सके। अन्य मामलों के विषय में मैं अपनी बात पहले ही कह चुका हूं।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोहतरिम सदर साहब, चूंकि ज्यादातर इल्जामात के बारे में कह दिया गया है, और वक्त नहीं रहा है लिहाजा मोहतरिम वजीर साहब ने श्री मनोहर लाल को जो जवाब दिया है, उसके मुताल्लिक मैं मालूम करना चाहता हूं कि आटानोमस बाडी किस को कहते हैं। कोई भी आटानोमस बाडी जिस मिनिस्ट्री में आती है, क्या वह मिनिस्ट्री उसकी खराबियों के लिए जिम्मेदार नहीं है और पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है ? अगर वह जिम्मेदार और

जवाबदेह है, तो मैं यह नहीं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब सिर्फ यह कह कर मेम्बर, पार्लियामेंट की बेइज्जती कराते रहें कि आटानोमस बाडी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा खयाल है कि .....

सभापति महोदय : आप सिर्फ सवाल पूछें। डा० रामजी सिंह ने इस डिसकशन को शुरू किया है। बाकी सदस्य सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं। (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल (कानपुर) : सभापति महोदय, यह मामला कानपुर का है, इसलिए मुझे भी सवाल पूछने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : यह मामला इतना बड़ा है कि इस पर दो घंटे का डिसकशन होना चाहिए।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : सभापति महोदय हमें कुछ प्रश्न करने हैं।

सभापति महोदय : आपके नाम इसमें नहीं हैं।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : निस्सन्देह हमने अपने नाम भेजे थे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने नोटिस दिए हैं, किंतु आपने नोटिसों को 11 बजे बाद दिया है। इस कारण उन्हें रद्द कर दिया गया है। जहां तक आपके नाम का प्रश्न है, आपका नाम यहां नहीं है, क्योंकि बैलट में आपका नाम नहीं आया।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : क्योंकि हम प्रश्न पूछने का अवसर चाहेंगे।

श्री रसीद मसूद : क्या आटोनामस का मतलब यह है कि कोई भी मेम्बर आफ पार्लियामेंट उसके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता है या उसके बारे में कोई और चीज नहीं कर सकता है ? क्या आटोनामस बाडी का मतलब यह है कि वह जो चाहे करते रहें, चाहे जितनी इर्रेगुलैरिटी करते रहें, चाहे जितनी ला-कानूनियत करते रहें और कोई चेक नहीं हो सकता है ? वजीर साहब अगर यह समझते हैं कि ये दोनों बातें हैं, तो ऐसा कहें, फिर यकीनन मुस्तकबल में कोई एम० पी० सवाल नहीं करेगा और अगर ये बातें नहीं हैं तो वजीर साहब आटोनामस का बहाना करके हमारे प्रश्नों का जवाब देने से मना न करें।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन की बैठक केवल 6 बजे तक निश्चित की गई थी। समय बढ़ाने के लिए सदन की राय मांगी जानी चाहिए थी। यदि, राय लिए बिना, सदन की कार्यवाही छः मिनट तक जारी रहती है, तो निश्चित रूप से यद्यपि हमारे नाम इसमें नहीं हैं, हम प्रश्न रखने के लिए सदन की सहमति प्राप्त कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही 7 बजे तक चलाई जाए तथा अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने दिये जायें।

सभापति महोदय : आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। यह सही है कि मुझे सदन की इच्छा जाननी चाहिए थी। मैंने समझा था कि प्रश्न पांच मिनट के भीतर समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इन्हें लम्बा समय लग गया।

क्या सदन की यह इच्छा है कि सभा दस मिनट के लिए और बैठे।

माननीय सदस्य : हां ।

सभापति महोदय : यदि इसे एक घण्टा और बढ़ा दिया जाए, फिर भी आपको बोलने के लिए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपका नाम बैलट में नहीं है। इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है ।

सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए बढ़ाई जाएगी ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इस सदन के माननीय सदस्यों के प्रति किसी प्रकार का अनादर का भाव दिखाने का प्रश्न नहीं है । वे प्रश्न उठा रहे हैं । वास्तव में, इस आई० आई० टी० कानपुर के सम्बंध में अनेक प्रश्न पहले ही उठाये जा चुके हैं, और हम इन सभी मामलों पर सदन में चर्चा कर रहे हैं । इसी तरह से, दूसरे सदन में भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं । यदि, स्वायत्तता की दलील दी जाएगी तो कोई दायित्व नहीं रहता है, और हमने प्रश्नों का उत्तर कतई नहीं दिया होता । हमारे द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि हमारे अन्दर सदस्यों के प्रति सम्मान है । मैं भी सदन का एक सदस्य हूं और किसी दिन मैं भी दूसरे पक्ष में हो सकता हूं तथा कुछ प्रश्न उठाना चाहूंगा । अत: सदस्यों के प्रति मैं असम्मान कैसे प्रदर्शित कर सकता हूं ।

संसद ने कुछ अधिनियम एवं संविधियाँ पास की हैं जिनके आधार पर इन संस्थाओं को कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, तथा उन्हें इन शक्तियों के भीतर वे निर्णय ले सकते । उदाहरण के तौर पर, किसी पार्टी की बर्खास्तगी को लें । यह एक घरेलू विवाद का मामला है, तथा यदि नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है, तो न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता । फिर न्यायालय के पास यह सुनिश्चित करने की शक्तियाँ हैं कि नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं ।

इन संस्थाओं द्वारा स्वायत्तता का लाभ संसद के अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार ही उठाया जाता है । इसलिए जब हम स्वायत्तता की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि दायित्व कोई नहीं है । मैने उस अधिनियम का हिस्सा यह दिखाने के लिए पढ़कर सुनाया है कि 'विजिटर' अर्थात विजिटर को सलाह देने वाली सरकार वह इस मामले में कार्यवाही कर सकती है । इस प्रकार से माननीय सदस्य की आशंका सही नहीं है ।

सभापति महोदय : श्री ब्रज भूषण तिवारी, आप सिर्फ सवाल पूछिए ।

एक माननीय सदस्य : हर आदमी को सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए ।

श्री मनोहर लाल (कानपुर) : सभापति महोदय, यह मामला हमारे कानपुर का है । हम यह मानते हैं कि आप के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हमारा नाम बैलट में नहीं आया लेकिन आप इस बात को ख्याल में रखेंगे, यह हमारे क्षेत्र का मामला है, शुरू में मैंने इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया है और तीन बार शिक्षा मंत्री से मिला हूं, तीन बार राष्ट्रपति से मिला हूं । वहां की तमाम अनियमितताओं के बारे में, डायरेक्टर की तानाशाही के बारे में, डायरेक्टर के श्रीमती इन्दिरा गांधी और संजय गांधी से सम्बन्धों के बारे में—यह सारी चीजें लिखी गई हैं और पेपर्स में छपी हैं लेकिन इसके बावजूद बैलट में चूंकि मेरा नाम नहीं आया इसलिए मुझे बोलने का

मौका नहीं मिला, हम आपसे डिमाण्ड करते हैं कि इस पर दो घंटे की चर्चा होनी चाहिए जैसा कि स्पीकर साहब ने 2 तारीख को आश्वासन दिया था। यहां पर डायरेक्टर बैठे हुए हैं.....

सभापति महोदय : हम आपके जजबात की कद्र करते हैं, यह आपके क्षेत्र का मामला है लेकिन मैं क्या करूं ? मैं मजबूर हूं। यह आपकी बदकिस्मती है कि बैलट में आपका नाम नहीं आया। आप 2 घंटे की चर्चा के लिए स्पीकर साहब से डिमाण्ड कर सकते हैं।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : हम सब अपने मित्र श्री मनोहर लाल के विचारों का समर्थन करते हैं। दो घण्टे की होने दी जाए। हम सब चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मनोहर लाल, आपके विचार अध्यक्ष को भेज दिए जाएंगे।

श्री ब्रज भूषण तिवारी : सभापति महोदय, आई. आई. टी., कानपुर में अनियमितताओं और मनमानी नियुक्तियों तथा प्रोन्नति के सम्बन्ध में तमाम बातें कही गई हैं। डा० रामजी सिंह ने बहुत से तथ्य आपके सामने रखे हैं। इसके पहले भी प्रधान मंत्री तथा माननीय शिक्षा मंत्री को लिखित रूप में कई सदस्यों ने दिया है, इस सदन में भी नियम 377 के अन्तर्गत मामले को उठाया है और सवाल भी हुए हैं लेकिन इसके बावजूद शिक्षा मंत्री अपनी आंखें बन्द किए हुए हैं। इतना सब होने के बावजूद उनको कोई प्राइमा-फेसी केस नजर नहीं आता है।

मैं उनके उत्तर के सम्बन्ध में पूछना चाहूंगा, पिछली बार जिस प्रश्न पर आधे घंटे की की चर्चा उठाई गई थी, श्रीमती पार्वती कृष्णन का प्रश्न था, उसमें उन्होंने लिखा था।

> "एक शिकायत थी कि कैम्पस के प्रधानाचार्य श्री ले० एस० मिट्टू को बर्खास्त कर दिया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करने के बाद उन्हें बर्खास्त किया गया था। उसके बाद यह सज्जन उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। उसके बाद इस संस्थान में राजनैतिक दबाव शुरू किया गया।

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर ; मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने सभा को गुमराह करने के लिए यह मामला अध्यक्ष महोदय के सामने उठाया है। इसलिए यह मामला अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। इस मामले पर एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है। जब मामले को अध्यक्ष के पास भेजा गया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसे अध्यक्ष महोदय के सामने रखा जाना चाहिए।

श्री ब्रज भूषण तिवारी : अगर प्रिविलेज का मामला उठाया गया तो उसका जबाव आयेगा लेकिन यह जो आधे घंटे की चर्चा उठाई गई, इस प्रश्न का जो उत्तर था वह बिलकुल झूठ, गलत और तथ्यों पर आधारित नहीं है। श्री जे एम० मट्टू ने स्वयं मुझे पत्र लिखकर कहा है कि मैंने हाईकोर्ट में कोई मुकदमा या किसी प्रकार का केस दायर नहीं किया इसलिए खारिज होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

दूसरी बात यह है कि 3 सितम्बर, 1977 को "ब्लिट्ज" में छपा था कि आई० आई० टी० कानपुर मे विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्यायें सबसे अधिक हैं इसके अलावा आज भी कर्मचारियों द्वारा

हड़ताल चल रही है। तमाम प्रकार के धरने हुऐ हैं। अध्यापकों में असंतोष है, विद्यार्थियों में असंतोष है। तमाम लोगों ने शिकायतें लिखकर भेजी हैं। इतना ही नहीं, जो जे ई ई के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी व्यापक पैमाने पर धांधली की गई है। इस धांधली के बारे में भी मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्राइमा-फेसी केस नहीं बनता इसीलिए अगली कार्यवाही नहीं की गई।

इसी सम्बन्ध में मैं जो ए के दर कमेटी की रेकमेंडेशन्स से दो चार लाइनें सुनाना चाहता हूं :

"जैसा कि आपने सुझाया है, मैंने समाज समिति द्वारा की गई संयुक्त प्रवेश परीक्षा के विषय में मैंने पेपरों की जाँच की है तथा मेरे विचार इस प्रकार हैं :—

"कोड संख्या एन. डब्ल्यू. 64, एम. एक्स. 41 और एफ. 242 के सम्बंध में पहले लिखे को काटकर दोबारा किया गया लगता है।

इन उम्मीदवारों के मामले में, किए गए मूल कार्य को बदला गया है। उपर्युक्त काट-पीट के बाद लिखाई पर कोई आद्यक्षर नहीं किए गए। इस सम्बंध में नीति-निर्धारण कर कोई अभिलिखित सबूत समिति के पास नहीं है। रद्दोबदल करने के लिए किसी एक समान पद्धति का पालन किया जाना दिखाई नहीं देता।"

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि रद्दोबदल करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जांच के लिए प्रथम दृष्टि में प्रतीत बनता है।

दिनांक 10 अप्रैल, 1976।

इसके बाद इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

फिर अनुसूचित जातियों के बारे में भी एस्टीमेट्स कमेटी ने भी लिखा है। यहां पर एक श्री आर० आर० वर्मा थे, जिनका प्रोमोशन हुआ था एज ए सुपरिन्टेंडेंट परन्तु जो वर्तमान डाइरेक्टर हैं उन्होंने उनको चार्ज नहीं लेने दिया। उस संस्था के चैयरमैन मि० थापर हैं और हम तो यह देखते हैं कि जितनी भी आई० आई० टीज देश में हैं, उनके चैयरमैन बड़े उद्योगपतियों और कारखानेदारों को ही बनाया जाता है जो अपने धन्धों में व्यस्त रहते हैं और केवल एक रबड़-स्टैम्प की तरह काम करते हैं। वह डाइरेक्टर के कब्जे में रहते हैं। मि० वर्मा जो थे, उनको चार्ज नहीं दिया गया और गवर्नमेंट आफ इन्डिया की जो ला मिनिस्ट्री है, उसने अपनी रिपोर्ट में साफ यह राय दी है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है मगर चैयरमैन मि० थापर जो हैं, जिनको हमारे श्री मनोहर प्रसाद पत्र लिखते हैं, वे उन को धमकी देते हैं। यह जनवरी 12, 1979 की चिट्ठी है, जिस में से मैं पढ़ कर आपको सुनाता हूं।

"मेरा विचार है कि यदि इस प्रश्न को समाप्त नहीं किया जाता, तो हो सकता है कि श्री वर्मा मुश्किल में पड़ जाए, यदि मैं मदद कर सका, तो मैं उनका मुश्किल में पड़ना पसंद नहीं करूंगा।"

इस प्रकार की धांधलेबाजी होती है और इस प्रकार की धमकी वहां के कर्मचारियों को दी जाती

हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, जिस के बारे में एस्टीमेट्स कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां के जो रजिस्ट्रार हैं, उनको बिना किसी औचित्य के और बिना किसी कारण के ससपेंड कर दिया गया। 19 जनवरी, 1979 को गवर्निंग बाडी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ससपेंशन की कोई चर्चा नहीं हुई। 23 जनवरी को श्री के० पी० सिंह ने, जो गवर्निंग बाडी के सदस्य हैं, मि० थापर को लिखा कि रजिस्ट्रार गिरराज किशोर जो हैं, उनके बारे में क्या कार्यवाही हो रही है। इसके बावजूद भी 19 जनवरी को वहां जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इसकी कोई चर्चा गवर्निंग बाड़ी में नहीं हुई मगर बैक डेट में चैयरमेन के ससपेंशन आर्डर पर दस्तखत करा दिये गये। 29 जनवरी के लेटर में यह बात बताई गई है। इसी प्रकार से और भी बातें हैं। एक नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी बातें हैं। जो रजिस्ट्रार, फाइनेन्स हैं, इनकी नियुक्ति कब हुई। गवर्निंग बोडी की 45 वीं मीटिंग में यह हुई थी। इस सम्बन्ध में मैं दो लाइन आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है :

"उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए मूल्यांकन योजना।"

यह बात उसमें तय नहीं हुई थी कि हाई पोस्टों के लिए यह नहीं है बल्कि जो और पोस्टें हैं उनकी नियुक्ति के बारे में है मगर इसको वायलेट करके मि० एस० एस० श्री वास्तव की नियुक्ति की गई क्योंकि सारे घोटाले, सारी टेक्नीकल एजूकेशन की जो ग्रान्ट है, उसका 70 फीसदी पैसा इन बड़े हाथियों को दिया जाता है। सात-सात करोड़, छः-छः करोड़ रुपये की ग्रान्ट उनको मिलती है। इसलिए फाइनेन्स डिपार्टमेंट में ऐसा आदमी होना चाहिए, ऐसा रजिस्ट्रार होना चाहिए जो इनकी मनमानी को न माने लेकिन इस प्रकार की नियुक्ति करके ये अपने ही आदमी को रखते हैं। तो मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि तमाम अखबारों में सारी बातें कही गई हैं, ग्लेरिंग इंसटान्सेज इर्रेगूलेरिटीज की है और फाइनेन्शियल करप्शन की बातें भी कही गई हैं और जांच कराने का प्रोविजन भी है और अभी हाल में वहां के डायरेक्टर ने स्वयं वहां के स्थानीय अखबारों में यह बयान दिया था कि मैं जांच करने के लिए तैयार हूं और इसमें आटोनामी की कोई अड़चन नहीं बनती है परन्तु पता नहीं सरकार क्यों हिचकिचा रही है। यह एक विचित्र स्थिति है कि वहां का डायरेक्टर बयान देता है कि जांच कराओ और हमारे शिक्षा मंत्री की आंखों पर पट्टी बंधी है कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है। मैं स्पष्ट तौर पर उत्तर चाहूंगा कि जब इस प्रकार के गम्भीर आरोप हैं, एस्टीमेंट कमेटी में आरोप हैं और तमाम संसद सदस्यों ने लिखित शिकायतें की हैं, विश्वविद्यालय का पूरा वातावरण अशांत और क्षुब्ध है, डायरेक्टर के कहने के बावजूद भी ऐसी कौन-सी बात है, कौन-से कारण हैं कि आप जांच कराने में हिचकिचा रहे हैं ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आई० आई० टी० की गवर्निंग बाडी के चेयरमेन पद पर थापर और सिंघानिया जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के बदले में क्या आप अच्छे किस्म के लोगों को चैयरमेन पद पर नियुक्त करने पर विचार करेंगे जो कि अपना अधिक समय वहां दे सकें और शिक्षा की तरक्की में भी योगदान कर सकें ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : माननीय सदस्य ने तीन मामले बताये हैं जो अब विशेषाधिकार के मामले की विषय सामग्री है जिन्हें अध्यक्ष महोदय के सामने बताया गया। अत: इन पर मैं

टिप्पणी नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय को यथेष्ट स्पष्टीकरण दे दिया जायेगा, और वह ही यह निर्णय करें कि कौन सही है और कौन गलत। इसलिए, उन मामलों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।

रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी के बारे में, मैं यह बताना चाहूंगा कि यह केवल बर्खास्तगी ही नहीं है अपितु कानून के अनुसार उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए वास्तव में कदम उठाये गए हैं तथा उन्हें एक आरोप पत्र दिया गया है। उन पर कई प्रमुख आरोप हैं। आरोपों के चार मामले हैं। उनके अन्तर्गत कर्त्तव्य की अवहेलना, भूल चूक की 26 मदों का उल्लेख किया गया है। एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, न्यायाधीश आर० के० बवेजा, पंजाब न्यायिक सेवा के एक अवकाश प्राप्त मिला एवं सेशन न्यायाधीश, जो 1972 में विषाक्त शराब पीने के कारण हुई मौतों की जांच कर रहे आयोग में भी थे, तथा जो 2 अक्तूबर 1975 को आपातकाल के दौरान राजनैतिक बन्दियों पर हुए लाठी-चार्ज की जांच कर रहे आयोग में भी रहे, को इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। अब यह मामला जांच आयोग के सामने है, और जैसा कि मैंने कहा है कि यह इस संस्थान के आन्तरिक क्षेत्राधिकार में है। सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने नहीं जा रही है।

माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किए गए अन्य अनेक मामलों के संबंध में मैं कहूंगा कि केवल इस सस्थान के विरुद्ध आरोप नहीं है। श्री मनोहर लाल कह रहे थे कि इसका संबंध उनके निर्वाचन क्षेत्र से है मुझे कल ही पता चला है। उन्होंने आई० आई० टी०, बंबई के विरुद्ध भी आरोप लगाये हैं। इन सभी संस्थाओं के विरुद्ध आरोप हो सकते हैं। अतः सरकार इन सभी आरोपों की छान-बीन करेगी। केवल इस कारण कि कुछ आरोपों पर कुछ संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आरोप सत्य सिद्ध हो गए हैं। भारत के राष्ट्रपति श्री एन० संजीव रेड्डी के नाम लिखे पत्र में यही बताया गया है :

"वर्तमान निदेशक एक ऐसा व्यक्ति है जो आदर्शों एवं मूल्यों से रहित है। उन्हें यह पद देश के पिछले शासकों के प्रति निष्ठावान होने के कारण सौंपा गया। वह संजय गांधी का प्रशंसक है जिसका उन्होंने उत्साह बढ़ाया..."

"निदेशक स्वयं उस पद पर बने रहने के लिए अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हैं।"

पिछले वर्ष इस निदेशक ने त्याग-पत्र देने का प्रस्ताव किया। किंतु बड़ी संख्या में प्रोफेसर मेरे पास आये और बोले कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मैंने निदेशक को बुलाया और कहा कि यदि उन्होंने स्थिति का सामना नहीं किया तो इससे संस्था बदनाम हो जाएगी।

जहाँ तक अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला है, यह सच नहीं है कि प्रत्येक बार हम किसी उद्योगपति को नियुक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली की आई० आई० टी० में, हमने एयर मार्शल अर्जुन सिंह को जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं नियुक्त किया है।

बम्बई की आई० आई० टी० में एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। अतः जहां कहीं हम महसूस

करते हैं कि अमुक व्यक्ति इस संस्थान के सामान्य निवास में योगदान कर सकेंगे उन पर हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए ।

सभापति मसोदय : सभा सोमवार 11.00 बजे मध्याह्न पूर्व तक के लिए स्थगित होती है ।

मध्याह्न पश्चात 6.25 बजे

इसके पश्चात लोकसभा सोमवार, 30 अप्रैल 1979/10 वैशाख, 1901 (शक) के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

(C) 1979 लोक सभा सचिवालय में प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त लोक सभा के प्रक्रिया तथा काय संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, इंडियन प्रेस द्वारा मुद्रित ।